खण्ड-218, अंक-2
मंगलवार, 18 माघ, शक संवत् 1882
(7 फरवरी, 1961 ई0)

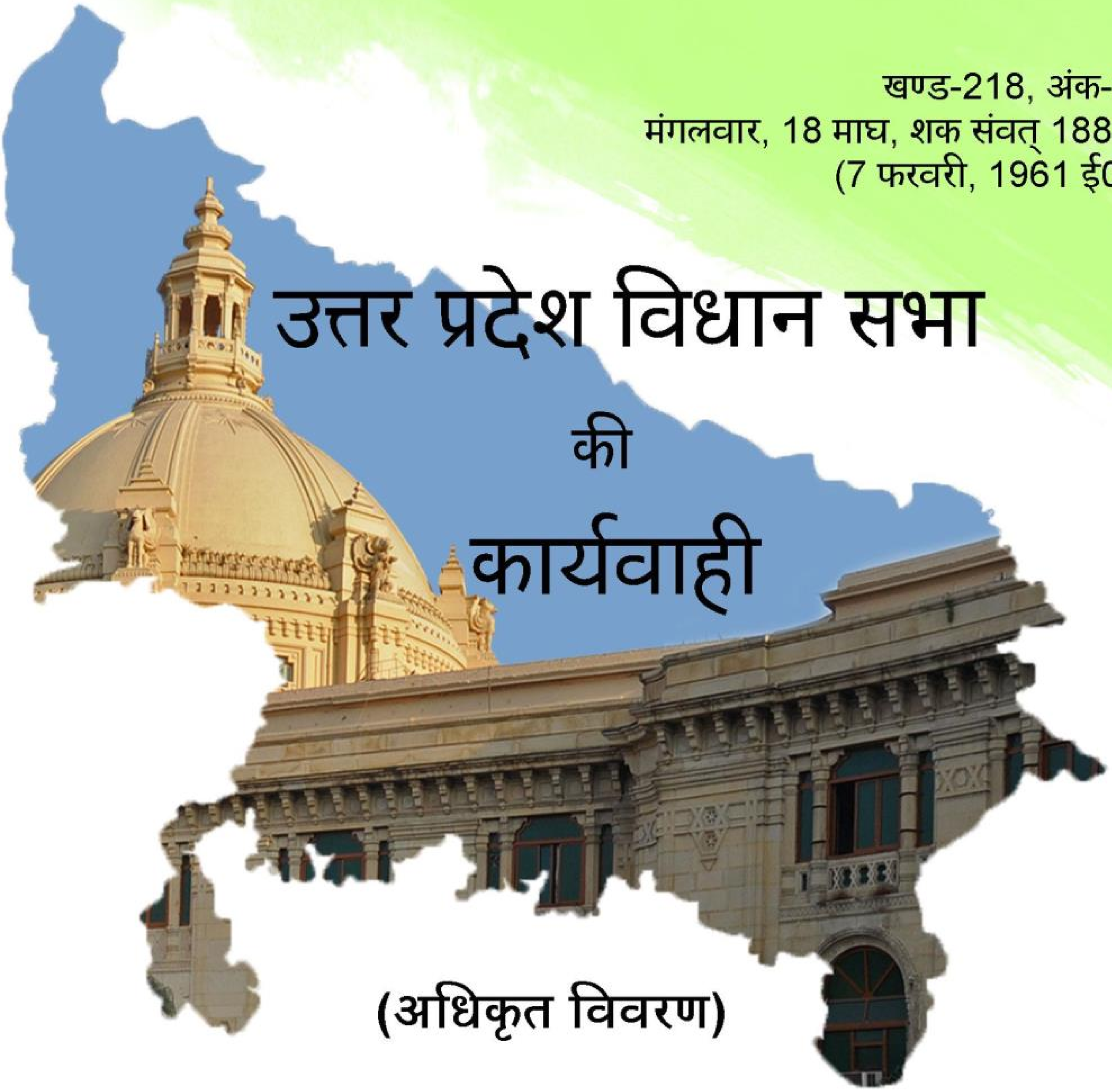

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 218 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

MAY 1961

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ७ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्या प्रसाद, आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय ,श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री

गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अग्निवेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद ,श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जरगाम हैदर, श्री सैयद,
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर , श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह, राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री

बदलूराम, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बंसतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकी राम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन ,श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री,
महेन्द्रविपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां ,श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद, 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पांडेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री

राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह, चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवबचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)

श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, क़ंवर,
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सिया दुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त, वित्त मंत्री, श्री हरिगोविन्द सिंह तथा वन मंत्री, श्री अलगू राय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ७ फरवरी, १९६१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

[६ फरवरी, १९६१ के लिये निर्धारित]

लखनऊ में गोमती का बांध मार्ग टूट जाने की जांच

१—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ के मोतीमहल के नाले के पास से जो गोमती की Embankment सड़क शाहनजफ, सिकन्दर बाग के पीछे और भैंसाकुंड होती हुई डालीबाग व बनारसीबाग के शेरघर के पीछे तक बनी है वह क्यों और कब बनाई गयी थी तथा वह कब तक कंकड़ रोड रही और कब एसफाल्ट की बनी थी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—गोमती की Embankment सड़क जो शाहनजफ और सिकन्दरबाग के पीछे है उसे लोकमान्य तिलक मार्ग कहते हैं और भैंसाकुंड तथा डालीबाग आदि के पास की सड़क बटलर मार्ग कहलाती है । इस सड़क का Embankment सन् १९२३ की भीषण बाढ़ के बाद गोमती क्षेत्र की रक्षा बाढ़ से करने के हेतु बांध के रूप में बनाया गया था । इस बांध तथा इस पर की सड़क का निर्माण-कार्य सन् १९२५–२६ में प्रारम्भ हुआ था और १९२८ में समाप्त हुआ था । यह सड़क १९५४–५५ तक कंकड़ की रही और उसके बाद एसफाल्ट की बनी ।

२—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त सड़क की वार्षिक मरम्मत में क्या खर्च होता है तथा गत तीन वर्षों में उसकी क्या-क्या मरम्मत की गई थी व उस पर कितना-कितना रुपया प्रति वर्ष पिछले तीन वर्षों में व्यय हुआ ?

**३--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर, १९६० और उसके पूर्वगत वर्षों में जो बाढ़ गोमती में आई थी उसके बाद उक्त Embankment सड़क की जांच की गई थी कि वह कहां-कहां टूटी है और क्या यह बात ठीक है कि १० अक्तूबर, १९६० को शाहनजफ के पास वह सड़क जहां गत वर्षा में टूट गई थी वहीं से Embankment टूट कर Cis-Gomati क्षेत्र में पानी आ गया था जो सन् १९२३ से अबतक कभी नहीं आया था ?

श्री कैलाशप्रकाश--शासन ने एक जांच कमेटी नियुक्त कर दी है जो इन बातों की पूरी छानबीन कर रही है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर में वर्षा के कारण जो स्थिति उत्पन्न हो गयी थी उसको देखते हुये सम्बन्धित अधिकारियों ने उक्त बाढ़ तथा उसकी भीषणता के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को रोकने के लिये क्या प्रिकाशन्स लिये थे ?

श्री कैलाशप्रकाश--उत्तर में मैंने निवेदन किया है कि एक समिति नियुक्त की गयी है जो इस बात की छानबीन कर रही है। जब उस समिति की रिपोर्ट आ जायगी तो उसके अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कमेटी कब नियुक्त की गयी थी और उसकी रिपोर्ट अभी आयी है या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश--नियुक्ति की ठीक तिथि तो मुझे याद नहीं है लगभग दो मास हुये तब नियुक्त की गयी थी । अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आयी है। अभी उन्होंने एविडेन्सेज़ लिये हैं और आशा है कि शीघ्र ही रिपोर्ट आ जायगी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--उस कमेटी में कौन लोग हैं, विभागीय अफसर हैं या कुछ और तरह के लोग हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--यह कमेटी कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन के सभापतित्व में नियुक्त हुई है और चीफ इंजीनियर, इर्रीगेशन, चीफ इंजीनियर, पी०डब्ल्यू डी० तथा मुख्य नगराधिकारी उसके सदस्य हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उक्त बांध जो उस सड़क और उस मुहल्ले के बचाव के लिये बनाया गया था वह पहले भी कभी टूटा था ? यदि हां, तो उसकी सूचना सरकार को है या नहीं ?

श्री कैलाशप्रकाश--मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)--प्रश्न २ के संबंध में जो माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया कि अभी एक कमेटी बनी है, उस प्रश्न को फिर पढ़ कर उत्तर देने की कृपा करें। उसमें कहा गया है कि इसकी कब-कब मरम्मत हुई और कितना-कितना रुपया खर्च किया गया, तो जरा यह बताने की कृपा करें।

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, यह प्रश्न मैंने पढ़ा था और इस कमेटी के सिपुर्द यह भी काम है कि इसके संबंध में वह सब जानकारी करें।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी फिर से इस आदरणीय सदन को यह स्पष्ट करेंगे कि पिछली बाढ़ जब आयी थी उससे पहले एक साल के भीतर कभी इसकी मरम्मत की गयी थी ?

श्री कैलाशप्रकाश--इस समय मेरे पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। यह कमेटी इन सब चीजों को एकत्र करेगी ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सड़क किस की देखरेख में थी?

श्री कैलाशप्रकाश---जहां तक सड़क का संबंध है वह महापालिका की देखरेख में थी। जहां तक बांध का संबंध है, वह भी इस कमेटी के सुपुर्द है कि वह इस बात को देखे कि वह किसकी देखरेख में था क्योंकि पहले बांध इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास था। इससे पहले यह पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा बनाया गया था। यह सब चीजें कमेटी की रिपोर्ट आने पर स्पष्ट हो सकेंगी।

सीतापुर नगरपालिका का विघटन

४---श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)---क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि सीतापुर शहर की नगरपालिका 'डिजाल्व' कर दी गई है? यदि हां, तो 'डिजाल्व' करने का आदेश किस तारीख को दिया गया है?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां।

नवम्बर २४, १९६० को।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सीतापुर की म्युनिसिपैलिटी इसलिये डिजौल्व की गई कि पी० सी० सी० के दो मेम्बरों के वोट प्राप्त करने थे?

श्री कैलाशप्रकाश---जी नहीं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस म्युनिसिपैलिटी को डिजाल्व करने के मुख्य कारण क्या रहे हैं?

श्री कैलाशप्रकाश---श्रीमन्, इसके मुख्य कारण वैसे तो २४ नवम्बर, १९६० के गजट में प्रकाशित हुये हैं और वह स्पष्ट रूप से दिये हुये हैं। यदि आज्ञा हो तो मैं उनको पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि वह तो बहुत लम्बा स्टेटमेंट होगा, यदि छोटा हो तो पढ़ दिया जाय।

श्री कैलाशप्रकाश---मैं उसको संक्षेप में ही दिये देता हूं। बोर्ड ने अपने देयों की विशेषकर जल-कर की वसूली और ऐसे देयों की वसूली के लिये पर्याप्त कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण उसकी वित्तीय स्थिति बिगड़ती गई तथा वह वित्तीय संकट की ओर अग्रसर होने लगी। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष १९५३-५४ से लेकर १९५७-५८ तक के लिये सड़कों के निर्माण के हेतु १,९८,९०० रुपया का सरकारी अनुदान गवर्नमेंट ग्रांट तथा तदनुरूप १,७५, ३७५ रुपया, अपने अंश के धन का उपयोग उन चीजों में निर्दिष्ट समय के भीतर नहीं किया जिनमें कि वह अनुदान स्वीकार किये गये थे। बोर्ड ने पटरियों पर जो अत्यधिक कंजेस्टेड उपक्रमण एनक्रोचमेंट हैं उसको हटाने की पर्याप्त कार्यवाही नहीं की।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि काफी इशारा हो गया उनके लिये।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस म्युनिसिपैलिटी के डिजौल्व किये जाने के आदेश के पूर्व सीतापुर नगरपालिका का प्रतिनिधि मण्डल स्वायत्त शासन मंत्री से मिला था?

श्री कैलाशप्रकाश---मेरी जानकारी में नहीं है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

यू० पी० नगरमहापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) तृतीय आज्ञा, १९६० का प्रवर्तन

**५—श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० नगरमहापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) तृतीय आज्ञा, १९६० को जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री कैलाशप्रकाश—आज्ञा के जारी करने की आवश्यकता के कारण उसमें स्पष्टरूप से दिये गये हैं।

**६—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार इस आज्ञा को वापस लेने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—आज्ञा को वापस लेने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री सजीवनलाल—क्या सरकार सदन के सामने उन सब पत्रों को प्रस्तुत करने की कृपा करेगी जिनके आधार पर यह आज्ञा जारी करनी पड़ी ?

श्री कैलाशप्रकाश—कोई पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। आज्ञा में बहुत स्पष्ट कारण और उद्देश्य दिये हुये हैं।

जिला परिषदों के चुनाव में विलम्ब

**७—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वह जिला परिषदों का चुनाव कब तक करायेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० विधान मंडल के सम्मुख विचारार्थ मौजूद है। अतः जिला परिषदों का चुनाव कराने के विषय में कोई भी बात निश्चित रूप से तभी कही जा सकती है जब उक्त विधेयक अंतिम-रूप से पारित हो जाये।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उनकी ओर से इसको किस अवधि तक पास कराने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—सरकार की इच्छा सदन की इच्छा के ऊपर भी आश्रित है। सरकार इस बात का प्रयत्न करती रही है, लेकिन अभी नहीं हो पाया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार इसको स्पष्ट करेगी कि जिन गांव सभाओं का चुनाव हो गया है और ब्लाक में सभापति का होने जा रहा है तो वे कब तक चुनाव सम्पन्न करेंगे और उनके प्रतिनिधि जिला परिषद् में कब तक जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो जिला परिषदों का सवाल है।

श्री राजनारायण—जिला परिषद् में वह जाकर चुनाव करेंगे, यह समस्या अंतरिम जिला परिषद् ....

श्री अध्यक्ष—यानी उसका हिस्सा है, वह ?

श्री राजनारायण—जी हां।

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, जिला परिषद् से उसका संबंध नहीं है। जो प्रश्न मौजूद है उसका संबंध अन्तरिम जिला परिषद् से है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या यह सही है कि सरकार का इरादा जिला परिषदों का चुनाव सन् १९६२ के आम चुनाव के बाद करने का है, इसलिये सरकार इस वक्त प्रयत्नशील नहीं है ?

श्री कैलाश प्रकाश—श्रीमन्, ऐसा तो कोई विचार नहीं है। जहां तक यह एलेक्शन करवाने का ताल्लुक है और विधेयक पारित करने का जहां तक संबंध है, वह सब सदन के सहयोग पर आश्रित है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---इस बात को देखते हुये कि सरकार ने पहले भी इस सदन में आश्वासन कई बार दिया है कि यह चुनाव १९६१ में जल्द से जल्द करा दिया जायगा और विरोधी दलों की जो मीटिंग मुख्य मंत्री जी से हुई थी उसमें भी यह आश्वासन दोहराया गया था, क्या माननीय स्वशासन मंत्री बतलायेंगे कि इस संबंध में उन्होंने जो आज उत्तर दिया है उसके क्या कारण हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---इस सदन में आश्वासन दिया गया और आज भी हम परिषद् और क्षेत्र समितियों को स्थापित करने के लिए इच्छुक हैं। पिछली सरकार भी इस बात की इच्छुक थी। किन्तु दूसरे इसमें सदन का सहयोग भी आवश्यक है। जो विधेयक यहां से पारित हुआ था, वह दूसरे सदन में अभी पड़ा हुआ है। वहां से पारित होने के पश्चात् ही उस पर कोई कार्यवाही हो सकेगी।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्र समितियों की स्थापना और उनका एलेक्शन जिला परिषद् का अंग है या अंतरिम जिला परिषद् का अंग है ?

श्री कैलाशप्रकाश---स्पष्ट है कि जिला परिषद् का अंग है।

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, जब क्षेत्र समितियों का एलेक्शन होने जा रहा है तब प्रश्न यह उठता है कि उसके जो अध्यक्ष रहेंगे वह जिला परिषद् के भीतर कब तक पहुंच जायंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश---जब जिला परिषद् बनेगी तभी वह उसके मेम्बर बनेंगे। जब क्षेत्र समिति स्थापित होगी तभी वहां के प्रतिनिधि आयेंगे। यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अन्तरिम जिला परिषद् और जिला परिषद् ये दोनों दो चीजें हैं। आजकल जो चल रही हैं वे अन्तरिम जिला परिषदें चल रही हैं और दूसरे वे ब्लाक्स हैं. . .

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इतने जो सवालात हो रहे हैं उसमें एक चीज है जिसके बारे में स्पष्ट उत्तर वह चाहते हैं कि सरकार का इरादा क्या यह है कि सन् ६२ के चुनाव के पहले इसका जो विधेयक सामने है उसको पारित कराकर चुनाव करायेंगे। वह पूछ रहे हैं कि सरकार का इरादा ऐसा है या नहीं, सदन विधेयक पास न करे वह दूसरी बात है, लेकिन सरकार का क्या इरादा है, यह वह जानना चाहते हैं।

श्री कैलाशप्रकाश---सरकार का विचार है कि जो विधेयक है उसमें आवश्यक संशोधन करके सन् ६२ के पहले वह परिषद् और क्षेत्र-समिति स्थापित कर दे।

श्री राजनारायण---हमारा प्रश्न स्पष्ट, श्रीमन्, यह है कि सरकार ने अन्तरिम जिला परिषद् की अवधि ३० जून तक बढ़ायी है। तो क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि ३० जून के अन्दर जिला परिषद् का गठन हो जायगा या यह अवधि वह फिर बढ़ायेगी ?

श्री अध्यक्ष---इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं, वह इसलिये कि मुख्य जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया उन्होंने कि वह पास होने के ऊपर है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, यह देखा जाय कि सरकार कह रही है कि. . .

श्री अध्यक्ष---उसको सरकार कमिट नहीं कर सकती।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, आज वह यह कह रहे हैं कि ब्लाक भी बन रहे हैं, ब्लाक के प्रतिनिधि भी तो अन्तरिम जिला परिषदों में जा रहे हैं, जो नया चुनाव अभी हुआ है पंचायतों का उसके प्रतिनिधि ब्लाक में जायेंगे और सरकार ने एक आर्डिनेन्स के द्वारा यह किया है कि अध्यक्ष गैर सरकारी होंगे तो उस गैर सरकारी अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष—वह दूसरी चीज है। मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था होने जा रही है कि अब जो संशोधन उस विधेयक में होने वाले हैं उसके लिये वह विधेयक फिर वापस लिया जायगा और इस सदन के सामने उसको फिर उपस्थित किया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी नहीं, उसको अभी वापस करने का कोई विचार नहीं है।

श्री गेंदासिंह—तो जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसमें आवश्यक संशोधन किये जायंगे यह संशोधन किस प्रकार किये जायेंगे क्योंकि यदि वहां संशोधन हुआ तो उसको फिर यहां आना पड़ेगा ? इन बातों पर विचार माननीय मंत्री जी ने किया है ?

श्री अध्यक्ष—म समझता हूं कि पहला हिस्सा आप पूछें कि वहां संशोधन करने का इरादा ह या नहीं ? यहां आना होगा यह तो सभी को मालूम है।

श्री गेंदा सिंह—जी हां, मेरा प्रश्न यही है कि परिषद में संशोधन वह कराना चाहते हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—श्रीमन्, यह बात मैं स्पष्ट कर दूं कि इस विधेयक के संबंध में काफी चर्चा, जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, इस माननीय सदन के इधर के और उधर के नेताओं में हुई है और उसमें यही इच्छा रही है कि जिला परिषद् और क्षेत्र-समिति सन् ६२ से पूर्व स्थापित हो जायं और ऐसा आश्वासन भी दिया गया था। अब इस कार्य को करने के लिये कुछ संशोधनों की आवश्यकता है और उस संबंध में मेरा विचार है कि इस सदन के माननीय नेताओं से बातचीत करके जो आवश्यक संशोधन हो वह किये जायं जिससे कि वह व्यावहारिक रूप में आ सके। वह करने का इरादा है। कोई अभी बातचीत वैसी करने का अवसर नहीं आ सका है इसलिये उस संबंध में बहुत निश्चित और अन्तिम बात मैं नहीं कह पा रहा हूं। शीघ्र ही वह सलाह करने का इरादा है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, एक वैधानिक प्रश्न इससे उठता है। संविधान के अनुच्छेद १९७ को देखा जाय। इसमें लिखा है—

"परिषद् के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से उससे विधेयक पारित हुए बिना तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता है,"

श्री अध्यक्ष—तो इससे आप क्या परिणाम निकालते हैं ?

श्री राजनारायण—इसके अनुसार वह समाप्त हो जायगा और हम स्वतः अधिकारी हो गये कि हम उसको यहां लाकर पास कर दें।

श्री अध्यक्ष—आपने १९७ (१) का (ख) ही केवल पढ़ा है। उसके आगे भी तो उसको पढ़िये जिसमें लिखा है कि "परिषद् द्वारा विधेयक ऐसे संशोधनों सहित पारित होता है जिनसे सभा सहमत नहीं होती, तो विधान सभा विधेयक को अपनी प्रक्रिया के विनियमन करने वाले नियमों के अधीन रहकर, उसी या किसी आगे आने वाले सत्र में ऐसे किन्हीं संशोधनों सहित या बिना, यदि कोई हो, जो विधान परिषद् ने किये हैं, सुझाये हैं या स्वीकार किये हैं, पुनः पारित कर सकेगी" तो यह पुनः असेम्बली में आने का सवाल है। मैं समझता हूं कि इसके लिये आप स्टडी करके मुझे भेजें। यह इससे उठता नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यहां पर हम अधिकारी हो गये।

श्री अध्यक्ष—आप पहले हिस्से को पढ़ते हैं और उससे ही परिणाम निकालना चाहते हैं। मैं कानून को इस तरह से परस नहीं कर सकता हूं।

लखनऊ नगरमहापालिका का रेल यात्री कर लगाने पर विचार

**८--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ नगर महापालिका ने रेल यात्री कर लगाने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में संपूर्ण विवरण सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--इस संबंध में एक प्रस्ताव नगर महापालिका लखनऊ की कार्यकारिणी समिति के विचाराधीन है ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो प्रस्ताव विचाराधीन है क्या नगर महापालिका की उस संबंध में राय सरकार के पास आई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश--महापालिका उस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यह पत्र-व्यवहार प्रदेशीय सरकार के द्वारा केन्द्रीय सरकार से अवश्य चल रहा है कि यहां की महापालिका कुछ रेल यात्रियों पर कर लगाना चाहती है । जहां तक रेल यात्रियों पर कर लगाने का प्रश्न है जब तक उसको केन्द्रीय सरकार स्वीकार न कर ले तब तक लगाया नहीं जा सकता है। बाकी प्रस्ताव का ब्यौरा महापालिका की कार्यकारिणी के विचाराधीन है ।

श्री मदन पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि लखनऊ राजधानी है और यहां आने के लिये बहुत से लोग अमीर गरीब सभी विवश होते हैं इसलिये नगरमहापालिका को यह सलाह देने की कृपा करेंगे कि वह इस तरह से कर लगाने का विचार न करे ?

श्री कैलाशप्रकाश--जब महापालिका की कार्यकारिणी का प्रस्ताव सामने आ जायगा तभी उस पर विचार किया जायगा और जैसा उचित समझा जायगा किया जायगा ।

लखनऊ की बाढ़ के संबंध में प्रशासकीय समिति

**९--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार को पता है कि लखनऊ कारपोरेशन ने यहां की गत बाढ़ के संबंध में जुडीशियल जांच कराने के लिये उससे अभी हाल ही में अनुरोध किया है ? यदि हां, तो उसने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश--जी हां, नगर महापालिका का इस विषय पर प्रस्ताव प्राप्त होने के पहले ही शासन ने एक प्रशासकीय समिति नियुक्त कर दी थी जिसके अध्यक्ष आयुक्त लखनऊ खंड लखनऊ, मंत्री मुख्य नगर अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ तथा सदस्य मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण तथा सिंचाई विभाग है। चूंकि यह समिति बांध के टूटने के कारणों तथा उससे संबंधित अन्य बातों की जांच करेगी, अतएव फिलहाल दूसरी जांच कमेटी नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं समझी गई और नगर महापालिका , लखनऊ को तदनुसार सूचित कर दिया गया है ।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त कमेटी में किसी गैर सरकारी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकी, इसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश--इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझी गयी क्योंकि विषय विशेषकर प्रटेक्निकल था और इसलिये उन लोगों को जो कि उसमें अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर सकते थे, लेकर ही कमेटी बना दी गयी ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिस प्रशासकीय कमेटी का उन्होंने हवाला दिया है वह केवल बटलर रोड का बांध टूटने के कारणों की ही जांच करेगी और सारी बाढ़ की बात उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में नहीं है ?

श्री कैलाशप्रकाश—जी हां, बाढ़ से सम्बन्धित जो और बातें मालूम होंगी वह उस कमेटी के सामने आयेंगी और, अध्यक्ष महोदय, यदि आज्ञा हो तो मैं उसके टर्म्स आफ रेफरेंस पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जिस संबंध में श्री त्रिलोकी सिंह जी ने प्रश्न पूछा है उस संबंध में पढ़ कर सुना दें। अगर यह न हो तो कह दीजिये कि नहीं है। आप अपनी राय के अनुसार पढ़ कर सुना दें।

श्री कैलाशप्रकाश—यह इस प्रकार है:—

".....it would have been possible to avoid the breach if timely measures had been taken to strengthen the bund or wheather the breach of the bund was unavoidable in view of the sudden and unprecedented risein the level of the river.

(iii) to suggest measures which should be taken with a view to avoid recurrence of such a contingency in future".

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार की जांच की मांग लखनऊ कारपोरेशन ने की है, उस प्रकार की जांच के लिये कमेटी न बनाने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप इसको और स्पष्ट कर दें। जुडिशियल वर्ड को तो आप छोड़ दें, लेकिन किस परपज के लिये वह कमेटी बनायी गयी है यह पूछ लें।

श्री त्रिलोकीसिंह—जिस प्रकार की जांच की मांग कारपोरेशन ने की है यानी कि लखनऊ में बाढ़ क्यों आयी, उस बाढ़ से कितना नुकसान हुआ, नगर को उस नुकसान से बचाने के लिये क्या उपाय सरकार द्वारा किये जा सकते थे ताकि कम से कम नुकसान हो, इस संबंध में सरकार द्वारा किसी कमेटी की नियुक्ति न करने का सरकार के पास क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—मैं उत्तर में स्पष्ट निवेदन कर चुका हूं कि पूर्व इसके कि महापालिका का प्रस्ताव सरकार के पास आता शासन ने स्वतः एक कमेटी नियुक्त की और लखनऊ में बहुत ज्यादा नुकसान का प्रश्न बांध टूट जाने से ही उठता है। तो बांध टूट जाने के क्या कारण थे और उसको बचाने के लिये क्या उपाय हो सकते थे, क्या लापरवाही हुई है, यह सब चीजें उस कमेटी के समक्ष आयेंगी। वह कमेटी एवीडेंसेज भी लेगी और ऐसा प्रतीत होता है कि जो आशय महापालिका का प्रस्ताव भेजने से था, बहुत कुछ हद तक वह पूरा हो जायगा।

श्री त्रिलोकीसिंह—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बटलर रोड के बांध के टूटने से लखनऊ शहर के जितने क्षेत्र में नुकसान हुआ है वह पूरे नुकसान के दसवें भाग से भी कम है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब कमेटी की रिपोर्ट आ जायगी उसके पश्चात् ही इस बात पर विचार किया जा सकता है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिला कारागार, लखनऊ से भूतपूर्व मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखते हुए मैंने उनसे कहा था कि यहां के सरकारी अधिकारियों को ८ अक्तूबर तक बाढ़ के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने बाढ़ की उपेक्षा जानबूझ कर की। तो क्या सरकार को इसकी जानकारी है और है तो इसकी जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश--मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री राजनारायण--तो क्या सरकार इस सूचना को जानकारी मान कर कोई न्यायिक जांच करायगी और वह इस बात का भी पता लगायेगी कि ८ तारीख को जब मेरी पेशी मैजिस्ट्रेट की अदालत में थी और जब १३ तारीख दूसरी पेशी की डाली जा रही थी तो मैंने कहा था कि उस दिन बाढ़ आयेगी और आप--

श्री अध्यक्ष--आप अपनी इन बातों को सामने रखते हुए नया प्रश्न लिख कर भेज दें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी, जो यह पिछली बाढ़ लखनऊ में डालीगंज, निशातगंज, बटलर रोड, न्यू हैदराबाद, वजीर हसन रोड आदि पर आई, और समय से अधिकारियों द्वारा वार्निंग न दिये जाने के कारण जो नुकसान हुए उन सब की जांच इस कमेटी द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--यह कमेटी तो उसी संबंध में जांच करेगी जो इसके टर्म्स आफ रेफरेन्स में होगा।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--चूंकि सदन के सदस्यों की यह मांग है कि यह कमेटी जो नियुक्त की गयी है वह इस बात की भी जांच करे कि समय पर वार्निंग इत्यादि दी गयी या नहीं और उससे कुछ लाभ उठाया गया या नहीं, तो इस विषय की जांच भी इस कमेटी के सुपुर्द कर दी जायगी।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का निहायत मशकूर हूंगा यदि वे पिछली बाढ़ से संबंधित उन सभी बातों की जांच कराने की कृपा करेंगे कि क्या क्या नुकसानात हुए, समय से वार्निंग दी गयी या नहीं और जो लोगों के नुकसानात हुए उनकी पूर्ति के लिये सरकार की तरफ से क्या प्रबन्ध किया गया, कितना नुकसान हुआ, आदि।

मैं चाहता हूं कि इन तमाम मामलों की जांच इस कमेटी के सुपुर्द कर दी जाय।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जो चीजें भी इस वार्निंग इत्यादि के सिलसिले में इस कमेटी के समक्ष आयेंगी उन पर विचार करके मैं ऐसा समझता हूं कि उसकी रिपोर्ट सरकार के समक्ष आयेगी और जो सिफारिशें वह कमेटी भेजेगी उनको सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायगा।

श्री त्रिलोकीसिंह--माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात होगा कि इस कमेटी ने अपना काम समाप्त कर लिया है और इस कमेटी ने यह तरीका रखा कि उसने केवल बटलर रोड के सिलसिले में ही जांच की और महज उसके बांध के टूटने के क्या कारण थे इनकी। उसके द्वारा नुकसान क्या हुआ इसकी नहीं। तो उसको इसकी भी जांच करनी चाहिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--यह सब उस कमेटी के विचारार्थ रखा जायगा और जो सिफारिशें उस कमेटी की होंगी उन पर सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष--टर्म्स आफ रेफरेन्स में इनको ऐड कर दिया जाय, यह मतलब है कहने का।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि बाढ़ की सूचना यहां के अधिकारियों को कब मिली और कब उन्होंने सूचना लोगों को दी, उससे क्या-क्या नुकसान हुए, क्या यह सब टर्म्स आफ रेफरेन्स में आयेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि माननीय त्रिलोकीसिंह जी का प्रश्न इससे काफी व्यापक प्रश्न था और जो कुछ उन्होंने कहा है इसकी भी जांच हो जानी चाहिये और इसको टर्म्स आफ रेफरेन्स में एड कर दिया जायगा।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, आप जो कह रहे हैं कि यह ऐड कर दिया जायगा, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि वे क्या-क्या बातें और इसके टर्म्स आफ रेफरेन्स में ऐड करेंगे।

श्री अध्यक्ष--वह तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो सदन के सदस्यों की राय है उस पर कमेटी को विचार करने के लिये कहा जायेगा। उसमें आपकी राय भी आ जाती है।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, सदन यह जानना चाहता है कि बाढ़ की सूचना कब आयी और सरकारी कर्मचारियों ने उस सूचना को लेकर कब काम शुरू किया....

श्री अध्यक्ष--ठीक है, वह तो आ गया। मतलब यह है कि सदन की राय लेने के लिये तो कहा नहीं। अब जो आपने अपनी इच्छा प्रकट कर दी, वही उन्होंने मान ली कि सदन की राय है, इसलिये वह सब विचार कर लेंगे।

श्री राजनारायण--इतने में तो काम ही बन जायगा।

श्री अध्यक्ष--वह तो करेंगे ही, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जो कि अशोभनीय हो।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

****१०--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि स्थानीय स्वायत्त शासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों के हेतु इस वर्ष बढ़ाया गया महंगाई भत्ता दिये जाने के लिये सरकार का आदेश अभी तक प्रसारित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाश प्रकाश--स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को (नगर पालिका तथा अंतरिम जिला परिषद् के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को छोड़कर) १ अप्रैल, १९६० से देय अतिरिक्त महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश २८ दिसम्बर, १९६० को निर्गम हो चुके हैं। शासकीय आदेश की प्रतिलिपि सदस्य महोदय की मेज पर रखी है।

अध्यापकों के भत्ते के सम्बन्ध में शासन द्वारा पृथक शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे १४०-१४३ पृष्ठ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड्स के प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों और अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों के हेतु जो आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं उसका क्या कारण है?

श्री कैलाशप्रकाश--उसमें कुछ विभागीय देख भाल हो रही है। क्योंकि अध्यापकों की संख्या काफी होती है इसलिये उसकी जांच-पड़ताल में कुछ देरी है। जैसा मैंने उत्तर में कहा है शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो उन्होंने कहा कि विभागीय सूचना मिलनी है तो क्या विभागीय सूचनाओं के आधार पर ही सरकार अपनी नीति को रखना चाहती है अथवा सरकर ने नीति बना ली है कि इन अध्यापकों को महंगाई भत्ता दिया ही जायगा?

श्री कैलाश प्रकाश--भत्ता तो दिया ही जायगा। इसके बारे में अब आंकड़े इत्यादि एकत्र किये जा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया में प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों के सम्बन्ध में क्या आदेश जारी हो चुके हो या होने वाले हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—अध्यापकों के सम्बन्ध में किसी के लिए आदेश जारी नहीं हुए हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—अध्यापकों को जो महंगाई भत्ता दिया जायगा क्या उसकी दर उतनी ही रहेगी जितनी कि राजकीय कर्मचारियों की रहती है जिनको कि समान वेतन मिलता है और क्या सरकारी कर्मचारियों की भांति उनको भी रेट्रास्पेक्टिव इफेक्ट का लाभ दिया जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—इसकी सूचना तो अन्तिम निर्णय पर ही दी जायगी ।

श्री रामायण राय—जो आदेश अध्यापकों के सम्बन्ध में दिये जायंगे क्या उसी प्रकार के आदेश उन स्कूलों में जो अन्य क्लर्क या चपरासी हैं उनके सम्बन्ध में भी दिये जायंगे कि उनको भी महंगाई भत्ता मिले ।

श्री कैलाशप्रकाश—यह भी सब विचाराधीन है ।

****११—श्री नारायणदत्त तिवारी**—[२० फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

[७ फरवरी, १९६१ के लिये निर्धारित प्रश्न]

****१—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)**—[९ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

भेलूपुर थाने की पुलिस के विरुद्ध शिकायत

****२—श्री त्रिलोकीसिंह**—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वाराणसी थाना भेलूपुर की पुलिस के विरुद्ध कोई शिकायत अधिकारियों को १८-१०-६० को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—१८-१०-६० को नहीं बल्कि दिनांक २१-१०-६० को जिला अधिकारियों को इस आशय की एक शिकायत प्राप्त हुई थी । उक्त शिकायत के संबंध में सी० आई० डी० द्वारा तुरन्त जांच की गई किन्तु पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का समर्थन नहीं हुआ ।

श्री राजनारायण—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मुख्य मंत्री जी ने फ्लोर क्रास करके श्री त्रिलोकीसिंह से बात की और उनसे बात-चीत करके फिर चले गये, यह सदन के सम्मान पर ठेस है और इसको रोका जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—वह बात बिलकुल सही है । फ्लोर वैसे क्रास नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं, आइंदा इस बात का वे खयाल रखेंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय गृह मंत्री बतलायेंगे कि दफा १८२ के अन्तर्गत गलत शिकायत पाई गई तो क्यों नहीं कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—इस मामले में जरूरी नहीं समझा गया ।

समाजवादी सत्याग्रहियों के साथ अनियमितता की शिकायत

****३—श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या गृह मंत्री को नवम्बर, १९६० के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में सोशलिस्ट सत्याग्रहियों के साथ अनियमितता बरतने या गैरकानूनी ढंग से सजा भुगतवाने की शिकायतें विधायकों द्वारा प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो विचाराधीन है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि वह शिकायत किन सज्जन की थी और संक्षेप में किस बारे में शिकायतें थीं ?

श्री चरणसिंह--प्रश्नकर्त्ता महाशय ने ही पूछा था। एक तो यह थी--

राज्य बनाम रणधीर सिंह व राज्य बनाम निर्भयानन्द मुकदमों में सेशंन जज, कानपुर ने २५ जुलाई, १९६० को निर्णय दिया कि इनकी सजा जो अब तक भुगत चुके हैं वह पर्याप्त है। २५० रु० जुर्माने को बहाल रखते हुये १० दिन का समय दिया कि सत्याग्रही इस अवधि में अपना जुर्माना अदा कर सकें। जिला जेल, फतेहपुर व जिला जेल, सीतापुर के अधिकारियों ने इन मुकदमों से संबंधित लोगों को दस दिन के लिये ११ दिनों बाद छोड़ा किन्तु जब जुर्माना न अदा होने पर वे पुनः जेल गये तो इन ११ दिनों का या पहले काटी सजा का हिसाब जुर्माने की सजा में नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष--कितना लम्बा है ?

श्री चरणसिंह--थोड़ा ही है।

मैजिस्ट्रेटों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया यद्यपि इस सम्बन्ध में उन से निवेदन किया गया। प्रश्नकर्ता की एक शिकायत तो यह थी। दूसरी शिकायत यह थी कि...

श्री अध्यक्ष--जब शिकायत करने वाले स्वयं प्रश्नकर्ता महोदय ही हैं तो इसको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी इस विचाराधीन प्रश्न का निर्णय आ जाने पर सदन को उससे अवगत करायेंगे।

श्री चरणसिंह--इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कानपुर के कलेक्टर को लिखे जाने पर भी कि श्री राजाराम ११ दिन अधिक जेल काट चुके हैं कलेक्टर ने जिला जेल को ठीक-ठीक स्पष्टीकरण नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप राजाराम को कानपुर और उन्नाव की जेल में अधिक सजा काटनी पड़ी ?

श्री अध्यक्ष--जब अभी विचाराधीन है तो वह कैसे बता सकते हैं।

श्री चरणसिंह--अगर आप आज्ञा दें तो मैं जवाब दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष--अच्छी बात है।

श्री चरणसिंह-- यह शिकायत दूसरी थी जिसे मैं पढ़ने जा रहा था। शिकायत यह थी कि २५० रु० जुर्माना हुआ था, ११७ रुपये वसूल हो गये थे इसलिये इसी हिसाब से सजा कम हो जानी चाहिये थी, लेकिन कानून यह है कि अगर २५० रुपये जुर्माना हो उसमें २४९ रुपये जमा हो जायं और एक रुपया न जमा हो तो भी पूरी सजा काटनी पड़ेगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी--अगर मंत्री जी जेल के उप-नियमों को पढ़ कर देख लेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जिस अनुपात में जुर्माने की रकम हो उसी अनुपात में सजा भी कट जानी चाहिये।

श्री चरणसिंह--मैं तो सब्सटैंटिव ला की बात कर रहा हूं, आप रूल की बात कर रहे हैं।

श्री राजनारायण--माननीय गृहमंत्री जी ने कहा कि वह सब्सटैंटिव ला की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर वह ला को पढ़ेंगे तो वह अपनी गलती महसूस करेंगे। आज तक सर्वदा यही नियम रहा है कि जितना जुर्माना होता है उसमें जितना जमा हो जाता है

उसी अनुपात में सजा भी कम हो जाती है। मैं हर साल इसको भुगत रहा हूं। लेकिन मेरा तो दूसरा ही प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय रामस्वरूप वर्मा ने माननीय गृह मंत्री को किस तारीख को पत्र दिया और उसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ और आगे कब तक विलम्ब होगा ?

श्री चरणसिंह--यह तो मैं तसलीम करने के लिये तैयार हूं कि माननीय मित्र ने मुझसे अधिक सजा और जुर्माना भुगता है। लेकिन जहां तक कानून की बात है हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं उनके मशविरे की बिना पर मैंने यह उत्तर दिया है। लेकिन माननीय मित्र ने जो नियम बताया, अगर ऐसा है तो मैं देख लूंगा। इस समय तो हमारे लीगल रिमेम्बरेंसर की जो ओपीनियन है वह मैंने सरकार की तरफ से दी।

अब रही यह बात कि जबाब देर से क्यों दिया जा रहा है तो इसके बारे में मेरा कहना यह है कि मेरे पास जवाब करीब करीब तैयार था, लेकिन आई० जी० प्रिजन्स से भी जवाब मांगा गया था। उनके पास से जवाब नहीं आया इसलिये पूरा जवाब न होने से उत्तर नहीं दिया जा सकता,

श्री राजनारायण--इसमें कितना समय और लगेगा ?

श्री चरणसिंह--थोड़े दिन और लगेंगे।

इलाहाबाद में गुण्डागिरी के विरुद्ध योजना

*४--**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या इलाहाबाद के नगर डिप्टी सुपरन्टेंडेन्ट पुलिस ने कोई योजना नगर में गुण्डे तथा बदचलन लोगों के अवैध कार्यों पर नियंत्रण के लिये लागू की है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और उसमें कितनी सफलता अब तक मिली है ?

श्री चरणसिंह--जी हां, इस योजना के बारे में आवश्यक सूचना संलग्न टिप्पणी में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४४ पर)

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या यह योजना सरकार के आदेशानुसार लागू की गयी ? यदि हां, तो प्रदेश के किन किन जिलों में लागू की गयी ?

श्री चरणसिंह--सरकार के इस संबंध में कोई आदेश नहीं हैं। वहां के अधिकारियों ने इसको लागू किया है और हर जगह के स्थानीय अधिकारी ऐसा कर सकते हैं।

सत्याग्रहियों से वसूल किये गये जुरमाने की वापसी की मांग

५--श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे सन् कि १९५४ में स्पेशल पावर्स ऐक्ट की धारा ३ को हाई कोर्ट, इलाहाबाद द्वारा अवैध घोषित करने और सरकार द्वारा उक्त निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फरवरी, १९६० में खारिज होने के बाद उक्त संबंध में सत्याग्रहियों से वसूल किये गये जुर्माने की वापसी के संबंध में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री चरणसिंह--सरकार ने स्पेशल पावर्स ऐक्ट की धारा ३ के अन्तर्गत वसूल किये गये जुर्माने को वापस न करने का फैसला किया है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब स्पेशल पावर्स ऐक्ट गैर-कानूनी करार दे दिया गया तो फिर जिन लोगों पर जुर्माना हो गया उनका जुर्माना वापस करने में सरकार के सामने कौन सी बाधायें हैं और उसको वापस न करने में कौन से नियम बाधित होते हैं ?

श्री चरण सिंह--सवाल बाधा का नहीं है। जुर्माना वापस करना सरकार के लिये लाजमी नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि यदि एक बार उस फैसले को देखकर और माननीय मित्र का सुझाव मान कर जुर्माना वापस कर दें तो बहुत सी पेचीदगियां हो सकती हैं कि जिन लोगों ने सजा पायी है उनको मुआवजा दिया जाय। इसलिये सरकार के लिये इसमें कोई बाधा का सवाल नहीं है, लेकिन कानूनन उसके लिये यह लाजिमी नहीं है कि वह जुर्माना वापस करे। अगर उसमें जुर्माना वापस नहीं किया तो यह गवर्नमेंट ने अपने अधिकारों के अन्दर ही किया है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को जानकारी है कि इसी सदन में भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि चूंकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में गयी है इसलिये इस समय जुर्माना वापस नहीं कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से हार गये तो जुर्माना वापस करने की नीति चालू की जायगी ?

श्री चरणसिंह--मुझको किसी ऐसे बयान का इल्म नहीं है। अगर ऐसा कोई बयान है या उसकी माननीय मित्र कोई तारीख बता दें अथवा मुझे फाइलों में ऐसा मिल गया तो गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी केवल इतना ही कह सकता हूं।

श्री राजनारायण--क्या सरकार वर्तमान मंत्रि मंडल के सदस्य ठाकुर हुकुमसिंह जी से यह जानने की कृपा करेगी कि उन्होंने स्वतः यहां पर कहा था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अब सरकार हार गयी है उसने जजमेंट मांगा है। उसके आ जाने पर उसको देखकर उस पर विचार करेंगे ?

श्री चरणसिंह--यदि उन्होंने केवल यही कहा कि विचार करेंगे तब तो विचार हो गया। मैं यह समझा कि माननीय मित्र ने यह कहा कि उन्होंने वायदा किया।

श्री राजनारायण--माननीय मुख्य मंत्री, श्री सम्पूर्णानन्द ने वादा किया था और उसके बाद माल मंत्री, माननीय हुकुमसिंह ने वादा किया था कि जजमेंट देख कर रुपया फेरेंगे और तीसरा प्रश्न यह है कि जब सरकार के सामने . . . .

श्री अध्यक्ष--आप अपने खिलाफ जवाब क्यों ले रहे हैं ? उन्होंने तो आपके फेवर में जवाब दे दिया है।

श्री राजनारायण--जब सरकार इस बात को जानती है कि सरकार हाईकोर्ट से भी हार गयी तथा सुप्रीम कोर्ट से भी हार गयी और जब सरकार के सामने यह बात स्पष्ट हो गयी कि जिस कानून के मातहत उनको सजा हुई या जुर्माना हुआ वह गलत तथा अवैधानिक कानून है तो क्या सरकार ने अपना यह नैतिक कर्त्तव्य नहीं समझा कि बिना चूंचां किये हुए उनका सारा का सारा रुपया वापस कर दें ?

श्री अध्यक्ष--वे तो जवाब दे चुके कि वे कंसीडर करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार जुर्माने की वसूल की हुई कुल रकम कितनी है ?

श्री चरणसिंह--इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी।

तिब्बती शरणार्थियों में चीनी एजेंट

६--श्री प्रतापसिंह--क्या गृह मंत्री के पास ऐसी सूचना आई है कि चीन के एजेंट तिब्बती भेष में शरणार्थी बन कर उत्तर प्रदेश की भूमि पर विचरण कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या वे शीघ्र ऐसे ऐजेन्टों को कारागार में भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह--सरकार के पास कोई ऐसी सूचना नहीं है जिससे इस बात की पुष्टि हो सके। बहरहाल सरकार इस मामले में पूरी तरह सतर्क है और स्थिति के अनुसार कार्यवाही की जायगी।

श्री प्रतापसिंह--क्या गृह मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि अक्तूबर के महीने में हिन्दुस्तान की आखीरी सीमा का स्वयं मैंने दौरा किया और वहां की सारी रिपोर्ट सरकार को दी और बहुत गोपनीयता रखी तथा तमाम एजेंटों के नाम लिख कर सरकार के पास भेज दिया था तो फिर किस सोर्स से माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि उनके पास कोई सूचना नहीं है ?

श्री चरण सिंह--मेरे इल्म में अगर माननीय मित्र ने कोई ऐसा पत्र दिया है तो वह नहीं है और जो मैं अपनी सूचना दे रहा हूं वह अपने आफिशियल सोर्स के आधार पर दे रहा हूं। लेकिन मैं अपने माननीय मित्र से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस सिलसिले में मुझसे मिलने की कृपा करें या कोई समय बतला दें तो मैं स्वयं उनके पास आ जाऊं। मैं केवल उनसे ही नहीं बल्कि और कुछ मित्रों से भी इस सिलसिले में बात करना चाहता हूं।

श्री सुरथ बहादुरशाह (जिला खीरी)--क्या सरकार यह बतालाने की कृपा करेगी कि उन्होंने इसको जानने के लिये कि आया कोई चीनी तिब्बती भेष में यहां आता है या नहीं कोई तिब्बती इंटरप्रेटर मुकर्रर किया है ?

श्री चरणसिंह--मैंने अर्ज किया कि मेरी जो इत्तला है वह हमारे इंटेलिजेंस सर्विस की बिना पर है। हमारी इंटेलिजेंस सर्विस किस प्रकार से काम कर रही है, यह विषय ऐसा नहीं है जो यहां डिटेल में बतलाया जा सके। यह डिटेल में बतलाना जनहित में नहीं है।

श्री उग्रसेन--माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि सरकार स्वयं सतर्क है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री जी ने उस सतर्कता को बरतने के लिये सीमा क्षेत्र में कौन-कौन-सी कार्यवाही की है ?

श्री अध्यक्ष--वह तो और ज्यादा डिटेल की बात है, उनकी राय में यह बतलाना जनहित में नहीं है।

श्री सुरथ बहादुरशाह--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि तिब्बती भाषा के इंटरप्रटेशन के लिये उन्हें उनके आदमियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, मुझे यह नहीं ज्ञात है।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट--क्या माननीय मन्त्री जी को यह इत्तला है कि उनके डिपार्टमेन्ट के पास यह शिकायत आयी है कि सीमा पर जो हमारे हिन्दुस्तानी आफिसर हैं वे उन चीनी आफिसरों को जो हमारी सीमा के भीतर आ जाते हैं, उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं और मेहमान की तरह से उनको अपनी सीमा तक वापस पहुंचा आते हैं ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं। मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्तदुबे (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कई क्षेत्रों से उनके पास इस तरह की मौखिक तथा लिखित शिकायतें आयी हैं तथा उनकी रोकथाम के लिये उनकी तरफ से क्या कदम उठाया गया है ?

श्री चरणसिंह--मैं समझता हूं कि इससे तो यह प्रश्न उठता नहीं है और अगर उठता भी हो तो क्या क्या कदम उठाये गये हैं उनका यहां बयान होना जरूरी नहीं है।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग भी चीन के एजेंट के रूप में सीमाओं पर कार्य कर रहे हैं ?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--मैं आप से मांग करता हूं कि आप इस प्रश्न को डिसएलाऊ कर दें।

श्री अध्यक्ष--आप को इसमें क्या आपत्ति है ? अगर मैं प्रश्न का उत्तर नहीं देने देता हूं, तब तो आरोप कायम रहेगा।

श्री झारखंडेराय--ऐसे सवाल जिनमें पार्टी पर अटक होता है आप डिसअलाऊ करते हैं। इस कारण मैं चाहता हूं कि आप इसकी इजाजत न दें।

श्री अध्यक्ष--यह तो क्वेश्चन आफ फैक्ट है, वह कह दें कि ऐसी बात नहीं है ...

श्री झारखंडेराय--आप ने ऐसा हमेशा किया है, मैं तो इसका विरोध करता हूं।

श्री चरणसिंह--भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नीति इस सम्बन्ध में सर्व विदित है।

श्री राजनारायण--हम को विदित नहीं है, जरा बता दें।

श्री अध्यक्ष--उनका उत्तर हो गया।

नगरा, झांसी के एक डाक्टर का लापता होना

७--श्री लक्ष्मण राव कदम**--क्या सरकार को पता है कि नगर (झांसी) के एक डाक्टर जिनको कि ३ नवम्बर, १९६० को मरीज दिखलाने के बहाने ले जाया गया था उनका अभी तक पता नहीं है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं ?

श्री चरणसिंह--जी हां। इस सम्बन्ध में दिनांक ४-११-६० को थाने पर एक रिपोर्ट हुई थी। अब तक १ व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिन्हें न्यायालय ने जमानत पर छोड़ दिया है। जांच सी० आई० डी० के सिपुर्द कर दी गई है।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की कोई सूचना मिली है कि उक्त डाक्टर अभी जिन्दा हैं या मार डाले गये हैं और यह मामला सी० आई० डी० के सुपुर्द कब किया गया है ?

श्री चरणसिंह--यह मामला ३ नवम्बर, १९६० का है और सी० आई० डी० के सुपुर्द १२ जनवरी को हुआ है। जब सुपरिन्टेंडेन्ट की रिपोर्ट आ गई कि कोई सूराग नहीं मिलता तब उसको सी० आई० डी० को दिया गया है।

धौरा जलाशय (नैनीताल) में सुधार

८--श्री नारायण दत्त तिवारी**--क्या यह सही है कि धौरा जलाशय, जिला नैनीताल के निर्माण हेतु बनाये गये पुराने बन्द को खोल कर एक नया बन्द बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)--जी नहीं, ऐसा नहीं है। केवल जलाशय के एक छोटे भाग का एलाईनमेन्ट (Alignment) सुधारा जा रहा है।

९--श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त पुराने बन्द को बनाने में कितना तथा अब उसके स्थान पर नये बन्द को बनाने में कितना रुपया व्यय हुआ तथा होगा ?

श्री राममूर्ति—बांध पर ५०,००,००० रुपया व्यय होने का अनुमान है जिसमें से ३५,००,००० रुपये का काम हो चुका है। अलाइनमेंट सुधारने में १८,००० रुपया व्यय होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि धौरा जलाशय का जो ओरिजनल एस्टीमेट था और उसके अनुसार जो एलाइनमेंट नक्शे में था उसको बदलकर अब नया एलाइनमेंट बनाया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति—चार साल पहले यह काम शुरू हुआ था और उसके मुताबिक मिट्टी का काम हुआ, लेकिन जब बैरेज बनने का वक्त आया और बोरिंग बन्द हुआ तो पता लगा कि बंध को बैरेज की लाइन में लाने के लिये थोड़ा हटया जाय। चुनान्चे १०० फिट हटाया गया है।

चन्द्रप्रभा प्रखंड सिंचाई विभाग की जांच रिपोर्ट

१०—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—क्या चन्द्र प्रभा प्रखंड सिंचाई विभाग के सम्बन्ध में हुए अन्तिम आडिट की रिपोर्ट में उक्त प्रखंड के प्रशासन आदि में हुई कुछ अनियमितताओं तथा गड़बड़ियां बतायी गई हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, चन्द्रप्रभा प्रखंड सिंचाई विभाग की अन्तिम आडिट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। उसमें कर्मचारियों से जमानत लेने में देर होने, बगैर स्वीकृत एस्टीमेट के टेंडर मंजूर करने, टेन्डर मांगने में कम समय देने, वर्क आर्डर के जारी करने में अनियमितताओं, सरकारी गाड़ी के गलत इस्तेमाल का संदेह इत्यादि के विषय में एतराज हैं। †आडिट रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर है जिसको माननीय सदस्य देख सकते हैं। इस रिपोर्ट पर अधिशासी अभियन्ता के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिये गये उत्तर अधीक्षक अभियन्ता के टिप्पणियों के पश्चात् महालेखापाल को प्रेषित किये जायेंगे। महालेखापाल तब इस रिपोर्ट को मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग को उन एतराजों पर जिनका निपटारा नहीं हो सका है उनकी टिप्पणी के लिये भेजेंगे। मुख्य अभियन्ता की टिप्पणी प्राप्त होने पर महालेखापाल जिन एतराजों के उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे उनको शासन को आदेशार्थ भेजेंगे।

टांडा कैनाल तथा पूर्वी जमन नहर से पर्याप्त जल न मिलना

११—आचार्य दीपंकर—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टांडा कैनाल, जिला फैजाबाद पूर्ण रूप से पानी तब दे सकेगी जबकि उद्गम स्थान पर दस पम्पिंग सेट लगाये जायं ?

श्री राममूर्ति—उद्गम स्थान पर ६ पम्पिंग सेट लगाने पर टांडा कैनाल पूर्ण रूप से पानी दे सकेगी।

१२—आचार्य दीपंकर—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर, १९५९ तथा ३१ अक्तूबर, १९६० को उद्गम स्थान पर कितने पम्प लगे हुए थे ? क्या यह सही है कि पूरे १० पम्पिंग सेट चालू न होने के कारण टांडा नहर से जो क्षेत्र सींचा जाता है उसकी फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है और क्या यह सही है कि इसके बावजूद भी सिंचाई दर उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों की ही तरह है और पूरी दर से ली जाती है ?

---

†आडिट रिपोर्ट छापी नहीं गई।

नोट :—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ९ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राममूर्ति—दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५९ एवं ३१ अक्तूबर, १९६० को दो पम्पिंग सेट उद्गम स्थान पर लगे हुए थे। दो पम्पिंग सेटों के लगाने से टांडा नहर द्वारा प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र का केवल १/३ भाग को ही पानी दिया जा सका। दो पम्पिंग सेटों द्वारा उपलब्ध हुए डिस्चार्ज से जितना भी क्षेत्र सींचा जा सका था उसमें आवश्यकतानुसार पानी दिया गया। अतः यह सही नहीं है कि फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है।

१३—आचार्य दीपंकर**—क्या सिंचाई मन्त्री इस विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए उस विशेष क्षेत्र की सिंचाई के औसतन रेट को एक तिहाई करने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति—प्रश्न संख्या २ के उत्तर में उल्लिखित परिस्थिति में सिंचाई दर कम करने का प्रश्न नहीं उठता है।

१४—आचार्य दीपंकर**—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष १९५९-६० में पूर्वी जमन नहर में पानी की अत्यलपता के कारण पानी बहुत कम मिल पाया और इससे खेती की पैदावार में भारी क्षति हुई?

श्री राममूर्ति—१९५९-६० में (खरीफ व रबी १३६७ फसली) पूर्वी यमुना नहर में सिंचाई के लिये पानी की कमी नहीं रही और न पानी की कमी से पैदावार को कोई क्षति हुई।

१५—आचार्य दीपंकर**—यदि हां, तो क्या सरकार किसानों की क्षतिपूर्ति के लिये सिंचाई के दामों में कमी करने के प्रश्न पर सहानुभूति के साथ विचार कर रही है?

श्री राममूर्ति—इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

१६-१८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म, भारंवी की भूमि

१९—श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की तहसील हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम भारवी (विकास क्षेत्र मियागंज) में जो सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म खुलने जा रहा है उसमें कितने किसानों की कितनी भूमि ली गई है?

श्री चरणसिंह—२२ किसानों की २५.०९ एकड़ भूमि ली गई है।

२०—श्री सजीवनलाल**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त भूमि का मुआवजा किसानों को दिया गया है या नहीं?

श्री चरणसिंह—अभी नहीं।

कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर को तराई फार्म का हस्तान्तरण

२१—श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर को राजकीय कृषि फार्म हस्तान्तरित करने की कार्यवाही पूरी हो गयी है? यदि हां, तो किन शर्तों के साथ और नहीं तो अब तक इस कार्य को करने में क्या कठिनाई हो रही है?

श्री चरणसिंह—कृषि विश्वविद्यालय को तराई फार्म हस्तान्तरित करने की कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है और फार्म का हस्तान्तरण शीघ्र ही हो जाने वाला है।

२२—श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)—[१४ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

श्रीमती एलेन राय की हत्या की जांच

**२३—श्री चन्द्रजीत यादव, श्री मदन पांडेय तथा श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १४ दिसम्बर, १९६० को देहरादून में स्वर्गीय श्री एम० एन० राय की पत्नी श्रीमती एलेन राय की हत्या की जांच में सहायता देने के लिये किसी विदेशी दूतावास ने सरकार से लिखा पढ़ी की थी ? यदि हां, तो किस दूतावास ने और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

**२४—श्री चन्द्रजीत यादव, श्री मदन पांडेय तथा श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त हत्या की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है और जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री चरणसिंह—यह जांच सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है। एक अभियुक्त गिरफ्तार हो चुका है और कुछ माल भी बरामद हुआ है।

सरकारी कार्यालयों की पुनर्गठन योजना के संबन्ध में जानकारी

**२५—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार अपने विभिन्न कार्यालयों का पुनर्गठन करने जा रही है और क्या पुनर्गठन की इस योजना में श्री के० के० दास कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों को भी माना गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार के सम्मुख किसी विशेष कार्यालय के पुनर्गठन की कोई योजना इस समय नहीं है।

**२६—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार जिन विभागों में एक से अधिक मुख्य अभियन्ता हैं उनके विभिन्न विभागों के कमिश्नरों तथा अधीक्षक अभियन्ताओं के पद समाप्त करने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय में अभी कोई विचार नहीं हुआ है।

गृह विभाग से कथित प्रश्नावली का जारी किया जाना

**२७—श्री गोविन्द सिंह विष्ट—क्या गृह विभाग से दिसम्बर, १९६० व जनवरी, १९६१ में प्रदेश के थानेदारों, सब-इन्सपेक्टर पुलिस तथा एस० पी० के कार्यों के बारे में कोई प्रश्नावली जारी की है ? अगर हां, तो उसका क्या उद्देश्य है ? क्या इस जानकारी के आधार पर भविष्य में सम्बन्धित अधिकारियों को तरक्की देने का विचार किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

कटरनियाघाट में तिब्बती लामाओं का कथित प्रवेश

**२८—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि बहराइच जनपद के कटरनियाघाट नामक स्थान पर १९ जनवरी, १९६१ को सांयकाल कतिपय सपरिवार तिब्बती लामाओं ने अवैध रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश किया ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या थी तथा उनके साथ क्या व्यवहार किया गया ?

श्री चरणसिंह—कोई तिब्बती लामाओं ने बहराइच के कटरनियाघाट नामक स्थान पर १९ जनवरी, १९६१ को अवैध रूप से प्रवेश नहीं किया। तिब्बती खम्पा व्यापारियों का २५ व्यक्तियों का एक जत्था उपरोक्त स्थान पर पिछले जनवरी माह के तीसरे हफ्ते में अवश्य पहुंचा। ये तिब्बती खम्पा नैपाल ही के निवासी थे। नैपाल निवासियों के भारत में आवागमन पर कोई पाबन्दी नहीं है, इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

समाज कल्याण विभाग के अनुदान का कथित व्यपगत होना

**२९—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमती दुर्गा बाई देशमुख द्वारा दिनांक १२ सितम्बर, १९६० को मथुरा में दिये गये भाषण के अनुसार क्या यह सही है कि समाज-कल्याण के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो धन उत्तर प्रदेश के लिये निर्धारित था उसमें से १ करोड़ रुपये की धनराशि लैप्स होने जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)—यह सही नहीं है कि १ करोड़ रुपये की धन-राशि, जिसका व्यय उत्तर प्रदेशीय सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा होने को था लैप्स होने जा रही है ।

**३०—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—यह प्रश्न नहीं उठता ।

अपराधों को रोकने की प्रार्थना

**३१—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—क्या पिछले दो महीने में प्रदेश में बढ़ते हुये संगीन अपराधों को कम करने की दृष्टि से सरकार ने कोई सुदृढ़ पग उठाये हैं अथवा नई योजना बनाई है ? अगर हां, तो वे क्या हैं ?

श्री चरणसिंह—अपराधों को कम करने के लिये कोई विशेष कदम सरकार ने नहीं उठाये हैं और न अभी कोई योजना विचाराधीन है । वैसे अपराधों को रोकने के लिये समय समय पर आदेश दिये जाते रहे हैं । पुलिस प्रशासन में सुधार के लिये पुलिस कमीशन की नियुक्ति की गई है । कमीशन की रिपोर्ट आने पर इस प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जायगा ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

पूर्वी जमन नहर की सिंचाई क्षमता बढ़ाने की प्रार्थना

*१—आचार्य दीपंकर तथा श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूर्वी जमन नहर की सिंचाई क्षमता की वृद्धि का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं ।

*२—आचार्य दीपंकर तथा श्री बादामसिंह—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हो पायी है ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता ।

*३—श्री प्रतापसिंह—[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बुबरी खेड़ा निवासी श्री रामनाथसिंह के घर डकैती

*४—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उन्नाव जिले के थाना असोहा के अन्तर्गत ग्राम बुबरी खेड़ा मजरे बल्हऊ मऊ में श्री रामनाथसिंह, सभापति के घर डकैती सितम्बर, १९६० में पड़ी और एक डकैत घटनास्थल पर मार डाला गया ?

श्री चरणसिंह—३१ अगस्त/१ सितम्बर, १९६० की रात उक्त ग्राम में डकैती पड़ी जिसमें एक डाकू घटनास्थल पर मारा गया ।

*५—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार को पता है कि उक्त ग्राम को डकैतों के गिरोह के कुछ आदमी बदले की भावना से खबरें भेज रहे हैं कि दोबारा कत्ल व डकैती होगी ? यदि हां, तो गांव की सुरक्षा के लिये पुलिस क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह—ऐसी कोई सूचना जिलाधीश को नहीं मिली है। ग्रामीणों की सुरक्षा के लिये ग्राम सुरक्षा समिति को सचेत कर दिया गया है और विशेष गश्त (Patrolling) का भी प्रबंध किया गया है।

लखनऊ में सरकारी कार्यालयों के स्थानान्तरण पर व्यय

*६—श्री गेंदासिंह तथा श्री प्रतापसिंह—क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि लखनऊ शहर में कौन कौन सरकारी कार्यालय ध्वस्त हुये हैं और कौन ध्वस्त होने के भय से छोड़ दिये गये हैं ?

*७—जो कार्यालय ध्वस्त हुये हैं या ध्वस्त होने के भय से छोड़े गये हैं उनके सम्बन्ध में सबसे पहले कब ऐसी सूचना मिली कि वे रहने के योग्य नहीं हैं ?

*८—जो कार्यालय हटाये गये हैं वे कहां हैं और इसमें कितना व्यय करना पड़ रहा है ?

श्री राममूर्ति—मांगी हुई सूचना तालिका "अ" और "ब" में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४५–१४७ पर)

[७ फरवरी, १९६१ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

मानपुर बंधी का टूट जाना

*१—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद की करछना तहसील के ग्राम बेलामूड़ी एवं ग्राम मानपुर में जो बांध बना है वह हर वर्ष बरसात में टूट जाता है जिससे उसका पानी नदी में बह जाता है और किसानों की दोनों फसलें नष्ट हो जाती हैं ?

श्री राममूर्ति—बेला मूंडी बन्धी जब से बनी है कभी नहीं टूटी है और मानपुर बन्धी केवल गत वर्ष माह जुलाई में अत्यन्त वर्षा होने के कारण टूटी थी। इस बन्धी के टूटने से जो पानी बहा वह निकट के नाले में होकर बह गया और किसानों की फसलों को कोई क्षति नहीं पहुंची।

२—श्री गनेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो उपर्युक्त बांध के टूटने के क्या कारण हैं तथा इसे बनवाने के लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—९ जुलाई, १९६० को ८.२ इंच वर्षा हो जाने के कारण मानपुर बन्धी टूट गई थी। काली मिट्टी तथा भूमि गीली होने के कारण इसकी मरम्मत वर्षा ऋतु में कराना संभव नहीं था। वर्षा ऋतु के पश्चात् इसकी मरम्मत करा दी गई थी।

*३—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार उपर्युक्त किसानों को जिनकी फसलें इस वर्ष नष्ट हो गई हैं उन्हें सिंचाई–कर (पनियवना) से मुक्त करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जिले के कुछ स्थानों में भूमि कटाव रोकने तथा पानी निकास व्यवस्था के लिये प्रार्थना

*४—श्री लोकनाथसिंह (जिला वाराणसी)—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि परगना जाल्हूपुर, जिला वाराणसी में रामचन्डीपुर, गोवरहां ग्राम मोकलपुर के पश्चिम में बहने वाले सोते से जो गंगा नदी से निकलता है, खेतों की जमीन निरंतर कटती जा रही है ? यदि हां, तो सरकार उसके संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

*५—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगना सुलतानीपुर, जिला वाराणसी में भदवां व भिदूर के नाले से किसानों की फसलों को हानि पहुंचती है ? यदि हां, तो सरकार उस नुकसान को रोकने के लिये क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, परन्तु इन समस्यायों के निवारण के लिए अभी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*६—**श्री लोकनाथसिंह**—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि परगना कटेहर, जिला वाराणसी में चोलापुर बाजार के पश्चिम लाखी ताल से पानी निकलने का रास्ता कम है जिससे किसानों की कई सौ बीघा जमीन बेकार हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी के निकास के लिये अच्छा सा प्रबन्ध करेगी ?

श्री राममूर्ति—जी हां । लाखी बांध में जो रेग्यूलेटर बना है उससे रुका हुआ पानी एकदम नहीं निकल पाता और किसान लोग बांध काट कर भरा हुआ पानी निकाल देते हैं । जहां तक मालूम हुआ है इससे जमीन को कोई हानि नहीं होती है । रेग्यूलेटर के पानी निकास मार्ग को बढ़ाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है ।

बांसी तहसील से नलकूपों के लिये प्रार्थना

*७—**श्रीमती गेंदादेवी** (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले की तहसील बांसी के अन्तर्गत सरपंच, पंचायत अदालत सुपौली, सरपंच, पंचायत अदालत गोपालपुर, सभापति गांव सभा फुलवरिया, सभापति गांव सभा हसिनी, सभापति गांव सभा बेलवा मिश्र, सभापति गांव सभा रमवापुर, सभापति, गांव सभा कोइलभार तथा गांव सभा अगिओना आदि ने अपने क्षेत्र के ८१ ग्रामों में नलकूप लगवाने के लिये दिनांक २०-१२-५९ को सरकार को आवेदन-पत्र दिया है ?

श्री राममूर्ति—२० दिसम्बर, १९५९ को तो कोई पत्र नहीं आया, लेकिन २० दिसम्बर, १९५८ को अवश्य एक पत्र आया था ।

*८—**श्रीमती गेंदादेवी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त आवेदन-पत्र के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राममूर्ति—सदस्या महोदया को दिनांक १० जुलाई, १९५९ को यह सूचित कर दिया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गोरखपुर सिंचाई क्षेत्र के लिये निर्धारित नलकूप का लक्ष्य अब समाप्त हो गया है । इसलिये इस क्षेत्र की जनता यदि सिंचाई के लिये पक्के कुएं बनवाना चाहती है तो जिलाधीश से तकावी लेकर बनवा सकती है । उस पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १४८ पर)

*९—**श्री शिवराजसिंह यादव** (जिला बदायूं)—[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बुलन्दशहर जिले में नलकूप

*१०—**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने नलकूप बनने थे और कितने बने ?

श्री राममूर्ति—७९ नलकूपों का निर्माण स्वीकृत हुआ और उसमें से ४० नलकूप पूर्ण रूप से बन चुके हैं यानी इन सभी नलकूपों का विद्युतीकरण भी हो चुका है ।

*११--**श्री हिम्मतसिंह**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कितनी सिंचाई युक्त भूमि है ?

श्री राममूर्ति--८,४८,८२६ एकड़ ।

*१२-१४--**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या ८४--८६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

घोरा रिजर्वायर की बेकार मशीनें

*१५--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सिंचाई मंत्री को यह ज्ञात है कि घोरा रिजर्वायर, किछा में इस समय दिनांक ८ फरवरी, १९६० से कई मशीनें बेकार पड़ी हैं ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--जी हां, तीन मशीनें खराब हो गई थीं जो अप्रैल तथा मई, १९६० में ठीक हो गईं ।

*१६--**श्री प्रतापसिंह**--क्या सिंचाई मंत्री इस बात की जांच करेंगे कि वहां पुराने आदमियों को निकाल कर नये आदमियों को रक्खा जा रहा है ?

श्री राममूर्ति--जी हां । उनका कार्य सन्तोषजनक न था ।

*१७-१९--**श्री हरिदत्त काण्डपाल** (जिला अल्मोड़ा)--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या ८७--८९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२०-२१--**श्री चिरंजीलाल जाटव** (जिला एटा)--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या ९०-९१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

गोरखपुर जिले में सिंचित भूमि

*२२--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में गोरखपुर जिले में सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है तथा १९५९-६० के वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कितनी वृद्धि हो चुकी है ?

श्री राममूर्ति--द्वितीय योजना काल के अन्त तक सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में १०५,५१७ एकड़ भूमि की वृद्धि होने का अनुमान है और १९५९-६० तक १,००,०४१ एकड़ भूमि की वृद्धि हो चुकी है ।

*२३--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर के उत्तरी भाग में प्रस्तावित गंडक योजना की क्या प्रगति है ?

श्री राममूर्ति--प्रस्तावित नहर के उस भाग का, जो गोरखपुर जिले के अन्तर्गत है, सर्वेक्षण पूर्ण होने के निकट है ।

*२४--**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)--[८ फरवरी, १९६१ के लिए प्रश्न संख्या ९२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२५-२६--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या ९३-९४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

नानक सागर तथा सारदा सागर का निर्माण कार्य

*२७--**श्री रघुवीरराम** (जिला गाजीपुर)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या खटीमा, जिला नैनीताल में नानक सागर व सारदा सागर को बनवाने की सरकार

की कोई योजना थी ? यदि हां, तो उक्त दोनों सागर कब तक बनकर तैयार हो जायेंगे और इन पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है और भविष्य में कितना धन और व्यय होगा ?

श्री राममूर्ति--नानक सागर व सारदा सागर योजनाओं पर कार्य जारी है । नानक सागर बांध सन् १९६२ तक पूरा होने की आशा है । माह अगस्त, सन् १९६० तक नानक सागर तथा इसके अन्तर्गत नहरों के बनने में २३१·२८ लाख रुपया खर्च हो चुका है और १०५·२९ लाख रुपया खर्च होना शेष है । सरदा सागर का कार्य दो चरणों में है । प्रथम चरण पर कार्य लगभग पूरा हो चुका है, कुछ नहरों के बनने का कार्य शेष रह गया है । इस योजना के अन्तर्गत नई नहरों तथा बांध के बनाने में माह अगस्त, सन् १९६० तक ३८८·३० लाख रुपया व्यय हो चुका है और केवल २३·३७ लाख रुपया खर्च होना शेष है ।

सारदा सागर के द्वितीय चरण का काम जारी है और तृतीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में काम पूरा हो जाने की आशा है । इसके अन्तर्गत नहरों तथा बांध के निर्माण में माह अगस्त, सन् १९६० तक ३७४·८३ लाख रुपया व्यय हो चुका है और १७७·४३ लाख पया व्यय होना शेष है ।

(ऊपर दिये गये आंकड़ों में स्टाफ पर हुआ खर्च सम्मिलित नहीं है ।)

*२८--**श्री रघुवीरराम**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सागरों में किसानों की कितनी जमीन ली गई और उस जमीन का अब तक कितना मुआवजा दिया गया और कितना देना बाकी है ?

श्री राममूर्ति--उपरोक्त सागरों के निर्माण हेतु किसानों की कुल १४६५०.६९१ एकड़ भूमि ली गई है । ३२७३·४५९ एकड़ भूमि कृषकों की ली गई भूमि के बदले में दी जा चुकी है तथा २,०७,०५६·८७ रुपया मुआवजा दिया जा चुका है । शेष भूमि के लिये कृषकों को बदले में भूमि दिये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है, यदि पूरी भूमि प्राप्त न हो सकी तो कृषकों को मुआवजा दिया जायगा ।

जैकोट नहर से सिंचाई

*२९--**श्री रामप्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गढ़वाल के अन्तर्गत जैकोट नहर पर अब तक कुल कितना रुपया निर्माण-कार्य पर खर्च हुआ है और इससे कितनी नाली भूमि की सिंचाई हो रही है ?

श्री राममूर्ति--जैकोट नहर के निर्माण पर १७,७९३ रुपया व्यय हुआ है । इस नहर द्वारा की गई सिंचाई का ब्योरा संलग्न सूची में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १४९ पर)

३०--**श्री रामप्रसाद नौटियाल**--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कोई इस प्रकार की शिकायत उसके पास आई है कि इस नहर में पानी ही नहीं चलता है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--जी हां । जैकोट ग्राम से एक शिकायत जुलाई में आई थी । इस पर तुरन्त जांच की गई और ज्ञात हुआ कि नायर नदी का नल नहर के उद्गम स्थान पर १० फीट नीचे बैठ गया है । इस कारण से नहर में पानी नहीं जा रहा । नायर नदी में बाढ़ समाप्त होने के पश्चात् इसका सर्वेक्षण किया गया । इस समय नदी में कच्चा बांध (घोड़ी बांध) बांध कर व अस्थाई मरम्मत करा कर नहर में नवम्बर के प्रथम सप्ताह में पानी चला दिया गया है ।

*३१–३३––श्री गरीबदास (जिला जालौन)––[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या ९५–९७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

सिरसा नदी की बाढ़ रोकने की प्रार्थना

*३४––श्री लायक सिंह चौधरी (जिला मैनपुरी)––क्या सरकार सिरसा नदी की बाढ़ को, जो आगरा, मैनपुरी तथा इटावा जिले में अधिक हानि पहुंचाती है, रोकने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और उसमें क्या प्रगति हो रही है ?

श्री राममूर्ति––जी हां । इस नदी की क्षमता में वृद्धि करने के लिये योजना बनाने के लिये सर्वेक्षण किया जायगा ।

*३५–३६––श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)––[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या ९८–९९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*३७––श्री कल्याणचन्द मोहिले––[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या १०० के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया ।]

*३८––श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या १०१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

लखीमपुर डिवीजन में ट्यूबवेल आपरेटर्स की ट्रेनिंग

*३९––श्री शिवप्रसाद नागर––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में लखीमपुर डिवीजन के इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट में १९६० में ट्यूबवेल आपरेटर्स की कोई ट्रेनिंग हुई थी ? यदि हां, तो यह ट्रेनिंग किस महीने में हुई और आपरेटर्स का अप्वाइंटमेन्ट कब किया गया और अभी कितने आपरेटर्स का अप्वाइन्टमेन्ट बाकी है ?

श्री राममूर्ति––जी हां । यह ट्रेनिंग मई और जून, १९६० में हुई । ट्रेनिंग समाप्त होने पर एक परीक्षा ली गई जिसमें ३५ में से २८ ट्रेनी बैठे और २७ उत्तीर्ण हुये । इन २७ की नियुक्ति कर दी गई है । कुल ३१ जगह थीं जिसमें से ४ अभी खाली है ।

*४०––श्री शिवप्रसाद नागर––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी में कितने सरकारी ट्यूबवेल ऐसे हैं जो मोटर या इंजन या बोरिंग या गूल खराब होने के कारण बन्द है ?

श्री राममूर्ति ––प्रश्न में उल्लिखित कारणों से जिला खीरी में कोई भी नलकूप बन्द नहीं है ।

*४१––श्री शिवप्रसाद नागर––क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खीरी जिले में वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में वह कितने नये ट्यूबवेल बनाने जा रही है ?

श्री राममूर्ति––दो ।

बखिरा झील को रिजर्वायर में परिणत करने का कथित प्रस्ताव

*४२––श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)––क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या बस्ती जिले में तहसील खलीलाबाद की बखिरा झील को चारों तरफ से बांध कर वह रिजर्वायर बना रही है या बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसमें जो हजारों बीघा बोरो धान की खेती होती है उसकी वह क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति––जी नहीं । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दोहरीघाट पम्प नहर पर व्यय

*४३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट पम्प नहर का पहले जो तखमीना था वह कितने-कितने रुपये का अलग-अलग मदों में बनाया गया था और जून, १९६० तक कितना-कितना रुपया अलग-अलग मदों में व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति--वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १५० पर)

*४४--श्री नारायणदत्त तिवारी--[१५ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या ७६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४५--श्री नारायणदत्त तिवारी--[२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

*४६--श्री नारायणदत्त तिवारी--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या १०२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४७-४८--श्री गजेन्द्रसिंह (जिला इटावा)--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या १०३-१०४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४९-५१--श्री झारखंडेराय--[२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

मूसाखांड बांध की डूब में भूमि

*५२--श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या मूसाखांड़ बांध, चकिया, वाराणसी की डूब में गांव मूसाखांड, वन भीखमपुर, ताला, दौड़नपुर, छीतमपुर कलां, खुर्द आ रहें हैं ? यदि हां, तो उपर्युक्त गांवों में ही कितनी एकड़ जमीन डूब में आ रही है और क्या सरकार उस जमीन के बदले उन किसानों को कहीं उस बांध के पास उसी तरह की जमीन देने पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति--प्रारम्भिक सर्वेक्षण से पता चला कि उक्त ग्रामों की १२५० एकड़ कृषि योग्य भूमि तथा वन विभाग की २४०० एकड़ भूमि डूब में आने की संभावना है, परन्तु विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त ही इस विषय पर कुछ बताना उचित होगा ।

*५३--श्री ऊदल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मूसाखांड, बन भीखमपुर, ताला, दौड़नपुर, छीतमपुर कलां, खुर्द गांव के किसान प्रस्तावित मूसाखांड बांध से २ फर्लांग ऊपर मईडौरा घाट पर बांध बांधने का सुझाव वे ८ वर्ष से देते आ रहे हैं जिसमें मूसाखांड व गांव ताला का कुछ भाग पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उस पर विचार किया गया ?

श्री राममूर्ति--१९६० में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये । सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

*५४--श्री ऊदल--क्या सरकार को पता है कि प्रस्तावित बांध से ८ मील ऊपर नौगढ़ बांध तथा २ मील नीचे लतीफ शाह बांध है ?

श्री राममूर्ति--जी हां, लतीफशाह बांध ६ १/२ मील नीचे है ।

लालगंज रजबहा योजना

*५५--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या जिला आजमगढ़ तहसील लालगंज के दक्षिणी हिस्से में कोई नहर निकालने की योजना चल रही है यदि हां, तो वह योजना क्या है और उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई ?

श्री राममूर्ति--जी हां, इस योजना के अन्तर्गत लालगंज रजबहा लम्बाई मील ४४.५ आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील के दक्षिणी भाग में बनाने की स्वीकृति है। यह रजबहा शाहगंज रजबहा के मील १५.६ बांई पटरी जौनपुर जिले से निकलता है। इसका ४.७ मील का प्रारम्भिक भाग जौनपुर जिले में, मील ३२.७ मध्य भाग आजमगढ़ जिले तथा अन्तिम भाग ७.१ मील गाजीपुर जिले में पड़ता है। जो भाग जौनपुर जिले में पड़ता है उसमें कार्य आरम्भ हो चुका है, परन्तु आजमगढ़ जिले में अब तक कोई कार्य नहीं आरम्भ हुआ क्योंकि यहां पर भूमि प्राप्त नहीं हो सकी है।

*५६--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिस क्षेत्र से नहर निकाली जावेगी उस क्षेत्र में कितने काश्तकारों की जमीन नहर में ली जायेगी ?

श्री राममूर्ति--लालगंज तहसील, जिला आजमगढ़ के काश्तकारों की सूची जिनकी भूमि ली जा रही है, विशेष भूमि अधिकारी द्वारा एवार्ड स्टेटमेन्ट पूर्ण हो जाने पर ही बताया जा सकता है जो कि सरकारी गजट में लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के सेक्शन ६ के अन्तर्गत विज्ञप्ति के पश्चात उपलब्ध हो सकेगी।

*५७-५९--**श्री प्रतापसिंह**--[२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*६०-६१--**श्री मदन पांडेय**--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या १०५-१०६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*६२-६३--**श्री रामदुलारे मिश्र**--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या १०७-१०८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

फरेंदा तहसील में सिंचाई साधनों की कमी

*६४--**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील के असिंचित भागों की सिंचाई के लिय कौन-कौन से प्रबन्ध कर रही है ?

श्री राममूर्ति--गोरखपुर जिले में तृतीय पंच वर्षीय योजना में बनाने के लिये ५० नलकूप एलौट (allot) किये गये हैं और उनमें से कुछ फरेन्दा तहसील में भी संभवतः बनाये जायेंगे।

*६५--**श्री रामदुलारे मिश्र**--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या १०९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*६६-६७--**श्री अब्दुल रऊफ लारी**--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या ११०-१११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

बाढ़ नियंत्रण योजना में संशोधन की आवश्यकता

*६८--**श्री मदन पांडेय**--वर्तमान वर्ष की बाढ़ के अनुभव के आधार पर क्या सरकार बाढ़ नियंत्रण के निमित्त प्रस्तावित तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई, परिवर्तन, परिवर्धन अथवा संशोधन करने पर विचार कर रही है, यदि हां ? तो क्या ?

श्री राममूर्ति--जी हां, परन्तु यह तभी संभव हो सकेगा जब १९६० की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा हो जाय।

एग्रीकल्चर वर्कशाप झांसी पर व्यय

*६९--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में एग्रीकल्चर वर्कशाप कब बनी थी और उसमें अभी तक कितना रुपया इनवेस्ट हुआ है?

श्री राममूर्ति—झांसी में एग्रीकल्चर वर्कशाप का निर्माण सन् १९४८–४९ में शुरू हुआ और वह सन् १९५०–५१ में पूरी हो गई। सन् १९६० तक कुल ४,६१,९२७ रुपये उसमें इनवेस्ट किये गए।

*७०—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब से उक्त वर्कशाप बनी है उस समय से मार्च, १९६० तक किस-किस वर्ष में कितनी कितनी आय व कितना-कितना व्यय हुआ तथा उसके इस्टैब्लिशमेंट का मासिक व्यय क्या है ?

श्री राममूर्ति—जब से वर्कशाप बनी है, उस समय से मार्च सन् १९६० तक आय व्यय का ब्यौरा संलग्न है।

इस्टैब्लिशमेंट पर मासिक व्यय का औसत ५,२५१ रुपया है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १५१ पर)

*७१—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ११२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सिंचाई विभाग की प्रशासकीय रिपोर्ट का प्रकाशन

*७२—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा प्रशासनिक रिपोर्ट प्रकाशित करने में एक वर्ष से अधिक विलम्ब होने का कारण क्या है और भविष्य में सरकार विभागीय प्रशासनिक रिपोर्ट अधिक से अधिक एक साल के बाद प्रकाशित करने हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति—सिंचाई विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट में ७ धारायें (Sections) ६ परिशिष्ट और सप्लीमेन्टरी स्टेटिसटिक्स (Supplementary Statistics) होती हैं। धाराओं (Sections) की रिपोर्ट अधीक्षक अभियन्ताओं की रिपोर्ट पर निर्धारित रहती है। अधीक्षक अभिन्ताओं को अपनी रिपोर्ट डिवीजन और सब-डिवीजनों से मंगा कर संकलित करनी पड़ती है। सेक्शनों की रिपोर्ट में एक तालिका सिंचाई कार्यों के आर्थिक विवरण का पर्याविलोकन (Review of Financial Results by classes of works) भी सम्मिलित रहती है। यह महालेखा पाल से दिसम्बर तक आते हैं। परिशिष्टों में सिंचाई कार्यों का आर्थिक विवरण (Financial Results of Irrigation works) नामक एक तालिका होती है। यह तालिका महालेखा पाल से दिसम्बर-जनवरी तक आती है। इसके उपरान्त ६ महीने मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में २३ सर्किलों से आयी हुई रिपोर्ट को संकलित करने में लगता है। प्रेस में भी लगभग ६ महीने रिपोर्ट को छपने में लग जाते हैं। इस प्रकार प्रशासनिक रिपोर्ट बजट वर्ष के २१ महीने के अन्दर छपकर तैयार हो जाती है।

भविष्य में इस रिपोर्ट को जल्दी तैयार करने में शीघ्रता की जायेगी।

रामपुर धनौली ग्राम के निकट घाघरा का कटाव

*७३—**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में दोहरीघाट के निकट रामपुर धनौली ग्राम के पास घाघरा नदी का कटाव बड़े जोरों पर है ? यदि हां, तो सरकार इस कटाव को रोकने की क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री राममूर्ति—सन् १९५९–६० में रामपुर धनौली ग्राम में घाघरा नदी द्वारा २० फुट व ३० फुट कटाव हुआ है, किन्तु आबादी को तात्कालिक कोई भय नहीं है अभी तक कटाव रोकने की सरकार द्वारा कोई योजना नहीं है।

*७४--श्री मुक्तिनाथ राय--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ११३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*७५-७६--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--[२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

गोमती नदी में शारदा रिजर्वायर का पानी छोड़ने की जानकारी

*७७--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १५ सितम्बर, १९६० के इर्द गिर्द "बनबसा" स्थान से जहां शारदा रिजर्वायर है पानी गोमती नदी में छोड़ा गया ? यदि हां, तो पानी किस दिनांक को छोड़ा गया, कितने क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया और उसमें से कितना पानी गोमती नदी में आया ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं, १५-९-१९६० के इर्द गिर्द शारदा रिजर्वायर से कोई पानी गोमती नदी में नहीं छोड़ा गया ।

*७८-७९--श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ११४-११५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*८०--८१--राजा यादवेंद्रदत्त दुबे--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ११६-११७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*८२-८४--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ११८-१२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।

उन्नाव जिले में माइनर नहरें निकालने की प्रार्थना

*८५--श्री सजीवनलाल--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में लखनऊ ब्रांच नहर शारदा से उन्नाव जिले में कितनी नई माइनरें स्वीकृत हैं और कितनी पुरानी माइनरों को बढ़ाया जायगा ?

श्री राममूर्ति--द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्रश्न में उल्लिखित नहर से कोई भी नई माइनर स्वीकृत नहीं की गई है । केवल एक पुरानी शेखोपुर माइनर की टेल को ६ फर्लांग तक बढ़ाने की योजना है ।

*८६--श्री सजीवनलाल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कुछ उपर्युक्त माइनरों के बढ़ाने हेतु हसनगंज विकास क्षेत्र, जिला उन्नाव ने भी आर्थिक सहायता दी है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं ।

*८७--श्री सजीवनलाल--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या १२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*८८--श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न संख्या १२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*८९--श्री रामसुन्दर पांडेय--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सीतापुर डिवीजन में अमीनों तथा पतरौलों का बकाया वेतन

*९०--डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--क्या सिंचाई मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में सीतापुर डिवीजन के कितने अमीनों तथा पतरौलों का सन् १९५१ से १९५८ तक का वेतन का बकाया व तरक्की बाकी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--सीतापुर जिले के सिंचाई डिवीजन में केवल ६ पतरौलों व ६ अमीनों की वार्षिक तरक्की व छुट्टी के वेतन के क्लेम अभी बाकी हैं। इसमें केवल १ क्लेम १९५० का है और शेष १९५३ से १९५८ के हैं। उपर्युक्त १२ क्लेम में ७ क्लेम महालेखापाल, उत्तर प्रदेश के पास प्रिआडिट के लिये गये हैं और ५ क्लेम सिंचाई विभाग के विचाराधीन हैं। मुख्य अभियन्ता को आदेश दिया जा रहा है कि इनका भुगतान शीघ्र कर दिया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की देरी न हो।

*९१--डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले में नहर विभाग के डाक नवीसों को इतवार तथा अन्य सरकारी छुटटियां मिलती हैं ? यदि नहीं, तो सरकार के किस आदेशानुसार ?

श्री राममूर्ति--(१) जी हां।

(२) दूसरा प्रश्न उठता ही नहीं।

*९२--९३--श्री गजेंद्रसिंह (जिला इटावा)--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १२४-१२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*९४--श्री रामसुन्दर पांडेय--[२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

*९५--श्री त्रिलोकीसिंह--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १२६ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

*९६--श्री त्रिलोकीसिंह--[८ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कृषि विभाग, जिला सहारनपुर में नियुक्तियां

*९७--श्रीमती शकुंतलादेवी (जिला सहारनपुर)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहारनपुर के कृषि विभाग में पिछले एक साल में कितनी ऐसी नियुक्तियां हुईं जिनके लिये एम्प्लायमेंट दफ्तर से नाम लिये गये और इनमें कितने हरिजन लिये गये हैं ?

श्री चरणसिंह--तीन नियुक्तियां की गईं। जिनमें हरिजन एक भी नहीं है।

राजकीय कृषि यांत्रिक फार्मों के पुनर्गठन के सबंध में सिफारिशें

*९८--राजा यादवेंद्रदत्त दुबे--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार ने "State Mechanized" फार्म्स की जांच करने के लिये कोई जांच कमेटी बैठाई थी ? यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है ? उस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं तथा क्या सरकार उस रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चरणसिंह--सरकार ने एक विभागीय कमेटी की नियुक्ति मेकैनाइज्ड स्टेट फार्मों की कार्य प्रणाली का अध्ययन करके इन फार्मों के सुचारु रूप से संचालन के लिये सुझाव देने के हेतु

की थी । इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें (findings) सरकार को प्रस्तुत कर दी है, जिन पर विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है । खास-खास सिफारिशें संलग्न सूची में दी जा रही हैं । रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने में जितना जनहित होगा उससे अधिक व्यय हो जायेगा । जो माननीय सदस्य देखना चाहें मेरे दफ्तर में आ कर देख सकते हैं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १५२–१५३ पर)

कृषि विभाग में सुपरवाइजरों की नियुक्तियां

*९९--**चौधरी लायकसिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९५९ से जुलाई, १९६० तक कृषि विभाग में कितने सुपरवाइजर लिये गये ? उनमें से कितने अनुसूचित जाति के तथा कितने पिछड़ी जाति के थे ?

*१००--उपरोक्त सुपरवाइजरों में से कितने ग्रामीण तथा कितने शहरी हैं ?

श्री चरणसिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

नैनीताल जिले में आलू की फसल के रक्षार्थ कार्य

*१०१--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनीताल तहसील जिला नैनीताल की अनेक पहाड़ी पट्टियों में आलू के पेड़ मुरझाने वाली एक नई बीमारी पैदा हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस बीमारी को समूल नष्ट किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरणसिंह--जी हां ।

१--किसानों के बीच प्रसार करके कि--

(क) केवल स्वस्थ बीजों का प्रयोग करें,

(ख) रोग ग्रसित खेतों में आलू, टमाटर, बैगन व तम्बाकू की फसलें कम से कम ३ वर्ष तक न लें ।

(ग) बीज व पौधे का निरन्तर सर्वेक्षण करते रहें ।

२--सरकारी फार्मों द्वारा स्वस्थ बीजों का प्रबन्ध व प्रसार ।

बाराबंकी जिले में फसल में गंधी कीड़ा लगने की रोकथाम

*१०२--**श्री जंगबहादुर वर्मा**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में खरीफ सन् १९६० में तहसील हैदरगढ़, नवाबगंज, फतेहपुर, रामसनेही घाट में गंधिया कीड़ा धान में लगने से कितने प्रतिशत की हानि हुई, कितना उत्पादन घटा और सरकार की ओर से रोक-थाम की क्या व्यवस्था की गई ?

श्री चरणसिंह--गंधी कीड़े का कोई विशेष प्रकोप न होने के कारण हानि का अनुमान नहीं लगाया गया । कितना उत्पादन घटा इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता । जहां कहीं कृषकों ने प्रकोप की सूचना दी, कृषि रक्षा सेवा के कर्मचारियों ने पहुंच कर दवाइयां छिड़क कर मदद की । बीज भंडारों पर भी दवाइयों का प्रबन्ध कृषकों की सुविधा के लिये कर दिया गया था ।

ट्रैक्टर खरीदने के लिये तकावी

*१०३--**श्री सजीवनलाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टरों की खरीद के लिये राज्य सरकार कितना ऋण तथा तकावी १९५२ से अब तक दे चुकी है ?

श्री चरणसिंह--राज्य सरकार अप्रैल, १९५२ से ३१ दिसम्बर, १९६० तक २७,७९,५१६ रुपया तकावी ऋण के रूप में किसानों तथा सहकारी कृषि समितियों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए दे चुकी है ।

सरकारी बीज भंडारों के कर्मचारी

*१०४--**श्री रामस्वरूप वर्मा**--क्या यह सही है कि कृषि विभाग सरकारी बीज गोदामों को उत्तम बीज सहकारी बीज भंडारों के सुपुर्द करने जा रही है ? यदि हां, तो सरकारी बीज भंडारों में काम करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को कहां लगाया जायगा ?

श्री चरणसिंह--तृतीय पंचवर्षीय योजना की उत्तम बीज उत्पादन योजना में कृषि और सहकारी विभाग दोनों सम्मिलित हैं। उन्नतशील किस्म के बीज पहले अनुसंधान क्षेत्रों के कृषि फार्मों पर जांचे जायेंगे और उनसे कृषि विभाग न्यूक्लियस स्टाक बनायेगा। इन न्यूक्लियस स्टाक का सरकारी बीज फार्मों पर वृद्धिकरण किया जायेगा। सरकारी बीज फार्मों पर उत्पादित बीज प्रगतिशील कृषिकों (Registered seed growers) को दिया जायेगा और वे उसका वृद्धिकरण करेंगे और कृषि विभाग उनको प्रमाणित करेगा। यहां तक कृषि विभाग का कार्य रहेगा। प्रगतिशील कृषकों से सहकारी समितियां बीज लेकर कृषकों को वितरित करेंगी। इस तरह कृषि विभाग अगले वर्ष से कृषकों को सवाई पर सीधे बीज नहीं देगा।

कृषि विभाग के गोदाम केवल उतना ही बीज अपने यहां रक्खेंगे जितना कि उन्हें सहकारी बीज गोदामों के लिये, उन्नत बीज पैदा करने (Multiplication) के लिये चाहिये। इतना बीज रखने के बाद जो बीज बचेगा उसे सहकारी गोदामों को बाटने के लिये दे दिया जायेगा। जितने कृषि विभाग के गोदाम अब तक प्रदेश में हैं वह लगभग सभी रखने की सम्भावना है। इसलिये उनके कर्मचारियों को कहीं दूसरी जगह लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

*१०५--**श्री लक्ष्मणराव कदम**--[पांचवे बृहस्पतिवार के लिये प्रश्न २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१०६--**श्री ऊदल**--[२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

किसानों के लड़कों को प्रशिक्षित करने की कथित योजना

*१०७--**श्री रामदुलारे मिश्र**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किसानों के लड़कों को प्रशिक्षित करने के लिये केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय की योजना के अनुसार भारत सरकार ने राज्य सरकार के पास कोई सुझाव भेजे हैं ? यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

श्री चरणसिंह--भारत सरकार ने किसानों के लड़कों को प्रशिक्षित करने के लिये कोई सुझाव राज्य सरकार के पास नहीं भेजे हैं ?

अलीगढ़ डेयरी फार्म का आय-व्यय

*१०८--**श्री ऊदल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ डेयरी फार्म में १९५६-५७, १९५७-५८, १९५८-५९ व १९५९-६० में कितनी आय हुई तथा कितना व्यय हुआ ?

श्री चरणसिंह--आवश्यक सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १५४ पर)

रतनफार्म सम्बन्धित कर्मचारियों के स्थायित्व की जानकारी

*१०९--**श्री रूमसिंह** (जिला शाहजहांपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अप्रैल, १९५६ में कितने ड्राइवर, क्लीनर, मैकेनिक और कितने फोरमैनों को एस० टी० ओ० कैम्प, रतन फार्म, जिला नैनीताल में इस विभाग में कन्फर्म होने के लिये आदेश हुआ है ? इनमें कितने कन्फर्म हुये हैं और शेष कब तक कन्फर्म हो जायेंगे ?

श्री चरणसिंह--रतनफार्म नाम का ३००३ एकड़ का फार्म जो ग्राम बरुवाबाग, तहसील सितारगंज, जिला नैनीताल में है, कृषि विभाग के अधीन नहीं है। वहां पर इस विभाग का कोई स्टाफ, ड्राइवर, क्लीनर, आदि अलग से नियुक्त नहीं है, जिसके कन्फर्म होने का सवाल हो। समय-समय पर भूमि रिक्लेमेशन कार्य के लिए सहायता तथा पुनर्वासन विभाग की प्रार्थना पर एस० टी० ओ० द्वारा कर्मचारी भेजे जाते हैं। शायद १९५६ के कैम्प में कुछ ऐसे ही कर्मचारी रहे होंगे।

*११०-१११--**श्री प्रतापसिंह**-- [२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

श्री विशालसिंह पर घातक आक्रमण

*११२--**श्री हरदयालसिंह** (जिला शाहजहांपुर)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री विशालसिंह, पुत्र डम्मर सिंह, निवासी ख्वाजगीपुर, थाना पाली, जिला हरदोई जो सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री हैं, को अगस्त १९६० के दूसरे या तीसरे सप्ताह में कत्ल करने का गुंडों द्वारा प्रयत्न किया गया और अस्पताल में डाइंग डिक्लेरेशन का प्रश्न भी पैदा हुआ है ?

श्री चरणसिंह--दिनांक ३१-७-६० को एक व्यक्ति के लाठी मारने से श्री विशाल सिंह के सर में एक चोट आई थी। बाद में अस्पताल में उनका डाइन्ग डिक्लेरेशन लिखा गया था।

*११३--**श्री हरदयालसिंह**--क्या यह सही है कि उनकी चिन्ताजनक हालत होते हुये भी पुलिस ने दफा ३०७ में रिपोर्ट दर्ज नहीं की ?

श्री चरणसिंह--श्री विशालसिंह ने उक्त घटना के संबंध में एक लिखित रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होने बताया था कि श्री राम भरोसे नें उन्हें लाठी से मारा था जिससे उन्हें सर पर चोट लगी है। रिपोर्ट लिखाते समय उनकी हालत चिन्ताजनक नहीं थी इसलिए केस को दफा ३०७ में दर्ज करना आवश्यक नहीं समझा गया।

मुहम्मदाबाद-गोहना स्टेशन रोड पर राहजनी की शिकायत

*११४--**श्री श्रीनाथ** (जिला आजमगढ़)--क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के मुहम्मदाबाद-गोहना थाने के अन्तर्गत मुहम्मदाबाद-गोहना कस्बे में ही स्टेशन से तहसील जाने वाली सड़क पर जुलाई, १९६० को अन्तिम सप्ताह में एक ही रात को ४ राहजनी की घटनायें हुई थीं। यदि हां, तो पुलिस ने सूचना पाने पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह--जुलाई, १९६० में ऐसी कोई घटना होने की सूचना नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

मोहरवां की डकैती में हताहत तथा कठवारा व भवली के किसानों से बेगार

*११५--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच के ग्राम मोहरवां, थाना रिसिया में ३० अगस्त, १९६० को रात्रि में डाका पड़ा था और उसमें कई आदमी मरे तथा घायल हुये थे ? यदि हां, तो उस घटना का विवरण क्या है ?

श्री चरणसिंह--जी हां, डाका पड़ा था। गांव वालों ने डाकुओं का मुकाबला किया था। फलस्वरूप २ ग्रामीण डाकुओं की बन्दूक से आहत हुए और ६ को लाठी, बल्लम से चोटें लगी। एक डाकू घटनास्थल पर मर गया और एक डाकू तालाब में मरा हुआ पाया गया। घटना का * विवरण संलग्न है।

---

*विवरण छापा नहीं गया।

*११६--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ के मन्डीयान पुलिस सर्किल तथा कठवारा ग्राम के आस-पास लगभग हजारों किसानों ने पुलिस कप्तान के कार्यालय के सामने दिनांक शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९६० को भूतपूर्व जमींदारों के विरुद्ध बेगारी लेने तथा कुओं का पानी बन्द कर देने के विरोध में प्रदर्शन किया था ? यदि हां, तो उनकी क्या शिकायतें थीं ?

श्री चरणसिंह--जी हां, लगभग १२५ ग्रामीणों ने पुलिस कप्तान के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इन लोगों की यह शिकायतें थीं कि कठवारा और भवली गांव के ठाकुर उनसे जबरदस्ती बेगार लेते हैं। इन्होंने कुओं से पानी बन्द कर देने या न लेने देने की बाबत कोई शिकायत नहीं की।

श्री बिहारीलाल की संदिग्ध हत्या

*११७--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री बिहारी लाल, सरपंच, अदालत पंचायत, भुड़कुड़ा, थाना सदरपुर (सीतापुर) का कत्ल दिनांक २७ अगस्त, १९६० या इसके इर्द-गिर्द किसी तहसील में हो गया है और इससे सम्बन्धित नामजद रिपोर्ट कत्ल हुये व्यक्ति की स्त्री द्वारा लिखाई गयी है ?

श्री चरणसिंह--सरपंच के दिनांक २७-८-६० से गायब होने की सूचना उनकी पत्नी ने थाने पर ३१-८-६० को लिखाई थी जिसमें उनकी हत्या करने का संदेह कुछ व्यक्तियों पर किया गया था परन्तु अब तक की जांच से यह पता नहीं चला कि उनकी हत्या हुई है या नहीं। विवेचना की जा रही है।

*११८--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--यदि हां, तो क्या उपरोक्त व्यक्ति का शव मिल गया है और इससे सम्बन्धित कितने व्यक्ति दिनांक ७ सितम्बर, १९६० तक गिरफ्तार किये जा चुके हैं तथा इस मामले की जांच कौन अधिकारी कर रहा है ?

श्री चरणसिंह--अभी तक शव नहीं मिला है और न किसी की गिरफ्तारी हुई है। थानाध्यक्ष सदरपुर जांच कर रहे हैं।

पंजाब नेशनल बैंक, वाराणसी से धोखा देकर रुपया लेना

*११९--श्री ऊदल--क्या सरकार को पता है कि सितम्बर, १९६० के प्रथम सप्ताह में वाराणसी के पंजाब नेशनल बैंक से एक व्यक्ति ने अपने को कालीन का रोजगारी बताकर ५०,००० रुपया धोखा देकर ले लिया जिसकी रिपोर्ट थाना चौक, वाराणसी तथा कोतवाली में की गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री चरणसिंह--जी हां। जांच के बाद अपराधी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई है।

अतरछला ग्राम की डकैती

*१२०--राजा वीरेंद्रशाह (जिला जालौन)--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला जालौन में ग्राम अतरछला, थाना कुठौंद में दिनांक २० अगस्त, १९६० की रात को सशस्त्र डकैती पड़ी ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इसमें जान तथा माल की कितनी हानि हुई ?

श्री चरणसिंह--जी हां। इस डकैती में कोई व्यक्ति नहीं मरा, केवल तीन व्यक्तियों को मामूली चोटें लगीं। उक्त डकैती में कुल १७,४५२ रु० की संपत्ति लूटी गयी।

*१२१--**राजा वीरेंद्रशाह**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस डकैती में डाकुओं की कितनी संख्या थी तथा कितनी बन्दूकें थीं ? क्या पुलिस इस सम्बन्ध में कोई डाकू अभी तक पकड़ सकी है या इस डकैती का कोई सुराग लगा पायी है ?

श्री चरणसिंह--डकैतों की संख्या ७ थीं जिसमें २, ३ के पास बन्दूकें थीं। इस डकैती के संबंध में अभी तक ६ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए है जिनमें से तीन का चालान हो चुका है।

उतरौला में हड़ताल

*१२२--**श्री गोविन्दसिंह विष्ट, श्री यमुनाप्रसाद शुक्ल** (जिला रायबरेली), **श्री शिवराम** (जिला बिजनौर) **तथा श्री मन्नालाल** (जिला खीरी)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ९ व १० सितम्बर, १९६० को उतरौला, जिला गोंडा के समस्त नगर में पूर्ण हड़ताल रही और करीब ४,००० नागरिकों ने थाने पर प्रदर्शन किया ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री चरणसिंह--दिनांक ९-९-६० को कोई हड़ताल नहीं हुई किन्तु दिनांक १०-९-६० को श्री फीरोज गांधी तथा गोंडा में उर्दु के कवि जिगर मुरादाबादी की मृत्यु के समाचार मिलने के कारण अधिकांश नगर में हड़ताल रही।

थाने पर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। अतः इस बारे में कार्यवाही का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*१२३--**श्री राजाराम शर्मा**--[१० फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न १८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

रुकुनुद्दीनपुर में खलियान में आग लगने से क्षति

*१२४--**श्री जंगबहादुर वर्मा**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी परगना, थाना सुबहा, ग्राम अमान के पुरवा मजरे रुकुनुद्दीनपुर में २०-२१ अक्तूबर, १९६० को खलिहान में आग लगा दी गई थी। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और कितने व्यक्तियों का कुल कितना नुकसान हुआ ?

श्री चरण सिंह--संबंधित ग्राम में २०-१०-६० को लगभग १० बजे रात में आग लग जाने से इस ग्राम के ६ व्यक्तियों की खरही (खलिहान) का कुछ भाग जल गया जिसमें अनुमानतः ५० रु० की हानि हुई। चूंकि जांच करने से घटना आकस्मिक ज्ञात हुई और किसी व्यक्ति पर सन्देह नहीं किया गया, अतः पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*१२५--**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)--[२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

फर्रुखाबाद में पुलिस के विरुद्ध प्रदर्शन

१२६--**श्री मदन पांडेय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १४ अक्तूबर, १९६० को फर्रुखाबाद में कोई प्रदर्शन हुआ था जो पुलिस द्वारा हवालात में पीट कर किसी व्यक्ति के मार डालने के विरोध में नारे लगाते हुये कलक्टरी के हाते में जिलाधीश से भी मिला था ?

*__श्री चरणसिंह__--इस संबंध में दिनांक १३-१०-६० को प्रदर्शन हुआ था जिसमें पुलिस के विरुद्ध नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारी कलेक्टरी तक गये किन्तु जिलाशीश से नहीं मिले।

लुअठहा ग्राम का हत्या कंड

*१२७—श्री ऊदल—क्या सरकार को पता है कि तारीख ११ अक्तूबर, १९६० को जिला देवरिया, थाना विशुनपुर के गांव लुअठहा टोले की अहीर टोली में प्रातः ९ बजे श्री रामबली कमकर के मकान पर सैकड़ों व्यक्तियों ने हमला किया और स्त्री, बच्चों को निकाल कर मकान में आग लगा दी ?

श्री चरणसिंह—जी हां । ऐसी घटना हुई थी ।

*१२८—श्री ऊदल—क्या आक्रमणकारियों ने श्री रामबली कमकर, राम वदन कमकर और राम सकल कमकर तथा उनके गुरु श्री रामकिशुन चौबे को मारकर जलते हुये घर की अग्नि में झोंक दिया और वे जल गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—जी हां । इस संबंध में अभी तक २६ व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट भेज दी गई है ।

फर्रुखाबाद कोतवाली में मनोहर की मृत्यु

१२९—श्री ऊदल तथा श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार को पता है कि १२ अक्तूबर, १९६० को फर्रुखाबाद कोतवाली की हवालात में मनोहर नामक व्यक्ति की पुलिस की मार से मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—मनोहर नामक व्यक्ति की मृत्यु दिनांक ११/१२-१०-६० को फर्रुखाबाद कोतवाली में हुई । इस संबंध में मैजिस्टोरियल जांच की गई जिसकी रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है । अभी यह कहना कठिन है कि मृत्यु पुलिस की मार से हुई या और किसी कारण से ।

घोसी निवासी श्री कन्हैया प्रसाद की हत्या

*१३०—श्री झारखंडेराय—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंग कि कुछ दिनों पहल घोसी (जिला आजमगढ़) के सुप्रसिद्ध नागरिक मुख्तार तथा एक कांग्रेसी नेता श्री कन्हैया प्रसाद की निर्मम हत्या सोते समय कर दी गई ?

श्री चरणसिंह—जी हां ।

*१३१—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अब तक इस विषय में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और उसका परिणाम क्या हुआ है ?

श्री चरणसिंह—पुलिस इसकी जांच कर रही है । अब तक की जांच से पता लगा है कि हत्या रंजिश के कारण एक गुन्डे द्वारा कराई गई । अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है ।

लखनऊ निवासी श्री विष्णुकुमार वाजपेयी के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत

*१३२—श्री त्रि लोकी सिंह—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोकरननाथ मिश्रा रोड, लखनऊ के कुछ निवासियों ने सरकार तथा कप्तान पुलिस, लखनऊ के पास ६ अक्तूबर, १९६० को श्री विष्णुकुमार वाजपेयी तथा उनके स्त्री, बच्चों के साथ पुलिस द्वारा हुये दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में कोई दरख्वास्त दी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री चरणसिंह—जी हां। एक ऐसा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें एस० ओ०, हसनगंज द्वारा दुर्व्यवहार करने की शिकायत की गई थी। इस प्रार्थना पत्र से पूर्व उस सम्बन्ध में श्री वाजपेई द्वारा प्रेषित शिकायत पर पहले ही जांच की जा चुकी थी और जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए।

बरहज में पुलिस अत्याचार के विरोध में हड़ताल

*१३३—**श्री गोविन्द सिंह विष्ट**—क्या सरकार को ज्ञात है, कि बरहज, जिला देवरिया में २४ मई, १९६० व उसके बाद पुलिस के अत्याचारों के खिलाफ २१ जून, १९६० को १५० स्त्री पुरुषों ने एक दिन की प्रतीक भूख हड़ताल की और २३ जून को बरहजनगर में पूर्ण हड़ताल रही? अगर हां, तो इसका कारण क्या था तथा सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की?

श्री चरणसिंह—दिनांक २१-६-६० को १५ व्यक्तियों ने प्रतीक भूख हड़ताल की और २३-६-६० को नगर में हड़ताल हुई। इसका कारण एक मल्लाह की लड़की तथा एक मुसलमान के मामले में हेड कान्सटेबिल द्वारा हस्तक्षेप किया जाना था। हेड कान्सटेबिल को ससपेन्ड कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। एक व्यक्ति को धारा १८२ भारतीय दंड विधान तथा ५ व्यक्तियों को धारा १०७/११७ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत चालान किया गया है।

बंशीपुर ग्राम में लड़की के शव का पंचनामा

*१३४—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—ग्राम बंशीपुर मस्मूले दहावा, थाना सिधौली (सीतापुर) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की कोठरी की धन्नी में टंगी पायी गयी लड़की की लाश के सम्बन्ध में २६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५९ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस पुलिस कर्मचारी द्वारा लड़की के शव का पंचनामा कर दिया गया था, वह अधिकारी किस पद का है?

श्री चरणसिंह—उक्त अधिकारी सब-इंस्पेक्टर के पद का था और थाने का सेकेंड आफिसर था।

*१३५—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—२६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६० के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधीश, सिधौली ने जो जांच की थी, वह मैजिस्ट्रेट की हैसियत से न्यायिक जांच की थी या वह जांच एक्जीक्यूटिव अधिकारी की हैसियत से की गई थी?

श्री चरणसिंह—वह जांच न्यायिक जांच थी क्योंकि वह धारा १७६ दण्ड विधि संग्रह के अन्तर्गत आती है।

*१३६—**श्री ताराचन्द माहश्वरी**—२६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६० के उत्तर के क्रम में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुनः जिस पुलिस आधकारी द्वारा जांच कराई गई, वह अधिकारी पुलिस विभाग के किस पद पर है?

श्री चरणसिंह—पुनः जांच करने वाला अधिकारी भी सब-इन्सपेक्टर के पद का था किन्तु वह थाने का स्टेशन आफिसर था।

थाना बाजार शुकुल क्षेत्र में कथित डकैतियां

*१३७—**श्री जोखई** (जिला इलाहाबाद)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि क्या जिला सुल्तानपुर, थाना बाजार शुकुल के अन्तर्गत जुलाई, १९६० से अक्तूबरा, १९६० तक छः डकैतियां पड़ चुकी हैं? यदि हां, तो इन छः डकैतियों में कितने आदमी गिरफ्तार किये गये?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। इस थाने में सन् १९६० में डकैती की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। अतः किसी की गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ-कानपुर सड़क पर धन, जन की क्षति

*१३८—श्री सजीवनलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ कानपुर रोड पर मोटर ट्रकों द्वारा पंचांग वर्ष १९५८-५९ व १९६० में अक्तूबर मास तक जान व माल की कितनी हानि हुई है?

श्री चरणसिंह—वांछित सूचना निम्नांकित है:—

वर्ष	जान की हानि संख्या	माल की हानि रु०	न० पै०
१९५८	४	२,१५२	८२
१९५९	१६	१२,०६५	२५
१९६० (अक्तूबर तक)	१३	१६,४०९	७५

कानपुर के शंतियाकांड से संबंधित गिरफ्तारियां

*१३९—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५९ के कानपुर के शंतिया कांड तथा उससे सम्बन्धित बाद की घटनाओं के सम्बन्ध में कितने लोगों पर किन-किन धाराओं में मुकद्दमे चल रहे हैं?

श्री चरणसिंह—सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ-१५५-पर।)

*१४०—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कांड से सम्बन्धित अधिकारियों में से किन-किन का स्थानान्तरण हो गया है?

श्री चरणसिंह—किसी भी अधिकारी का स्थानान्तरण इस कांड के कारण नहीं हुआ है।

लाखनसिंह गिरोह के पास आग्नेयास्त्र

*१४१—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह सूचना है कि लाखनसिंह के गिरोह पर २०-२५ राइफलें, ४-५ टामीगनें व दो तीन ब्रेनगनें आदि हथियार हैं?

श्री चरणसिंह—जी हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार लाखनसिंह के गिरोह के सदस्यों के पास २०-२५ राइफलें व ३-४ टामी गन हैं। ब्रेनगन होने की कोई सूचना नहीं है।

*१४२—श्री भजनलाल—यदि हां, तो उपर्युक्त हथियार लाखनसिंह के गिरोह को कहां से प्राप्त हुए हैं?

श्री चरणसिंह—इस सम्बन्ध में कोई पता अभी तक नहीं लग सका है।

ममौरा थाना क्षेत्र में डकैती तथा राहजनी की घटनायें

*१४३—डाक्टर अवधेशकुमार सिन्हा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना ममौरा, जिला बरेली में निम्नलिखित व्यक्तियों के यहां उनके सामने लिखी तारीखों में डकैतियां या राहजनी पड़ी:—

(अ) श्री ऊमराई, पुत्र श्री बुलाकी किसान, निवासी ग्राम नागला, ४/५ मार्च, १९६०।

(ब) श्री राम, पुत्र श्री नरायन अहिर, निवासी ग्राम तिरकोनिया, २३/२४ मार्च, १९६०।

(स) श्री नन्हकू, पुत्र श्री डोरी किसान, निवासी ग्राम हरीगोनतिया, २६/२७ मार्च, १९६०।

(ग) श्री अमानत हुसेन, पुत्र श्री इदारत हुसेन की गाड़ी, कोहानीघाट ४/५ मई, १९६०।

(द) श्री अल्ला बक्स, पुत्र श्री नबी बक्स, निवासी ग्राम सहसा की साइकिल तथा रुपया, २९ फरवरी, १९६० को लूटा गया।

(म) श्री तिरमल, निवासी ग्राम दलीपुर, १६/१७ जून, १९६०।

श्री चरणसिंह--घटनाओं की स्थिति इस प्रकार है :--

(अ) (ब) और (स) :--वादी ने डकैती की रिपोर्ट लिखाई परन्तु जांच से घटनाएं झूंठी पाई गईं।

(ग) वादी ने राहजनी की सूचना दर्ज कराई थी। जांच से मामला चोरी का पाया गया परन्तु किसी अभियुक्त का पता न लग सका।

(द) वादी ने राहजनी की रिपोर्ट लिखाई परन्तु जांच से मामला संदिग्ध पाया गया और कोई कार्यवाही नहीं हो सकी।

(म) वादी ने डकैती की रिपोर्ट लिखाई। जांच से घटना सही पाई गई परन्तु वादी द्वारा गलत नाम लिखाने व गवाही न देने के कारण मामले में सफलता प्राप्त नहीं हुई।

आंवला निवासी श्री राजाराम की हत्या

*१४४--डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९६० से अक्तूबर, १९६० के बीच में श्री रामस्वरूप निवासी, मोहल्ला कटरा, थाना आंवला, जिला बरेली को थाने में मारा गया और उनकी मृत्यु थाने में ही हो गई ?

श्री चरणसिंह--उक्त अवधि में दिनांक ११-५-६० को राजाराम नामक एक व्यक्ति (रामस्वरूप नहीं) की मृत्यु थाने से अस्पताल ले जाते समय हुई थी यह आरोप था कि मृत्यु पुलिस के पीटने के कारण हुई थी।

*१४५--डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--क्या इस घटना की सूचना सुभाष इन्टर कालेज, आंवला के किसी अध्यापक ने जिले के उच्च अधिकारियों को दी ? यदि हां, तो इसमें क्या हो रहा है ?

श्री चरणसिंह--इस घटना की सूचना जिलाधीश को श्री शिवकुमार शर्मा निवासी पक्का कटरा आंवला द्वारा भेजे गए तार से प्राप्त हुई थी। इस पर एस० डी० एम० द्वारा जांच की गई इस जांच रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने इस मामले में गुप्तचर विभाग द्वारा अनुसंधान किये जाने के आदेश दे दिये हैं।

बेलीगारद निवासी पाटनदीन की पुलिस के विरुद्ध दरख्वास्त

*१४६--श्री सुरथ बहादुरशाह (जिला खीरी)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री पाटनदीन, मौजा बेलीगारद, महबुल्लापुर छावनी, थाना मड़ियांव, जिला लखनऊ ने ७ जनवरी, १९६० को स्थानीय पुलिस के खिलाफ कोई दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर, लखनऊ व कप्तान पुलिस, लखनऊ को दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चरणसिंह--जी हां।

जांच करने पर स्थानीय पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए इसलिए किसी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

मतईया पुरवा कानपुर निवासी श्रीमती सरस्वती का श्रीमती मालती की हत्या के संबंध में प्रार्थना पत्र

*१४७—श्री सुरथबहादुर शाह—क्या गृह मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री मती सरस्वती, निवासी मतईया पुरवा, कानपुर ने जो दरख्वास्त कप्तान पुलिस देहाती क्षेत्र कानपुर को अपनी बेटी श्रीमती मालती की हत्या के सम्बन्ध में २८ जुलाई, १९६० को दी थी उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री चरणसिंह—उक्त प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आरोपों के संबंध में सर्किल आफिसर द्वारा जांच की गई और आरोप सही नहीं पाए गए। अतएव कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*१४८—श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)—[२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

पुलिस तसदीक के बगैर बन्दूकों के लाइसेंस देने की नीति तथा भगौरा निवासी जगदीश की हत्या

*१४९—श्री गोविन्द नारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार इस प्रकार का कोई आदेश जिलाधीशों को देने का विचार कर रही है कि ग्रामसभा के प्रधानों, न्याय पंचायत के सरपंचों, नगरपालिका, टाउन एरिया तथा नोटीफाइड एरिया के सदस्यों तथा सहकारी समितियों के सरपंचों को बन्दूकों के लाइसेंस देने में उनके चाल-चलन की तस्दीक पुलिस से न कराई जावे तथा उन्हें आवेदन करने पर अनिवार्यतः लाइसेंस दिये जावें ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं।

*१५०—श्री गोविन्द नारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भगौरा, थाना चुरखी में जगदीश, पुत्र राजाराम की हत्या अगस्त, १९६० में की गई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—जी हां, इस हत्या का अनुसंधान होकर अभियुक्तों का चालान कर दिया गया है।

पुलिस अधिकारी श्री सुरेंद्रबहादुर सिंह की सेशन सुपर्दगी

*१५१—श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मनकापुर थाना (जिला गोंडा) के किसी अधिकारी के विरुद्ध अदालत में कोई फौजदारी का मुकदमा चल रहा है और सरकार द्वारा अधिकारी को पैरवी करने के लिये कोई आर्थिक सहायता दी जा रही है ?

*१५२—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मनकापुर थाना (जिला गोंडा) का कोई अधिकारी मजिस्ट्रेट जुडिशियल द्वारा सेशन अदालत सुपुर्द कर दिया गया है ? यदि हां तो वह भारतीय दण्ड विधान की किन धाराओं के अधीन हुआ है ?

श्री चरणसिंह—वर्तमान काल में नियुक्त थाना मनकापुर (जिला गोंडा) के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन नहीं है किन्तु उक्त थाने के भूतपूर्व थानाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह को अतिरिक्त जिलाधीश, गोंडा ने २२० भा० दं० वि० के अन्तर्गत न्याय हेतु सेशन सुपुर्द कर दिया है। उनकी पैरवी के लिए सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है।

अचलगंज के थानेदार के विरुद्ध घूस लेने की शिकायत

*१५३—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २२ अक्तूबर, १९६० को ग्राम बदरका, थाना अचलगंज, जिला उन्नाव के कुछ व्यक्तियों ने अध्यक्ष, जिला भ्रष्टाचार निरोधक समिति को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया था कि उक्त थाने के थानेदार ने उन लोगों से एक जुवे के केस के सम्बन्ध में जमानत मंजूर करने के लिये प्रति व्यक्ति दस रुपया घूस ली और उक्त थानेदार ने अध्यक्ष के समक्ष घूस लेना स्वीकार किया ? यदि हां, तो उस थानेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—जी हां।

परन्तु यह सही नहीं है कि थानेदार ने अध्यक्ष के समक्ष घूस लेना स्वीकार किया। चूंकि थानेदार के विरूद्ध आरोप की पुष्टि नहीं हुई इसलिए उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*१५४—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इसी मामले की शिकायत उसी समय डी० एस० पी० (कम्पलेन्ट) से भी की गई परन्तु उन्होंने जांच करने से इन्कार कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—यह सही है कि डी० एस० पी० (सी०) के पास भी ऐसा प्रार्थना-पत्र जांच के लिये भेजा गया था परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की क्योंकि शिकायती पत्र में उल्लिखित घटना के संबंध में अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

पुलिस कमीशन की नियुक्ति, नेवादा ग्राम में बुढ़िया की हत्या तथा जुगराजपुर में एक्के से दबकर बच्चे की कथित मृत्यु

*१५५—श्री जवाहरलाल (जिला इलाहाबाद)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में क्राइम (crime) की स्थिति में सुधार की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री चरणसिंह—उत्तर प्रदेश में क्राइम (crime) की स्थिति में सुधार की कोई विशेष योजना इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है परन्तु पुलिस प्रशासन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये सरकार ने एक पुलिस कमीशन की नियुक्ति की है।

*१५६—श्री जवाहरलाल—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेवादा ग्राम, हेस्टिंग रोड, इलाहाबाद की एक बुढ़िया के कत्ल की रिपोर्ट दिनांक ७ दिसम्बर, १९६० को थाना कन्टूनमेंट, इलाहाबाद में हुई थी ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह—जी हां। पुलिस जांच कर रही है। दो अभियुक्त अदालत में आत्मसमर्पण कर चुके हैं और दो की तलाश पुलिस द्वारा जारी है।

*१५७—श्री जवाहरलाल—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर या दिसम्बर, १९६० को ग्राम जुगराजपुर, थाना सराय आकिल, जिला इलाहाबाद में एक लड़का एक्के से जिसमें मौजूदा बड़े या छोटे थानेदार पुलिस स्टेशन सराय आकिल, इलाहबाद भी बैठे थे दब कर मर गया ? यदि हां, तो पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरण सिंह—जी नहीं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं हुई।

*१५८—१६०—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—[२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

घोसी थाने की पुलिस के विरुद्ध घूस लेने की शिकायत

*१६१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास प्रश्नकर्ता द्वारा २ अगस्त, १९६० का भेजा हुआ कोई शिकायती प्रार्थना-पत्र मिला है, जिसमें घोसी थाने की पुलिस की घूस लेने की शिकायत की गई है ?

श्री चरणसिंह—जी हां ।

इटावा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में हवाई जहाज से गिरा सामान तथा थाल ग्राम (बुलन्दशहर) का गोली कांड

*१६२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला इटावा के कोतवाली थाने के क्षेत्र मानिकपुर विसग्राम में यमुना नदी की तलहटी में २९–३० दिसम्बर, १९६० को बहुत सा हवाई जहाज का सामान वहां के सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस को पड़ा हुआ मिला था ? यदि हां, तो वह सामान कौन-कौन सा था तथा किस जहाज का था ?

श्री चरणसिंह—२९ दिसम्बर को उक्त क्षेत्र में निम्नलिखित सामान मिला जिसे हवाई जहाज से गिरा हुआ बताया गया ।

१—रबड़ का कपड़ा जो ऊपर बारीक सूत की डोरियों से बंधा हुआ था ।

२—एक काग़ज़ का डब्बा जिसमें तार व पत्तियां आदि लगी हैं ।

३—एक टीन का छोटा बक्सा जो लगभग एक बालिश्त लम्बा दोनों तरफ और ऊपर से खुला हुआ है ।

४—कुछ रूई के पैड ।

५—कुछ सफेद पाउडर ।

उक्त सामान को श्री जे० सी० मुकर्जी संचालक, गुरुनरायन टेक्निकल इंस्टीट्यूट मानिकपुर बिखू ने एस० ओ० कोतवाली इटावा को सुपुर्द किया था । हवाई जहाज का अभी कोई पता नहीं चला है ।

*१६३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बुलन्दशहर के सियाना पुलिस सर्किल के थाल ग्राम में गुरुवार, २९ दिसम्बर, १९६० को ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी ? यदि हां, तो फायरिंग क्यों की गई तथा उसके फलस्वरूप कितने आदमी मरे तथा घायल हुये ?

श्री चरणसिंह—जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके ला रही थी ग्रामीणों ने उन्हें रोका और पुलिस वालों पर लाठी बल्लमों से आक्रमण किया और एक अभियुक्त को छुड़ा लिया जिस पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी ।

उक्त फायरिंग के फलस्वरूप दो व्यक्ति मरे और तीन घायल हुये ।

नवनिर्मित सीमान्त जिलों में कम्युनिस्टों द्वारा भारत विरोधी प्रचार

*१६४—राजा यादवन्द्रदत्त दुब—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के नवनिर्मित पहाड़ी सीमांत जिलों के अन्दर दिल्ली तथा अन्यान्य राज्यों के कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भारत विरोधी तथा चीन के समर्थन में प्रचार कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इस प्रचार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चरणसिंह—नवनिर्मित सीमान्त जिलों में कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं द्वारा प्रचार किये जाने की सूचना सरकार को है । सरकार इस सम्बन्ध में सतर्क है ।

कार्य सूची में अधिक प्रश्न रखने पर आपत्ति

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मुझे प्रश्नों के बारे में कुछ प्रार्थना करनी है। आज करीब २०० प्रश्न रखे गये हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं कि इसके पहले भिन्न-भिन्न दिनों के लिये भिन्न भिन्न विभाग रखे गये थे तो हमने प्रार्थना की थी कि बड़े-बड़े विभाग अलग दिनों में रखे जायं जिससे ऐसा न हो कि प्रश्नों के उत्तर न दिये जा सकें। अब जो रखा गया है इसमें पुलिस के साथ सिंचाई विभाग रख दिया गया है। काफी बड़े-बड़े विभाग हैं। आज २०० में से कुल १५-१६ प्रश्नों का उत्तर दिया जा सका और सिंचाई विभाग का केवल एक ही प्रश्न लिया जा सका। तो दिनों के जो वर्गीकरण किये गये हैं उनकी ओर आप जरा ध्यान देने की कृपा करें। उत्तर नहीं दिये जाते हैं तो पूरक प्रश्नों का मौका नहीं मिल पाता है।

श्री अध्यक्ष---बैठक के पहले रोज यह होता है कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न पहले से जमा रहते हैं, उन पर बहुत पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। आज जो कम प्रश्न हो सके उसका कारण यह है कि कई महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे थे कि जिन पर बहुत पूरक प्रश्न हुये। तो मैं दो एक रोज अनुभव लेकर आपके सुझाव के अनुसार काम करूंगा दो-एक रोज जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर पूरक प्रश्न ज्यादा होने के कारण कम प्रश्न हो पायेंगे। लेकिन आपका सुझाव ठीक है, उसका सिद्धांत ठीक है उस पर भी विचार होगा।

सर्वश्री हबीबुर्रहमान खां हकीम तथा भारतसिंह यादवाचार्य के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष---दो एक सदस्य हमारे नहीं रहे, उनके बारे में अब कुछ प्रस्ताव होगा।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके द्वारा सदन के सदस्यों को यह दुःखद समाचार देना है कि हमारे दो पुराने साथी जो किसी समय इस सदन के सदस्य थे वे अब संसार से विदा हो गये हैं। मेरा तात्पर्य श्री हबीबुर्रहमान जो कि शाहजहांपुर से इस सदन के सदस्य थे और श्री भारतसिंह यादवाचार्य जो १९४६ से १९५२ तक मैनपुरी जिले से यहां के सदस्य थे, इन लोगों से है। ये दोनों व्यक्ति अपने-अपने क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में एक स्थान रखते थे। श्री हबीबुर्रहमान हमारे उन मुसलमान साथियों में से थे जिन्होंने जब कि साम्प्रदायिकता का बड़ा जोर था, कभी भी अपने विचारों के संतुलन को खोया नहीं। सदा वह राष्ट्रीय विचार के रहे और हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्षपाती रहे। अपने जिले में अपनी सार्वजनिक सेवाओं के द्वारा उन्होंने एक ऊंचा स्थान सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में बनाया था। जब तक वे इस सदन के सदस्य रहे उन्होंने उत्तरोत्तर सारे प्रगतिशील कार्यों में समाज को, संगठन को और सरकार को अपना सहयोग प्रदान किया। आज वह हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इससे हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन को एक क्षति पहुंची है।

श्री भारतसिंह जी यादवाचार्य हमारे उन सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में से एक प्रमुख व्यक्ति थे जिनका जीवन पिछड़े वर्ग की सेवा में काफी मात्रा में व्यतीत हुआ था। देहात की समस्याओं का निराकरण करना और उनके विषय में उत्तरोत्तर आन्दोलन करना उनके जीवन का प्रमुख हिस्सा था। वे, जैसे कि हबीबुर्रहमान जी ने अपने विचारों के लिये जेल की यातनायें सहीं, बराबर प्रगतिशील विचारों के रहे और जहां तक किसानों के अधिकारों और उनकी सेवा का विषय था उसमें तो वह देहाती क्षेत्र में हमेशा अगुवा कार्यकर्ता थे। उनके निधन से भी आज प्रदेश के सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के बीच में एक क्षति पहुंची है। मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से आपके द्वारा उनके संतप्त परिवार को समवेदना भेजना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा यह सदन हमारी ख्वाहिश को पूरा करने के लिये इजाजत देगा।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)---अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने जो विचार स्वर्गीय भारतसिंह यादवाचार्य तथा स्वर्गीय हकीम हबीबुर्रहमान खां के सम्बन्ध में प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

इस लोक में मान्यवर, हर प्राणी के लिये मृत्यु आवश्यक है, किन्तु ऐसे थोड़े ही लोग होते हैं जो अपने बाद एक ऐसी मिसाल छोड़ जाते हैं जिसका अनुकरण करने से समाज तथा देश का हित होता है । भारतसिंह यादवाचार्य जिला लखनऊ, कस्बा अमेठी, के रहने वाले थे । अपनी थोड़ी उम्र में ही वह आर्य समाज आन्दोलन से प्रभावित हुये और गांधी जी की आवाज पर असहयोग आन्दोलन में एक स्वयंसेवक बने । माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछड़े हुये वर्गों और किसानों के सम्बन्ध में उनके बारे में जो विचार प्रकट किये हैं वे अक्षरशः सत्य है । कांग्रेस में जब कभी कोई किसान की बात नहीं करता था, यह सब को मालूम है कि सन् १९२० के पहले कांग्रेस ऐसी संस्था में किसानों का जिक्र किसी मौके पर नहीं आया था । भारतसिंह यादवाचार्य उन चन्द लोगों में थे जिन्होंने "बोल सब एक" आन्दोलन अवध में मुख्य रूप से चालू किया गया था उसके प्रवर्तकों में से थे । अनेक बार वह जेल गये और १९४६ से १९५२ तक इस सदन के सदस्य भी रहे । वैसे तो उनकी अवस्था लगभग ७० वर्ष की थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि किसी को यह स्वप्न में भी गुमान हो कि वह हमारे बीच से इतनी जल्दी उठ जायेंगे । समाज सुधार के सिलसिले में वह लखनऊ से मैनपुरी गये हुये थे एकाएक वह बीमार हुये और उनकी मृत्यु हो गई ।

हबीबुर्रहमान खां साहब उन चन्द लोगों में से थे जो अपनी राष्ट्रीयता से, उस कड़वे जमाने में जब कि बड़े-बड़े अपनी जगह से डिग गये, नहीं डिगे । राष्ट्रीय आन्दोलन में वह १९२० में शरीक हुये थे और सदा जो राय उन्होंने देश की आजादी के बारे में रखी उस पर अन्तिम समय तक कायम रहे । एक मशहूर हकीम अपने जिले के, एक प्रभावशाली और प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति के न रहने से निश्चय ही हमारे सामाजिक जीवन के क्षेत्र में कार्य करने वालों में कमी हुई है । मैं मान्यवर से प्रार्थना करूंगा कि आप मेरी ओर से और इस तरफ के बैठने वाले जितने भी माननीय सदस्य हैं उन सब की तरफ से दुखी परिवारों को समवेदना पहुंचाने की कृपा करें ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने तथा अपनी पार्टी के विचारों को माननीय नेता सदन तथा विरोधी दल के नेता के विचारों से आबद्ध करता हुआ आपसे प्रार्थना करूंगा कि मेरी और मेरी पार्टी की समवेदना दुखित परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---सर्वश्री हबीबुर्रहमान और भारतसिंह यादवाचार्य के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने और नेता विरोधी दल, श्री त्रिलोकीसिंह ने जो उद्गार प्रकट किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । श्री हबीबुर्रहमान साहब शाहजहांपुर के रहने वाले थे । आज जो भारत के अन्दर समाज विभिन्न सम्प्रदायों में बंटा हुआ है और एक प्रकार की दाढ़ मेढ़ खड़ी हो गयी है तो निश्चित रूप से उस दाढ़ मेढ़ को तोड़ने में सहायता देने वाले श्री हबीबुर्रहमान साहब थे । मेरी यह जानकारी नहीं है कि ये राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल गये थे या नहीं ।

एक सदस्य---गये थे ।

श्री राजनारायण---अब इस पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं है । जब माननीय त्रिलोकी सिंह जी बोल रहे थे तो हमारे शाहजहांपुर के श्री देवनारायण भारतीय जी ने मुझ से कहा कि यह सन् ४७ में कांग्रेस में शामिल हुये थे और जेल कभी नहीं गये थे । क्या सत्य है यह विवाद का विषय नहीं है । वे इस दुनिया में रह नहीं गये हैं । जो उन्होंने सेवा की वह प्रसंशनीय है । जो उन्होंने हिन्दू मुसलमानों के बीच में साम्प्रदायिक भेदभाव मिटाने का प्रयत्न किया वह हमारे लिये स्तुत्य है । उसे मिटाने के लिये उन्होंने जितना काम किया उसके लिये

हम जितनी सराहना व प्रशंसा करें वह थोड़ी मानी जायगी। हम अपना आभार व सम्मान उनके प्रति प्रकट करते हैं और आप से निवेदन करेंगे कि हमारी ओर से, हमारी सोशलिस्ट पार्टी की ओर से और जो लोग हमारे भावों से सहमत हैं उनकी ओर से उनके दुखी परिवार के प्रति हमारी समवेदना और सहानुभूति आप भेजेंगे।

भारतसिंह जी यादवाचार्य ने निश्चित रूप में आज जो पिछड़ी जातियां कही जा रही हैं उनको ऊपर उठाने में सराहनीय कार्य किया। उनके साथ कई मीटिंगों में जाने का अवसर मुझे भी मिला है। उनके हृदय में उद्गार थे, एक जलन थी और यह एक बात बराबर विद्यमान रहती थी कि आज अपना देश जो ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य तथा शूद्र इन चार वर्गों में विभक्त है और उनमें कुछ अपने को ऊपर ऊंचा और कुछ अपने को नीचा समझ रहे हैं, यह वातावरण समाप्त होना चाहिये और उनका कहना था कि एक मानव जाति का नारा बुलन्द होना चाहिये। ऐसे समय भारतसिंह यादवाचार्य का निधन हो जाना हमारे लिये एक दुखद घटना है। हम चाहते थे कि जो सारी मानवता को एक मानव जाति में पिरोना चाहते हैं, जो यह समझते हैं कि विश्व में जितने मानव हैं उनमें सामीप्यता होनी चाहिये, वे एक खानदान के हैं, एक परिवार के हैं वे लोग हमारे बीच में जितनी ज्यादा तादाद में रहें उतना ही हमारा काम आसान व सरल होगा। ऐसे समय भारतसिंह यादवाचार्य, का हमारे बीच में रहना अच्छा होता और वे कुछ दिनों और समाज की सेवा कर सकते, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जिनकी आवश्यकता रहती है वे उठ जाया करते हैं और ऐसे बहुत से लोग रह जाया करते हैं जो समाज के लिये भार स्वरूप हो जाते हैं। तो इसमें हम विवश हैं क्योंकि विज्ञान ने अभी तक इतनी उन्नति नहीं की है कि वह ऐसे लोगों को चिरकाल तक जीवित रख सकें और इच्छानुसार समाज की सेवा के लिये रख सकें। विज्ञान जब इतना विकसित होगा और उन्नति कर जायगा तो वह दिन भी आयेगा कि जिसको हम समाज के लिये ज्यादा उपयुक्त समझें उस को हम अधिक समय तक जीवन प्रदान कर सकें। इसका भी हमें खेद है। तो, श्रीमन्, हम अपनी ओर से, अपने दल सोशलिस्ट पार्टी की ओर से और उन लोगों की ओर से जो आज समाज में जाति पांति के दाढ़ मेढ़ में न पड़ कर शुद्ध मानवता का प्रसार करने वाले हैं यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी सद्भावना, हमारा सम्मान और हमारा आदर श्री भारतसिंह यादवाचार्य के दुखित परिवार के पास आप भेज दें।

इन्हीं शब्दों के साथ हम इन दोनों विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के प्रति अपना सम्मान और आदर प्रदर्शित करते हैं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय नेता सदन ने कहा, बाबू त्रिलोकीसिंह ने कहा, कुंवर श्रीपालसिंह ने कहा, मैं भी उन्हीं के विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह सत्य है कि सृष्टि में जो आया है उसके लिये जाना अनिवार्य है, परन्तु राष्ट्रीय रचना और समाज सेवा में जो व्यक्ति रत रहते हैं उनके उठने पर दुःख होता है। श्रीमन्, आप से प्रार्थना है कि मेरी तथा जनसंघ के सदस्यों की समवेदना इन दोनों संतप्त परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---अध्यक्ष महोदय, माननीय हबीबुर्रहमान खां आज हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन में जो भाग लिया और प्रदेश की हिन्दू-मुस्लिम जनता के एका के लिये जो प्रयास किया वह हम सब के लिये स्तुत्य है। आज जब साम्प्रदायिकता फिर अनेक प्रकार से हमारे देश और प्रदेश में सिर उठा रही है ऐसे व्यक्तियों की अभी और आवश्यकता थी। इसलिये उस उद्देश्य को कि हमारे देश और प्रदेश में हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित हो, सच्ची राष्ट्रीयता का उत्थान हो सके, ऐसे लोगों के चले जाने से ठेस पहुंचती है। इसलिये मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप मेरी और हमारे दल की सहानुभूति और समवेदना उनके परिवार तक भेजने की कृपा करें।

श्री भारतसिंह यादवाचार्य से मेरा प्रत्यक्ष परिचय नहीं रहा, लेकिन जो लोग उनसे परिचित रहे हैं, वे सभी इस बात पर एक राय हैं कि वे इस वृद्धावस्था में भी शक्ति और ओजस्विता

[श्री झारखण्डे राय]

के प्रतीक थे। उनकी आवाज इतनी बुलन्द थी और भारतीय ऋषियों के समान उनका चेहरा और बाल थे कि ५० हजार की भीड़ को वे बिना लाउड स्पीकर की सहायता के अपनी बात सुना सकते थे। उनको देख कर युवकों को भी एक उत्साह और प्रेरणा मिलती थी। और इसलिये वे पिछड़ी जातियों के सम्मेलनों में केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में सम्मानित थे और बुलाये जाते थे। ऐसे समय में जबकि पिछड़ी जातियां अपने उत्थान और विकास के लिये तेजी से आगे बढ़ रही हैं और उनकी मांगें बढ़ रही हैं ऐसे महान नेताओं की उनको जरुरत थी। इन शब्दों के साथ मैं इनके विषय में भी आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरी और हमारे दल की सहानुभूति और समवेदना उनके परिवार तक भेजने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री हबीबुर्रहमान खां तथा श्री भारतसिंह यादवाचार्य के दुखद निधन के ऊपर जो भावनायें नेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त की हैं उनके विचारों के साथ मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। आजकल के इस युग में जबकि फिर से साम्प्रदायिकता कहीं कहीं सिर उठाने लगी है ऐसे व्यक्ति का हमारे बीच में रहना आवश्यक था। वे सदैव बड़ी कठिनाई के जमाने में भी राष्ट्रीय विचारों के रहे हैं हिन्दू-मुस्लिम एकता के पक्षपाती रहे हैं। इस वक्त उनका रहना और भी आवश्यक था ताकि साम्प्रदायिकता फिर से अपना सिर न उठा सके। लेकिन, जैसा कहा गया है, विधि की मर्जी कुछ अलग ही रहती है।

श्री भारतसिंह यादवाचार्य के कार्यों से सभी परिचित हैं। वर्षों उन्होंने दबे हुये लोगों का, गरीब लोगों का पक्ष लेकर शोषित वर्ग का नेतृत्व किया है, उनका संगठन किया है और यह भावना उन्होंने सारे समाज में जागृत की कि दबे हुये वर्ग को हमें उठाना है, शोषित वर्ग को उठाना है, पिछड़े हुये वर्ग को उठाना है और जब पिछड़े वर्ग को उठाया जायगा तभी समाज का कल्याण हो सकता है। ऐसे हमारे अगुआ की इस समय आवश्यकता थी जिस समय कि हम सब ने यह समस्या उठा ली है और इसका रूप कुछ बदल सा चला है और वह भी साम्प्रदायिकता की बराबरी की जटिल समस्या होती चली जा रही है यानी सैक्टेरियेनिज्म की तरफ जब कुछ लोग झुक रहे हैं। इस समय ऐसे विशाल हृदय वाले की आवश्यकता थी जो मानवता पर विश्वास रखता हो। उनके जाने से हमारे देश का बड़ा भारी नुकसान हुआ है। लेकिन हम लाचार हैं, हम केवल यह कह सकते हैं कि हमारी भावी संतति, हमारे नागरिक जो नौजवान हैं, उनके पद चिन्हों पर चल कर हमारे देश का कल्याण करेंगे। ऐसी हम आशा कर सकते हैं और अपनी समवेदना उनके दुखी परिवार के पास भेज सकते हैं।

मैं आप सब की तरफ से समवेदना उनके दुखी परिवारों को भेजूंगा। अब हम अपने स्थान पर खड़े हो कर परमात्मा से दो मिनट के लिये प्रार्थना करें कि वह उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

(सब सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये।)

आश्वासन समिति का अष्टम प्रतिवेदन

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से इस समिति का अष्टम प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

इस प्रस्तुत प्रतिवेदन में १८६ आश्वासनों का समावेश है। यह आश्वासन विधान सभा में १६ अप्रैल, १९५७ से २६ दिसम्बर, १९५७ तक की अवधि में सरकार द्वारा दिये गये थे। वास्तव में इस अवधि में जो आश्वासन दिये गये उनकी कुल संख्या ४४२ थी। इन आश्वासनों में से २५६ आश्वासनों की पहले ही पूर्ति हो गई थी और अवशेष १८६ आश्वासन पूर्ति के लिये रह गये थे। यह प्रस्तुत प्रतिवेदन इन्हीं आश्वासनों से संबंध रखता है। इन आश्वासनों में से समिति ने १३३ आश्वासनों को पूर्ण समझा और शेष ५३ आश्वासन अब भी ऐसे हैं जिनकी अभी तक पूर्ति नहीं हो पाई है।

---

* छापा नहीं गया।

यह आश्वासन तीन वर्ष से भी अधिक समय के दिये हुये हैं । समिति का मत है कि अभी तक इन सभी आश्वासनों की पूर्ति हो जानी चाहिये थी और समिति को ऐसा महसूस होता है कि संबंधित विभागों द्वारा इनकी पूर्ति के लिये तत्परता से कार्य नहीं किया गया । इस विषय की ओर, श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि वह इस बात को देखें कि जो आश्वासन दिये जाते हैं, उनकी पूर्ति यथासंभव होनी चाहिये । नहीं तो उससे वास्तव में जनहित नहीं हो सकता । कुछ आश्वासन ऐसे हैं जो बहुत ही सार्वजनिक महत्व के हैं और जिनमें लोक-हित निहित है जैसे जमीन का मुआ जा देना, परिगणित तथा पिछड़ी हुई जाति के विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां देना, पर्वतीय यात्रा-मार्गों पर पानी का प्रबन्ध करना आदि । इस प्रकार के कुछ आश्वासनों का मैंने अपनी इस प्रारम्भिक प्रतिवेदन में उल्लेख कर दिया है । समिति का यह निश्चित मत है कि इस प्रकार के लोक-हित कार्यों के संपन्न करने के लिये शीघ्र से शीघ्र कदम उठाया जाना चाहिये था और इनकी पूर्ति बहुत पहले ही हो जानी चाहिये थी । मैं समझता हूं कि प्रजातांत्रिक शासन पद्धति में ऐसे कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न तथा सम्पादित करना प्रजातांत्रिक प्रशासन को सफल बनाना है ।

मुझे यह भी खेद के साथ कहना पड़ता है कि कुछ ऐसे भी विभाग हैं जिन को समिति के कार्यालय की ओर से बार-बार स्मरण-पत्र भेजने पर भी संबंधित विभागों से बड़े लम्बे समय तक कोई उत्तर नहीं दिया गया । इस विषय पर, श्रीमन्, मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान और विशेष कर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । हम लोगों को समिति में यह अनुभव हुआ कि समिति के कार्यालय द्वारा बार-बार विभागों को पत्र लिखे जाते हैं, स्मरण-पत्र दिये जाते हैं, परन्तु कई विभागों ने उन स्मरण-पत्रों का उत्तर तक देने का कष्ट नहीं किया । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी विवरण तीन को देखेंगे तो मालूम होगा कि १२ आश्वासन ऐसे हैं जिनके बारे में बराबर स्मरण कराया गया है परन्तु विभागों ने यथोचित समय के अन्दर उत्तर नहीं दिया है । मैं इस संबंध में और ज्यादा समय नहीं लेना चाहता । ऐसे विभागों का उल्लेख इस प्रतिवेदन के विवरण तीन (पृष्ठ १०१) में दिया गया है । समिति आशा करती है कि यदि आश्वासनों की पूर्ति न भी हो तो यह परमावश्यक है कि विभाग स्वयं आश्वासनों की पूर्ति के प्रगति के संबंध में समिति को अवगत कराते रहें ।

मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस ओर ध्यान दें क्योंकि समिति के पत्रों का उत्तर न देना अनुचित है क्योंकि समिति सदन का एक अंग है । इसलिये मुझे आशा है और आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करें ।

अन्त में, मैं इस समिति के सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिनके सहयोग, सहकार्य तथा परिश्रम से यह अष्टम प्रतिवेदन इतने थोड़े से समय में हम रख सकें । मैं इस समिति के अधिकारी और कार्यकर्तागण को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिनके सतत परिश्रम के कारण ही यह कार्य इतने थोड़े समय में सम्पन्न हो सका ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम २१७ (३) की ओर आकृष्ट करूंगा, जिसके अनुसार समिति के सभापति महोदय ने कुछ टिप्पणियां कीं । उस संबंध में मुख्य मन्त्री या संबंधित मंत्री अपने विचार आज ही व्यक्त करेंगे या भविष्य में करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---अगर वह चाहें तो आज आम तौर पर कुछ कह सकते हैं या आश्वासन दे सकते हैं, उस संबंध में जो कुछ कि सभापति जी ने रिमार्क्स किये, या किसी दूसरे रोज इस पर मंत्री जी कह सकते हैं ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से इस वक्त इतना निवेदन कर सकता हूं कि इस विषय पर किसी अगली बैठक में अपने विचार प्रकट कर सकूंगा ।

एक सदस्य---अगली बैठक में या अगले दिन ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अगले दिन अपने विचार इस विषय पर दे सकूंगा। मैंने स्वतः उन चीजों की जानकारी अभी प्राप्त नहीं की है और न उनका अध्ययन ही किया है। जब मैं अध्ययन कर लूंगा तभी अधिकारपूर्ण जवाब आपको दे सकूंगा।

श्री राजनारायण की गिरफ्तारी से सम्बन्धित विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—अब इन विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों के ऊपर कल मैंने यह कहा था कि मैं आज निर्णय दूंगा। दो प्रश्नों के ऊपर मैंने आज फैसला देने के लिये कहा था। एक तो श्री राजनारायण जी का है, उनकी गिरफ्तारी के संबंध में। मैंने यह कहा था कि इसके बारे में पहले मैं फैसला दे चुका हूं। उस पर शायद देवनारायण भारतीय जी ने कहा कि मैंने उस समय यह जिक्र किया था कि यदि राजनारायण जी छूट गये अदालत से तो वैसी हालत में आप फिर से प्रश्न ला सकते हैं, बशर्ते कि यह बात सिद्ध हो जाय कि जान बूझकर उनकी गिरफ्तारी मैलाफाइडी तरीके से हुई, बदनीयती के साथ की गई। मैं यह समझा शायद उनके कहने का मतलब यह है कि मैंने यह कह दिया हो कि मैलाफाइडी तरीके से गिरफ्तारी हुई है ऐसा आक्षेप वे छूटने पर करेंगे तो उसके ऊपर यहां प्रश्न उठाने की इजाजत दे दूंगा। लेकिन मेरे शब्द जो थे वह यह थे, मैं पढ़ के सुना देता हूं—

"मैं इतना और कहने को रह गया कि प्रिविलेज का सवाल इसमें बाद में भी उठ सकता है। यदि यह मुकदमा चले और उसमें जो बहस आपने यहां की है वही अदालत में भी होती कि उन्होंने कोई कसूर तो किया नहीं, सिर्फ उनको सदन की सेवा से वंचित करने के लिये ताकि यहां पर आकर वे क्वेश्चन न कर सकें, यह मैलाफाइडी गिरफ्तारी हुई है, ऐसा चार्ज अगर सिद्ध हो जाय वहां पर अदालत में" इत्यादि।

इससे स्पष्ट है कि मैंने यह कहा था कि अदालत में आप प्रश्न इसका उठायें कि मैलाफाइडी गिरफ्तारी हमारी हुई और अदालत में ऐसा चार्ज अगर सिद्ध हो जाय और वह छूट जांय तो आप यहां सवाल ला सकते हैं।

यह मतलब नहीं है कि अगर किसी वजह से छूट जांय या मुकदमा वापस सरकार ले ले और फिर छूट जायं तो ऐसी हालत में आप यहां पर सवाल ले आयें। बदनीयती से गिरफ्तारी हुई या नहीं इसकी तहकीकात यह सदन करे ऐसी चीज कोई मैंने कही नहीं थी और मैं समझता हूं कि ऐसी कोई भी नजीर आपको नहीं मिलेगी इंग्लैंड की प्रथा में भी कि इस तरह के चार्ज पर सदन पूरा या सदन की कमेटी बैठ जाय और वह देखे फौजदारी के मामले में कि बदनियती से गिरफ्तारी की गई थी या नहीं और ऐसे आरोप में प्रिविलेज का सवाल उठाया जाय या नहीं। इसलिये मैं जो फैसला दे चुका हूं उसके बाद उस प्रश्न को फिर से उठाने की इजाजत मैं नहीं दे सकता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन, जरा एक जानकारी हमको करनी है। आपने अभी तक कौन से कागज-पत्र ऐसे देख लिये हैं कि जिसके आधार पर आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमारी गिरफ्तारी राग द्वेष के आधार पर नहीं हुई है ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि आप एक बार यह फरमा चुके कि आप इजाजत नहीं देते इस ब्रीच आफ प्रिविलेज के प्रश्न को दुबारा उठाने के लिये। आपकी रूलिंग हो चुकी है। उसके बाद इस सिलसिले में कुछ भी पूछना मेरी राय में मुनासिब नहीं है।

श्री अध्यक्ष—जी हां, वह अवैध है। इसके ऊपर अगर आपको कुछ कहना है तो मेरे कमरे में आप कह सकते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, माननीय चरणसिंह जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था वह क्या व्यवस्था का प्रश्न था ? कहीं ऐसा तो नहीं था कि अपने काले कारनामों को

छिपाने के लिये उन्होंने ऐसा किया। (व्यवधान) जी हां, आपने अपने काले कारनामों को छिपाने के लिये, उन पर परदा डालने के लिये मुकदमा वापस लिया....

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठिये।

श्री राज्यपाल द्वारा आहूत बैठक को निरस्त करने के संबंध में श्री त्रिलोकीसिंह द्वारा विशेषाधिकार के प्रश्नपर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—यह दूसरा प्रश्न माननीय त्रिलोकीसिंह जी का है। इस संबंध में मैंने यह कहा था कि यदि १२ दिसम्बर को बैठक होने के लिये राज्यपाल महोदय की जो आज्ञा हुई उसको निरस्त करने के बारे में अगर राज्यपाल की आज्ञा नहीं हुई है और किसी के भी कहने से अगर किसी सचिव ने उसको निरस्त करने का हुकुम निकाल दिया हो, तो सदन के अवमान का प्रश्न उठाया जा सकता है, ऐसी हालत में। मैंने कहा था कि इस बारे में जानकारी करूंगा कि राज्यपाल की ऐसी आज्ञा हुई है या नहीं। तो मैंने उसकी कुछ जानकारी हासिल की है। माननीय मुख्य मंत्री या माननीय न्याय मंत्री, अगर उनको कोई जानकारी हासिल हो तो वे पहले सूचना सदन को दे दें, फिर जो मेरी सूचना है वह मैं बाद को दे दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—हमारी भी इस विषय में जो सूचना है उसकी जानकारी आप ले लें।

श्री अध्यक्ष—जी हां।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—मैंने जो अपने सेक्रेटेरियट से पता लगाया तो मुझे यह लहजा मिला कि हमारे चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर साहब के सेक्रेटरी से सम्पर्क स्थापित किया और गवर्नर साहब के सेक्रेटरी ने गवर्नर साहब से, जो उस समय हैदराबाद में थे, फोन पर सम्पर्क स्थापित किया। गवर्नर साहब की स्वीकृति लेकर उसकी खबर हमारे चीफ सेक्रेटरी को दी और फिर लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी ने उसके मुताबिक ही नोटिफिकेशन निकाला।

श्री अध्यक्ष—यह जो प्रश्न है इसको समझने के लिये पहले कैसे घटनाओं की शुरुआत हुई, इसको सुनाये देता हूं। जब सदन की बैठक स्थगित की गई उस वक्त पहले जो मुख्य मंत्री थे, उनके वाक्यों को मैं आपको सुना देता हूं जो उन्होंने उस समय कहे थे। उन्होंने यह कहा था कि "अब की बार जो हमारे दल का विशेष चुनाव हुआ उससे यहां कुछ विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई और उस विशेष परिस्थिति का हमारे कार्यक्रमों पर भी परिणाम पड़ता है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह अनुचित है कि हम इस वक्त जिन बिलों को सदन के सामने रख रहे हैं और विशेष रूप से उस बड़े बिल का, जिसका सहकारिता से संबंध है, उसको ऐसे समय में सदन के सामने रखें। जब यहां की राजनैतिक परिस्थिति कोई स्पष्ट रूप धारण कर ले, उसी वक्त यह मुनासिब होगा कि उसको रखें स्वस्थ लोकतान्त्रिक तरीका भी यही है। उसी वक्त हमें उस पर विचार करना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि सदन इस समय उठ जाय क्योंकि इस समय और कोई काम हम सदन के सामने पेश करना नहीं चाहते। माननीय सदयों को इसके कारण जो तकलीफ हुई है उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं"। यह परिस्थिति ७ अक्तूबर के करीब की है। उसके बाद १२ दिसम्बर की तारीख उनकी एडवाइस पर राज्यपाल ने मुकर्रर की। उसके बाद पहले जो मुख्य मंत्री, थे उनको जो आशा थी कि परिस्थिति स्पष्ट होगी, वह परिस्थिति फिर गम्भीर हो गई और उन्होंने पहली दिसम्बर को अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने यह भी जाहिर किया कि उनके इस्तीफा देने के बाद जो दूसरा नेता बहुमत पार्टी का चुना जायगा उसकी सिफारिश राज्यपाल महोदय को वे कर देंगे कि उसको मुख्य मंत्री बना दें। उक्त वक्तव्य को नजर में रख कर मैंने यह भी सूचना प्राप्त की है जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से सदन में नहीं दी गई, लेकिन मुझे इस सिलसिले में जांच करते हुये दी गई है कि

[श्री अध्यक्ष]

दिसम्बर एक तारीख को पहले मुख्य मंत्री जी ने यहां से तार द्वारा हैदराबाद को जहां श्री राज्यपाल महोदय थे, उन से कहा कि मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाय और मेरी जगह पर श्री चन्द्रभानु गुप्त जो बहुमत पार्टी के नेता चुने गये हैं, मुख्य मंत्री बनाया जाय। तार के शब्दों में कुछ फर्क हो सकता है, लेकिन उसका भावार्थ यही था। उसके ऊपर राज्यपाल जी ने उत्तर में कहा कि जैसी केयर टेकर गवर्नमेंट होती है आप अपनी उस तरह की सरकार बनाये रखें जब तक कि मैं वहां से न आ जाऊं और नये मुख्य मंत्री को नियुक्त न कर दूं और उनकी कैबिनेट कायम न हो जाय उस समय तक आप काम चलायें। मैं समझता हूं कि ६ या ७ तारीख को नये मुख्य मंत्री जी ने शपथ ली और १ और ६ या ७ के बीच का यह वाकया है जब बैठक बुलाने की आज्ञा निरस्त की गई थी, यह तीन तारीख की बात है। तीन तारीख को उस मीटिंग को निरस्त करने के बारे में सवाल उठा। इस बारे में मुख्य सचिव ने भी जैसी सूचना न्याय मंत्री को दी, मुझे भी दी और मुझ को उस बारे में कागजात भी दिखाये। उसमें इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि राज्यपाल जी से उनके जो सेक्रेटरी शर्मा जी हैं, उन के जरिये से पूछ लिया गया कि पहली आज्ञा को निरस्त करने की आज्ञा दी जाय। मैं इस विषय में एक किताब "India's Constitution in the making" by B.N. RAU के पृष्ठ ३८० के कुछ अंश को पढ़ना चाहता हूं जिसमें प्रेसीडेंट के अधिकारों के बारे में जो प्रथा है उसके बारे में लिखा गया है। यह मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई फैसला नहीं दे रहा हूं। केवल आपकी सूचनार्थ यह जानकारी दे रहा हूं कि क्या-क्या विचार इस संबंध में उठते हैं। उद्धरण इस प्रकार हैं :—

"There may, however, the exceptional or borderline cases in which the President can or has to act otherwise than on ministerial advice. For example, in the choice of a new Prime Minister he is not obliged to consult the outgoing Prime Minister such is the position under the British Constitution also. This can hardly be called an exception, because he has necessarily to consult the incoming Prime Minister, who, as soon as he accepts office, makes himself responsible for the choice".

यह स्पष्ट है कि अपवद रूप में और बार्डरलाइन केसेज ऐसे होते हैं जिनमें प्रेसीडेंट या राज्यपाल को मुख्य मंत्री की सलाह लेना आवश्यक नहीं होता। ऐसी परिस्थिति की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बीच का पीरियड जिसमें बहुमत दल का नेता तो चुना गया हो और जो नया नेता चुना गया हो उसे मुख्य मंत्री घोषित न किया गया हो और केयर टेकर गवर्नमेंट हो, उस वक्त क्या करना चाहिये इस विषय में आप लोग विचार कर लें किसी आपत्ति के उठाने के पहले। एक बात स्पष्ट है जो मैंने कल कही थी कि श्री चन्द्रभानु गुप्त उस वक्त अगर चुने भी न गये होते बहुमत पार्टी के नेता और एक व्यक्तिगत हैसियत से भी वह कहते कि मैं समझता हूं कि सदन को १२ दिसम्बर को नहीं बैठना चाहिये तो वह कह सकते थे। मैं समझता हूं कि उसकी वजह से विशेषाधिकार की अवहेलना करने का चार्ज उन पर नहीं आ सकता था और किसी के ऊपर नहीं आ सकता जो ऐसी सलाह दे।

राज्यपाल महोदय को कोई भी सलाह दे सकता है। फिर आपको यह भी देखना है कि पहले के मुख्य मंत्री के सामने जो गम्भीर परिस्थितियां थीं उनसे भी ज्यादा गम्भीर नये मुख्य मंत्री के सामने उनके बहुमत पार्टी के नये नेता चुने जाने के कारण उनके सामने आई। एक बहुमत पार्टी के नेता चुनने की वजह से गुप्ता जी के सामने नये मंत्रिमंडल को बनाने की भी समस्या थी। पहले के मुख्य मंत्री के सामने तो मंत्रिमंडल बना हुआ था। दूसरी बात यह है कि जो बिल्स पहले के बने हुये थे उनकी जिम्मेदारी नया मंत्रिमंडल लेने को तैयार होगा या नहीं, यह भी प्रश्न सामने था। तो उन्होंने अगर ऐसा सुझाव दे दिया तो यह तो और भी क्षम्य है। इसके लिये स्वस्थ परम्परा भी यही होगी कि नया चुना हुआ नेता ही इस प्रकार की सिफारिश कर सकें। तो मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई प्रश्न उनके विरुद्ध नहीं उठता है, खासकर

ऐसी सूरत में जब कि पहले मुख्य मंत्री जी ने उनके लिये सिफारिश कर दी हो । खैर, इसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता ।

जहां तक राज्यपाल महोदय का संबंध है, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी यहां नहीं की जा सकती और उनके लिये मैं इजाजत भी नहीं दूंगा । इस सदन में उनके कार्यों पर आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है । अगर उनकी आज्ञा हो गई, और उनकी आज्ञा हो जाने पर किसी को कोई शिकायत हो तो वह उनसे ही कह सकते हैं और उसके बाद भी कोई शिकायत रह जाय तो वह प्रेसीडेण्ट को लिख सकते हैं । सदन में चर्चा नहीं की जा सकती । इसलिये मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ किया है वह वाजबी किया है या गैर वाजबी । और न ही किसी को उस पर चर्चा करने की इजाजत दूंगा । तो ऐसी सूरत में उनके सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता । फिर ऐसी स्थिति में जब कि इस तरह की सरकार हो जो थोड़े से समय के लिये ही हो और दूसरी सरकार का नेता भी चुन लिया गया हो, तो ऐसे समय में यदि सचिव ने श्री राज्यपाल से आज्ञा लेने की कार्यवाही जो की, हर सचिव के कर्त्तव्यों में आ जाती है और उसके लिये उन पर कोई लांछन नहीं लगाया जा सकता । इसलिये विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं इस पर फैसला अभी मैं, जब आपकी बात सुन लूंगा तब ही दूंगा, वैसे आमतौर से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिखाई नहीं देता ।

जो सम्पूर्णानन्द जी ने श्री राज्यपाल को तार दिया था वह इस प्रकार था उसकी नकल मुझे अभी मिली है :—

"Kindly accept my resignation from the office of Chief Minister of the State stop Sri C. B. Gupta elected new Leader by the Congress Legislature Party stop Advise you to invite him form Government

Sampurnanand".

श्री राजनारायण—यह किस तारीख का है ?

श्री अध्यक्ष—यह २ दिसम्बर का है पहली तारीख का नहीं है जैसा कि मैंने पहले कहा था । अब इसके बाद जो राज्यपाल महोदय का तार आया वह इस प्रकार है :—

"Received Telegram intimating your resignation from the office of Chief Minister stop I accept your resignation most regretfully stop kindly continue to carry on the Government till the sixth instant when I shall swear in Sri C. B. Gupta and his colleagues stop I have requested Sri Gupta to form the Government stop Addressed Dr. Sampurnanand and repeated.....

RAMA KRISHNARAO
Governor U. P.

चूंकि अभी अभी यहीं पर मुझे टेलीग्राम पढ़ने का मौका मिला इसलिये मुझे पता नहीं था कि गुप्ता जी को मुख्य मंत्री बनाने के लिये उसमें कह दिया गया था । स्पष्ट है कि पहले मुख्य मंत्री का रेजीगनेशन ऐक्सेप्ट हुआ और उनको सिर्फ कंटिन्यू करने के लिये कहा । ऐसी परिस्थिति में अब इसके बाद आप को कुछ कहना है तो आप कहिये ।

एक सदस्य—यह तार किस तारीख का है ?

श्री अध्यक्ष—यह दो को ही जवाब आ गया ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपकी जांच का नतीजा वही निकला जो वाकयात मैंने अर्ज किये थे, यानी पुरानी सरकार के मुख्य मंत्री ने या मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को यह सलाह नहीं दी थी कि वह १२ दिसम्बर, १९६० को होने वाली विधान सभा की बैठक की आज्ञा को रद्द करें । मैंने यह भी मान्यवर से निवेदन किया था कि मेरी सूचना के अनुसार मुख्य सचिव से माननीय चन्द्रभानु जी गुप्त ने कहा था और बेहतर यह होता कि यह बात भी सदन के सामने आ जाती कि उन्होंने कहा था या नहीं कहा था,

[श्री त्रिलोकी सिंह]

लेकिन आपने उसको जरूरी नहीं समझा । बहरहाल, उसका यह हिस्सा कि मुख्य सचिव ने लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी से यह कहा कि वह इस आज्ञा को रद्द कर दें . . . . . .

श्री अध्यक्ष---मैंने यह कहा कि मुख्य सचिव ने राज्यपाल की आज्ञा प्राप्त करने के बाद यह कहा ।

श्री त्रिलोकीसिंह---जरा मेरी बात सुन ली जाय । मैंने यह कहा था कि मुख्य सचिव ने लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी से यह कहा कि वह १२ दिसम्बर, को होने वाली बैठक के नोटिफिकेशन को निरस्त कर दें, यह वाकयात की बात है, इसमें कोई मत-भेद नहीं है, केवल इतना अन्तर है कि मुख्य सचिव ने लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी से ऐसा कहने के पहले राज्यपाल से उनके सचिव द्वारा यह मंजूरी हासिल कर ली थी ।

मान्यवर, मेरी शिकायत का आधार यह था कि अनुच्छेद १६३ (१) भारत के संविधान के अनुसार गवर्नर साहब उसी समय आज्ञा दे सकते हैं जबकि मंत्रिमंडल उनको वैसी सलाह दें ।

श्री अध्यक्ष---मैं इस चीज की इजाजत नहीं दे रहा हूं कि आप यहां यह टीका-टिप्पणी करें कि गवर्नर साहब किस तरह से अवैध काम करते हैं ।

श्री त्रिलोकीसिंह---मैं कांस्टीट्यूशन से पढ़ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---कांस्टीट्यूशन पढ़ने से क्या होता है ? आप गवर्नर साहब के ऊपर टीका कर रहे हैं । उनके कार्य पर टीका-टिप्पणी की मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री त्रिलोकीसिंह---मैं जरा अर्ज करूं । मैं समझता हूं कि मेरे साथ ज्यादती होगी कि पेश्तर इसके कि मेरी बात सुनी जाय, यह राय कायम कर ली जाय कि मैं टीका कर रहा हूं । मैं एक वाकया बयान कर रहा हूं और नियम आपकी आज्ञा से पेश कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---लेकिन इसका उद्देश्य तो होना चाहिये ?

श्री त्रिलोकीसिंह---उद्देश्य यह है कि क्या कायदा है, किस ढंग से काम होना चाहिये, यह इस आदरणीय सदन के सामने आ जाय ।

श्री अध्यक्ष---आदरणीय सदन का दिया हुआ हुक्म नहीं है, राज्यपाल ने हुक्म दिया है । उनकी आज्ञा के बारे में अगर राज्यपाल को ही सिखाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा बजाय इसके कि आप सदन को सिखायें ।

श्री त्रिलोकीसिंह---आपकी आज्ञा से, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं उनको भी सिखाऊंगा ।

श्री अध्यक्ष---मैं यहां उनके कामों पर टीका करने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री त्रिलोकीसिंह---आप इजाजत न दें, लेकिन मुझे यह कहने का मौका मिलना चाहिये कि राज्यपाल ने यह कार्य अपने मंत्रिमंडल की सालह पर नहीं किया । जहां तक मान्यवर ने पुराने मुख्य मंत्री के ७ अक्तूबर के बयान का जिक्र किया है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्वस्थ परम्परा है कि जिस समय एक मुख्य मंत्री निश्चय कर लेता है कि वह इस्तीफा देगा तो उसी दिन से रस्मी कार्य को छोड़कर, बिजनेस के सारे काम करना बन्द कर देता है और मान्यवर ने जिस प्रथा को कोट किया उससे मेरे कथन की पुष्टि होती है । बोर्डर लाइन केस की महज एक मिसाल है । आपको याद होगा और सदन के माननीय सदस्यों को भी यदि होगा कि मैंने उस समय भी यह कहा था कि उस समय के मुख्य मंत्री को अधिकार प्राप्त नहीं था इस्तीफा देने के बाद कि राज्यपाल को सलाह दे कि वह किसको मुख्य मंत्री बनाने के लिये बुलायें । मैंने इस सिलसिले में यह भी कहा था कि १९२३ में जब बोनरला ने इस्तीफा दिया तो वह चाहते थे कि कर्जन प्रधान मंत्री यू० के० में हो ।

श्री अध्यक्ष--दूसरा नया होने वाला मुख्य मंत्री हो वह सलाह नहीं दे सकता, लेकिन इस्तीफा जो दे चुका हो व सलाह दे सकता है कि सदन बुलाया जाय या न बुलाया जाय ?

श्री त्रिलोकीसिंह--यह सलाह दे सकते हैं कि सदन को बुलाया जाय और उसको रद्द भी किया जाय क्योंकि जब तक कि इस्तीफा मंजूर होकर उनका कार्य काल समाप्त नहीं होता है यह अधिकार रहता है। मुझे सिर्फ यही अर्ज करना है कि सदन का यह कर्त्तव्य है और मान्यवर उस कर्त्तव्य को पूरा कराने के जिम्मेदार हैं कि जो शपथ हमने ग्रहण की है कि संविधान के वफादार होंगे उसका पालन हो। इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कार्यवाही हुई हो, जिन सज्जन ने भी की हो, गवर्नर का नाम उसमें जरूर है और कानून ने गवर्नर के एक्शन्स को कोई अदालत इंक्वायर नहीं कर सकती, लेकिन गवर्नर के जितने कानून निकलते हैं या आर्डिनेन्स होते हैं सचिव के नाम से उन पर हर अदालत को हक हासिल है कि गौर करे ....

श्री अध्यक्ष--यहां पर हमारे सामने तो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है।

श्री त्रिलोकीसिंह--सही है। मैं नम्रतापूर्वक यही अर्ज करना चाहता हूं कि इस सदन की १२-१२-६० को होने वाली बैठक की आज्ञा को निरस्त करने की कार्यवाही जो लेजिस्लेटिव सचिव ने की है वह संविधान के अनुसार नहीं है। मान्यवर को यह अधिकार है कि आप कहें कि इससे विशेषाधिकार की अवहेलना हुई या नहीं हुई। लेकिन मैं बहुत ही अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक ऐसी प्रथा कायम हो रही है कि सरकार एक तरफ बैठी रह जायगी और ऐसी नौबत आ सकती है कि राज्यपाल सदन को सरकार की मरजी से न बुलायें या अगर बैठक चल रही हो तो सरकार कुछ भी कहती रहे, राज्यपाल उस बैठक को रद्द करेंगे।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, एक बात बड़ी अजीब लग रही है कि यहां पर श्री चन्द्रभानु जी गुप्ता मुख्य मन्त्री के रूप में बैठे हुये हैं और माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने उनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने श्री गोविन्दनारायण, चीफ सेक्रेटरी से कहा कि इस सदन की बैठक को और आगे के लिये टलवा दो। लेकिन गुप्त जी मौन धारण किये हुये हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मौनम् स्वीकृत लक्षणम्, कुछ लोग तो यह कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं मौनम् अर्थ स्वीकृत लक्षणम्। हमको ऐसा लगता है कि त्रिलोकीसिंह जी जो आरोप लगा रहे हैं वह गुप्त जी को स्वीकार है। इसकी सफाई होनी चाहिये। अगर उनका आरोप है तो मैं समझता हूं कि यह विशेषाधिकार की अवहेलना के स्तर पर भी आयेगा। जहांतक मैं जानता हूं माननीय त्रिलोकीसिंह जी संसदीय परम्पराओं की बारीकियों से अच्छी प्रकार परिचित हैं। वह कोई निराधार आरोप नहीं लगाते। यदि वे कोई निराधार आरोप लगाने जायेंगे तो नियमावली को अवश्य पढ़े होंगे। उसमें यह दिया हुआ है कि अगर कोई निराधार आरोप होगा तो ५०० रु० का जुर्माना भी उठाना पड़ सकता है। वह नियम श्रीमन्, इस प्रकार से है :--

"निराधार शिकायत--ऐसी अवस्था में जबकि सदन को यह पता चले कि विशेषाधिकार की अवहेलना का आरोप निराधार है, तो वह आदेश दे सकेगा कि शिकायत करने वाला उस पक्ष को, जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो, वाद-व्यय के रूप में ऐसी धनराशि दे जो ५०० रुपये से अधिक न होगी"।

तो यह समझ लेना कि माननीय त्रिलोकी सिंह जी इस नियम से अवगत नहीं हैं, मूर्खता होगी। वह इस जुर्माने को भी देने के लिये तैयार हैं और आपसे बार-बार कह रहे हैं कि किसी भी अदालत के सामने वे इस बात को साबित करने के लिये तैयार हैं कि राज्यपाल कहीं बीच में नहीं आये, केवल गुप्तजी और गोविन्दनारायण जी की कांसपिरेसी से ही यह हुआ .....

श्री अध्यक्ष--अब आज नहीं कहा है।

श्री राजनारायण--कल तो कहा था।

श्री अध्यक्ष—आज उन्होंने यह नहीं कहा कि राज्यपाल ने हुक्म नहीं दिया ।

श्री राजनारायण—मैं यह कह रहा हूं कि माननीय नेता विरोधीदल ने कल यह कहा था, "मैं आपके न्यायालय में यह साबित करने के लिये तैयार हूं कि सी० बी० गुप्त के कथन पर श्री गोविन्दनारायण ने जूडीशियल सेक्रेटरी महोदय को यह आदेश दिया कि बैठक टाल दी जाय । मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि क्या आज भी उनका वही कथन है ?

श्री त्रिलोकीसिंह—बिलकुल ।

श्री राजनारायण—वे कह रहे हैं 'बिलकुल' ।

श्री अध्यक्ष—यह बात आज उन्होंने नहीं कही । मैंने उनकी बात को अपने कानों से सुना है ।

श्री राजनारायण—मुझे माननीय नेता विरोधीदल पर पूरा विश्वास है क्योंकि अगर उनके आरोप निराधार होंगे तो जो दंड होगा उसको भी वे सहने को तैयार हैं । उनको अच्छी प्रकार से जानते हुये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि त्रिलोकीसिंह जी ने जो आरोप लगाये होंगे वे समझ बूझ कर लगाये होंगे, छानबीन कर लगायें होंगे । वे इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं और विरोधीदल, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता, हैं, इस तरह का आरोप जल्दी में वे नहीं लगायेंगे । मैं माननीय मुख्य मन्त्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त से इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि गोविन्दनारायण जी से उन्होंने यह बात कही या नहीं कही । उसको सुनने के बाद मैं वह बात बताऊंगा जो मेरी श्री गोविन्दनारायण से हुई क्योंकि अगर उसको पहले कह दूंगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है । वे दूसरी कह सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—आपको जो कुछ कहना है उसको कह डालिये । ऐसा तो वह भी कह सकते हैं कि उनके बयान के बाद शायद आप उल्टा बयान कर दें । आप एक दूसरे पर विश्वास करके चलिये ।

श्री राजनारायण—मैं विश्वास करके ही चल रहा हूं और उसी विश्वास के साथ कह रहा हूं कि श्री त्रिलोकीसिंह ने जो आरोप लगाये हैं वे सही हैं । गोविन्दनारायण जी ने मुझसे यह बात कही कि आप यह बात मुझसे पहली ही बार पूछ रहे हैं और इससे पूर्व मुझसे किसी ने यह बात नहीं पूछी । उन्होंने यह भी कहा कि हमें राज्यपाल महोदय के सेक्रेटरी ने यह कहा कि बैठक टाल दी जायं । उस आदेश को हमने वर्मा साहब को पहुंचा दिया ।

श्री अध्यक्ष—श्री गुप्ता जी का नाम उन्होने नहीं लिया ?

श्री राजनारायण—गुप्ता जी का नाम नहीं लिया । लेकिन जब मैंने उनसे क्रास क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ होगा उसके बारे में मुख्य मंत्री जी जो भी उचित समझेंगे, जरूर अपना बयान सदन में देंगे, सरकार पर जो भी आरोप लगाये गये हैं उन पर वे या उनकी ओर से कोई अवश्य सदन में प्रकाश डालेंगे । मगर वे बड़े निपुण हैं । वे अपनी कूटनीति के और बौद्धिक कुशलता से .....

श्री अध्यक्ष—जो लोग यहां पर ऐबसेंट हैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते । हां, आप तारीफ कर सकते हैं उनकी निन्दा नहीं कर सकते ।

श्री राजनारायण—तारीफ ही में कर रहा हूं कि वे अपना काम बनाने में बड़े निपुण हैं । श्री सम्पूर्णानन्द से भी उन्होंने अपना काम बना लिया और गुप्ता जी से भी अपना काम बना लेंगे । हमसे तो वे बना नहीं पावेंगे । तो मेरा कहना यह है कि श्री सी० बी० गुप्ता का बयान भी इस सम्बन्ध में होना चाहिये । चाहे श्री सी० बी० गुप्ता इस सदन के चुने हुये सदस्य न हों, लेकिन जब जनता के द्वारा चुने हुये कांग्रेस पार्टी के बहुमत ने.....

श्री अध्यक्ष—इसका प्रस्तुत प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री राजनारायण—तो मैं चाहता हूं कि गुप्ता जी के बयान से यह साबित हो जाय कि यह उनके ऊपर एक निराधार आरोप है तो इसके लिये श्री त्रिलोकीसिंह को खेद प्रकट करना चाहिये कि इस तरह का निराधार आरोप उनको नहीं लगाना चाहिये था । इससे सदन का सम्मान बढ़ेगा और सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी वरना इसके बाद न मालूम यहां कितने प्रकार के आरोप आयेंगे ।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—श्रीमन्, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी इस व्यवस्था के अनुसार दो सरकारें थीं ? क्या आपकी यह व्यवस्था है कि १ दिसम्बर से लगायत ७ दिसम्बर के बीच में यू० पी० में दो सरकारें थीं ? आपकी व्यवस्था के अनुसार तो उत्तर प्रदेश में दो सरकारें चल सकती हैं, एक मुख्य मंत्री की और दूसरी सचिवों की । तो क्या गवर्नर को यह हक हासिल है कि सचिवों की राय से ऐसा काम करें, यह व्यवस्था मैं आपकी समझूं ?

श्री अध्यक्ष—यह तो मैंने कभी नहीं कहा कि दो सरकारें थीं । मैंने तो सिर्फ यह कहा कि एक केयरटेकर गवर्नमेंट थी क्योंकि पहले मंत्रिमंडल के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका । उनको राज्यपाल महोदय ने कहा था कि जब तक हम श्री सी० बी० गुप्त को एप्वाइंट नहीं कर लेते हैं तब तक तुम काम चलाओ ।

मैंने सब सुन लिया, अब मंत्रिमंडल की तरफ से तो किसी को कुछ नहीं कहना है ?

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन करना है ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें, मैं इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री टीकाराम पुजारी—ऐसा नहीं होना चाहिये । आगे के लोगों को तो बोलने का मौका आप दे देते हैं, लेकिन पीछे वाले नहीं बोल पाते हैं ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें ।

श्री टीकाराम पुजारी—मेरा निवेदन यह है कि मेरा किसी में विश्वास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें, नहीं तो मुझे आपको सदन त्याग करने के लिये कहना पड़ेगा ।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं जब कुछ कहना चाहता हूं तो आप मुझे सदन से हटाने के लिये तैयार हो जाते हैं । मैं सदन छोड़ने के लिये तैयार हूं, लेकिन अपनी बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं फिर आपको आगाह कर देता हूं, आप बैठ जायं ।

श्री टीकाराम पुजारी—आपको मुझे टोकने की आदत है । इस तरह टोकने से यह सरकार भी थोड़े दिनों में ही खत्म हो जायगी । टोकने से चोर भी चोरी करने नहीं जाता है ।

श्री अध्यक्ष—अगर आप नहीं बैठते हैं तो कृपा करके सदन त्याग कर चले जायं ।

श्री टीकाराम पुजारी—मैं सदन छोड़ कर जा रहा हूं ।

(श्री टीकाराम पुजारी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब इस विषय पर मुझे कुछ नहीं कहना है । चीफ सेक्रेटरी ने जो बात बतलाई वही है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---इसमें चीफ सेक्रेटरी ने कैसे इनिशिएटिव लिया, कैसे पहले किया ?

श्री अध्यक्ष---मैं अभी बतला दूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं । जिस पहले तार का जिक्र किया गया वह चूंकि राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया यानी उल्लेख हुआ आर्डर का, जहां लेवजीकन का जिक्र है कि आर्डर से मेन्डेट से, या कमांड से.....

श्री अध्यक्ष---मैं आप को इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मैं माननीय राज्यपाल के आर्डर के प्रोसीजर के विषय में कहना चाहता हूं । मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि आप राज्यपाल की गद्दी पर पहले बैठें और तब कहें कि यह आर्डर देने का प्रोसीजर क्या होना चाहिये ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---वह भी एक दिन आ सकता है ।

श्री अध्यक्ष---स्वयं राज्यपाल को कोई शिकायत नहीं, शिकायत आपको है कि आर्डर नहीं दिया । इसके लिये आप कोर्ट में जा सकते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तभी माना जाता है जब जजेज के दस्तखत हो जाते हैं । टेलीफोन से आर्डर नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष---मैं आपको इस सम्बन्ध में कांस्टीट्यूशन के कुछ वाक्य सुनाये देता हूं अनुच्छेद १६६ से :---

"All executive action of the Government of a State shall be expressed to be taken in the name of the Governor.

Orders and other instruments made and executed in the name of the Governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the Governor, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the Governor".

मैं आप को बता दूं कि श्री राज्यपाल के बनाये हुये रूल्स में यह भी है कि उनके जो कोई भी सेक्रेटरी हैं वह अगर कोई आज्ञा उनकी तरफ से निकाल देंगे वह आथनटीकेटेड समझी जावेगी । उसके बाद आपको कुछ और करना है तो कोर्ट आफ ला में आप जायं । जब मैंने बतला दिया कि इन्क्वायरी के बाद क्या बातें हुई मैंने बता दी तो प्रश्न नहीं उठता । मैंने सब से पूछ लिया था और बात करते हुये मैंने गवर्नर साहब से भी पूंछ लिया था । उन्होंने भी यही कहा था कि उनकी ही आज्ञा निरस्त करने की थी इसलिये यह सवाल नहीं हो सकता कि आर्डर उन्होंने नहीं दिया, सवाल यह है कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई या नहीं । यदि चीफ सेक्रेटरी ने ही श्री राज्यपाल से पूछ लिया, तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर ऐसी परिस्थिति में किसी ने भी या माननीय गुप्त जी ने भी मुख्य सचिव द्वारा रिक्वेस्ट न की होती तो भी वह किस से आर्डर लेते कि आगे असेम्बली होगी या नहीं होगी, उस की बैठक होगी या नहीं होगी ? मुख्य सचिव अगर स्वयं ही श्री राज्यपाल से पूछ लेते तब भी ठीक ही था ऐसी हालत में जब कि कुछ ठीक न हो कि तब तक मंत्रिमंडल बने या क्या होगा यह सब स्पष्ट न हो ।

दूसरे यह कि मुख्य सचिव को श्री चन्द्रभानु गुप्त को भी सलाह लेने की जरूरत थी । मैं मानता हूं कि इस प्रकार का सुझाव देने का हरएक आदमी को अधिकार है । जब उनको मालूम हुआ कि १ तारीख को इस्तीफा दे दिया और केयरटेकर गवर्नमेंट की तरह सरकार बन गई

और श्री चन्द्रभानु गुप्त जी को चीफ मिनिस्टर बनाने की योजना बनाई गई और ६ तारीख को गवर्नमेंट का बनना निश्चित हो गया तो स्वस्थ प्रथा यही होती भी कि कोई ऐसी हालत में एडवाइस दे सकता था तो श्री गुप्त जी ही देते, ऐसी हालत में जब कि पुराने मिनिस्टर जिम्मेदारी नहीं ले सकते थे। इस वास्ते कि मालूम नहीं कि आगे आने वाला मंत्रिमंडल उनके बिलों को स्वीकार करता या नहीं। इसलिये स्वस्थ प्रथा के अनुसार ही यह निश्चय हुआ कि एसेम्बली उस वक्त न बैठे जब तक कुछ स्पष्ट न हो। जिस वक्त उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका और मुख्य-मंत्री कोई पारमानेण्ट मिनिस्ट्री के नहीं रहे बल्कि केयरटेकर मिनिस्ट्री के रहे तो वह सलाह नहीं दे सकते थे। तो जब वह सलाह नहीं दे सकते थे तो जब गवर्नर को कोई सलाह नहीं दे सकता था तो या तो आने वाले मुख्य मंत्री ही दे सकते थे या वगैर सलाह के गवर्नर अपना फैसला दे सकते थे। तो इसलिये यह प्रश्न विशेषाधिकार का न श्री चन्द्रभान गुप्त के ऊपर उठता है और सचिवों के ऊपर और राज्यपाल ने जो ऐक्शन लिया उस सम्बन्ध में हम न चर्चा कर सकते हैं और न हमको आलोचना का अधिकार है। इसलिये मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं—प्राइमाफेसी केस नहीं बनता—कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई हो।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, आपकी व्यवस्था तो शिरोधार्य है, लेकिन स्पष्टीकरण के लिये दो-तीन बातें जानना चाहता हूं। अभी आपने एक आर्डर पढ़ा कि कोई भी एक्जीक्यूटिव आर्डर, जो गवर्नर का है, उसको क्वैश्चन नहीं किया जा सकता। श्रीमन् संविधान का अनुच्छेद १७४ इस प्रकार है :—

"The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the State to meet at such time and place as he thinks fit, but six months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session".

श्रीमन् देखेंगे कि यह अनुच्छेद, अध्याय "स्टेट लैजिस्लेचर" के अन्तर्गत जनरल है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि समनिंग का जो आर्डर है यह गवर्नर का एक्जीक्यूटिव आर्डर माना जायगा या लेजिस्लेटिव आर्डर।

दूसरी बात, जो प्रथा आपने बतलाई कि केयरटेकर गवर्नमेंट अगर कोई होती है तो जो होने वाला मुख्य मंत्री है वह भी सलाह दे सकता है। तो इसका स्पष्टीकरण आप कृपा कर दें कि किसी भी केयरटेकर गवर्नमेंट के मुख्य मंत्री या प्राइम मिनिस्टर हों तो जो वुड बी चीफ मिनिस्टर हैं वह केयरटेकर मिनिस्ट्री के थ्रू अपनी सलाह दें, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स में कैनेडी ने सीधे अफसरों को एडवाइस देना शुरू नहीं किया बल्कि प्रेसीडेंट को लिखा कि मेरी राय ऐसी है कि ऐसा किया जाय। तो क्या यहां भी यह कहना ठीक होगा कि होने वाले मुख्य मंत्री केयरटेकर मुख्य मंत्री को लिखें कि आप गवर्नर को ऐसी इडवाइस दें, यह प्रथा डालना ठीक होगा या नहीं, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने प्रश्न उठाया था इस सिलसिले में इसलिये मैंने कह दिया। अब आपने यह दूसरा प्रश्न उठाया।

श्री नारायणदत्त तिवारी—तीसरी बात, जो तथ्य आपने रखे उनको ही मैं सर्वमान्य मानता हूं। एसेम्बली को बुलाकर निरस्त करना, यह एक बहुत बड़ी चीज है जिसके असाधारण महत्व को सब लोग समझते हैं। आज तक के इतिहास में विधान सभा का अधिवेशन बुलाकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

निरस्त नहीं हुआ है। तो क्या यह सही है कि मुख्य सचिव स्वयं अपने इनीशियेटिव पर राज्यपाल को कार्य करने दें जबकि केयरटेकर मंत्रिमंडल मौजूद है और आनेवाला मंत्रिमंडल भी मौजूद है? उनके होते हुए क्या यह ठीक है कि बिना उनकी सलाह लिये मुख्य सचिव कुछ करें?

श्री अध्यक्ष—अगर यह रेलेवेन्ट होता विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न से तो मैं उसके लिये जिक्र कर देता, लेकिन चूंकि वह रेलेवेन्ट नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया कि हर एक को अधिकार है सलाह देने का, यह आप मानकर चलें। मान लीजिये एडवाइस दी। गुप्ता जी ने सलाह दी मान लीजिये। वह चूंकि रेलेवेन्ट नहीं है तो क्यों आपको क्यूरियासिटी है? दूसरी चीज यह है कि जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, यह आप जानते हैं कि वह भी इन्वाल्व्ड है उसमें और यहां पर उसके सदस्य सदन में भाग नहीं ले रहे हैं। तो बहुत-सी बातों की डेलीकेसी होती है। उस डेलीकेसी की वजह से मुख्य मंत्री का कथन सामने नहीं आ रहा है। नहीं तो, मुझे फैक्ट नहीं मालूम, ऐसी बात नहीं है। मुझे फैक्ट्स बताए थे, लेकिन उस डेलीकेसी को मैं समझता हूं और उस डेलीकेसी की वजह से मुख्य मंत्री भी खामोश हैं। प्रस्तुत प्रश्न के लिये उनका कथन रेलेवेन्ट होता तो मैं उन्हें बाध्य कर देता कि उन्हें स्टेटमेंट देना चाहिये। नेता विरोधी दल ने बहुत-सी प्राइवेट बातें कहीं कि मैंने सम्पूर्णानन्द जी से यह पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने एडवाइस नहीं दी। उन्होंने अगर एडवाइस दी हो या कुछ कहा हो किसी से जो भावी मुख्य मंत्री है वह यदि इस बात को कंट्राडिक्ट करें या आप करें, इस तरह से सदस्यों के बीच में एक दूसरे के कथन को कन्ट्राडिक्ट कराने का मौका व्यर्थ में देना उचित नहीं है।

श्री राजनारायण—तो सम्पूर्णानन्द जी के यहां आने तक आप स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—हम आपस में मेम्बरों को लड़ाना थोड़े ही चाहते हैं.....

श्री त्रिलोकीसिंह—इजाजत हो तो मैं एक बात अर्ज कर दूं.....

श्री अध्यक्ष—मैंने तो कह दिया कि डेलीकेसी होने की वजह से मैंने फोर्स नहीं किया और मैं समझता हूं कि उनका सलाह देना या न देना प्रस्तुत प्रश्न के लिये असंगत था इसलिये फोर्स करने की जरूरत नहीं समझी कि वे वक्तव्य दें।

श्री सुरथबहादुरशाह—मान्यवर, क्या मैं यह समझूं कि ब्रीच आफ रूल इज नाट दि ब्रीच आफ कांस्टीट्यूशन?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल नहीं है। सिर्फ गुप्ता जी ही आपके सामने नहीं हैं, बहुत से लोग हैं.....

श्री सुरथबहादुरशाह—तो क्या मैं यह समझूं...

श्री अध्यक्ष—क्या मैं यह कह दूं कि गुप्ता जी ने कुछ अवैधानिक कार्य किया, यह फैसला आप चाहते हैं?

श्री सुरथबहादुरशाह—श्रीमन्, यह सवाल नहीं है, गुप्ता जी का सवाल ही नहीं है।

दो सरकारों का एक साथ एक्जिस्ट करने का सवाल है.....

श्री अध्यक्ष—आप शान्ति रखें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक मिनट का समय लूंगा जरा आप ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें।

सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना न देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष--माननीय राजनारायण जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। श्री गजेन्द्र सिंह, माननीय सदस्य इटावा वाले गिरफ्तार हुए, लेकिन मैंने कल उनकी गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी तो वह कहते हैं कि मुझे सूचना मिली नहीं होगी। तो जिस अधिकारी ने मुझे सूचना नहीं दी उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न वे उठाना चाहते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं है। यह सूचना मैजिस्ट्रेट ने मुझे समय पर दे दी थी और जिस वक्त कि सदन नहीं बैठता है उस वक्त का रवैया यह है कि नियम ८६ के अनुसार उस सूचना को सब जगह वितरित करा देते हैं और सब को लिखित सूचना भेज देते हैं, मेरे यहां से। लिहाजा मैंने कल सूचना नहीं दी। इसका कारण यह नहीं है कि मुझे सूचना नहीं मिली थी समय पर। लिहाजा विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठाता।

विशेषाधिकार के प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--जैसे अभी आपने बहुत सी बातें कहीं उग्रसेन जी के प्रश्न पर, मैं बहुत सी बातों को इस समय नहीं कह रहा हूं। आपने इन लोगों को सलाह दी कि गुप्ता जी ही नहीं हैं? हो सकता है कि छानबीन में डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी भी आ जांय क्योंकि उन्होंने यह बात माननीय त्रिलोकी सिंह जी से कैसे कह दी। तो इसको अगर आप भेज देते.....

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, वह उठता ही नहीं है। अगर वह सलाह देते हैं तो उससे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता।

एक प्रश्न और विशेषाधिकार का उठा था। चूंकि उसके ऊपर फैसला दे चुका हूं, माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने उठाया था, लिहाजा दोबारा यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--इसमें श्रीमन्, विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा था बल्कि आध घंटे की बहस हुई थी और आपने कहा भी था कि पत्र लिख कर भेजो लिहाजा मैंने २, ३ पत्र आपको भेजे भी पर उनका जवाब नहीं आया तो हमने यह समझा कि शायद मंत्री जी के पास.....

श्री अध्यक्ष--मैंने यह फैसला दिया ४ सितम्बर को 'विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अब फिर से नहीं उठाया जा सकता है। यदि माननीय सदस्य प्रागनारायण की रिपोर्ट के बारे में तथा जो उन्होंने १४ दिसम्बर, १९५८ के कागजात देखे जिनके आधार पर उन्होंने १९ दिसम्बर, १९५८ को तत्कालीन सिंचाई मंत्री को पत्र लिखा था, उस अपनी जानकारी के आधार पर प्रश्न फिर से उठाना पसन्द करें तो फिर से प्रश्न लिख कर करें और उत्तरों से मंत्री जी माननीय सदस्य की शंका का समाधान कर दें या स्पष्टीकरण कर दें।"

श्री रामस्वरूप वर्मा--आपने तो यह कहा था कि आप प्रश्न फिर उठायें तभी तो हमने प्रश्न उठाया।

श्री अध्यक्ष--विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाने को कहा बल्कि प्रश्नों को पूछने से मेरा मतलब था। चूंकि दूसरे मंत्री आये तो मैंने कहा था वह स्पष्टीकरण कर देंगे जो उनको सूचना मिलेगी। अगर उसमें किसी नए प्रश्न के उत्तर में गलत बात है तो आप फिर प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--तो क्या उत्तर मिल सकता है?

श्री अध्यक्ष--जी हां, मिल सकता है।

श्री राजनारायण---अगर प्रश्न दूसरा हुआ तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष---जी हां, उठा सकते हैं अगर जानबूझ कर कोई गलत सूचना देते हैं ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, एक सूचना चाहता हूं जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव आपने लिया, एक प्रस्ताव और रह गया । कल आपसे यह भी व्यवस्था चाही थी कि जिस तरह से पार्लियामेंट में स्पीकर की तरफ से सिफारिश होती है यहां पर आप क्या परम्परा स्थापित करने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---मैंने कहा कि मैं विरोधी दलों के नेताओं से बातचीत करने वाला हूं और नता सदन से भी इस विषय पर बात करूंगा । मैंने प्रथा भी बता दी थी । तो उसके बारे में कुछ दिन लगेंगे ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---अब दो कार्य-स्थगन प्रस्ताव जिन विषयों के बारे में आये हैं उन पर आम बहस में चर्चा हो सकती है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अलीगढ़ जेल में बंदियों पर गोली चलाने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अनुसार मैंने श्री राजनारायण जी की सूचना को स्वीकार किया है और वह यह है "गत २६ जनवरी को अलीगढ़ जल में अति निर्दयता तथा निरंकुशता के साथ गोली वर्षा हुई । फलस्वरूप चार जानें गई और करीब १०० व्यक्ति घायल हुए । जल के अन्दर गोली वर्षा से सभी को चिन्ता तथा परेशानी है ।

मैं नियम ५२ के अन्तर्गत वह प्रश्न प्रस्तुत कर सरकार का ध्यान आकर्षित कर वस्तुस्थिति पर प्रकाश चाहता हूं ।" आज कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी यह आया था । चूंकि यह कल आ चुका था इसलिये उसे मैंने ले लिया ।

कानपुर में ओला पत्थर तथा अतिवर्षा के कारण रबी की फसल को क्षति के संबंध में जानकारी

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---ओला पत्थर के बारे में जो मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी थी.....

श्री अध्यक्ष---उसके बारे में कल तय तो हो चुका ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---कोई तारीख तय नहीं हुई ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---एक हफ्ते के अन्दर दे देंगे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जल्द दिलाइये ।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---अवस्थी जी चाहें तो अभी दे सकता हूं, लेकिन यह न पूछें कितना नुकसान हुआ ?

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह तो अखबारों से भी पता चल रहा है कि ओले पत्थर गिर ।

श्री अध्यक्ष---अगले सोमवार तक दे दीजिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---ठीक है, अगले सोमवार तक दे देंगे ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अलीगढ़ जेल में बंदियों पर गोली चलाने के संबंध में वक्तव्य

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)—नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचना इस वक्त मेरे पास प्रस्तुत है उसके सम्बन्ध में मुझे आपसे यह निवेदन करना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना अलीगढ़ की जेल में २६ जनवरी, ६१ को हुई। जेल मैनुअल के अनुसार जिलाधीश ने मैजिस्ट्रियल एंक्वायरी इंस्टीट्यूट कराई है और जब तक उनकी रिपोर्ट आ नहीं जाती है तब तक इस सम्बन्ध में अधिक कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जिलाधीश ने जो भी इंटेरिम रिपोर्ट इस शासन के समक्ष भेजी है उसी के अन्तर्गत आपकी आज्ञा से मैं सदन को सूचना देना उचित समझता हूं। २६ जनवरी को करीब सवा ५ बजे डिप्टी जेलर मिस्टर अन्सारी दो वार्डर्स के साथ बैरक में गये और बैरक को खोलने के पश्चात् जब वे एंक्लोजर के भीतर गये तो वहां पर कुछ कैदियों ने मिस्टर अन्सारी पर एक कम्बल फेंक कर उनको बुरी तरह मारा और उनको तथा दोनों वार्डर्स को बैरक के अन्दर बन्द कर दिया। जब जेल के अधिकारियों को घटना मालूम हुई तो वे वहां आये। यह घटना ६ बज स साढ़े ७ बज तक चलती रही। इसके पश्चात् ज्योंही जिलाधीश को फोन पर कांटेक्ट किया गया बैरक नं० ११ व १२ के कंविक्ट्स एंक्लोजर को तोड़ कर मेन गेट के सामने आ कर जितने जेल के अधिकारी थे उन पर कंकड़ व पत्थर फेंकने लगे। जेलर मिस्टर लाल को बुरी तरह से पीटा। अधिकारियों ने जब यह देखा कि यहां पर किसी के बचने की सम्भावना नहीं है तो अपनी रक्षा के लिये और साथ ही साथ कंविक्ट्स जेल को तोड़कर आउटर गेट पर आ गये थे उनको भागने से रोकने के लिये उन पर फायरिंग शुरू की। पहले तो उन्होंने १७ ओपिन फायर किये जिससे कैदी डर कर अपने बैरक में चले जांय, लेकिन उसका कुछ असर उन पर नहीं हुआ तो फिर फायरिंग की जिसके फलस्वरूप तीन आदमी जेल के अन्दर मर गये और १ सिविल अस्पताल में जा कर मरा और ६७ कंविक्ट्स घायल हुए और करीब १३ जेल के अधिकारी बुरी तरह से घायल हुए। इस घटना की खबर पाते ही जिलाधीश सुपरिंटेंडेंट के साथ वहां पहुंचे, लकिन उनके पहुंचने के बाद भी कैदी उसी तरह से डटे हुये थे, लेकिन टीयर गैस का इस्तेमाल करने के पश्चात् वे अपनी बैरक्स में वापस गये और तब ढाई घंटे के बाद डिप्टी जेलर और दो वार्डर्स को जिनको कैदियों ने बन्द कर रखा था जिलाधीश ने बाहर निकाला। जो आदमी फायरिंग में मर गये थे उसकी सूचना उनके परिवारों को जेल अधिकारियों ने दे दी है। जिन कन्विक्ट्स को चोटें आयीं वे अस्पताल में हैं या जेल के मेडिकल आफिसर के यहां हैं। इस सम्बन्ध में जिलाधीश ने जेल मैनुअल के अनुसार मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी है और उसकी रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। उसमें करीब २०० लोगों से अधिक के बयानात लिये जायेंगे। इसमें समय लगेगा। इसलिये मैंने यह अन्तरिम रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार ने इस बात की भी कोई जानकारी हासिल की है कि जिन जेल अधिकारियों को हवालाती बन्दियों या बन्दियों द्वारा बन्द करने की बात कही जाती है वे क्यों बन्द किये गये थे और यह सही हैं या गलत ?

डाक्टर सीताराम—इसी सम्बन्ध में तो जिलाधीश ने मैजिस्ट्रीरियल इन्क्वायरी बिठायी है। यह गलत है या सही, अभी सदन में इस सम्बन्ध में कुछ कहना ठीक नहीं है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस गोलीकांड के बाद जिला मैजिस्ट्रेट या जो भी अधिकारी रहे हों. उन्होंने जो विज्ञप्ति निकाली थी उसमें कैदियों द्वारा अड़गढ़े की दीवारें तोड़ने का जिक्र क्यों नहीं किया था ? मान्यवर, आपकी इजाजत से मैं उनकी याद को ताजा करना चाहता हूं। उसमें महज यह जिक्र था कि डिप्टी जेलर का गला घोटना चाहते थे। कैदी समझाने पर भी नहीं माने और ईंट, पत्थर

[श्री त्रिलोकी सिंह]

फेंके। तीन सौ आदमी वहां इकट्ठे हो गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी जेल की पापुलेशन है, तीन सौ आदमी कितनी बैरेकों से निकल कर आये, कितनी दीवारें टूटीं और इसके साथ साथ जो पहले दीवार टूटी थी उनका जिक्र विज्ञप्ति में क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, मैजिस्ट्रेट ने जो प्रेस नोट विज्ञप्ति के लिये दिया था उसको अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दूं।

श्री अध्यक्ष—वे सिर्फ इतना पूछते हैं कि उसमें अड़गड़े के तोड़ने का जिक्र है या नहीं। वह तो बहुत लम्बी होगी ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, बहुत छोटी।

श्री अध्यक्ष—अच्छा पढ़िये।

डाक्टर सीता राम" Aligarh, January 26—This morning in District Jail, Aligarh prisoners overpowered a Deputy Jailor and two warders when they were on morning round and detained them. It appears that the prisoners subsequently made a combined outbreak and attempted to escape. Brick-bats were thrown by the prisoners from inside the enclosure where the Deputy Jailor and warders had been overpowered. The situation took an ugly turn when convicts broke open gate of another enclosure and rushed into outer jail compound towards jail staff. The Jail staff opened fire to protect their lives and to control the situation. Three prisoners died and 67 prisoners and 13 members of jail staff were injured. The names of the three deceased prisoners are Dip Singh, Dina alias Din Mohd. and Bankey Lal....

श्री अध्यक्ष—बस हो गया।

कुछ सदस्य—यह कौन भाषा है ?

डाक्टर सीताराम—मुझसे विज्ञप्ति पढ़ने के लिये कहा गया इसलिये मैं अंग्रेजी भाषा बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—दिस इज अमेरिकन इंग्लिश। This is American English इसमें कहीं जिक्र है उसका ?

डाक्टर सीताराम—बिल्कुल नहीं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने जो प्रेस में विज्ञप्ति दी है उसी को हूबहू सदन के समक्ष रखने का प्रयास किया है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने इस बात की भी जानकारी की, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी है कि डी० आई० जी० साहब भी घटना की खबर पा कर जांच करने गये थे, तो उनकी भी कोई रपट आयी होगी। मैं समझता हूं कि उनकी रपट को भी सामने रखते हुये सरकार इसको स्पष्ट करे कि वहां पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया ? सुपरिंटेंडेंट उस समय वहां पर पहुंच गये थे या नहीं ?

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, अभी मैजिस्टीरियल इंक्वायरी हो रही है। डी० आई० जी० जेल्स भी वहां दौरे पर गये थे। उनकी भी रिपोर्ट शासन के समक्ष आ चुकी है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मैजिस्टीरियल इंक्वायरी करा रहे हैं इसलिये इस समय किसी भी रिपोर्ट पर कुछ प्रकाश डालना उचित नहीं होगा। यह हो सकता है कि इससे इंक्वायरी में कोई बाधा पड़े। इसलिये जब तक यह मैजिस्टीरियल इंक्वायरी न हो जाय तब तक इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जब आप अभी कोई इंफार्मेशन नहीं दे सकते हैं तो इंक्वायरी हो जाने के बाद सदन को सूचना दें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—श्रीमन्, मैं जानकारी के लिये यह पूछना चाहता हूं कि दीवार तोड़ने का मामला आफटर थाट तो नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—यह तो बहस है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने बताया कि पहले फायरिंग हुआ और इसके बाद टीयर गैस चलाई गई तो फायरिंग से पहले टीयर गैस क्यों नहीं चलाई गई ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बतलाया कि मैजिस्ट्रीरियल इंक्वायरी हो रही है तो मैं नहीं समझता कि इसके पहले जो सारी बातों की छानबीन कर रहा है, हम किसी विषय पर अधिकारपूर्ण कोई राय दे सकें और कोई प्रश्न उठा सकें। जितने मसले माननीय सदस्य उठा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वे सब इंक्वायरी के तहत आयेंगे और उन विषयों पर कुछ प्रकाश डाला जायगा। इसलिये इस अवसर पर मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि यह तमाम प्रश्न अनावश्यक प्रतीत होते हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, हमारा निवेदन यह है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने मैजिस्टीरियल इंक्वायरी के आदेश दिये हैं। उन्होंने स्वतः अपनी जांच के मुताबिक एक विज्ञप्ति दे दी है और जो भी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा वह उसके मातहत होगा तो क्या यह उचित नहीं है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश से उसकी इंक्वायरी करा जाय ?

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहस करई रहे हैं।

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस बात की भी इंक्वायरी करा रहे हैं कि जिन बंदियों ने जेल कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार किया है, उस उत्तेजना का कारण क्या था जिससे यह घटना हुई और इसकी नौबत आई ?

डाक्टर सीताराम—सभी चीजों की इंक्वायरी करा रहे हैं। इस संबंध में अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक जो सूचना उनके पास है उसके अनुसार कितने आदमी अस्पताल में भर्ती हैं, जेल में या जेल के बाहर और उसमें कितने कैदी हैं और कितने अधिकारी या कर्मचारी हैं ?

डाक्टर सीताराम—६७ कनविक्ट्स जेल में है, जिनमें १० तो हैं मेडिकल आफिसर अलीगढ़ जेल के यहां और ५७ जो बाकी हैं वह जेल के हास्पिटल में हैं, जो माइनर इंजरीज के हैं। १३ कर्मचारी हास्पिटल में पड़े हुए हैं, जेल के।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी इस बात को बतायेंगे कि यह जिन कैदियों की चर्चा है कि रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने हमला किया है, ये किसी आन्दोलन से संबंधित थे या आम कैदी थे या बहुत लम्बी सजा वाले थे ?

डाक्टर सीताराम—कनविक्ट्स थे। पोलिटिकल आदमी नहीं थे।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या माननीय समाज सुरक्षा मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उस जुडीशिल इनक्वायरी के सामने कैदियों की तरफ से वकील जा सकेंगे या वह अपनी पैरवी कर सकेंगे ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, वकील जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि जेल मैनुअल में जो लिखा है उसके मुताबिक मैजिस्टीरियल इनक्वायरी होगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हवाई फायर को छोड़कर कितने राऊंड गोली के चलाये गये ?

डाक्टर सीताराम---इस के लिए नोटिस की आवश्यकता है। डिटेल की बात है।

श्री अध्यक्ष---अब यह प्रश्न समाप्त किया जाता है।

श्री राजनारायण---जुडीशियल इनक्वायरी बैठाने के लिए जो मैंने पूछा था, उसका उत्तर नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष---इनक्वायरी हो जाने के बाद देखियेगा।

आध घंटे के विवाद के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी ने यह सूचना दी है कि आज जो आध घंटे की बहस होने वाली थी उस पर वह बहस नहीं चाहते हैं क्योंकि अब उनको काफी सूचना मिल चुकी है। तो यह आज नहीं होगा।

नियम ५२ के अन्तर्गत अभिसूचित विषय के सम्बन्ध में प्रार्थना

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियम ५२ के मातहत परिवहन विभाग के २० हजार कर्मचारियों के जो सेवा नियम बदले गये हैं . . .

श्री अध्यक्ष---आप बहस में उसको ला सकते हैं। एक ही में ले सकता हूं।

श्री उग्रसेन---कल दे दूंगा, अगर हुक्म हो।

हेल्थ बोर्ड तथा हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट की परामर्शदात्री समितियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष---यह एक सूचना है। हेल्थ बोर्ड के सम्बन्ध में जो आपने कल प्रस्ताव पास किया था उसके एक सदस्य के चुनाव के लिए यह कार्यक्रम मैंने रखा है---

नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय.....१० फरवरी, १९६१ के पांच बजे तक।

नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय.....१४ फरवरी, १९६१ को दो बजे (सचिव के कमरे में)।

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय.....१६ फरवरी, १९६१ के पांच बजे तक।

निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो विधान वाचनालय में २२ फरवरी, १९६१ को १२ बजे से पांच बजे तक होगा।

यही प्रोग्राम हरकोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट की परामर्श दात्री समिति में श्री एस० जी० दत्त के रिक्त स्थान के लिए रहेगा।

(श्री अध्यक्ष ने श्री नवलकिशोर का नाम पुकारा।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के लिये समय-निर्धारण

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---अध्यक्ष महोदय, जो यह बोलने जा रहे हैं उसी सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। गत बार जब हम लोगों ने वाद-विवाद किया था मोशन आफ थैंक्स पर तो उस समय टाइम बांट दिया गया था। तो इस सम्बन्ध में अगर आप की आज्ञा हो तो मैं प्रस्ताव पेश कर दूं।

मेरा प्रस्ताव यह है कि प्रस्तावक महोदय और नेता विरोधी दल को आध-आध घंटे का समय, दलीय नेताओं के लिए २० मिनट और साधारण सदस्यों के लिए दस मिनट का समय दिया जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--साधारण सदस्य भी कुछ कहना चाहते हैं। चार महीने के बाद जुटे हैं। उनके लिए कम से कम पांच मिनट बढ़ा कर १५ मिनट कर दिये जायें।

श्री अध्यक्ष--बाद में सदस्य ही कहने लगते हैं कि सात ही मिनट दिये जायं। इस कारण अभी दस मिनट रहें और मुझे आप अधिकार दे दें कि जो रेलेवेंट बात कहते चले जा रहे हों, और जो बड़े अच्छे प्वाइंट्स रख रहे हों, उनको मैं पांच मिनट तक और दे दूं।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)--श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि और पार्टियों के नेताओं या और जो आफिस बेयरर्स हैं पार्टियों के उनके लिए १५ मिनट कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--वह जो पांच मिनट का मार्जिन आपने मुझे दिया है उसमें मैं उनको ले लूंगा।

***श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)--एक बात मेरी आप सुन लें। यह जो सदस्यों की तरफ से और पीछे बैठने वालों की तरफ से पुजारी जी अपनी बात कहा करते हैं, यद्यपि उनकी बात सुनी बहुत कम जाती है आपके स्थान से, लेकिन उनकी हमेशा यह मांग रहती है कि सदस्यों को और ज्यादा समय मिलना चाहिए। यह बात आज भी शायद पुजारी जी ही अच्छे ढंग से कह पाते क्योंकि जब कभी भी सदस्यों को दस मिनट और नेताओं को १५ मिनट देने की बात हुई है तो उन्होंने सदस्यों को २० मिनट और नेताओं को दस मिनट देने की बात कही है। लेकिन आज तो आपने उनको सदन त्याग करने का आदेश दे दिया है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप उनके लिए ऐसी आज्ञा दें जिससे कि वह यहां आकर आपनी बात कह सकें क्योंकि इसमें उनको विशेष आपत्ति रहती है।

श्री अध्यक्ष--यह तो वह स्वयं आकर मेरे कमरे में मुझसे कहें कि वह आना चाहते हैं, तो ऐसा थोड़े ही है कि मैं कोई बहुत सख्ती करना चाहता हूं, लेकिन उनको कुछ अफसोस भी तो जाहिर करना चाहिए।

माननीय नवलकिशोर जी, आपके लिए ३० मिनट हैं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:--

"उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुए हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञता पूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।"

मान्यवर, पहले इसके कि मैं महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन के विषय में अपने विचार व्यक्त करूं, मैं, मान्यवर, कल इस सदन में जो कुछ हुआ उसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। मुझे, श्रीमन्, इस बात का बड़ा खेद है कि कल जिस समय महामान्य राज्यपाल अपना सम्बोधन दे रहे थे या देने को आये थे उस अवसर पर हमारे कुछ साथियों तथा दलों ने यह उचित समझा कि वे यहां उपस्थित न रहें, समाजवादी दल ने विरोध स्वरूप सदन का त्याग किया। मेरा अपना यह विचार है कि यह सर्वमान्य संसदीय परम्परा है कि जिस समय गवर्नर महोदय का, प्रेसीडेंट का या क्वीन का, जैसी भी स्थिति हो, सम्बोधन हो, उस समय जो राजनीतिक दल हैं या व्यक्ति विशेष है वे अपने व्यक्तिगत मतभेदों और राजनीतिक दलों के मतभेदों के प्रदर्शन का अवसर उसे न बनायें। मुझे इस बात का दुख है कि इस मान्य परम्परा का उल्लंघन किया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नवलकिशोर]

गया। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि हमारे वह साथी और दल जिन्होंने कल ऐसा किया वह ठंडे दिमाग से इस बात पर सोचेंगे कि क्या उन्होंने ऐसा करके एक संसदीय परम्परा को नहीं तोड़ा है।

(इस समय १ बजकर ५१ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती पीठासीन हुई।)

माननीया, राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में सबसे पहले एक संकेत किया और चर्चा की इस सदन के नये सत्र के प्रारम्भ होने की प्रथा में तब्दीली की, उन्होंने यह बतलाया कि इस वर्ष का नया सत्र बजट सेशन से पूर्व आरम्भ हो रहा है। इससे पहले पिछले दो तीन सालों में हमारे यहां ऐसी प्रथा रही है कि हमारा नया सत्र बजट के बाद शुरू होता था। जहां तक मुझे मालूम है हमारे इस प्रदेश में भी पहले यही परम्परा थी कि हमारा नया सत्र बजट के पहले ही शुरू होता था और जहां तक अन्य प्रदेशों का मुझे ज्ञान है और केन्द्रीय लोक-सभा का ज्ञान है वहां भी ऐसी ही परम्परा है और अगर मैं नहीं भूलता हूं तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ऐसी परम्परा है। मैं समझता हूं कि बीच में कुछ नवीनता चालू करने के लिए हमने एक नयी प्रथा चालू की थी। मेरा अपना ऐसा मत है, तब भी था और आज भी है कि यह जो परम्परा इस वर्ष अपनायी गई है यही सही परम्परा है, स्वस्थ परम्परा है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

माननीया, मुझे इस बात की खुशी है कि इस साल का जो सम्बोधन राज्यपाल महोदय का हुआ वह बहुत छोटा था। अगर हम विधान के आर्टिकिल १७६ को देखें तो उसमें केवल इतना ही है कि जिस समय राज्यपाल महोदय हमारे इस सदन की बैठक को बुलायेंगे तो वह उन विशेष कार्यों की सूचना देंगे जिनकी वजह से कि उन्होंने बैठक का आह्वान किया है। मैं समझता हूं कि यह भी एक अच्छी परम्परा डाली जा रही है कि जो उन्होंने सम्बोधन दिया है वह छोटा दिया है और केवल उन्होंने अपने को सीमित रखा है उन कारणों तक ही जो इस सभा को बुलाने के लिये आवश्यक थे। उन्होंने कोई महत्वपूर्ण नीति का प्रतिपादन नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि सरकारी कामों का जो विवरण है, जो सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में पिछले सालों में कार्य किये हैं या जो उसके कार्य हैं उनका विवरण बाद में बजट के समय दिया जायगा। हमारे वित्त मन्त्री जी उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे। हमारे कांस्टीट्यूशन की जो स्प्रिट है और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेन्शंस से जो बहुत सी बातें हमने सीखी हैं, यह भी उसके अनुरूप ही है।

इसके बाद हमारे राज्यपाल महोदय ने हमारे मन्त्रिमंडल में परिवर्तन की चर्चा की है। अधिष्ठात्री महोदया, यह मानव स्वभाव है कि जब कभी सरकार बदलती है तो हर एक व्यक्ति में दुख और हर्ष की मिश्रित भावनाएं पैदा होती हैं। जो साथी हटते हैं उनके प्रति दुख होता है और अफसोस होता है और जो साथी आते हैं उनके आने पर खुशी होती है। इस प्रकार की घटना घटित हुआ करती है। इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने, जो हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे, उनके सम्बन्ध में और जो हमारे नये मुख्य मंत्री हैं, उनके प्रति जो विचार और उद्गार प्रकट किये हैं, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। मुझे यह भी आशा है कि ये विचार उनके अपने ही केवल नहीं है बल्कि हममें से सभी लोगों के विचारों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है।

इसके बाद उन्होंने अपने इस सम्बोधन में ३, ४ मुख्य बातों का जिक्र किया है। इस बीच में जब से यह सरकार बनी, इन्होंने, ६, ७ आर्डिनेन्स ईशु किये। उनका चर्चा राज्यपाल महोदय ने जो अपने सम्बोधन में किया है वह उचित ही है। मैं इस बात को मानता हूं कि संसदीय परम्परा के अन्दर, जनतान्त्रिक प्रणाली के अन्दर जहां तक सम्भव हो किसी भी जनतांत्रित सरकार को आर्डिनेन्स के द्वारा शासन नहीं करना चाहिये और यह भी सही है कि किसी विशेष महत्वपूर्ण नीति का प्रतिपादन आर्डिनेन्स के द्वारा उनको नहीं कहना चाहिये, लेकिन मेरे साथी मुझसे इत्तफाक

करेंगे कि जो विशेष परिस्थिति इस प्रदेश के अन्दर थी उनके अन्दर विवश होकर ही ये अध्यादेश जारी किये गये। उनके सामने दूसरा रास्ता नहीं था। एक बात यह भी है कि जो आर्डिनेन्स जारी किये गये हैं वह बिलकुल रूटिन नेचर के हैं। इनके अन्दर किसी विशेष बुनियादी नीति का प्रतिपादन नहीं किया गया है और यह भी है कि उनके अन्दर किसी किस्म का विलम्ब होने से हमारे प्रदेश के हित में अच्छा नहीं होता। शुगरकेन सेस ऐक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ जिसमें जो रुपया उन चीनी के कारखानों से काटा गया था उसको अनकांस्टीट्यूशनल बतलाया। वह करीब ५० करोड़ रुपया था। सरकार को उसके उपर तुरन्त कदम उठाना था और सरकार ने कदम उठाया। इसके लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। हमारी सरकार की सलाह पर प्रेसीडेंट ने उस सम्बन्ध में आर्डिनेन्स जारी किया और जो रुपया वसूल किया गया है उसको जायज करार दिया। उसके लिये हमारे राज्यपाल महोदय ने भी एक आर्डिनेन्स जारी किया जिसके मातहत वह रुपया परचेज टैक्स के रूप में अब वसूल किया जायगा। इस आर्डिनेन्स से हमारे सभी साथियों को खुशी होनी चाहिये और खासतौर से उन लोगों को जिनकी समाजवाद में आस्था है क्योंकि अगर यह आर्डिनेंस जारी न होता तो यह पैसा नहीं मिलता और हमारे उधर के भाई यह कहते कि पूंजीपतियों की यह सरकार मदद करती है। मैं समझता हूं इस आर्डिनेन्स से पूंजीपतियों से पैसा लेने की बात है और इस पर सब को खुशी होने की बात है। इसी तरह से कोर्ट फीस की बात है।

एक चीज और जिसका मैं स्वागत करता हूं यह है कि हमारे नये मंत्रिमंडल के मुख्य मंत्री जी ने एक विशेष कदम उठाया है। उसके लिये हमारे मुख्य मंत्री व उनके साथी बधाई के पात्र हैं। हमारी बहुत दिनों से मांग थी कि हमारे मंत्रियों का वेतन एक हजार से ज्यादा न हो। जब ये नये मुख्य मंत्री आये तो उन्होंने यह घोषणा की कि उनके मंत्रिमंडल के किसी मंत्री की तनख्वाह एक हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगी और यही नहीं उन्होंने यह भी किया कि उस एक हजार रुपये में से उनको इन्कम टैक्स भी देना पड़ेगा। सबने सहर्ष इसको स्वीकार किया है। मैं समझता हूं उनकी इस नीति से सारे साथियों को बड़ी खुशी है कि उन्होंने इस बात को अपनाया। हम सब को इस बात का स्वागत करना चाहिये। मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी साथी इसका स्वागत करेंगे। पंचायतों के संबंध में हमारी सब की मांग थी कि पंचायतों के चुनाव हों। उसके संबंध में एक संशोधन विधेयक हमने इस हाउस में पास किया और इसी बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी आयीं जिनका जिक्र हमारे बीच में कल से बराबर होता रहा है। उनको देखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि चूंकि उस समय हमारे सदन की बैठक नहीं चल रही थी, इसलिये उस विधेयक में जो कमियां थीं उनको दूर किया जाय, क्योंकि सरकार को चुनाव कराना था, वह उसके लिये बचनबद्ध थी और इसके लिये मैं समझता हूं कि सरकार बधाई की पात्र होनी चाहिये कि बावजूद समय की कमी के सरकार ने अध्यादेश निकाल कर उन कमियों को दूर किया और पंचायतों का चुनाव कराया जो सम्भवतः १० फरवरी तक पूरे हो जायेंगे। यह स्वागत करने योग्य बात है। यह श्रेय की बात है कि इतने बड़े जनसमूह ने जनतांत्रिक ढंग पर अपने गांव समाजों का चुनाव किया। उनमें बहुत सी शिकायतें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से आयी हैं। मैं समझता हूं और आशा करता हूं कि उन शिकायतों की छानबीन की जायगी, लेकिन फिर भी यह खुशी की बात है कि जहां ९८ हजार गांव सभाओं का चुनाव हो, उनमें से अधिकांश ऐसी हैं कि जिनमें चुनाव शांति के साथ संपन्न हुए हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—यह आप गलत कह रहे हैं। बड़ी अशान्ति हुई है।

श्री नवलकिशोर—अपने समय में आप बतलाइयेगा कि मैं सही कह रहा हूं अथवा गलत कह रहा हूं।

अंतरिम जिला परिषद् के संबंध में भी, जैसा कि संबोधन में लिखा हुआ है, उस विधेयक को हमारी विधान सभा ने पास कर दिया था, लेकिन विधान परिषद् उसे पास नहीं कर सकी थी। उसका समय समाप्त होने को था और आवश्यकता थी कि उसका समय बढ़ाया जाय।

[श्री नवल किशोर]

लिहाजा जून तक उसका समय बढ़ा दिया गया और उसके अन्दर भी एक और नवीनता पैदा की गयी, जिसका मैं समझता हूं कि हर सदस्य स्वागत करेगा और सरकार को उसके लिये बधाई देगा। वह यह है कि उसमें बजाय जिला मैजिस्ट्रेट के, एक नान-आफिशियल जो चुना हुआ व्यक्ति होगा जिला परिषद् में, वह उसका अध्यक्ष होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं वह विधेयक अभी तक पास नहीं हुआ। मैं यह भी नहीं जानता कि उसके पास होने में कितना टाइम लगेगा। मैं आपके द्वारा सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसके चुनाव जल्दी कराये जायं। पर यदि उसमें विलम्ब हो तब जब आपने इस बात को मान लिया है कि जिला मैजिस्ट्रेट के स्थान पर चुना हुआ व्यक्ति उसका अध्यक्ष हो तो इस काम में शीघ्रता होनी चाहिये और सरकार को इसके लिये जल्दी ही कोशिश करनी चाहिये कि जिलाधीशों के स्थान पर चुने हुये अध्यक्ष बैठाए जायें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--उनको चुनेगा कौन ?

श्री नवलकिशोर---अवस्थी जी, यह अच्छी बात नहीं है कि आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। यह आपका तरीका अच्छा नहीं है।

मैं यह कह रहा था कि उनमें जो नान-आफिशियल चेयरमैन होने वाले हैं उनको जितनी जल्दी हो सके चुनवा दिया जाय।

इसके बाद सम्बोधन में कुछ चर्चा उन बातों की भी है जो हमारे समाने विधेयक के रूप में आने वाली हैं। बहुत से विधेयक तो वह हैं कि जो सदन के सामने प्रस्तुत किये जा चुके हैं मगर उन पर बहस नहीं हो सकी और मैं समझता हूं कि उनमें सबसे ज्यादा इम्पार्टेन्ट जो हैं वह हैं सहकारिता के संबंध में। मैं समझता हूं कि सरकार का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह उसके पास कराने के लिये जितना शीघ्र हो सके चेष्टा करे।

अधिष्ठात्री महोदया, राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में तृतीय पंचवर्षीय आयोजना का भी चर्चा किया। उन्होंने बतलाया कि हमने उसके लिये जिस धनराशि की सीमा निश्चित की है वह ४९७ करोड़ है। इसके पहले जब हमने तृतीय पंचवर्षीय योजना पर सदन में बहस की थी उस समय हमने इस बात की आशा की थी कि हमारा जो तीसरा प्लान होगा वह कम से कम ६०० करोड़ रुपये का जरूर होगा। हमारे प्रदेश की जनसंख्या को देखते हुए और इसका जो विशेष महत्वपूर्ण स्थान हमारे देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में है, उसको तथा यहां का पिछड़ापन देखते हुए यह ४९७ करोड़ की जो सीमा निर्धारित की गयी है, यह कम है और मैं आशा करता हूं कि हमारी जो वर्तमान सरकार है वह निरंतर इसकी चेष्टा करेगी केन्द्रीय सरकार से मिल जुल कर, परामर्श करके कि जहां तक सम्भव हो सके इस सीमा को बढ़ाने का प्रयत्न करे।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपको मालूम होगा कि कहीं पर ओले पड़ रहे हैं और वे झोपड़ियों के अन्दर तक .....

श्री अधिष्ठाता---आप कृपया बैठें, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री नवलकिशोर---अधिष्ठात्री महोदया, मैं तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात कह रहा था। इस सम्बन्ध में माननीय राज्यपाल महोदय ने भी संकेत किया है "कि हमारी योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसा सामाजिक एवं आर्थिक वातावरण पैदा किया जाय जिससे लोगों को निजी धन के विनियोजन के निमित्त आवश्यक प्रेरणा मिले। इस प्रकार कृषि सम्बन्धी उत्पादन के बाद, ऐसी परिस्थितियां पैदा करने पर जोर दिया गया है जिनसे राज्य का शीघ्र गति से औद्योगीकरण हो सके, विशेषतः विद्युत विकास की दिशा में जिसमें कि दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है।"

अधिष्ठात्री महोदया, आप स्वयं भी जानती हैं, सभी लोग जानते हैं कि यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि इस देश की आजादी के १३–१४ वर्ष बीत जाने पर भी हमारे प्रदेश में कोई विशेष औद्योगीकरण नहीं हो सका है और हमारी भरपूर चेष्टा तथा प्रयत्नों के बावजूद भी हम इस ओर अधिक प्रगति नहीं कर पाये हैं। मैं आंकड़ों की तरफ तो नहीं जाता, लेकिन द्वितीय प्लान में जो पर केपिटा इन्वेस्टमेन्ट हमारे प्रदेश में हुआ है वह सब से कम है वह इस बात का सबूत है कि इस क्षेत्र में हमारा उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है और इस ओर जितना विकास होना चाहिये था वह नहीं हुआ है, जो हुआ भी है वह बहुत कम है। हमारे यहां अभी तक कोई भी हैवी इन्डस्ट्री नहीं है। जहां तक पब्लिक सेक्टर का प्रश्न है उसमें इस प्रदेश के लिये कोई भी हैवी इन्डस्ट्री नहीं मिल पायी है। किन्तु अब यह आशा है कि इस प्रदेश के लिये भी हैवी इन्डस्ट्री मिल जायेगी, और यह खुशी की बात है। सरकार इस सम्बन्ध में दो तीन बातें करना चाहती है। एक तो यह कि उसने स्टेट लेविल पर एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई है जो इस बात को देखेगी कि हैवी इन्डस्ट्री का डेवलपमेंट हमारे यहां किस प्रकार हो। दूसरे यह कि हमारे यहां किस प्रकार ग्रामीण तथा लघुउद्योग धंधों का विकास किया जाय और उनको हैवी इन्डस्ट्री के साथ सम्बद्ध किया जाय और एक और नवीनता इसकी है, वह यह कि इस बात को भी केन्द्रीय परिषद् की सिफारिश पर स्वीकार किया गया है कि जो लोकल बाडीज़ हैं वे भी अपने यहां इस तरह की इन्डस्ट्रीज़ को स्थापित करें और काफी ऐसी चीजें भी बनायें जो कि उनके यहां सुविधापूर्वक हो सकती हैं। आज इस बात का काफी संकेत मिलता है कि सरकार जोरों के साथ औद्योगीकरण की ओर जाना चाहती है।

जहां तक इस कमेटी का संबंध है, मुझे याद है पहले बिरला जी की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी थी और उसने भी अपनी कुछ सिफारिशें इस सम्बन्ध में की थीं। मैं यह नहीं जानता कि कहां तक उन सिफारिशों को इम्पलीमेंट किया गया है और कहां तक नहीं। किन्तु किसी भी प्रदेश की उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि उसका औद्योगीकरण हो। एग्रीकलचरल एकोनामी किसी भी देश या प्रदेश के लिये इतना तो कर ही सकती है कि वहां की जनता को दो टाइम खाना मिल जाय मगर स्टैन्डर्ड आफ लिविंग में कोई विशेष उन्नति नहीं हो सकता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस प्रदेश के औद्योगीकरण की दिशा में हमारी सरकार विशेष ध्यान देगी।

जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, इस योजना के अन्तर्गत २८ करोड़ रुपया खर्च करने का विचार है। यह खुशी की बात है और उस खंड के लोगों के लिये भी यह खुशी की बात है कि उनके विकास की ओर हमारी सरकार का विशेष ध्यान है। उत्तराखंड हमारे प्रदेश का महत्वपूर्ण अंग है। विशेषकर चीनी आक्रमण के बाद यह सरहद भी खतरे में है। हमारे लिये विदेशी फौजों से मुकाबला करना तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक कि यहां के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी न हो, जब तक कि यहां के लोगों में चेतना और जागृति न हो। मुझे खुशी है कि इस समय जो हमारी योजना चल रही है उसमें वहां के विकास की ओर अधिक ध्यान रखा गया है और २८ करोड़ रुपया वहां के लिये रखा गया है।

इसी में कुछ इस बात की ओर भी संकेत किया गया है कि जो कमीशन विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जांच करने के लिये बैठा था, सरकार ने यह महसूस किया कि वह इस बात पर भी विचार करे कि यूनिवर्सिटियों में अनुशासनहीनता आदि के क्या कारण हैं, और वहां के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के सामने जो समस्यायें हैं उनके सुधारने के बारे में क्या कार्य किये जायं व क्या व्यवस्था की जाये। उसी सिलसिले में उन्होंने उपकुलपति की जो नियुक्ति है उसमें भी कुछ तरमीम की बात की ओर संकेत किया है। जिस समय उसका विधेयक हमारे सामने आयेगा, मैं समझता हूं उसी समय यह उचित अवसर होगा कि उसकी मेरिट्स के ऊपर कुछ बात कही जाय। हां, खुशी इस बात की जरूर है कि सरकार का ध्यान उस समस्या की तरफ भी गया, क्योंकि यह काफी समय से सदन के दिमाग में उथल-पुथल पैदा किये हुए थी।

[श्री नवलकिशोर]

हमारे जो ज्यूरिस्ट्स थे और वकील सहबान थे और वैसे भी जो इंटेलिजेंशिया था उसकी बहुत दिनों से मांग थी कि स्टेट के अन्दर एक ला कमीशन की स्थापना हो। मुझे खुशी है कि इस सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया है और साफ लिखा है कि बहुत शीघ्र ही एक स्टेट ला कमीशन की स्थापना की जायेगी। मैं उसका स्वागत करता हूं और उसके लिये सरकार को बधाई देता हूं।

मान्यवर, इसके अन्दर जो और सब से बड़ी चीज़ मैंने विशेषरूप से देखी वह यह पायी कि इस वर्ष अधिक जोर इस बात पर दिया गया है कि शासन के अन्दर इकानामी हो और जैसा कि मैंने अभी चन्द मिनट पहले संकेत किया था, उस इकानामी को सरकार ने सब से पहले अपनी तरफ से शुरू किया और उन्होंने मोटरें बजाय बड़ी के छोटी और बंगले बड़े के बजाय छोटे रखने शुरू किये हैं और तनख्वाहों में भी कमी की है। मैं इन बातों का स्वागत करता हूं, लेकिन यह भी सही है---क्योंकि मैंने इसका हिसाब जोड़ा---कि इतने से ही कोई बहुत बड़ी इक नामी होने वाली नहीं है। लेकिन इसका बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साइकालाजिकल प्रभाव प्रदेश के ऊपर पड़ा है और लोगों ने इसका स्वागत किया है और उनमें आशा पैदा हुई है कि सरकार वाकई इस बात पर जोर देना चाहती है कि प्रदेश के अन्दर फिजूल-खर्ची बन्द हो। उन्होंने आगे चल कर यह कहा है कि थर्ड फाइव ईयर प्लान में हम देखेंगे कि कौन से अनावश्यक खर्चे हैं और उनको बन्द करने की कोशिश करेंगे। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस समय हमारे मुख्य मंत्री या उनके साथी जवाब दें उस समय एक स्पष्ट रूप-रेखा हमारे सामने आनी चाहिए कि किस-किस मद में कहां-कहां बचत होने वाली है और कितनी बचत हम प्रदेश में कर सकते हैं। इस समय नहीं, तब बजट के समय यह आंकड़े प्रस्तुत होने चाहिये। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो पिछले १० साल से कहते रहे हैं कि इकानामी हो सकती है और उसकी काफ़ी गुंजायश है।

मुझे एस्टीमेट्स कमेटी में नौ साल से काम करने का मौका मिला है और उसकी रिपोर्टें भी इस हाउस के सामने मौजूद हैं। एकोनामी कमेटी की भी रिपोर्ट है। मैं शिकायत नहीं करता, लेकिन मुझे सन्तोष नहीं है कि उन रिपोर्टों पर सरकार की ओर से कोई विशेष कार्य किया गया और उसका विशेष कारण यह है कि जो विभागीय दृष्टिकोण है वह इतना डामिनेट करता है हमारी थिंकिंग के ऊपर कि उससे डिटैच्ड हो कर हमको सोचने में बड़ी कठिनाई होती है। मैं इस बात की आशा करता हूं कि हमारा नया मंत्रिमंडल उस तरफ एक नया कदम उठाने की चेष्टा करेगा और इस सम्बन्ध में मैं कुछ अपने एक दो सुझाव भी माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं।

वे ये हैं कि आपने अपने से शुरुआत की, उसका हम खैरमक़दम करते हैं, लेकिन जो सही बचत हैं हमारे प्रदेश की वह तो निर्भर करती है शासकीय खर्चे पर, ऐडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर पर जो कि ४४–४५ फीसदी या ४६–४७ करोड़ तक पहुंचता है। बहुत से हमारे डिस्ट्रिक्ट लेविल पर ऐसे पद हैं जो मैं जानता हूं कि इस प्रदेश को छोड़ कर किसी और प्रदेश में नहीं हैं। उनको कम करना होगा। बहुत से डिपार्टमेन्ट्स ऐसे हैं जहां कामों का, फंक्शंस का डुप्लीकेशन होता है, उनको तोड़ना होगा। हमारे जो ऊंचे कर्मचारी हैं उनको भी बहुत सी सुविधायें मिलती हैं, मैं समझता हूं उनको भी बहुत कम करने की जरूरत है। यह गरीब प्रदेश है। हमारा देश गरीब है। जब हम टैक्स की बात करते हैं और यह आशा करते हैं यहां की जनता से कि वह भूखी और नंगी रह कर टैक्स दे तो फिर हमारा और हमारे कर्मचारियों का यह फर्ज हो जाता है कि वह सरकार से कहें कि हम अपनी सुविधाओं और तनख्वाहों में कटौती करना चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे जो साथी और कर्मचारी हैं वह इस बात पर अवश्य ध्यान देंगे।

जब से नया मंत्रि-मंडल बना, हमारे मुख्य मंत्री जी ने दो बातों पर बहुत जोर दिया है। एक तो एकोनामी पर और दूसरे नीट ऐन्ड क्लीन ऐडमिनिस्ट्रेशन पर। मैं समझता हूं कि हमेशा से हमारा यही लक्ष्य था, लेकिन यह आज एक इम्फेसिस का प्रश्न अवश्य है। मैं उनकी घोषणाओं

का स्वागत करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि जनसाधारण में इससे एक नयी आशा पैदा हुई है। और जितनी ही यह आशा बढ़ी है उसी के अनुरूप मंत्रिमंडल का उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। इस सम्बन्ध में सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं, जैसा कि मैंने अखबारों में पढ़ा हालांकि इस सम्बोधन में इसका कोई जिक्र नहीं है। सरकार ने शायद इस बात को तय किया है कि अब कर्मचारियों का करैक्टर रोल इस बात पर डेपेन्ड करेगा कि उन्होंने अपना काम कहां तक क्षमता तथा खूबसूरती के साथ और कम खर्चे में अन्जाम दिया। हमारे यहां जो करोड़ों रुपये इन्जीनियर्स को सौंपे जाते हैं उसके लिये उनकी एफीशिएन्सी इस बात पर निर्भर होगी कि उनके एस्टीमेट्स सही उतरे या नहीं और उनका टाइम शेड्यूल सही बैठा या नहीं। मैं इन बातों का खैर-मकदम करता हूं।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हर डिपार्टमेंट के अन्दर यह सर्वे कराया जाय कि उसके अन्दर कितने अधिकारी ऐसे हैं जो इनकाम्पीटेन्ट और इनएफीशियेन्ट हैं और उसकी रिपोर्ट आने पर ऐसे आदमियों का कम्पलसरी रिटायरमेंट होना चाहिये ताकि प्रदेश के अन्दर यह भावना पैदा हो कि सरकार एफीशिएन्ट और आनेस्ट आफिसर्स को इनकरेजमेंट देना चाहती है और इनएफिशिएन्ट और इनकाम्पीटेन्ट आफिसर्स को हटाना चाहती है।

हमारे सिंचाई मंत्री जी इस समय यहां पर नहीं हैं, मैं उनसे कुछ इसी सम्बन्ध में और माननीय बिजली मंत्री जी से भी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि हमने एक बहुत बड़ी रकम सिंचाई और पावर की योजनाओं पर खर्च की है। आज इस बात की जांच करने की जरूरत है कि १९४७ के बाद से अब तक किस परसेन्टेज में प्राडक्टिव स्कीम्स पर खर्च किया गया और किस परसेन्टेज में अनप्राडक्टिव स्कीम्स पर खर्च किया गया और आगे चल कर उसमें सन्तुलन लाने की कोशिश की जाय। मैं यह मानता हूं कि सिंचाई विभाग कामर्शियल विभाग नहीं है, लेकिन इसका अनोत्पादक व्यय एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिये। लिहाजा सरकार का फ़र्ज़ है कि वह इस बात की जांच कराये और एक संतुलन लाने का प्रयत्न करे।

मैं माननीय गृह मंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने होम डिपार्टमेंट में, जो कि काफ़ी बदनाम विभाग है, काफ़ी सुधार लाने की कोशिश की है। उन्होंने कुछ नियम बनाये हैं। अब तक जो क्राइम्स होते हैं उनको छिपाया जाता था, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि एफीशिएन्सी इस बात पर नहीं निर्भर होगी कि उसके यहां कितने क्राइम्स हुये बल्कि एफीशिएन्सी इस बात पर निर्भर होगी कि कितने क्राइम्स को वर्काउट किया गया। और आज तो हमारे गृह मंत्री जी ने एक कदम और आगे बढ़ा कर कहा कि उनके विभाग में जितनी कमियां हुगी उनको वह अपने ऊपर ओढ़ने के लिये तैयार हैं। यह भी एक अच्छा कदम है जोकि हमारे प्रदेश के शासन में स्वच्छता और निर्मलता लाने में सहायक होगा।

शासन के सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे सेक्रेटेरियट में कुछ नियम हैं कि सेक्रेटेरियट में कोई भी आफिसर तीन चार साल से अधिक नहीं रहना चाहिये, उसके बाद वह फील्ड में जायगा। आज मैं आपके सामने कोई नयी बात नहीं कहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेक्रेटेरियट के अन्दर कुछ ऐसा एक काकस (caucus) बन गया है और कुछ आफिसर्स ऐसे हैं जिनको यहां पर बरसों हो गये हैं। यह स्वाभाविक है कि अधिक समय के बाद वेस्टेड इन्टेरेस्ट्स पैदा हो जाते हैं और उसके बाद फिर हमारे शासन में खराबियां पैदा हो जाती हैं। मैं केवल यह चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। मैं यह नहीं चाहता कि सब को एक दम से हटा ही दिया जाय क्योंकि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो लाभकारी होंगे। लेकिन उन्हें यह जरूर देखना है कि जो वेस्टेड इन्टरेस्ट्स पैदा हो गये हैं उनको यहां से अवश्य समाप्त किया जाय।

अवकाश ग्रहण करने के आयु के सम्बन्ध में एक कदम ५५ से ५८ वर्ष की उम्र करने का उठाया गया था और उस वक्त यह कहा गया था कि ५८ वर्ष इसलिये करने जा रहे हैं कि इससे इकोनामी होगी और एफीशियेंसी बढ़ेगी। इस बात को अब ४ साल हो गये हैं। सरकार को यह देखना चाहिये कि इससे कोई एफीशियेंसी बढ़ी है या एकोनामी हुई है या नहीं। मेरा यह

[श्री नवल किशोर]

निश्चित मत है कि इससे ऐफीशियेंसी नहीं बढ़ी है और न बचत ही हुई है इसलिये सरकार के लिये यही उचित होगा कि वह इस प्रश्न पर पुनः विचार कर के उसको ५८ से ५५ पर ले आये।

एक बात और कहना चाहता हूं कि हमने जनतंत्र को अपनाया है और एक जमाने से हम उसके हामी हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि जनता के नुमाइन्दों को उचित स्थान मिले, लेकिन आजकल देखा यह जाता है कि जनता के नुमाइन्दों को समाज के अन्दर सरकारी अफसरों द्वारा उचित स्थान नहीं दिया जाता है। ब्रिटिश क्वीन (रानी) हमारे यहां आगरे आयी थीं तो विधायकों को यही नहीं कि हवाई अड्डे पर आमंत्रित नहीं किया गया, लेकिन उनको वहां आने की परमीशन भी न मिली। क्वीन से मिलने का उनको मौका नहीं दिया गया। जहां तार खिंचे हुये थे, उनके बाहर से ही उनको देखने का मौका मिला। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि सरकार इस प्रकार के जो कार्यक्रम बनाती है उनमें विधायकों को उचित स्थान मिलना चाहिये और इस घटना की जांच होनी चाहिये।

एक काम सरकार ने और किया है। समाजवादी पार्टी के बहुत से लोग जेल में थे। उन्होंने कुछ दिन पहले सत्याग्रह किया था। उनको छोड़ा गया। सत्याग्रह जिस आधार पर या जिस कारणों से हुआ, उसके उसूलों से सरकार सहमत नहीं थी और न है परन्तु पूर्ण असहमति होते हुये भी उन्होंने जो यह कदम उठाया, वह ठीक ही उठाया क्योंकि उससे हमारे प्रदेश में एक पालिटिकल ट्रूस होने की संभावना है। और इससे एक अच्छा व स्वस्थ वातावरण पैदा होगा। मैं आशा करता हूं कि वह दल और अन्य राजनीतिक दल उसका स्वागत करेंगे और शान्त वातावरण बनाये रखने में पूर्ण सहयोग देंगे।

माननीय नेता विरोधीदल से मान्यवर, खासतौर से यह कहना चाहता हूं कि पिछले चार सालों में मेरा यह अनुभव रहा है कि कांग्रेस दल के साथ उनका बरताव बड़ा उदार रहा है और सदा सद्भावना का ही परिचय उन्होंने दिया है। उससे मैंने कभी यह महसूस भी नहीं किया कि हमारे प्रदेश में कोई विरोधीदल भी है या विरोधीदल का कोई नेता भी है। मुझे विश्वास है कि जो परम्परा उन्होंने बनायी है उसको वे निभाने की चेष्टा करेंगे और इस बात की भी कोशिश करेंगे कि सद्भावना बनी रहे, क्योंकि चाहे हम इधर के बैठने वाले हों या उधर के, प्रदेश की प्रगति और समृद्धि सभी चाहते हैं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मैं एक सूचना देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि हमारी क्वीन आयीं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि वह हमारी क्वीन नहीं थी, ब्रिटेन की रानी हैं।

इसके बाद माननीय नेता विरोधी दल के बारे में जो उनके मन में जरा गलतफहमी है उसको भी वे सुधार लें। क्योंकि श्री सम्पूर्णानन्द गुट के कांग्रेस पार्टी के करीब १०० सदस्य नहीं आये तो वे भी नहीं आये।

*श्री सुरेशप्रकाशसिंह (जिला सीतापुर)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं माननीय नवल किशोर जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीया, यह एक संसदीय प्रथा है कि नये वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ होने के पहले राज्यपाल महोदय दोनों भवनों को अपना अभिभाषण सुनाते हैं—और उसके बाद सदन के सदस्यों को यह मौका मिलता है कि उनके अभिभाषण पर वे कुछ अपने विचार व्यक्त करें।

श्रीमन्, इस वर्ष के राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ नयी चीजें हैं। उनमें से पहली चीज तो यह है जिसका हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने बहुत सी नयी बातें न कह कर अपने अभिभाषण को केवल तीन बातों में सीमित रखा है। पहली बात जो उनके अभिभाषण में है वह विकास सम्बन्धी राज्य सरकार की क्या नीति है और आगे क्या नीति होगी उसकी तरफ उन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुछ संकेत किया है। दूसरी बात जो उन्होंने अपने अध्यादेशों को प्रख्यापित किया है उनकी तरफ कुछ संकेत है और आखिर में अब इस भवन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत किये जायेंगे उनका उन्होंने संकेत किया है।

इसके अलावा विकास सम्बन्धी अन्य कार्यों को और अन्य योजनाओं को तथा सरकार द्वारा उपस्थित टार्जेट ऐ्रीवमेंट को उन्होंने माननीय वित्त मंत्री के लिये छोड़ दिया है जो उसे अपने बजट भाषण में विस्तृत रूप से बतलायेंगे। अतः माननीया, इस समय मैं भी अपने कर्त्तव्य का पालन करते हुये जो भी निवेदन करूंगा वह राज्यपाल महोदय के केवल इन १२ पृष्ठों के अभिभाषण से ही सम्बन्धित होगा।

अधिष्ठात्री महोदया, हम राज्यपाल महोदय के कृतज्ञ हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि अपने अभिभाषण में उन्होंने एक बात की ओर विशेष संकेत किया है कि अब राज्य सरकार कृषि उत्पादन के बाद इस राज्य में औद्योगीकरण के लिये भी कुछ कदम उठाने जा रही है। इस सिलसिले में महामहिम राज्यपाल ने संकेत किया है कि राज्य सरकार नगरपालिकाओं को यह सलाह देने जा रही है या दे चुकी है कि वे अपने अपने क्षेत्रों के उचित उद्योगों को प्रोत्साहन दें और इस सम्बन्ध में वे वहां पर इसका प्रयत्न करें कि इंडस्ट्रियल इस्टेट्स कायम की जायं।

माननीया, जहां पर यह सत्य है कि भारत की इकोनामी में ऐग्रीकल्चरल इकोनामी हो, वहां पर यह भी सत्य है कि केवल ऐग्रीकल्चरल इकोनामी से कोई भी देश या प्रदेश समृद्धशाली नहीं बन सकता। अतः इस समय राज्यपाल के अभिभषण में इस बात के संकेत के लिये हम बहुत कृतज्ञ हैं और इसका हम स्वागत करते हैं। श्रीमन्, बिना औद्योगीकरण के किसी देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता। यह हो सकता है कि कृषि के उत्पादन को बढ़ा कर हम कम से कम दूसरों के सामने अनाज के लिये हाथ न फैलावें और हम सेल्फ सफिशिएएंट हो जायं, लेकिन कृषि से ही अपना देश समृद्धशाली नहीं हो सकता और मैं समझता हूं कि थोड़े दिनों के बाद ऐसी स्थिति आ जायगी कि हम केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ही निर्भर रहेंगे क्योंकि एक वह समय आ जायगा जबकि कृषि उत्पादन की एक सीमा तक हम पहुंच जायगे और हम बाद में देखेंगे कि हमारे पास और कृषि करने योग्य जमीन की बढ़ोत्तरी की कोई सम्भावना नहीं होगी और जैसा आप जानती ही हैं कि हमारी आबादी भी बढ़ती ही चली जा रही है। अतः राज्य सरकार द्वारा स्टेट के इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिये सक्रिय कदम उठाने का मैं स्वागत करता हूं और इस बात का संकेत जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में किया है, उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं।

माननीया, उनके अभिभाषण में जो एक विशेष बात है जिसका हम स्वागत करते हैं वह उत्तराखंड के विकास सम्बन्धी है। उन्होंने अपने अभिभाषण में बतलाया है कि राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास के लिये २९ करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। इस भवन को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि आजकल उत्तराखंड किस विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है और यह भी बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि जिस विशेष परिस्थिति से गुजर रहा है और जो कुछ खतरा हमें उधर से नजर आता है वह खतरा और पनपता है और पनपेगा। यदि उस उत्तराखंड के विकास के लिये हम कुछ अधिक ध्यान नहीं देते। इसलिये राज्य सरकार का यह सक्रिय कदम और उन का यह निर्णय कि उत्तराखंड को हमें बढ़ाना है और उस पर २९ करोड़ के खर्च का जो निर्णय लिया गया है उसका हम सब स्वागत करते हैं।

माननीय राज्यपाल के सम्बोधन में एक और संकेत है कि राज्य सरकार प्रशासन के खर्च में कमी की बात सोच रही है और उस तरफ ध्यान देते हुये सरकार का जो पहला कदम उठा है वह यह है कि मंत्रियों तथा उपमंत्रियों के वेतन में कमी की गई है और उनके भत्तों में जो कमी की गई है तथा जो सभासचिवों के वैतनिक के स्थान पर अवैतनिक होने का सुझाव है वह सब सराहनीय है यद्यपि कहा जा सकता है कि इस से कोई ऐसा बड़ा अन्तर बजट पर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा कि माननीय राज्यपाल ने स्वयं अपने भाषण में संकेत किया है कि इसका एक साइकालाजिकल अफेक्ट पड़ता है और एक अपेक्षित वातावरण बनता है।

[श्री सुरेशप्रकाशसिंह]

इसमें, राज्यपाल महोदय ने जो आर्डिनेन्स जारी किये थे उनका भी संकेत है । जिस समय यह आर्डिनेन्स प्रख्यापित हो रहे थे उस समय मैंने अखबारों में पढ़ा था और विरोधी दलों की टीका टिप्पणी भी सुनी थी और उन के द्वारा ऐसा कहा जाता था कि इस प्रदेश की नई सरकार आर्डिनेंस रूल करने जा रही है और अब वह अध्यादेशों द्वारा ही राज्य करेगी । कल जब मैंने इन अध्यादेशों को देखा तथा राज्यपाल के अभिभाषण में उन का जिक्र देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ कि इस तरह का चार्ज किस तरह से सब्स्टेंशियेट किया जा सकता है क्योंकि जितने भी आर्डिनेन्स आये हैं उनमें से किसी में भी एक भी ऐसी बात नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि राज्य सरकार ने आर्डिनेन्स द्वारा उस अधिकार का दुरुपयोग किया है जोकि उसे संविधान से प्राप्त है । जो अधिकार उस संविधान द्वारा राज्य सरकार या राज्यपाल को दिया गया है उसमें एक सेफगार्ड है कि कोई भी आर्डिनेन्स जब आयेगा तो उसकी लाइफ ६ मास की होगी और ६ मास के अन्दर उसका लेजिस्लेचर के सामने आना अनिवार्य है ।

अब मैं उन अध्यादेशों का जिक्र करूंगा कि जो राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किये गये थे । उनमें पहला है 'उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उपमंत्री तथा सभा सचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश, १९६०' । इस विषय में मैं आप के द्वारा माननीय विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह मुझे क्षमा करेंगे यदि मैं कहूं कि मुझे तो इसमें कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं दिखाई देती । यदि आपत्ति हो सकती थी तो वह मंत्रिमंडल के सदस्यों को हो सकती थी कि जिनकी जेब को उसमें टच किया गया है और जिनका वेतन कम हुआ है । जैसा कि मैंने कहा मैं मानता हूं कि इस से राज्य के कोष पर कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसा कि माननीय राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है इस से एक साइकालाजिकल एफेक्ट जरूर पड़ता है ।

दूसरा अध्यादेश है 'उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अध्यादेश, १९६१' । इसके लिये भी मैं क्षमा किया जाऊं यदि यह कहूं कि इसमें मुझे कोई आपत्तिजनक बात नहीं दिखलाई देती । जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने कहा, हमें तो बधाई देनी चाहिये राज्य सरकार को और राज्यपाल महोदय का कृतज्ञ होना चाहिये कि ऐसा अध्यादेश जारी किया कि हमारे कोष को जो क्षति पहुंचती उसको बचाया । समय बहुत कम है इसलिये और अध्यादेशों पर न जाकर केवल दो के बारे में और कहूंगा कि एक जो कि ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में निकाला गया है उसमें माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि उसमें तीन बातों का जिक्र है । एक तो ग्राम पंचायतों के सदस्यों का चुनाव कि वह हाथ उठाकर होगा । दूसरे मतदाता केवल अपने क्षेत्र में ही मत दे सकेंगे और तीसरे ग्राम सभापति का चुनाव सीक्रेट बैलेट से होगा । ये वे बातें हैं जिनके बारे में इस सदन का निश्चित मत था कि ऐसा होना चाहिये और यह उसी के मुताबिक हुआ है ।

आखीर में, अधिष्ठात्री महोदया, मैं अन्तरिम जिला परिषद् संशोधन अध्यादेश, १९६० का जिक्र करूंगा जैसा कि माननीय सदस्यों का मत है, वही इस अध्यादेश में कहा गया है कि जिला परिषद् के अब आगे आने वाले चुनाव में और अन्तरिम जिला परिषद् में भी अब जो चेयरमैन होंगे वह नान-आफीशियल होंगे और उनका इलेक्शन होगा, न कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा । मेरा समय समाप्त हुआ । कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन इतना ही कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपकी आज्ञा से जो प्रस्ताव इस सदन में पेश किया गया है उसमें यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं ।

> "किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में कृषि पर आधारित व्यक्तियों की संख्या घटाने, उन्हें दूसरे रोजगार दिलाने, बढ़ते हुये, भ्रष्टाचार को दूर करने,

भू-अभिलेखों की गलतियों को दुरुस्त करने, किसानों को जमीन का मालिक बनाने ग्राम पंचायतों को व्यापक अधिकार देने तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने का उल्लेख नहीं है ।"

महोदया, पेश्तर इसके कि मैं कुछ इस संशोधन के सिलसिले में निवेदन करूं, जिस योग्यता और खूबी से माननीय प्रस्तावक ने और उनके समर्थक ने अपनी बात इस सदन के सामने रखी है उसकी प्रशंसा करता हूं ।

(इस समय २ बजकर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री राम नारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये ।)

मेरी राय में जो बात उन्होंने कही वह उससे बेहतर ढंग से नहीं कही जा सकती थी । प्रस्तावक महोदय ने कुछ मुझे सलाह भी दी है । जो धारणा और भावना उनकी मेरे प्रति है उसका मैं बहुत ही मशकूर हूं, लेकिन मैं बहुत अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनका यह ख्याल कि मेरी यहां मौजूदगी से कभी उनको यह आभास नहीं हुआ कि इस सदन में कोई विरोधी दल भी है, यह मेरे साथ निजी तौर पर बड़ी ज्यादती है । मेरी राय में इस सदन की संसदीय परम्पराओं के अन्तर्गत इस बात की पूरी गुंजायश है कि विरोधी दल उनको मानते हुये भी अपनी बात को कट्टरता और खूबी के साथ रख सकता है; यह नहीं है कि उसमें बहुमत दल से मेल-जोल करना आवश्यक हो ।

एक बात मान्यवर, उन्होंने और कही कि कल यहां कुछ लोग गैरहाजिर थे । यह दुःख की बात है और मैं स्वयं उनसे इस बात में सहमत हूं कि जो माननीय सदस्य कल लखनऊ में उपस्थित थे उनको निश्चय ही यहां हाजिर होना चाहिये था, लेकिन कुछ समय की मजबूरी होती है । कहने की जरूरत नहीं कि ऐसी सरकार कि जिसने ७ हफ्ते के काल में ७ आर्डिनेन्स निकाले हों, ऐसी सरकार की जिसके आने के डेढ़ महीने के अन्दर ही जेल के अन्दर गोली चलाई गई हो, एसी गोली कि जिससे ४ आदमियों की हत्या हो गई और ६७ आदमियों को चोटें लगीं, ऐसी सरकार कि जिसके जमाने में, जेल के अन्दर इस बात की सम्भावना हो कि ३०० कैदी एक जगह इकट्ठा हो जायं और वे ढीले फराहम कर सकें, ऐसी सरकार जिसने इस आदरणीय सदन की बैठक को बुलाने की कौन कहे, जो बैठक होने वाली थी उसे स्थगित किया हो, उसके प्रति सम्मान रखना असम्भव है ।

बड़े नक्कारे पीटे गये, बड़ी आवाजें लगायी गईं कि मिनिस्टरों के वेतन में कमी की गई । क्या हमको यह ज्ञात नहीं है कि बिना अध्यादेश निकाले हुये भी किसी मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर के लिये इस बात की गुंजायश थी कि जो कानून में तनख्वाह लिखी थी उससे कम तनख्वाह वह स्वीकार करें । क्या इसी प्रदेश में ऐसा नहीं था कि निश्चित वेतन था १,२०० रुपये, लेकिन इससे पहले जो मंत्री थे वे १,१०० रुपया माहवार लेते थे । कोई कानून में परिवर्तन नहीं किया गया था । क्या सदस्यों को ज्ञात नहीं है कि इंगलैण्ड में २२५ साल की यह सर्वमान्य प्रथा है कि आज तक वहां के प्रधान मंत्री ने पूरी तनख्वाह नहीं ली ।

पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज के बारे में कहा जाता है कि उनको अवैतनिक कर दिया गया । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं, वह उस समय इस सदन के सदस्य थे, १९३७ में क्या माननीय चन्द्र भाल जी आनरेरी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी प्रदेश की सरकार के नहीं थे ? क्या उसके लिये कोई कानून या अध्यादेश निकालने की जरूरत पड़ी थी । लेकिन जैसा मैंने कहा, नक्कारे पीटे गये कि कमी कर रहे हैं । मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं--मैंने माननीय मुख्य मंत्री को लिखा था उसका जो जवाब उन्होंने दिया उसके लिये मैं उनका मशकूर हूं कि ३१ मार्च, १९६१ के अन्दर १५० करोड़ रुपये के अन्दर १० लाख रुपये की भी बचत दिखाना मुश्किल होगा, यह कहना आसान है । बजट के आंकड़ों से यह विदित है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि ८० फीसदी से ज्यादा हमारा खर्च राज्य के कर्मचारियों की तनख्वाह का है । कैसे कर्मचारियों की छटनी की जायगी । यह हो सकता है कि एक जगह तोड़कर उसके कर्मचारी को दूसरी जगह भेज दिया गया इस प्रकार १०० रुपये महीने का खर्च हुआ । मिनिस्टरों के मकानात

[श्री त्रिलोकी सिंह]

जो ५०० रुपये माहवार किराये पर उठ सकते थे, आज भी उठ सकते हैं, उनमें सरकारी दफ्तर जो २५०–३०० रुपये माहवार किराये के मकानों में थे उनको रखने से कमी क्या होगी। अगर उन्हें किराये पर उठाते तो राज्य कोष की ज्यादा बचत होती। लेकिन मैं क्या कहूं, दुनिया की प्रथा है, कुछ अपनी बात की पाबन्दी होती है; जो बात का धनी नहीं उसके लिये संसार में न पहले और न आज और आगे भी स्थान नहीं। मैं नहीं कहना चाहता, क्या बात कही गई और क्या नहीं किया गया। एक बार, दो, तीन बार मुकरे। यह मैं जानता हूं कि यह क्षत्रियों का जमाना नहीं है, न 'रघुकुल रीति' क यह समय है, लेकिन प्रजातंत्र में यदि कोई मुख्य मत्री एक बात कहता है तो जनता समझती है कि वह इस बात पर कायम रहेगा।

मान्यवर, मैंने शुरू में कहा था कि ७ आर्डिनेन्सेज ७ हफ्ते में निकले। एक नई प्रथा कायम की गई कि दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक होगी, जिसमें राज्यपाल अभिभाषण करेंगे, अपनी नई नीति को प्रकाशित करेंगे। नई नीति क्या ? पूरे १२ पन्नों में केवल चार नये कानूनों का जिक्र है। एक यूनीवर्सिटीज, दूसरे दूकानदारों के जो कर्मचारी हैं उनके बारे में, तीसरे छुट्टी के बारे में, चौथे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में। गौर किया कि कोई बात समझ में आये कि १२ दिसम्बर, १९६० की बैठक क्यों स्थगित की गयी ? राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीति का तथा उसके कार्यक्रम का बयान होता है। किन्तु इनके अलावा जितनी बातें हैं सब की सब पुरानी हैं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना का जिक्र किया गया। उत्तराखंड में २८ करोड़ खर्च होगा। यह तो पंचवर्षीय योजना में है। उसका हम जिक्र कर चुके हैं उस पर बहस कर चुके हैं, विचार कर चुके हैं। उन्हीं चीजों को दोहराना न कोई नई नीति है, न नया कार्यक्रम है। मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि उत्तराखंड से बिलकुल सटा हुआ कुमायूं का डिवीजन है जहां के लोग उतने ही गरीब हैं जितने जिला चमोली तथा पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं और उनकी भी वही समस्यायें हैं जो उत्तराखंड की हैं। तो उनके साथ यह सौतिया व्यवहार क्यों ? अगर चीन का धावा होगा तो क्या खयाल यह है कि उसका प्रभाव चमोली तक ही रहेगा और टेहरी तथा अल्मोड़े में नहीं पड़ेगा ? जरूरत इस बात की है कि इस आंचल की तरफ विशेष ध्यान दिया जाय और जैसा कि मैंने तृतीय पंचवर्षीय योजना के विचार के समय अर्ज किया था, वहां पर डेरी, ऊन का उद्योग तथा अनुसंधान केन्द्र खोले जायं। इन बातों की तरफ सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता ?

मैं कह चुका हूं कि इस सरकार का काम अधिकतर प्रचार है। दुख की बात है कि संसार के इतिहास में चाहे कितना सड़ा-गला राज्य रहा हो कभी मंत्रियों की तलाश नहीं हुई। दो महीने तो मुख्य मंत्री की तलाश रही कि कौन बने और ढाई महीने से मिनिस्टरों की तलाश है। क्लर्कों की जगह खाली नहीं है। कौंसिल हाउस में चर्चा है कि मिनिस्टर्स चाहिये। अभी मिनिस्ट्री बढ़ेगी। तो जिस सरकार का ठिकाना नहीं क्या उस के लिये जब राज्यपाल अभिभाषण करने आयें तो उसको कोई भी व्यक्ति जिसे तनिक भी स्वाभिमान है, संसदीय प्रथा का जरा भी ध्यान है और उसका वह आदर व सम्मान करना चाहता है, सुनने को तैयार होगा ? सरकार तो एक्सपेंडिंग प्रोसेस में है।

मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं क्यों गैर हाजिर हुये ? उधर के बैठने वाले गैरहाजिर रहे उसका कोई दूसरा कारण रहा हो लेकिन हमारे गैरहाजिर होने का बहुत बड़ा कारण है। ७ अगस्त, १९५९ को ९८ माननीय सदस्यों ने जिन में आज बहुत से सुशोभित हैं मंत्री तथा उप मंत्री के पद पर, एक बात यह कही थी 'न ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी टेढ़ी भौहें हैं, जिसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और प्रशासन की ऐसी शाखाओं अथवा राज कर्मचारियों के ऐसे वर्गों में घुस चुका है जहां पहले उसका अस्तित्व नहीं था"। यह सम्पूर्णानन्द मंत्रिमंडल के बारे में था लेकिन जिस तारीख से यह सरकार बनी ऐसा मालूम होता है कि भ्रष्टाचार काफूर हो गया, अब उसका कहीं नामो निशान नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण मे भ्रष्टाचार

का कहीं जिक्र नहीं है और जिनकी 'टेढ़ी भौहें' भ्रष्टाचार को रोकने के लिये नहीं थीं आज उन्हीं का आरती के थाल लिये उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार स्वागत कर रही है कि आओ, 'हमारे मंत्रिमंडल में हमारा साथ दो' यह क्या तमाशा है ? मैंने इसीलिये अपने संशोधन में कहा कि बढ़ते हुये भ्रष्टाचार को रोकने के लिये कोई जिक्र ही नहीं है। हो सकता है कि यह सरकार जब दूसरों की सरकार हो तब तो भ्रष्टाचार की तरफ इसकी निगाह जाय और जब उसकी अपनी सरकार हो तो यह उसकी समर्थक बन जाय, जैसे कि उस समय के मंत्री, उस समय के भ्रष्टाचारी के लिये स्थान भी है। मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसी सरकार की बात को सुनने के लिये जनता ने हमें नहीं भेजा है।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि पंचायत का जिक्र किया गया। जरा गौर तो करें कि प्रधान एक गांव का और मंत्री ६ गांव का और कहीं कहीं ८ गांव का। क्या कहीं यह सुना गया है कि राज्यपाल एक प्रदेश के और मुख्य मंत्री ८ प्रदेश के। प्रदेश की जनता के लिये, भगवान के लिये और इंसान के लिये इस प्रथा को समाप्त कीजिये। ५०० रुपये के दीवानी के मुकदमे करने का अधिकार अदालती पंचायतों को है लेकिन भू-अभिलेखों को ठीक करने का अधिकार उनको नहीं है। गांधी जी, जो इतने बड़े समर्थक थे ग्राम पंचायतों के, उन्होंने भी यह लिखा कि दीवानी के अधिकार उनको नहीं दिये जाने चाहिये।

मान्यवर, दःख के साथ आज यह भी मालूम हुआ कि इस सरकार में यह भी गुंजायश है कि मुख्य मंत्री भी काम करें और राज्य के सचिव भी उनके बिना काम करते रहें और दोनों के काम अगर एक दूसरे से टकरायें तो संविधान के अन्तर्गत उसमें कोई बाधायें नहीं हैं। भू-अभिलेखों को ठीक करने का अधिकार जिनमें ७५ फीसदी गलतियां हैं, दाखिल खारिज का अख्तियार, लगान वसूल करने का अख्तियार ग्राम पंचायतों को क्यों नहीं दिया जा सकता। कारण यह है कि गांवों के साथ हमने कुछ नहीं किया। कहा था कि जब स्वराज्य होगा तो जमीन का मालिक किसान बनेगा। मगर स्वराज्य होते ही बजाय किसान के मालिक बनाने के मालिक वह बना जिसने दसगुना लगान दिया। स्वराज्य की झलक लखनऊ और दिल्ली में है लेकिन गांव में नहीं है और कारण यह है कि किसान जो लगान वह पहले देता था वही आज भी देता है। उसकी हैसियत नहीं बदली, उसे मिल्कियत नहीं मिली। जिसका लगान आधा किया गया उससे दस गुना लिया गया, जो अधिवासी सीरदार बन गये उनका लगान दूना कर दिया गया। लगान जमीन पर होता है या आदमी पर ? इस राज्य में लगान जमीन पर नहीं है बल्कि आदमी पर है। अगर लक्ष्मीनारायण जमीन जोते हैं जो पुराने जमींदार हैं तो लगान दो रुपये बीघा है, अगर भगवती प्रसाद जोते हैं जो सीरदार हैं तो ४ रुपये बीघा लगान है और अगर मुल्लू जोते हैं जो अधिवासी से सीरदार बने हैं तो ८ रुपया बीघा लगान देगा। जमीन एक-सी है मगर लगान तीन प्रकार का है और खूबी यह है कि जितना गरीब है उतना ही लगान अधिक। जब इतनी दुन्दुभी के साथ कहा जाता है कि फूल बरसाते हुये आये तो देखना होता है कि बजाय फूल के कहीं कांटे तो नहीं बरसा रहे हैं।

जैसा मैंने अर्ज किया भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं, पंचायतों के प्रधान बजरिये बैलेट चुने जायं इसके लिये तो फिक्र थी, लेकिन पंचायतों को तनिक भी अधिकार देने का जिससे कि ग्राम में ग्राम राज्य हो सके इसका जिक्र नहीं है। मैं देखता हूं कि पिछले कई साल से और खासतौर से पिछले तीन महीनों से जनता की फिक्र नहीं, बादशाह की फिक्र है कि राजा कौन होगा, अगर हुआ है तो कब तक कायम रहेगा, राजा के कौन-कौन से मंत्री होंगे। प्रजातंत्र में राजा का जिक्र अखबारों के पहले पृष्ठ पर यहीं चीजें छपती हैं। यह दुःख की बात है। मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा उधर के बैठने वालों से प्रार्थना करता हूं कि सोचिये और समझिये और उन लोगों से विशेषकर प्रार्थना करता हूं जो कल यहां उपस्थित नहीं थे कि यह कोई निजी लड़ाई नहीं है। यह सही है कि हम में अधिकतर पार्टी के संयम और नियमों में बंधे हुये हैं, लेकिन यह भी सही है कि हम जनता के सेवक हैं, उसने हमें चुनकर यहां भेजा है और यह सर्वमान्य संसदीय प्रथा है कि जनहित को पार्टी की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाय और मुझे दुख होता है जब कि माननीय सदस्यों की बात याद आती है कि विचार कुछ है और अमल कुछ उन्होंने जनहित को मिटाकर पार्टी के हित को

[श्री त्रिलोकी सिंह]

प्राथमिकता दी। इससे जनतंत्र नहीं चलता है। अगर कुछ करना है तो खुलकर करें, अगर कुछ कहना है तो जबान पर रुकावट नहीं होनी चाहिये। केवल एक रुकावट होनी चाहिये और वह मान्यवर, जनता के हित की बात है। यह विशेष बात है और सारा श्रम इससे नीचे है और मैं कहना चाहता हूं कि मौन धारण करके, या चुप्पी साधकर काम नहीं चलेगा। भारत के लोग अब भुलावे में नहीं रह सकते। उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहे कितनी ही एड़ लगाई जाय लेकिन वह कुछ काम नहीं आ सकती है। जनता की राय चलेगी, उसकी बात चलेगी और उसके हितों की प्राथमिकता होगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वफादारी जनता की तरफ होनी चाहिये, क्योंकि हम लोग जनता के सेवक हैं। इस आदरणीय सदन के सेवक हैं। इसलिये उन्हें अपने कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये। कांग्रेस के मेम्बर की हैसियत से नहीं बल्कि जनता के सेवक की हैसियत से, इस आदरणीय सदन के सेवक की हैसियत से, जनता के प्रतिनिधि के नाते। सर आशुतोष मुकर्जी साहब ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में १९१२ में कहा था कि "Forget the Government of India, forget the Government of Bengal. Do your duty as the Senators of this University. Freedom first, freedom next and freedom always." मैं चाहता हूं कि वह इस बात को भूल जायं कि भारत सरकार का कर्णधार कौन है और वह कितना बलवान है और उत्तर प्रदेश की सरकार में शरीक होने से उन्हें क्या लाभ मिलेगा बल्कि वह आदरणीय सदन के सेवक के नाते जनता के प्रतिनिधि के नाते अपने कर्त्तव्य का पालन करें। वह आजादी के रक्षक बनें, उसके हितैषी बनें, उसी को प्राथमिकता दें और अन्त समय तक उसी के हामी बने रहें।

मान्यवर, मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ७४.१८ प्रतिशत रहने वाले कृषि पर निर्भर हैं और ८.३९ फीसदी उद्योगों पर निर्भर हैं। अगर किसी देश की इस बात को जांचना हो कि वहां हालत कैसे दुरुस्त की जाय तो जब तक ७४.१८ प्रतिशत लोगों को जो कृषि पर आधारित हैं उनको वहां से हटाकर उद्योग में न लगाया जायगा तो कितनी ही योजनायें बनाई जायं, सब असफल रहेंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १९०१ में १२.१४ परसेंट आदमी इस प्रदेश में उद्योगों में लगे हुये थे और १९५१ में केवल ८.३९ परसेंट रह गये यानी जब से अब लगभग १४ परसेंट आदमी उद्योग में नहीं हैं और वह आधारित हो गये हैं कृषि पर जिस पर अब बजाय ६४ परसेंट से ७४.१८ परसेंट तक पहुंच गया है। अगर १९०१ की दशा को भी लाया जाय तो १० परसेंट लोगों को कृषि से हटाकर अन्य धंधों में लगाना चाहिये। इस प्रकार लगभग ७५ लाख आदमी आते हैं। इसके माने यह हैं कि १५ लाख आदमियों को रोजगार देना चाहिये। पूरी योजना पढ़ लीजिये, अभिभाषण का तो जिक्र क्या है यह चीज कहीं नहीं मिलेगी। क्या उत्तर प्रदेश की गरीबी इस तरह से दूर की जा सकती है?

मान्यवर, मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के पश्चिम वाले पूरब वालों से अच्छे हैं। मैं आंकड़े बताता हूं, पश्चिम में ६६ परसेंट लोग खेती पर निर्भर हैं और पूर्वी प्रदेश में ८ फीसदी। महज १६ फीसदी का फर्क है! यदि हम चाहते हैं कि इस प्रदेश की आर्थिक दशा सुधरे, तो खेती के ऊपर जो आज बोझ है उसको हटा कर और दूसरे उद्योग धंधे जो इस प्रदेश की जनता है उसको देने पड़ेंगे। लेकिन उसकी ओर इस सरकार का ध्यान नहीं गया है।

एक बात राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत खतरनाक कही गई है। सामुदायिक विकास खंडों को अब उनकी परफारमेंस के ऊपर सरकारी अनुदान दिया जायगा। क्या मेरठ जिले के किसी विकास खंड का मुकाबला देवरिया, गोरखपुर या अल्मोड़ा जिले के किसी विकास खंड से किया जा सकता है? मुकाबला बराबर वालों में होता है अनईकुअल्स में नहीं होता है। यह भी लिखा गया है कि ऐमेनिटीज ग्रांट में अगर ऐमेनिटीज के ठीक अर्थ समझा हूं तो इसके मानी होते हैं कि स्कूल, अस्पताल, प्ले ग्राउन्डस, वेलफेयर सेंटर्स, इनमें भी कोई भेदभाव बरता जायगा कि जो सबसे अच्छा काम करेंगे उनको प्राथमकिता दी जायगी। यह बड़ा खतरनाक उसूल

इस सरकार ने बनाया है । जितनी जल्दी वह इस उसूल को छोड़ दे उतना ही इस समाज और देश का कल्याण होगा ।

यह खुशी की बात है कि प्रस्तावक महोदय ने भी यह बात कही कि जो बजट के आंकड़े हैं, वे इस आदरणीय सदन के सामने लाये जायं । मैंने खुद माननीय मुख्य मंत्री से इस संबंध में एक बार निवेदन किया था और उन्होंने कहा भी था कि वह ऐसा करेंगे । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को रोकिये तो सबसे ज्यादा बचत हो सकेगी । एक मंत्री जी, जो आज मंत्री के पद पर सुशोभित हैं, यहां नहीं हैं । जब मंत्री के पद से अलग हुये तो भाषण में कहा था कि ७० फीसदी धन कर्मचारी खा जाते हैं । मैंने अपने माथे पर हाथ रखा । यह तो इलाहाबाद शहर के रहने वाले हैं जहां सियासी अहसास बड़े ऊंचे दरजे का है । लेकिन ७० फीसदी अब उनकी राय में गोलमाल हो जाता है आज क्या उनको नजर नहीं आता है कि वह ७० फीसदी से ६९ हुआ है या ७१ हुआ या ५० या २० रह गया । इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

यह मिनिस्टरों की तलाश, इससे बड़ा भारी अहित हो रहा है समाज और देश का । उन लोगों से मत सुलह कीजिये जो वर्तमान मंत्रिमंडल की राय में भ्रष्टाचारी थे । जैसा कि मैंने कहा था, मैं वर्तमान मंत्रिमंडल से भी कहना चाहता हूं कि देश का हित, समाज का हित, इसके लिये कुछ मान्यतायें हैं, कुछ मूल्य है, कुछ कदरें हैं, जीवन की, मानवता की । उन पर ध्यान दीजिये । बन्द कीजिये, जितने दिन राज्य करना है उतने दिन ईमानदारी से, मुस्तैदी से, सब्र से, हिम्मत से जो बात सही हो कीजिये । बहुमत की परवाह न कीजिये । काम करने के पहले यह न देखिये कि किसी दल या व्यक्ति का कितना समर्थन प्राप्त है । अगर ऐसा किया गया तो न वह समाज तरक्की कर सकेगा, न उस समाज की तरक्की में उस व्यक्ति का कोई हिस्सा होगा । इस सरकार को मौका मिला है । दस महीने सही या दस हफ्ते सही । बहुत बड़ी चीज है, उत्तर प्रदेश की काउंसिल आफ मिनिस्टर्स । कुछ करके दिखाइये । जबानी कार्यवाही में नहीं उसके लिये वास्तविक काम करना पड़ेगा । अध्यादेश नहीं, अगर वहां गोली चली तो यह नहीं कि जिन पर गोली चली उनकी जबान बन्द हो । कहा गया मैजिस्टिरियल इन्क्वारी होगी अलीगढ़ जेल की फाइरिंग पर । लेकिन क्या उसमें जिन पर गोली चली है, जिन लोगों को चोटें लगी हैं उनको यह अधिकार होगा कि वह आजादाना तौर पर बयान दें ? अभी तक ताजीरात हिन्द का यह बुनियादी उसूल रहा है कि जो आदमी बन्धन में रहेगा वह क्या सच बात कह सकेगा । मैं मान्यवर, यह अर्ज करना चाहता हूं कि कुछ भी करें लेकिन सत्य पर रोक न लगावें, अपना दुख प्रकट करने दें, अपनी बात कहने दें, और अगर कोई इस प्रकार की इन्क्वायरी होती है जिसमें कोई आदमी अपनी बात नहीं कह सकता तो उस इन्क्वायरी के पाखंड से समाज को बचायें, देश को बचायें ।

इन शब्दों के साथ, जो मैंने संशोधन उपस्थित किया है, मैं यह निवेदन करूंगा कि उस पर यह सदन विचार ही न करे बल्कि उसको स्वीकार करने की कृपा करे ।

श्री उपाध्यक्ष--अब पिछले साल की प्रथा के अनुसार मैं यह चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों के नाम संशोधन हैं वह केवल अपना संशोधन पेश कर देता, कि सारे संशोधन सदन के सामने आ जायं और उसके बाद बारी-बारी से माननीय सदस्य उस पर भाषण देंगे ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित कर रहा हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों की चर्चा नहीं की है--

राज्य के वर्तमान शासन द्वारा ऐसे कार्य किये जा रहे हैं जिससे स्वस्थ जनवादी परम्पराओं की अवहेलना हो रही है । नौकरशाही का पंजा दिनोंदिन मजबूत हो रहा है और निर्वाचित

[श्री ऊदल]

संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है । प्रशासन की कार्यक्षमता एवं कार्यकुशलता घट रही है सरकार की दोष पूर्ण नियोजन नीति के फलस्वरूप जनसाधारण की दशा दिनों दिन खराब होती जा रही है, बेकारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है । शिक्षा के स्तर में ह्रास हो रहा है और नव युवकों में निराशा बढ़ रही है ।"

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---मान्यवर, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं । जो संशोधन पढ़े जा रहे हैं इन पर पढ़ने वाले लोग अपना भाषण भी देंगे या केवल पढ़ेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---बाद में उनको भाषण देने का मौका दिया जायगा ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित बातों पर प्रकाश नहीं डाला--

(१) सरकार प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को इस वर्ष गन्ने का उचित मूल्य जो इस सदन द्वारा पारित है, दिलाने में तथा उनके गन्ने की बिक्री कराने में असफल रही ।

(२) प्रदेश के नागरिकों को जो कृषक हैं भूमि पर स्वामित्व देने में तथा लगान कम करने में, किसानों की एक श्रेणी करने में अकुशल रही ।

(३) बेकारी दूर करने में असफल रही ।

(४) एक व्यक्ति को एक ही पेशा न दिला सकी ।

(५) व्यक्तिगत पूंजी पर हदबन्दी न कर सकी ।"

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

"किन्तु महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रदेश की उत्तरी सीमा विशेषकर नैपाल की तराई क्षेत्र जहां खतरों की संभावना को देखते हुये कोई दृढ़ सुरक्षात्मक योजना और भयंकर रूप से बढ़ती आबादी के साथ गरीबी के मिटाने के हेतु कोई बड़ा कदम उठाने का संकेत नहीं किया ।"

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश कर रहा हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं---

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों की चर्चा नहीं की :

(१) प्रथम सोपान विकास खंड को शासकीय आदेश दिया गया है कि जब तक ५,००० रुपया नकद जनता द्वारा जमा न हो जावें तब तक उस विकास खंड में चिकित्सालय, पशु-चिकित्सालय अथवा जीप आदि न दी जावे । ऐसी दोषपूर्ण नीति की भर्त्सना नहीं की ।

(२) विकास कार्य में बढ़े हुये कर्मचारियों पर व्यय को कम करके जनता को अत्याधिक लाभ पहुंचाने का कोई संकेत नहीं किया ।

(३) प्रदेश में पिछड़े हुए जिलों को विशेषकर गोंडा जिले के परगना बूढ़ापार व सादुल्लानगर की कच्ची सड़कों तथा पुल जो यातायात के लिये साल में लगभग ६ मास बन्द रहती है, बार-बार मांग करने पर सरकार के आश्वासन प्राप्त होने पर भी ऐसे स्थानों को विशेष रूप से सहायता दे कर निर्माण करने का संकेत नहीं किया।

(४) देहात में हरिजनों की बस्ती सुधारने तथा उनको पुनः गृह निर्माण हेतु किसी तरह का अनुदान देने का संकेत नहीं किया।

(५) पिछड़ी हुई जातियों, विशेषकर मोमिन अंसार को सहायता एवं उनके बालकों को शिक्षा शुल्क से मुक्त करने का संकेत नहीं किया।

(६) प्रदेश की ग्रामीण जनता को गृह निर्माण हेतु शहरी जनता की तरह कर्ज दिये जाने की स्कीम का संकेत नहीं किया।

(७) प्रदेश के लाखों छात्र जो तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं उनको उच्चतर स्कूलों में भर्ती होने अथवा नौकरी पाने में बड़ी कठिनाई होती है ऐसे छात्रों को किसी प्रकार की सुविधा दिलाने का संकेत नहीं किया।

(८) सरकारी कार्य के लिये जो देहात की भूमि ली जाती है उसका शहर की भूमि के अनुकूल प्रतिकर में जो महान असमानता है उसको मिटाने का कोई संकेत नहीं किया।

(९) ग्रामीण जनता की संख्या प्रदेश में ८२ प्रतिशत है उनको शहरी जनता की तरह आमदनी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात आदि में समानता लाने की आवश्यकता की ओर संकेत नहीं किया।

(१०) कृषि तथा कारखानों से बनी हुई वस्तुओं की कीमतों, संतुलन कायम रखने की तरफ कोई संकेत नहीं किया।

(११) प्रदेश के गांवों के स्कूलों की इमारतों की दशा सुधारने की तरफ कोई संकेत नहीं किया।

(१२) भूमि-अभिलेखों के सुधार के नाम पर किसानों पर कर भार और मुकदमें-बाजी में तबाह करने वाली नीति की भर्त्सना नहीं की।

(१३) जिला के हरिजन सहायक कमेटी के सदस्य केवल हरिजन सदस्य विधान सभा ही रखे जाते हैं जब कि सम्पूर्ण सदस्य, विधान सभा के क्षेत्रों में भी हरिजन पर्याप्त मात्रा में बसते हैं। शासन की इस दोष पूर्ण नीति की निन्दा नहीं की।

(१४) गन्ना उत्पादकों को शादी, गमी के मौके पर जिला अधिकारियों द्वारा स्पेशल पर्ची न दिये जाने वाले शासकीय आदेशों की आलोचना नहीं की।"

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"किन्तु सदन को दुख है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार व ढिलाई, टैक्सों व लगान की अधिकता, योजना की असफलता, बेकारी, सीमावर्ती भाग व प्रदेश की अरक्षा, पंचमांगी वित्तियों की वृद्धि व उनकी अविकसित दशा, सहकारी खेती से होने वाले नुकसान की चर्चा नहीं की है।"

श्री गयाबख्शसिंह (जिला सुल्तानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द और जोड़ दिये जायं—

"किन्तु सदन को खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता, पंचमांगियों की बढ़ती हुई गतिविधियों, लगान में कमी न होना

[श्री गयाबख्शसिंह]

प्रदेश के शासन दल में बढ़ती हुई दलबन्दी, पुलिस के अत्याचार, राज्य में बढ़ते हुये खर्चे पर नियंत्रण न होना तथा न्याय के बढ़ते हुय खर्चे, शिक्षा का दिन प्रतिदिन गिरता हुआ स्तर पर प्रकाश नहीं डाला " ।

श्री राजनारायण--मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जांय--

"सदन को खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों की चर्चा नहीं की--

(१) सोशलिस्ट पार्टी ने जिन पांच लोक कल्याणकारी मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी आन्दोलन १ मई, १९६० से प्रारम्भ किया था उस शान्ति पूर्ण एवं हिंसात्मक सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रति सरकार ने जो हिंसक, दमनात्मक तथा अप्रजातांत्रिक कार्यवाहियां कीं तथा सत्याग्रहियों को गलत ढंग से सजायें दिलाई, गलत ढंग से जुर्माने हुये व कुर्कियां की गयीं और अब भी की जा रही हैं इन पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला ।

(२) प्रदेश के पर्वतीय व अन्य पिछड़े भू-भागों में आवागमन के साधनों का विकास करने तथा बेकारी व गरीबी दूर करने के लिये कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं पेश किया ।

(३) प्रदेश के हो रहे पंचायतों के चुनाव में जिस व्यापक ढंग पर पक्षपात तथा नियमों का उल्लंघन किया गया है उससे प्रदेश की जनमत की अभिव्यक्ति न होकर जनतंत्र पर गहरा आघात पहुंचा है ।

(४) प्रदेश में गत अक्तूबर बाढ़ व पहली फरवरी के आस पास होने वाले जल वृष्टि व उपल-वृष्टि के कारण खरीफ व आम व रबी की फसल को अपार क्षति पहुंची और सरकारी सहायता के अभाव के कारण प्रदेश का जन जीवन दयनीय स्थिति पर पहुंच गया ।

(५) श्री राज्यपाल महोदय ने राष्ट्र भाषा हिन्दी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश के उच्च न्याय लय में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी में सारा काम काज करने के संबंध में सरकारी उपेक्षा का कारण नहीं बताया ।

(६) प्रदेश के २० हजार से अधिक रोडवेज कर्मचारियों के सेवा नियमों में राज्य सरकार ने एक शासकीय आदेश द्वारा एकाएक दमनात्मक परिवर्तन किया जिसकी चर्चा राज्यपाल महोदय के भाषण में नहीं है ।

(७) प्रदेश की सरकार द्वारा श्रमिकों की हालत को सुधारने और छटनी अभिनवीकरण के कारण बढ़े कार्यभार को रोकने, जीवन निर्वाह या योग्य वेतन क्रम दिलाने तथा टैक्सटाइल व शुगर वेजबोर्ड की रपट को लागू कराने के संबंध में कोई प्रकाश नहीं डाला है ।

(८) कटाव एवं बाढ़ नियन्त्रण करने की योजनाओं का कोई जिक्र नहीं है ।

(९) बैकवर्ड कमीशन की रपट लागू करने की दिशा में सरकार के निश्चय की घोषणा नहीं है ।

(१०) अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कक्षा ८ तक करने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की है ।

(११) पूर्ण मद्य-निषेध के संबंध में भी कोई जिक्र नहीं है ।

(१२) गन्ना उत्पादकों के साथ न्याय करने के लिये गन्ने की कीमत २ रुपया मन करने तथा चीनी की ३२ रुपया मन करने की सिफारिश केन्द्रीय सरकार को करने की घोषणा नहीं है ।

(१३) प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नीति की १८ फी सदी जगहें सरकारी नौकरियों में हरिजनों को दी जायेंगी का पालन दृढ़तापूर्वक न करने के कारणों पर प्रकाश नहीं डाला ।

(१४) शासक दल के आंतरिक संगठनात्मक प्रान्तीय अध्यक्षीय चुनाव में राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने जिस व्यापक ढंग पर खुल कर भाग लिया है और जिससे सरकार व सरकारी दल का विभेद मिटता गया है, उस पर भी राज्यपाल महोदय ने प्रकाश नहीं डाला ।

(१५) मोटरिक बांट प्रणाली अनिवार्य रूप से २ अक्तूबर, १९६० से प्रदेश के कुल जिलों में लागू करके पुराने प्रचलित बांटों को सिक्कों की भांति न बदल कर तथा नये बांटों को मनमाने दाम पर बेचने की आज्ञा देने के कारण जनता को जो कठिनाई हो रही है उस पर प्रकाश नहीं डाला ।

(१६) जिस अप्रजातांत्रिक ढंग पर वर्तमान मंत्रि-परिषद् का संगठन हुआ है उसके कारणों पर भी प्रकाश नहीं डाला गया ।"

श्रीमन्, मेरा एक सत्रहवां भी था ।

श्री उपाध्यक्ष--वह चूंकि राज्य सरकार से संबंधित नहीं है और केन्द्रीय सरकार का विषय है....

श्री राजनारायण--लेकिन वह हमारे प्रदेश में हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--लेकिन वह केन्द्रीय सरकार द्वारा बुलायी गयी है और खर्च भी केन्द्रीय सरकार द्वारा हो रहा है ।

श्री राजनारायण--श्रीमन, मैं तो उन लोगों से सहमत हूं कि जो कहते हैं कि धन का अपव्यय हो रहा है प्रदेश में ....

श्री उपाध्यक्ष--मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि महारानी के स्वागत में जो धन व्यय हो रहा है क्या राज्य सरकार से उसका संबंध है या वह धन केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही व्यय हो रहा है ?

श्री राजनारायण--मैं पता लगा चुका हूं, वह राज्य सरकार द्वारा ही खर्च किया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--(आचार्य जुगलकिशोर से) प्रश्न यह है कि ब्रिटेन की साम्राज्ञी के स्वागत में जो खर्च हो रहा है उसमें राज्य सरकार का भी कुछ अंश है अथवा वह केन्द्रीय सरकार ही कर रही है ?

शिक्षा-मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)--ऐसी कोई सूचना इस समय मेरे पास नहीं है । बाद में दे सकता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--(श्री राजनारायण से) आप पेश कीजिये ।

श्री राजनारायण--"(१७) ब्रिटेन की साम्राज्ञी के स्वागत में होने वाला अपव्यय एवं उससे अंग्रेजी भाषा, भूषा, भोजन और भवन को अपनाने को जो बढ़ावा मिला है उसकी निन्दा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में नहीं है ।"

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री सीताराम शुक्ल का नाम पुकारने पर)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, मेरा एक निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष—मैंने आपका नाम नहीं लिया। मैं श्री सीताराम शुक्ल को बुला चुका हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"महामान्य राज्यपाल महोदय यदि पार्टीबाजी को रोकने और शासन को सुदृढ़ बनाने के लिये भी सुझाव दिये होते तो व्याख्यान और उत्तम होता।"

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये श्री नवलकिशोर द्वारा उपस्थित धन्यवाद के प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित शब्द और जोड़ दिये जायं:—

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्न आवश्यक बातों पर प्रकाश नहीं डाला :—

(१) गत मास अक्तूबर में अनेक जिलों में नदियों में बाढ़ व अति वर्षा के कारण हुई फसलों की हानि, जन व पशुओं की मृत्युयें, गृहों का ध्वस्त होना तथा उस आपत्ति पर सरकार द्वारा दी गई अथवा दी जाने वाली सहायता, लगान में छूट, तकावी व अनुदानों का देना।

(२) इस वर्ष माह फरवरी में हुई ओला पत्थर (उपल) वर्षा तथा अति वर्षा के कारण अनेक जिलों में हुई फसल हानि तथा जन व पशु हानि तथा उस आपत्ति पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायतायें।

(३) अन्तरिम जिला परिषदों का रूपान्तर करते समय इस बात का ध्यान नहीं दिया जाना कि गैर सरकारी अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रजातांत्रिक तौर पर किये जाने की सम्भावना है।

(४) माध्यमिक शिक्षा आयोग, १९६० की नियुक्ति करते समय वर्तमान हाई स्कूल एन्ड इन्टरमीडियेट बोर्ड के अनौचित्य को विचारणीय विषय में नहीं रखना।

(५) भू-अभिलेखों की गत वर्ष की गई गलतियों की दुरुस्ती में मनमाने ढंग पर लगान वृद्धि कर लेने और उन वृद्धियों को गत पांच पांच वर्षों की अवधि तक के लिये अन्यायपूर्ण वसूलयावी कर लेना।

(६) इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स ऐक्ट तथा शाप्स ऐन्ड कार्मशियल इस्टैब्लिशमेंट ऐक्ट्स को विलम्ब से प्रस्तुत करके अनेक पूंजीपतियों को श्रमिकों पर अनेक अन्याय करने देना।

(७) प्रदेश के शासन को अध्यादेशों द्वारा शासित करना एवं विधान मंडल के अधिवेशनों को प्रथम नहीं बुलाना।

(८) जनता की आवश्यक वस्तुयें कोयला, व अन्य ईंधनों का अभाव होना, कपड़ा, खाद्य पदार्थों के मूल्य असन्तुलित होना।

(९) सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार, पक्षपात एवं ढील में कोई प्रगति नहीं करा सकता।

(१०) सरकारी व्यय-नीति में आमूल परिवर्तन नहीं करने जिसके कारण अपव्यय, दुर्व्यय तथा अनाधिकार व्यय की वृद्धि होना।

(११) मंत्रियों, उपमंत्रियों, राज्य मंत्रियों के वेतन में आदर्श कमी नहीं कर सकने पर अन्य ऊंचे वेतन भोगी अधिकारियों का वेतन न घटा सकना।

(१२) ग्राम पंचायतों के निर्वाचन होते समय पंचायत राज्य विभाग द्वारा बरती अनियमिततायें एवं भ्रष्ट कार्यवाहियां बरतना।

(१३) प्राइमरी अध्यापकों के वेतन में आमूल वृद्धि न कर सकना, आदि।"

आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)---श्रीमन्, इस प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित और जोड़ दिया जाय---

"परन्तु खेद है कि राजयपाल महोदय ने उस जनतंत्र विरोधी पद्धति पर चिन्ता प्रकट नहीं की जिसके आधार पर वर्तमान मंत्रिमंडल का गठन किया गया है।

(२) अनवरत रूप से अध्यादेश जारी करने पर खेद प्रकट नहीं किया जिसके अनुसार तमाम संकट कालीन अधिकार सामान्य परिस्थितियों में लागू कर दिये गये ।

(३) तीन एकड़ से कम की जोतों को लगान से मुक्त करने की घोषणा नहीं की ।

(४) पंचायतों के चुनाव में सदस्यों का चुनाव हाथ उठाकर करने की फूट परस्त नीति का विरोध नहीं किया ।

(५) पश्चिमी जिलों में उच्च न्यायालय की शाखा स्थापित करने, मेरठ में विश्वविद्यालय की शीघ्रतम स्थापना करने तथा एक मेडिकल कालेज की नींव डालने की घोषणा नहीं की ।

(६) शाहदरा-सहारनपुर मार्टिन रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने तथा उसके स्थान पर बड़ी रेलवे लाइन बिछाने की सिफारिश नहीं की गई ।

(७) पूर्वी जमन नहर में सिंचाई का पानी बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई और अगले पांच वर्षों में मेरठ, मुजफ्फरनगर तथा सहारनपुर में २,००० नये नलकूप लगाने की घोषणा नहीं की ।

(८) चकबन्दी कार्य में प्रत्येक प्रमुख या बड़े जिले में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी की नियुक्ति का आदेश नहीं दिया गया है ।"

श्री उपाध्यक्ष---आपका शाहदरा-सहारनपुर मार्टिन रेलवे के राष्ट्रीयकरण करने वाला जो संशोधन है उसको छोड़ कर बाकी सब रहेंगे क्योंकि उसका संबंध केन्द्रीय सरकार से है ।

आचार्य दीपंकर---मैंने इसमें निर्णय करने की मांग नहीं की है, केवल सिफारिश करने की बात कही है ।

श्री उपाध्यक्ष---तो ठीक है ।

अब जो माननीय सदस्य भाषण करना चाहते हों वह अपनी इच्छा प्रकट करें ।

***श्री बदलूराम** (जिला बहराइच)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, जो गवर्नर महोदय ने कल अभिभाषण दिया है इस सदन के सम्मुख उसके विषय में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

मौजूदा सरकार जो सन् १९६० के दिसम्बर के महीने में आई वह एक असाधारण परिस्थिति में आई । जिस तरह से इसकी शुरूआत हुई वह एक मैलेस रेवेल्यूशन हुआ जिसका जन-साधारण से कोई सम्बन्ध नहीं था । एक पार्टी के दो दलों के बीच में कुछ स्वार्थ की भावनाओं में आकर के कुछ मत-वैभिन्य हुआ और उसका परिणाम यह हुआ कि एक मंत्रिमंडल के जो मुख्य मंत्री थे उन्होंने पद-त्याग किया और जिनको जन-मत ने ठुकराया था बार-बार, उस पार्टी के वह लीडर या नेता चुने गये । तो जिस मंत्रिमंडल का आविर्भाव ऐसी असाधारण स्थिति में हुआ है उसके सारे काम असाधारण तरीके से चलते रहे । इसलिये पहला असाधारण काम जो संविधान के अन्तर्गत हुआ वह यह कि एक आर्डिनेंस जारी हुआ और १२ तारीख को गवर्नर महोदय ने जो दोनों सदनों को बुलाने का आमंत्रण दिया था उसको उन्होंने निरस्त कर दिया । यह पहला कदम उन्होंने रखा, जो एक असाधारण परिस्थिति का परिचायक था ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बदलू राम]

दूसरा यह कि आर्डिनेंस के द्वारा ही शासन का सूत्रपात मंत्रिमंडल का हुआ और एक आर्डिनेंस नहीं बल्कि सात आर्डिनेंस इसी १२ दिसम्बर के पश्चात् और ३१ दिसम्बर के अन्दर लगाये गये । साधारणतया आर्डिनेंस के द्वारा शासन असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है जब कि कोई वैधानिक संकट उपस्थित हो या जनता के सामने कोई ऐसी स्थिति आ जाय, जिसमें नार्मल वर्किंग न हो सकती हो । लेकिन यहां एक नार्मल परिस्थिति में भी ७–७ आर्डिनेंस लगाये गये, यह इस मंत्रिमंडल की एक विशेषता थी, जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि इस मिनिस्ट्री का आविर्भाव ही असाधारण स्थिति से हुआ था ।

अब एक ओर तो यह दुंदुभी बजाई गई कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार में एक बड़ा भारी इन्क्लाब हुआ, हालांकि एक दलबन्दी के सिलसिले में दो गुटों में लड़ाई हुई । एक मंत्रिमंडल बदला, दूसरा आया, लेकिन जनता के सामने यह रखा गया कि मालूम होता है कि सरकार में भी एक पार्टी की हुकूमत बदल गई, दूसरी हुकूमत आ गई । इसका बड़ा प्रेस प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और उसके साथ-साथ एक बड़े सस्ते प्रचार की शरण ली गयी वह यह थी कि यह पास किया गया कि मिनिस्टर लोगों की तनख्वाहें कम कर दी जायं, १,२०० के बजाय वह १,००० रुपया लेंगे, उसमें इनकम-टैक्स भी निकलेगा । उनके बंगले जो बड़े बड़े हैं उनसे हटाकर के वह छोटे-छोटे बंगलों में रखे जायेंगे । उनके बड़े बंगलों में सरकारी दफ्तर खुलेंगे । बड़ी-बड़ी गाड़ियों के स्थान पर उनको छोटी-छोटी गाड़ियां दी जायंगी । चूंकि सन् १९६२ में जनता को फिर साधारण चुनाव में भाग लेने का अवसर मिलेगा इसलिये उसके पहले एक वर्ष पूर्व यह एक सस्ते प्रचार का ढोंग रखा गया । इससे, कहा यह जाता है, कि एक बड़ी भारी मनोवैज्ञानिक क्रान्ति होगी, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वह यह समझेंगे कि तमाम मिनिस्टर लोग अपनी तनख्वाह कम कर रहे हैं, एक मितव्ययिता का प्रचार कर रहे हैं इसलिये हम को भी ऐसा करना चाहिये । लेकिन मानव जीवन की जो वस्तुस्थिति है उसका ध्यान नहीं रखा गया । स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले कांग्रेस आन्दोलन के समय कराची में मिनिस्टरों की तनख्वाह ५०० रु० रखी गई थी, बड़े बड़े स्वप्न हमने देखे थे कि कुटीरों में रहेंगे, किसान ढंग का मंत्रिमंडल रहेगा, लेकिन जब लोग राजगद्दियों पर आये, शासनरूढ़ हुए तो उन वादों को भूल गये । महात्मा गांधी के समय में भी ये ऐसा काम नहीं कर पाये जिसके लिये वर्षों तक हमने प्रचार किया था । तो साल भर में जो वायदे किये गये हैं कि १,२०० के बजाय १,००० तनख्वाह कर देंगे और बड़े-बड़े सरकारी कर्मचारी अपनी तनख्वाह कम कर देंगे, यह केवल हमारी भावना मात्र ही है । हमको भावना के आवेश में या प्रगतिशीलता के आवेश में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिये जिसको हमें कल बदलना पड़े । मानव जीवन यही रहेगा । हर व्यक्ति जिसका कि बौद्धिक विकास हुआ है यह चाहता है कि हमारा स्टैन्डर्ड उठा रहे । इस प्रकार से आप तनख्वाहें कम करके भ्रष्टाचार का रास्ता बढ़ा रहे हैं क्योंकि जो चीज आप कायदे कानून से नहीं कर सकते उसको आप बिना कायदे कानून के करने की कोशिश करेंगे । आपने भावनावश १,२०० से १,००० कर दिया और यह भी कह दिया कि इनकम टैक्स भी देंगे, लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप अस्लियत का लिहाज रखकर काम करने की कोशिश करें । भावना और प्रगतिशीलता की होड़ में आकर आप ५०० करें, दूसरा ३०० करे और फिर तीसरा ढाई सौ, यह उचित नहीं है । केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने मिनिस्टरों की तनख्वाह ५०० रु० रखी थी लेकिन वह सरकार चल नहीं सकी । यह आपकी बड़ी भारी भूल है ।

दूसरी बात आप यह देखें कि एक आर्डिनेन्स यह लाया गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो प्रेसीडेंट होगा वह असरकारी आदमी होगा । १९४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव जनमत द्वारा हुआ था । उसके पश्चात् पूर्ण स्वतंत्रता का संविधान १९५० में लागू हुआ । उसके अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में पार्लियामेन्ट और विधान सभाओं के चुनाव दो मर्तबा हो चुके हैं, १९५२ और १९५७ में और अब फिर एक वर्ष बाद हम सन् १९६२ में तीसरा चुनाव करने जा रहे हैं । इस दर्मियान में हमने नगरपालिकाओं का नया कांस्टीट्यूशन तैयार कर लिया और उसके चुनाव करवा दिये । नगरपालिकाओं में दो मर्तबे हमने जनरल एलेक्शन करवा दिये

लेकिन बड़ी हैरत और दुख की बात है कि सन् १९४८ से लेकर १९६२ के दर्मियान में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऐक्ट में कोई तब्दीली नहीं हुई बल्कि हमेशा किसी न किसी अड़ंगे की शरण लेकर कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव नहीं कराया जायगा ।

अब सवाल पैदा होता है कि क्या बात है ? जिले के शासन सूत्र को प्रभावित करने और जिलों में गुटबन्दी करने के माध्यम जिला बोर्ड ही होते हैं । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक बड़ा भारी केन्द्र है हमारे शासन सूत्र का । तो उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में क्या किया जा रहा है ? जो पहले सरकार थी उसको अपनी नौकरशाही पर बड़ा भरोसा था, उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का प्रेसीडेन्ट जिला मैजिस्ट्रेटों को कर दें तो यहां भी हमारा शासन और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी हमारा शासन हो जायगा । इस तरह से उन्होंने किया । जब दूसरा मंत्रिमंडल आया तो उसने सोचा कि नहीं, कुछ गैरसरकारी आदमियों को भी रखना चाहिये । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद १९४८ में हर जिला बोर्ड में कांग्रेसियों की बहुमत थी इसलिये हर जगह अंतरिम जिला परिषद् में जो मेम्बर आये, हैं वह भी कांग्रेसी आये, वाइस-प्रेसीडेंट भी कांग्रेसी आये । अब यह सोचा जा रहा है कि १९६२ के पहले अगर हम गैरसरकारी प्रेसीडेंट कर दें तो कोई न कोई कांग्रेस का जो मुख्य आदमी होगा वह जिला परिषद् का प्रेसीडेंट हो जायगा । और जब वह जिला परिषद का प्रेसीडेंट हो जायगा तो जिले की सारी सत्ता इनके हाथ में आ जायगी और उसके द्वारा यह जिले के ऊपर भी शासन कर सकेंगे और सन १९६२ में जो जनरल एलेक्शन होने वाला है उस पर भी यह प्रभाव डाल सकेंगे, यह इतका मतलब मालूम होता है । इस आर्डिनेन्स के जारी करने में सरकार की कोई नेकनीयती नहीं मालूम होती ।

एक सबसे बड़ी बात यह है कि जहां राज्यपाल महोदय के भाषण में इतने सारे कानूनों के बारे में इशारा किया गया है वहां इस तरफ कोई इशारा नहीं किया गया है कि क्षेत्र समिति और जिला परिषद् बिल जो असेम्बली से पास हो गया है वह काउन्सिल में निकट भविष्य में कब तक पास हो जायगा और वह कब तक कार्यान्वित किया जा सकेगा । इसका कोई संकेत राज्यपाल महोदय के भाषण में नहीं किया गया है । लोग कहते हैं कि आज प्रश्नोत्तर के समय सरकार की ओर से इस बात का आश्वासन दिया गया है कि यह लागू कर दिया जायगा । लेकिन मुझे तो इसमें बड़ा ताज्जुब सा मालूम पड़ता है क्योंकि जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें कई बिल रखे गये हैं, आर्डिनेन्स रखे गये हैं । मार्च के महीने तक लेजिस्लेटिव कौंसिल से यह वापस नहीं आ सकता । जब मई और जून के महीने आयेंगे तो सदन के सदस्य कहेंगे कि मई, जून में हम कनवेसिंग नहीं कर सकते । फिर बरसात आ जायगी । अक्तूबर, नवम्बर के बाद दूसरे चुनाव की चर्चा होने लगेगी । इसीलिये यह गलत कहा जाता है कि यह आर्डिनेन्स ३० जून तक के लिये है, वह ऐक्ट में परिणत कर दिया जायगा और वह १९६२ तक चलेगा । जब १९६२ के आम चुनाव समाप्त हो जायेंगे और यह देख लेंगे कि हम रहते हैं या नहीं, उस समय सोचेंगे कि इसको बदलें या न बदलें । इस मंत्रिमंडल के समय में तो इसके बदलने की संभावना है नहीं । इसलिये यह आर्डिनेन्स निहायत बदनीयती के साथ लाया गया है ।

कोर्ट फीस बिल भी रखा गया है । दुनिया में जितनी भी सभ्य गवर्नमेंट्स हैं वहां कहीं भी न्याय नहीं बिकता, न्याय के लिये कोई टैक्स नहीं लिया जाता । लेकिन यहां जिस प्रकार से आबकारी विभाग है, रेलवे विभाग है और उन विभागों से जो आमदनी होती है वह दूसरे विभागों पर खर्च की जाती है उसी प्रकार से यहां कोर्ट फीस की आमदनी शुमार की जाती है, इन्साफ बेचकर दूसरे विभागों को चलाया जाता है । जिस प्रकार से लोगों को दवा मुफ्त मिलनी चाहिये, जिस प्रकार से शिक्षा, जल और भोजन लोगों की आवश्यक वस्तुयें हैं उसी प्रकार न्याय पाने का भी नागरिक का मौलिक अधिकार है । उसे यह बिना शुल्क के प्राप्त होना चाहिये । लेकिन यहां कोर्ट फीस ऐक्ट का एक लंबा इतिहास है सरकार सदा से इसके लिये रुपया लेती आयी और अब भी लेती जाती है । यह बिलकुल गलत चीज है । लेकिन इसको भी आर्डिनेन्स के द्वारा यहां लाया गया है । यह ठीक नहीं है ।

*श्री रूम सिंह (जिला शाहजहांपुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में इस बात पर प्रकाश नहीं डाला कि सोशलिस्ट पार्टी ने एक मई से जो सत्याग्रह किया था, और जिसके द्वारा ५ बुनियादी मांगें रखी थीं और जिसके द्वारा प्रदेश के भला होने का पूरा भरोसा था, जिससे प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दशा सुधरती, उसका कोई जिक्र नहीं किया गया ।

सरकार की दाम नीति बहुत खराब रही है । यह देखा जाता है कि एक कारखाने का मालिक ३ साल में इतना मुनाफा कमा लेता है कि वह एक दूसरा कारखाना खड़ा कर देता है क्योंकि जिस सामान की लागत एक रुपया आती है उसको वह ढाई रुपये में बेचता है । इस प्रकार से अन्धाधुन्ध रकम कमा कर तीन साल के अन्दर नया कारखाना खड़ा कर लेता है ।

इसी प्रकार से गन्ने के मूल्य का भी सवाल है, दूसरी फसलों का भी सवाल है । जब किसान के घर से फसल बाजार में आती है तो उसका दाम कम होता है और जब वह आढ़ती के पास आ जाती है तब उसका दाम दुगुना हो जाता है । इन बातों के मुताल्लिक भी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कोई प्रकाश नहीं डाला ।

हम लोग विधान सभा में बहुत सी चीजों से महरूम रखे जाते हैं । कहा जाता है कि यह जनता की सरकार है लेकिन जनता की बोली में काम नहीं किया जाता है । विदेशी बोली में राज काज चलाया जाता है । क्या विदेशी बोली में जनता के उद्गारों को प्रकट किया जा सकता है ? यों तो बिलकुल साफ है कि आज की सरकार जनता को धोखा दे रही है इस अंग्रेजी भाषा की मार्फत । जितने भी कानून हैं वे सब अंग्रेजी भाषा में बने हुये हैं और यहां के लोग अपनी काबलियत दिखलाने के लिये खासतौर से अंग्रेजी बोलते हैं । मंत्री लोग, उपमंत्री लोग और क्या कहूं बाज वक्त अध्यक्ष महोदय भी अंग्रेजी में बहुत सी बातें कह जाते हैं । बड़ा अफसोस होता है । राज्यपाल महोदय ने इस भाषा के मुताल्लिक अपने अभिभाषण में कोई भी प्रकाश नहीं डाला है कि आखिर प्रदेश की कौन सी भाषा होगी, हमारे प्रदेश में कितने लोग अंग्रेजी पढ़े हुये हैं और कितने लोग हिन्दी या हिन्दुस्तानी जानते हैं तथा हमारे इस प्रदेश की विधान सभा में कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिये ।

तीसरी चीज यह है कि आज किसान मर रहे हैं । अलाभकर जोत सवा ६ एकड़ वाले जो काश्तकार हैं जिनकी गुजर मुश्किल से होती है, उन अलाभकर जोतों का लगान हटाया जाय, इस पर राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कोई भी प्रकाश नहीं डाला है ।

चौथी बात यह है कि पंचायतों के चुनाव हुये, इन पंचायतों के चुनाव में प्रजातंत्र का बड़ा ही जबरदस्त मखौल उड़ाया गया है । पंचायत विभाग ने किसी प्रकार का इन्तजाम नहीं किया मंत्रियों के ऊपर प्रधान का बनना और बिगड़ना निर्भर करता है । जैसा मंत्री ने चाहा अगर वह पुराने प्रधान के पक्ष में है तो उसके पक्ष में नौ-नौ, दस-दस साल के बच्चों को मतदाता बना कर वोट डलवाया गया और जिन प्रधान के ऊपर उनकी निगाह नहीं है वहां ६०, ७० वर्ष तक के बूढ़े भी वोटर नहीं बन पाये । उम्मीदवारों को सूची देने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी । चुनाव के दिन तक उम्मीदवार वोटर सूची के लिये मारे-मारे फिरते रहे । ग्राम सभाओं के मतदाताओं की सूची के लिये कोई कीमत भी सरकार द्वारा नहीं निर्धारित की गयी थी कि इस कीमत पर वह उनको मिल सकेगी । पर्चियों के स्वीकार करने में भी हजारों और लाखों रुपये की रिश्वत रिटर्निंग आफिसरों द्वारा चली है । जिनकी पर्ची लेनी हुई उनको तो समय के बाद आने पर भी ले लिया गया और जिनकी पर्ची समय के अन्दर आ भी गयी लेकिन उनको लेना न हुआ तो बाद में पर्ची खारिज करते हुए कह दिया गया कि समय से पर्ची नहीं दाखिल हुई थी । तो इस चुनाव में प्रजातंत्र का बड़ा जबरदस्त मखौल उड़ाया गया है । अगर सरकार इस बात की जांच करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सारे के सारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चुनाव जो पंचायतों के हुए हैं वे अवैधानिक हो जायेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर सरकार इस प्रदेश में पंचायत राज कायम करना चाहती है तो वह इन पंचायत चुनावों को अवैधानिक करार दे और पंचायतों का चुनाव फिर दोबारा कराया जाय क्योंकि इसमें बड़ी धांधली तथा बेईमानियां हुई हैं।

जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उसका कोई जिक्र नहीं किया है। इसके पहले वाली सरकार भ्रष्टाचार की वजह से ही खतम हो गयी। आपने ही उनको भ्रष्टाचारी बतलाया था। साथ ही मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि राज्य पाल महोदय द्वारा पूंजीपतियों तथा बड़े लोगों के पक्ष की बहुत सी बातें कही गयीं हैं जिससे उनको प्रोत्साहन मिले लेकिन जो हमारे गरीब बेचारे अध्यापक लोग हैं और जो देहात के स्कूलों तथा मदरसों में पढ़ाते हैं उनके बारे में कोई भी प्रकाश नहीं डाला गया है। उन सरकारी कर्मचा-रियों के लिये जिनकी तनख्वाह ५० रुपये से कम है साढ़े ५ रुपया बढ़ाया गया है लेकिन उन अध्यापकों के लिये वह साढ़े ५ रुपया भी नहीं बढ़ाया गया।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस मंत्रिमंडल ने बड़ी जबरदस्त घोषणा की है कि हमने मंत्रियों की तनख्वाह कम कर दी है और पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज को कोई तनख्वाह नहीं देंगे और इस तरह से हमने सरकारी कोष में किफायतशारी की है। मैं वर्तमान सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरह से काम चलेगा नहीं। अगर आप भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो ईमानदारी से अपना काम करें।

ढिंढोरा पीटा गया कि मंत्रियों के वेतन कम कर दिये लेकिन मैं तो आपके सरकारी कर्मचा-रियों के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं कि सौ रुपये से कम किसी का वेतन न होना चाहिये क्योंकि सौ रुपये से कम में जिस को मामूली गुजारा कहते हैं वह भी नहीं हो सकता चाहे कोई लेखपाल हो, अध्यापक हो या कांस्टेबिल हो, कोई भी हो। कोई भी आगे ऐसा न हो कि जिसकी आय तो १०० रु० मासिक से कम हो और कोई भी ऐसा न रहे कि जिसकी आय एक हजार रुपया मासिक से अधिक हो। आप हिम्मत के साथ ऐसा कीजिये और इस तरह का एक प्रस्ताव लाइये, हम भी आप का साथ देंगे और यह जो आप की ढुलमुल यकीनी चल रही है उस के लाने से वह भी मिट जायगी और आप इससे अपने मंत्रिमंडल को भी मजबूत करेंगे और सही मानों में अच्छे तरीके से राज्य चला सकेंगे। इसलिये हिम्मत कर के आप ऐसा कानून लायें कि जिससे १०० रुपये से किसी का वेतन कम न हो और १,००० रुपया मासिक से अधिक न हो, इससे आप की ताकत मजबूत होगी। आप तो ऐसी शाखाओं और टहनियों को पकड़ रहे हैं जो पकड़ते ही छूट जाती हैं और आप एक ढुलमुलयकीनी की हालत में पहुंच जाते हैं। इसी से बचने के लिये आप के सामने हमारी सोशलिस्ट पार्टी ने एक सुन्दर कार्यक्रम रखा है और आज भारत में सोशलिस्ट पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो देश के सामने बुनियादी चीजे रख रही है।

मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि यहां भ्रष्टाचार कम हो तो आप को आय और व्यय दोनों पर ही रोक लगाना चाहिये। आप निश्चित कर दें कि कोई आदमी अपने रहने के मकान में दस हजार, १५ हजार या २० हजार से अधिक नहीं लगा सकता, अपनी हिफा-जत के लिये या सफर के लिये एक ही कार रख सकता है, दस बीस नहीं रख सकता। ऐसा कानून आप बना देंगे तो जो दौड़ पैसा इक्ट्ठा करने की है, जो भ्रष्टाचार है, वह मिटेगा और आप की ताकत मजबूत होगी। जो पूंजीपति हैं वह समझने लगेंगे कि जिस रुपये को हम अधिक व्यय ही न कर सकेंगे उसको इक्ट्ठा करने से क्या लाभ और जो लूट आज मची है वह स्वयं ही खत्म हो जायगी।

श्री सीताराम शुक्ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाषण देने से पहले जो मेरे बारे में थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है उसका कुछ जवाब देना चाहता हूं। किन्तु सर्व प्रथम मैं

[श्री सीताराम शुक्ल]

नये मुख्यमंत्री जी को और जो नये मंत्री नियुक्त हुये हैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। यह लोग यहां आये मुझे बड़ी खुशी हुई, अगर न आते तो दुख होता। मैंने कहा था कि श्री चन्द्रभानु जी गुप्त की उपेक्षा नहीं की जा सकती, मैंने भी सुलह कराने की कोशिश की दोनों दलों में लेकिन वह न हो सकी, बदकिस्मती। यह तो आप जानते ही हैं कि जीतने वाले का सब साथ देते हैं, हारने वाले का कोई नही देता, निकलते हुये सूर्य की पूजा होती है, ढलते हुये को कोई नहीं पूजता। कुछ दोस्तों ने धोखा किया, लेकिन मुझे खुशी हुई.....

श्री उपाध्यक्ष—आप का खयाल है कि गवर्नर साहब को भी कुछ इस का जिक्र करना चाहिये था।

श्री सीताराम शुक्ल—अवश्य, मुझे प्रसन्नता इसलिये हुई अनेक मित्रों ने मंत्रि पद छोड़ दिया परन्तु मित्रता नहीं छोड़ी लेकिन जो लोग मंत्रि पद से चले गये उनके जाने से कम दुख भी नहीं हुआ। मैं तो कम्प्रोमाइज और सुलह देखना चाहता हूं। जैसा मैंने पहले कहा था कि चन्द्रभानु गुप्त जी की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता, आज फिर कहता हूं कि श्री सम्पूर्णानन्द जी को भी भुलाया नहीं जा सकता। उनका करेक्टर, उनकी सूझ-बूझ और उनका ऊंचा दर्जा इस पार्टीबाजी से भुलाया नहीं जा सकता। श्री कमलापति त्रिपाठी आदि भुलाए नहीं जा सकते। यह बराबर की पार्टियां हैं। उपेक्षा से काम नहीं चलेगा। नुकसान हो जाएगा। भाइयों का अनादर करके, उन्हें निकाल के भाई आराम से नहीं रह सकता। इसलिये मेरी अर्ज है कि मुबारक हो आपको कुर्सी, लेकिन उन्हें मनाकर बैठाया जाय वरना यह पांच पांडव साबित होंगे। वह खुशी की बात नहीं होगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि कम्प्रोमाइज हो।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप विषय पर बोलिये।

श्री सीताराम शुक्ल—श्रीमन्, उसी पर अर्ज कर रहा हूं। मैंने शुरू यहां से किया कि पार्टीबाजी टूटे। इसी सिलसिले में मैं यह अर्ज कर दूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि रानी खेत से एलेक्शन लड़ेंगे। मेरी प्रार्थना है कि वह लड़ें या न लड़ें, किन्तु निन्दा करने वाले विरोधी वृन्द हर हालत में निन्दा करेंगे। इसलिये निन्दा की परवाह न करें। कानून बताता है कि छः महीने के अन्दर विधान परिषद् का मेम्बर होने के बाद चीफ मिनिस्टर हो सकता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट की बात लोग कहते हैं। डायरेक्ट वह है कि पहले एम० एल० ए० हो और फिर मुख्यमंत्री बने या यह है कि हम वोटर हैं और वोटर से मुख्य मंत्री बन गये। एलेक्शन की बात है, मेरा विश्वास है कि वह जीतेंगे। वह इतने पापुलर और शक्तिशाली हैं कि बहुत से लोग वहां जायेंगे उनको जिताने के लिये....

एक सदस्य—मौदहे भी तो गये थे!

श्री सीताराम शुक्ल—मौदहे गये थे तो वहां गर्मी थी। यहां सर्दी लग जाएगी तो क्या फायदा। इसलिये मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको वहां लड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे न चन्द्रभानु गुप्त जी से शिकायत है और न बाबूजी से। झगड़ा तो दिल्ली से शुरू हुआ है जो देखना नहीं चाहते श्री चन्द्रभानु गुप्त को ताकत में। वह तो अपने भुजदंड की शक्ति से हुए हैं। झगड़ा तो वहां से शुरू हुआ है कि कभी किसी की पीठ ठोकी और कभी किसी की ठोकी। मैं आपके द्वारा दिल्ली से कहना चाहता हूं कि इससे बहुत नुकसान होगा मुल्क का। इस देश के अच्छे लोगों को हमें लेना पड़ेगा। पार्टीबाजी से अलग होकर अगर हुकूमत न कायम हुई तो ठीक न होगा। सेवा पहले है और लीडरी बाद में, अगर यह खयाल रहा तो लीडरी कदमों पर घूमेगी और अगर यह रहा कि सबको खाना मिले, लोग मजे में रहें, मगर लीडरी मुझे जरूर मिले तो मैं बतलाना चाहता हूं कि लीडरी भाग जाएगी। इसलिये मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि पार्टीबाजी से ऊपर उठिए....

श्री दर्शनसिंह (जिला शाहजहांपुर)—प्वाइंट आफ आर्डर। क्या उपाध्यक्ष महोदय से मैं यह पूछ सकता हूं कि माननीय सदस्य किस सबजेक्ट के ऊपर बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—इनका संशोधन यह है कि महामान्य राज्यपाल महोदय यदि पार्टी-बाजी को रोकने और शासन को सुदृढ़ बनाने के लिये भी सुझाव दिये होते तो व्याख्यान और उत्तम होता। तो उनका विषय ही वह है।

(हंसी)

श्री सीताराम शुक्ल—इन्होंने अच्छा किया कि टोंक दिया। श्रीमन्, आज यहां जितने संशोधन हैं वह इसलिये हैं कि गवर्नमेंट को बदनाम करें। इसका जवाब होगा कि गवर्नमेन्ट बहुत अच्छी है। मेरा एक नया संशोधन है। मुझे ५ मिनट और दिये जायं ताकि मैं अपने दृष्टिकोण को आप के सामने रख सकूं, और आप भी बहुत कुछ मेरे ही विचार के हैं, इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे।

आपको सुनकर खुशी होगी जो मैं सुझाव देता हूं उसका मेरे कुछ साथी बड़ी मुखालफत करते थे। लेकिन मैं बताता हूं कि श्री राजगोपालाचारी जी का मेरे पास खत आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि तुम्हारे विचार मौलिक हैं, ओरिजिनल हैं, आदर और ऐप्रीशियेट करने के काबिल हैं। मेरा कहना है कि यह कहना कि कांग्रेस वाले बेईमान हैं, खुदगरज हैं, लीडरी चाहते हैं, अपना ऐश चाहते हैं, मैं इसको नहीं मानता। वे सब की भलाई चाहते हैं, सब को खुशहाल देखना चाहते हैं इसमें दो रायें नहीं हैं। जितना हमारे यहां के मिनिस्टर और एम० एल० ए० काम करते हैं उतना बाहर के नहीं करते हैं। सुबह उठे मिलने वाले आ गये, उनकी बातें सुनी, उसके बाद फाइलें देखीं, ११, १२ बजे रात तक काम करते हैं। और मुल्कों में तो चार बजते ही मछली का शिकार करने चले जाते हैं लेकिन यहां खाना खाने की फुरसत नहीं। पर हुजूर नतीजा क्या है इसको जरा हमारे कांग्रेस के साथी देखें। आप बड़ी मेहनत करते हैं, मगर नतीजा क्या है कि पब्लिक आपके खिलाफ जा रही है। आप जीतते इसलिये हैं कि कांग्रेस का एक आदमी खड़ा होता है, मुख्तलिफ पार्टियों के कई खड़े हो जाते हैं जिससे वोट बंट जाते हैं। २० परसेंट भी कांग्रेस को वोट मिल गया तो वह जीत जाती है और बाकी हार जाते हैं। तो याद रखिये, हवा आपके खिलाफ चल रही है। सरकारी कर्मचारी, पटवारी या कुर्क अमीन, थानेदार नहीं, बल्कि आई० सी० एस० डायरेक्टर्स, सेक्रेटरीज अपने क्लब में क्या बातें करते हैं ? कोई गाली बाकी नहीं जो यह लोग सरकार को न देते हों। क्या बात है ? आपके नौकर हैं, सरकार की निन्दा और क्रीटिसाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कभी सुन लीजये। इनको छोड़िये।

कांग्रेसमैन कांग्रेसमैन को क्या कहता है ? कोई गाली बाकी नहीं जो एक गुट के लोग दूसरे गुट को न देते हों। यह क्यों होता है ? आप तो बहुत अच्छे हैं, इस पर जरा गौर करें। मेरी नाकिस राय में सारी बुराई की जड़ है पार्टीबाजी। लीडरी प्रथम काम बाद में। अगर यह नीयत हो कि पब्लिक को कुछ भी हो परन्तु मेरी कुर्सी न जाय तो रास्ता पूरब है। और अगर यह ख्याल रहे कि पब्लिक खुशहाल रहे, मेरी कुर्सी रहे या न रहे तो रास्ता पश्चिम हो जाता है। मसलन हम चाहते हैं कि पब्लिक की भलाई हो तो उसी को टिकट देंगे जो कि योग्य होगा, चाहे वह एम० एल० ए० का टिकट हो या एम० पी० के लिये। उनमें भी जो सबसे अच्छे हों उन्हीं को मिनिस्टर बनायें। लेकिन इसमें एक खतरा होता है, जहां योग्य व्यक्ति अच्छा बोलेगा, लिखेगा, सिपारिश नहीं करेगा वहां वह अन्ध भक्त यानी ब्लाइन्ड फालोआर नहीं हो सकता है। जहां मतभेद होगा, डिफर करेगा नम्रता के साथ विरोध करेगा। फलस्वरूप सरकार बदल जायेगी। इसलिये बड़े फायदे के लिये छोटे फायदे को छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसों को टिकट देते हैं जो कि उनका अन्ध भक्त हो, परन्तु अन्ध भक्त सदस्य अपनी अयोग्यता के कारण बदनाम होता है और जनता खिलाफ जाती है और सरकार की शिकायत करती

[सीताराम शुक्ल]

है। उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये क्योंकि "आवाजे खल्क को नक्कारये खुदा समझो"। कितने दिन ठेका, नौकरी, लाइसेंस दे कर वोट लिया जा सकेगा। इसलिये याद रखिये उस दिन को जब हम लोगों ने अपनी जान पर खेलकर भी आजादी ली थी। चरित्र और त्याग हमारे पास था इसलिये अंग्रेजों को निकाल कर बाहर कर दिया। वह चरित्र आपके पास आज भी होना चाहिये। हम बादशाह हो गये झूठ बोल कर, मिनिस्टर हो गये या एम० एल० ए० हो गये बेईमानी करके तो घाटा हुआ कि सत्य बोल कर यदि हार गये तो मुनाफा हुआ? मेरे विचार से सत्य यदि हमारे पास है तो आज हार कर भी कल अवश्य जीतेंगे किन्तु अन्याय करके यदि विजय प्राप्त कर लिया तो कल अवश्य हार जायेंगे। प्रैक्टिकल और ईमानदार आदमी भी यहां बैठे हुए हैं जोकि कभी सिफारिश नहीं करते परन्तु जीत कर यहां आ जाते हैं। (लाल बत्ती हाने पर) मैं पांच मिनट और चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---१३ मिनट हो चुके। २ मिनट बाकी हैं।

श्री सीताराम शुक्ल--मेरी गुजारिश यह है कि कांग्रेसमैन जो जेल गये थे उन्हें आप सोने का मेडल दीजिये, तमगा दीजिये, न कि हर एक को गद्दी। पंडित जवाहर लाल जी रोज फरमाते हैं कि पार्टीबाजी बन्द करना चाहिये। मैं कहता हूं कि हुजूर पार्टीबाज तो पहले आप ही हैं। "खुद मियां फजीहत दी गरे नसीहत"। मुझे बेटी इन्दिरा से कोई शिकायत नहीं, वह तो बहुत होनहार लड़की है। आपकी लड़की कांग्रेस की प्रेसीडेंट को सकती है लेकिन राजगोपाला चारी कांग्रेस के प्रेसीडेंट नहीं हो सकते। रेड्डी प्रेसीडेंट हो सकते हैं लेकिन राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जब प्रेसीडेन्ट हुए तो आपने उनकी वर्किंग कमेटी के साथ कोआपरेट नहीं किया, सहयोग नहीं दिया अतः उन्हें त्याग-पत्र देना पड़ा।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य बार-बार पार्टीबाज आपसे कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है?

श्री उपाध्यक्ष---आप जरा "आप" शब्द का इस्तेमाल सही करें।

श्री सीताराम शुक्ल---वह कानून की बाल की खाल निकाल रहे हैं तो उन्हें इसका हक है। आप का मतलब वह भी समझते हैं और मैं भी जानता हूं। जो फर्क है वह उन्हें जानना चाहिये। पार्टीबाजी से ऊपर होना चाहिये तब हुकूमत कायम रह सकती है। जो जेल गये उन्हीं की बदौलत स्वराज्य नहीं हुआ। ऐसे लोग भी हैं जो जेल नहीं गये, उन्हें रोक दिया गया कि जेल मत जाओ और कहा गया कि बाहर से पैसा इक्ट्ठा करो। तो जो बाहर रहे उन्होंने भी मदद की। ऐसे राजा हैं जैसे राजा साहब सिंगरामऊ। क्रान्तिकारी उनके यहां ठहरते थे। उनके यहां तलाशी हुई।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने जो सदन को सम्बोधन दिया उसको सुन कर मुझे बड़ी निराशा हुई। अपने सम्बोधन में माननीय राज्यपाल ने पहले ही लिखा है "आपको ज्ञात है कि विधान सभा का सत्र तथा विधान परिषद् की बैठक पहले १२ दिसम्बर, १९६० से बुलाई गयी थी किन्तु कुछ परिस्थितियों के कारण, जिनसे आप भलीभांति परिचित हैं, मेरे लिये विधान सभा सम्बन्धी विज्ञप्ति का निरसन तथा विधान परिषद् का सत्रावसान करना आवश्यक हो गया"।

(इस समय ४ बज कर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

वह परिस्थितियां क्या थीं? उन परिस्थितियों से अवगत केवल महामहिम राज्यपाल महोदय हो सकते है या सत्तारूढ़ पार्टी हो सकती है।" कोई प्रदेश में अव्यवस्था या राष्ट्रीय संकट उत्पन्न नहीं हो गया था जिससे सदन को १२ दिसम्बर से नहीं बुलाया जाता। उन परिस्थितियों से एक पार्टी विशेष का लाभ हो सकता था, कुछ व्यक्ति विशेष का लाभ हो सकता

था मगर प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता जिस गरीबी और नौकरशाही की चक्की में गत चार महीनों में पिसी है उसकी कोई मिसाल नहीं। श्रीमन्, यह बहुत आवश्यक था कि सदन की बैठक पहले होती और महामहिम राज्यपाल दोनों सदनों की बैठक को पहले आहूत करते। मैं तो जब देहातों में दौरा करता था तो यह समझता था कि जिस तरह से कांगोली पार्लियामेंट के सदस्य जंगलों में बन्द हैं उसी तरह से उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य गांवों में घूम रहे हैं और यहां उनके आने की कोई गुंजायश नहीं है। बहुत से सदस्य तो यह भी भूल बैठे थे कि वे विधायक हैं। जब सरकारी डाक जाती थी तब समझते थे कि वे भी विधायक हैं। ये लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी और गन्ने के कामदार जो बहुत ही निम्न श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, इतने बड़े हिटलर बन बैठे थे कि कोई जगह नहीं थी जहां हम कुछ कह सकें। मंत्रिगण आपस में लड़ झगड़ रहे थे, सब लोग लखनऊ भाग रहे थे। जब कांग्रेस का चुनाव हुआ तो जिले के अधिकारी भी वोट मांग रहे थे। मुझे मालूम है, हमारे यहां के कलैक्टर साहब खुद बहुत दिलचस्पी रखते थे कि किस पार्टी को वोट दिया जाय और किस को न दिया जाय। तो ऊपर से नीचे तक पार्टी का एक खेल जारी था और प्रदेश की साढ़े ६ करोड़ जनता नौकरशाही और गरीबी की चक्की में बिलकुल पिसी जा रही थी।

श्रीमन्, दूसरा दुःख मुझे यह यह हुआ कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना अपने अन्तिम चरण में है और तृतीय योजना का मसविदा बिलकुल तैयार है। उसमें कौन-कौन से मुख्य कार्य होने चाहिये इस पर भी सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। जहांतक पूर्वी जनपद का प्रश्न है, मुझे बड़ा दुःख है कि महामहिम राज्यपाल ने वहां की पौने दो करोड़ जनता की खास-खास मांगों की ओर इशारा तक नहीं किया। हमारे यहां राप्ती, घाघरा और बड़ी गंडक को नियन्त्रित करने के लिये सरकार ने दूसरी योजना काल में सर्वेक्षण कराया था और राप्ती के लिये १५ करोड़ रुपये की जलकुन्डी योजना रखी थी। अब मुझे मालूम हुआ कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में जलकुन्डी योजना के लिये कोई स्थान नहीं है। बड़ी गंडक इतनी बड़ी नदी है, उसकी धारा में जो रोज रद्दोबदल हो रहा है, लाखों लोग हर साल बेघरबार होते चले जा रहे हैं उनकी ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। अबकी गोमती की बाढ़ के कारण जब माननीय सम्पूर्णानन्द जी के बंगले में पानी आ गया, माननीय हुकुमसिंहजी के बंगले में पानी आ गया तब हमारे हुक्मरां को इसका कुछ एहसास होने लगा कि बाढ़ में कितनी परेशानी लोगों को होती है। हमारे माननीय नेता विरोधी दल को भी अब की इस बात का एहसास हुआ वरना वे भी यह कहा करते थे कि बाढ़ क्षेत्र के रहने वाले लोग क्यों नहीं १५–२० दिन पहले अपने घर छोड़ देते।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैंने यह कभी नहीं कहा कि बाढ़ क्षेत्रों के लोगों को बाढ़ आने के १५–२० दिन पहले अपने घर छोड़ देने चाहिये। जहां तक मुझे याद है, न सदन में और न सदन के बाहर ही मैंने कभी ऐसा कहा है।

श्री उग्रसेन—जहां तक मुझे याद है, माननीय नेता विरोधी दल ने सदन में ही यह कहा था। खैर, जो कुछ भी हो इतना जरूर है कि नेता विरोधी दल ने इतना जरूर महसूस किया कि बाढ़ से कितनी तकलीफ लोगों को होती है। तो जिन बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के सर्वेक्षण में लाखों रुपये सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खर्च किये उनका तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या भविष्य होगा यह कहा नहीं जा सकता। मैं आपको बताऊं कि घाघरा के पेटे में रहने वाले, फैजाबाद से लेकर घाघरा के किनारे तक करीब पांच लाख लोग ऐसे हैं जिनके लिये सरकार नहीं कह सकती है, कोई जिलाधीश नहीं कह सकता है कि वह अपनी रात किस कुटिया में बिताते हैं। छोटी गंडक से भी बहुत ज्यादा तकलीफ है और १८ लाख रुपया नैपाल बांध के लिये जमा है। लेकिन एक सरकार आई, दूसरी आई और तीसरी आई, परन्तु नैपाल बांध के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है।

श्रीमन्, आज जिस तरह से प्रदेश में प्रदेश की जनता के धन का अपव्यय किया जा रहा है उसका नज्जारा तो हम सब लोगों ने देखा ही है। लेकिन मुझे केवल इतना ही कहना है कि पूर्वी

[श्री उग्रसेन]

जिलों की मांग की ओर सरकार का विशेष ध्यान जाना चाहिये। एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह मजदूरों के संबंध में है। हमारी सरकार ने दो बोर्ड मजदूरों के संबंध में बिठाये थे। एक बोर्ड तो चीनी मिल मजदूरों के संबंध में बिठाया और दूसरा बोर्ड टैक्सटाइल के मजदूरों के लिये बिठाया गया। दोनों बोर्डों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। लेकिन पता नहीं प्रदेश के श्रम मंत्राणालय ने उस पर क्या कार्यवाही की है? प्राइवेट मजदूरों को तो बड़ी परेशानी है ही। लेकिन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा विभाग परिवहन विभाग है जिसने १६ सितम्बर को एक जी० ओ० निकाल कर २० हजार कर्मचारियों के सेवा नियमों में परिवर्तन कर दिया। उनके काम के घंटों में बढ़ोत्तरी कर दी गई। उनका कार्यभार बढ़ा दिया गया, उनकी छुट्टी काट ली गई। अब उनको केवल ५ छुट्टी मिलती हैं। जो छुट्टियां उन्होंने अर्जित की थीं वह भी काट ली गईं। उन्हें कोई भी छुट्टी नहीं मिलती। कर्मचारियों ने विरोध किया और आपके लखनऊ शहर में हड़ताल की तो ५००–६०० आदमियों को निकाल दिया गया। फिर भी डंडे के बल पर हस्ताक्षर करवा कर उनको काबू में कर लिया गया।

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों का इधर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की राष्ट्र भाषा हिन्दी है। मैं उज्जैन गया था तो मैंने मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों जगह देखा कि वहां पर हिन्दी पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रदेश में सरकार हिन्दी को लागू नहीं करना चाहती है और अंग्रेजी को कायम रखना चाहती है। कोई सरकारी महकमा ऐसा नहीं है जहां पर अंग्रेजी में नाम न हो। अभी कुछ दिन पहले सरकारी बंगलों तक में अंग्रेजी में नाम खुदे हुये थे। नागरी लिपि के बारे में देश की कांग्रेसी सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने कितने कदम उठाये हैं? अगर एक ही नागरी लिपि सब प्रदेशों में चालू कर दी जाय तो मेरा खयाल है कि अरबों रुपयों की बचत हो जायेगी। मैं नागरी लिपि के बारे में बताना चाहता हूं कि सरकार ने हिन्दी में "ई की" मात्रा को इधर-उधर करके बहुत-सी बेसिक पुस्तकें छाप दीं। लेकिन बाद में वह परिवर्तित हुई और वह बेसिक रीडरें बेकार हो गईं और लाखों रुपये की किताबें फूंक दी गईं।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, दो मिनट मुझे और दे दिये जायं

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पंचायतों के चुनावों में विभाग ने गैर जनतांत्रिक तरीके से काम किया है। मुझे इसमें एक ऐतराज है कि पंचायत के चुनाव भी चुनाव आफिस से होने चाहिये जैसे अन्य चुनाव होते हैं। पंचायतों के चुनाव पंचायत विभाग द्वारा क्यों कराये गये? इसमें पंचायत विभाग ने गैर जनतांत्रिकतरीके से काम लिया। नतीजा यह हुआ कि पिता सभापति की उम्र २६ साल कर दी गई और लड़के की उम्र ५६ वर्ष कर दी गई। इसी तरह से एक केस में एक घंटे पहले ३७९ में दावा दायर कर दिया गया और उस पर दो रुपये जुर्माने कर दिये गये, इस तरह उसका पर्चा खारिज कर दिया गया। इनमें बराबर गुंडागर्दी चली लेकिन पुलिस का कहीं पता नहीं था। श्रीमन्, मैंने चुनाव के दौरान में काफी दौरा किया और देखा कि गुन्डे लोग जनता के खेतों को बरबाद कर रहे हैं और पुलिस के दरोगा जी घर में बैठे हैं। मैंने एस० पी० और कलेक्टर, देवरिया को फोन किया कि बड़ी गड़बड़ी हो रही है। कप्तान, देवरिया ने कहा कि मेरे पास पुलिस नहीं है। लेकिन श्रीमन्, जब सिविल नाफरमानी होती है तो सीतापुर और न जाने कहां-कहां से पी० ए० सी० आ जाती है। अंत में मैं चाहूंगा कि जिन अफसरान ने गैर जनतांत्रिक तरीके से चौखम्बा राज्य की प्रथम इकाई के निर्माण में बाधा पहुंचाई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिये। जब तक पंचायतें न पनपेंगी, देश की भाषा न होगी तब तक देश का कल्याण नहीं होगा। गोरखपुर नगर के हवाई अड्डे पर महारानी १५ मिनट ठहरेंगी। वह अपना ब्रिटैनिया हवाई जहाज बदल कर डकोटा में बैठ कर काठमांडू जायंगी, उसके लिए डेढ़ लाख रुपये का खर्चा होगा। जब हम मांगते हैं कि पांच रुपये

पाने वाले चौकीदार का ६ रुपया कर दिया जाय तो माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं कि पैसा नहीं। सरकार इन बातों पर ध्यान दे और खास कर पूर्वी जनपद और राजभाषा की जो बातें हैं उनको बढ़ावा दें।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, सरकार ने जो कुछ किया है वह हमारे और आपके सामने है और जो कुछ हम करने जा रहे हैं, वह महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में निहित है। हमने जो सबसे पहला कदम उठाया उसको देख कर सारे प्रान्त के लोग चकित हैं। सबसे पहले हमारे मुख्य मंत्री ने मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों के वेतन में कटौती करके अपने त्याग को दिखलाया है। उससे प्रान्त का हर एक व्यक्ति यह समझेगा कि हम किस तरह से अपने को उदाहरण रूप में रखने जा रहे हैं। यह बहुत गम्भीर बात है। जब तक हम अपने को ठीक ढंग से नहीं रख सकते तब तक हम दूसरों में कभी भी सुधार नहीं कर सकते। इसके साथ कई विभागों में जो लोग बेकार थे, उनको वहां से हटा कर अपव्यय बचाने का प्रयत्न किया। वह भी एक बहुत बड़ी बात है। यह हिम्मत की बात है। कुछ विभागों में अधिकारी बेकार पड़े हुये थे और सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे। उनको हमने हटा कर सही जगह पर रखा, जो लोग बड़ी ऊंची जगहों पर पहुंच चुके थे और उनके लायक नहीं थे। यह बहुत बड़ी बात की, अगर हम समझें तो।

अमनोअमान के बारे में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे गृह मंत्री ने जो कदम उठाया है वह भी छिपी हुई बात नहीं है। पुलिस विभाग पर उसका जो असर पड़ा, उससे हर एक व्यक्ति अपने जीवन को रक्षित समझता है। हमारी सरकार ने जिस दृढ़ता से कदम उठाने की प्रतिज्ञा की है, उसको देखकर प्रदेश की जनता उसमें अपना बल देने के लिये तैयार है और तैयार रहेगी। साथ ही साथ श्रीमन्, जो कदम सरकार ने विकास खंडों और छोटे मोटे उद्योग धंधों के लिए उठाना तय किया है, उससे प्रान्त के प्रत्येक व्यक्ति को यह आशा बंधती है कि हमारी सरकार रोटी और रोजी का प्रश्न हल करेगी।

श्रीमन्, हमारे प्रान्त में कुछ ऐसे जिले हैं जैसे गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, आजमगढ़ और बनारस के पांच जिले जिनकी जन संख्या बहुत काफी लम्बी चौड़ी है—गोरखपुर कमिश्नरी की जन संख्या करीब एक करोड़ की है—वहां पर बहुत छोटे-छोटे किसान आबाद हैं। उनके लिए हेवी इंडस्ट्रीज के लिए जो सरकार ने घोषणा की है, उसके लिए हम सब गोरखपुर कमिश्नरी वाले बहुत ही आभारी हैं। साथ ही साथ जिस उद्देश्य को लेकर के छोटे-मोटे उद्योगों की जो हमारी मंत्राणी हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है उसको देखते हुए हम गोरखपुर कमिश्नरी के लोग बहुत आशा बांधे हुए हैं। हमारी जितनी बेकारी और गरीबी है उसको दूर करने के लिए वही एक उपाय है कि छोटे छोटे उद्योग गांव-गांव में पनपाये जायं। छोटे-मोटे उद्योगों को पनपाने के लिए हमने अभी उनसे बातचीत की। उन्हीं बातों को सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो अस्सी-बयासी फीसदी किसान हमारी गोरखपुर कमिश्नरी के अन्दर ऐसे हैं जिनका समय तीन महीने के अलावा ९ महीने बिना किसी काम के बीतता है, उनकी आशायें अब पूरी होंगी। यह ऐसी बात नहीं है कि जिसको बहुत आसानी से हल किया जा सके। आप देखें आपके सामने अभी क्या स्थिति थी और किस प्रकार से आपकी आशायें पूरी करने के लिए आपके सामने नक्शे बने, कुछ बन चुके हैं, और कुछ को बनाने के लिए हमारी सरकार तैयार है।

विकास खंडों के बारे में मुझे अधिक तो नहीं कहना है, केवल एक विकास खंड की ओर मैं आज आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। बस्ती जिले में एक नाथ नगर ब्लाक है जहां पर एक छोटी-मोटी पम्प कैनाल आई हुई है। आपके प्रान्त में तो और बड़ी-बड़ी नहरें हैं और बड़ी कामयाब नहरें हैं लेकिन उस छोटी-सी नहर की कामयाबी के आधार पर मुझे इतना आज आपसे कहना है कि जितनी लागत पर वह बनी हुई है उससे अधिक का काम उसने किया है। मई, जून के महीनों में लोगों ने धान की फसल उससे पानी लेकर बोयी

[श्री धनुषधारी पाण्डेय]

और जुलाई के पहले जून के मध्य में, वर्षा होने के पहले, काफी तौर से धान की फसल लोगों ने काटी। मैंने पिछले सम्बोधन के अवसर पर सरकार का ध्यान दिलाया था कि गोरखपुर कमिश्नरी और बनारस कमिश्नरी में दो-तीन नहरें बनी हुई हैं लेकिन उन नहरों से काफी तौर से काम नहीं लिया जा रहा है जबकि श्रीमन्, यह बात विदित है कि गोरखपुर कमिश्नरी और बनारस कमिश्नरी में लेट पैडी की काफी जमीन है, उससे बहुत काफी हम लेट पैडी पैदा करते हैं। लेट पैडी में केवल एक ही फसल होती है और बकिया साल वह सारा खेत बेकार रहता है। उस नहर से काम लेकर जो हमने उदाहरण रखा उससे काफी तौर से लोगों ने अपनी पैदावार को बढ़ाया। इसी तरह से यदि जितनी नहरें प्रान्त के अन्य जिलों में हैं——ट्यूब-वेल से यह काम नहीं हो सकता——केवल नहरों से ही हो सकता है, तो जहां जहां ऐसी नहरें हैं और जहां-जहां जड़हन की फसल लोग पैदा करते हैं जहां पर कि जमीन आठ महीने बेकार पड़ी रहती है वहां पर सरकार विशेष ध्यान दे, किसानों को प्रोत्साहन दे खाद इत्यादि के तौर पर तथा पानी की विशेष सुविधा दें तो शायद यह जो हमारी खाद्य समस्या है, जो हम बाहर पैसा खर्च करते हैं अनाज मंगाने में वह पैसा हमारा बच जायगा और आपकी चीज आपको अपने घर में ही मिल जायगी। आपका पैसा भी आपके घर में ही रह जायगा।

साथ ही साथ श्रीमन्, मैं आपके द्वारा हाउस की निगाह प्रदेश के उस अंचल की ओर ले जाना चाहूंगा जिसको हम एक बहुत ही पिछड़ा हुआ अंचल कहेंगे। वह प्रदेश का वह अंचल है जिसने समय समय पर आपकी निगाह को खींचा है और आपने उस ओर अपना विशेष ध्यान दिया है लेकिन सरकार कहां तक उस अंचल की गरीबी को दूर करने में सफल हुई है, उस गोरखपुर कमिश्नरी और बनारस कमिश्नरी की बेकारी को दूर करने के लिए कौन से कदम सरकार ने उठाये यह मेरी समझ में नहीं आया। इस बेकारी की तरफ आपके द्वारा मैंने कई बार माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाया है और आज भी उनका ध्यान दिलाने के लिये मैं यह चाहूंगा कि मेरी बातों के ऊपर माननीय सदस्यगण ध्यान दें। यदि तुलना करके देखा जाय तो प्रान्त का हर एक व्यक्ति इसको कहता है कि गोरखपुर कमिश्नरी, बनारस कमिश्नरी और पहाड़ी अंचल के लोग तथा झांसी कमिश्नरी के लोग बहुत ही गरीब हैं लेकिन जब प्रश्न यह आता है कि उनकी गरीबी को दूर करने के लिये कोई विशेष कदम उठाया जाय तो वहां पर हमारे सिद्धान्त बहुत दूर हो जाते हैं। तब हम बटवारे के लिये खींचा तानी करने लगते हैं गो कि बहुत से जिले हैं जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी अपनी-अपनी बात यहां पर कही जाती है। मेरा निवेदन यह है कि जब मानवता की बात आती है, जब सिद्धान्त की बात आती है तो हर एक व्यक्ति यह महसूस करता है कि जो पिछड़े हुये इलाके हैं या जिले हैं उनको अवसर होना चाहिये कि वह अपना विकास कर सकें। उनको विकास का अवसर देना चाहिये। उनको उद्योग बढ़ाने का अवसर देना चाहिये और अधिक से अधिक पावर उनको देना चाहिये और वहां पर पावर हाउस खोलने का प्रयत्न होना चाहिये। जब मैं इन सब बातों को देखता हूं और सिद्धान्त की दृष्टि से इसको देखता हूं कि ये मेरी बातें उचित हैं तो वहां पर सरकार का कठोर हृदय बन जाता है। उसके लिये अपना स्वार्थ खड़ा कर देते हैं। अगर आप न्याय की बात करना चाहते हैं और न्याय को तराजू पर तोलना चाहते हैं तो आपको उन जिलों की अपेक्षा जो आगे काफी बढ़ चुके हैं उन पर अधिक ध्यान न देकर उन पर अधिक ध्यान देना चाहिये जो बहुत पिछड़े हुये हैं। उन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अगर प्रान्त में तराजू के पलड़े पर तौलना चाहें तो यह आपको मानना होगा कि गोरखपुर डिवीजन, बनारस डिवीजन, झांसी डिवीजन और पहाड़ी इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है। उनकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना होगा यदि आप विकास की बात को लेकर चलना चाहते हैं तो उसके लिये विशेष ध्यान देना होगा।

शिक्षा के विषय में भी पूरी तरह से ध्यान देना होगा। हमारे गोरखपुर में एक विश्व-विद्यालय स्थापित हुआ। उस वक्त हमारे सामने हरियाली खेती रखी गई और यह कहा गया कि कृषि को लेकर इस यूनिवर्सिटी को सम्बद्ध किया जायगा। थोड़े दिनों के बाद हम देखते हैं

कि वह चारा हमारे सामने से खींच लिया गया। पता नहीं कैसे और क्यों, इस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है। श्रीमन्, आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी आप खोलें, चाहे वह गोरखपुर में हो या और कहीं बनारस या इलाहाबाद में, कहीं भी खोलें लेकिन अगर यूनिवर्सिटी इतिहास, संस्कृत और हिन्दी को लेकर ही खोली जाती है तो उससे विशेष लाभ होने वाला नहीं है। इससे बेकारी ही बढ़ेगी और जो उस यूनिवर्सिटी से निकलेंगे उनके लिये रोजी का सवाल पैदा होगा। यदि इंजीनियरिंग उसके साथ सम्बद्ध किया जायगा तो उससे देश का और जिलों का बहुत लाभ होगा। अगर वहां से इंजीनियरिंग की शिक्षा पाकर लड़के निकलेंगे तो वह हथौड़ा लेकर कारखानों में काम करेंगे। कृषि की शिक्षा पाकर यदि लड़के निकलेंगे तो वे खेतों में जाकर काम करेंगे। आज यूनिवर्सिटी से पढ़ कर जो शिक्षित निकलते हैं उनको खेत पर काम करने में शर्म आती है। अगर आप शिक्षितों में बेकारी दूर करना चाहते हैं तो जहां भी आप यूनिवर्सिटी खोलें या खोलना चाहते हैं वहां पर इंजीनियरिंग को लेकर खोलें। वहां पर टैक्नीकल शिक्षा, मेडिकल एजूकेशन उसके साथ अटैच करें, कृषि उसके साथ अटैच करें वरना वे यूनिवर्सिटी हमारे देश के लिये एक बला होगी और देश का उससे कल्याण नहीं होगा। वह बला ऐसी होगी जो कि देश को बरबादी की तरफ ले जायगी। बेकारी के माने यह होंगे कि आपके पास काम नहीं रहेगा जिससे वे नानाप्रकार के उपद्रव उत्पन्न करेंगे। इसलिये उन उपद्रवों से बचने के लिये, भुखमरी से बचने के लिये इंजीनियरिंग शिक्षा का अपने यहां अधिक से अधिक प्रबन्ध करें। यदि आप हर एक यूनिवर्सिटी में आर्ट को लेकर चलेंगे, संस्कृत को लेकर चलेंगे तो इससे बेकारी दूर नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। उससे वकील और मास्टर ही पैदा होंगे। आजकल तो वकील पेशा से निर्वाह करना भी मुश्किल हो गया है। इसलिये आप साइन्स लेकर चलें और टेक्नीकल शिक्षा को लेकर चलें जिससे देश का लाभ हो। अब मैं अधिक न कह कर इतना जरूर कहूंगा कि इन बातों की ओर ध्यान देते हुए आप ऐसी व्यवस्था करें कि हर यूनिवर्सिटी अपने यहां ऐसी पद्धति लाये कि जिससे हमारे देश के नौजवान बेकार न रहें और अपने जीवन निर्वाह के लिये रोटी पैदा कर सकें।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने पेश किया है उसके संबंध में मैं कुछ निवेदन आप के द्वारा करना चाहता हूं। हम लोगों को बड़ी आशा थी कि महामहिम राज्यपाल महोदय अपने संबोधन में कोई विशेष नयी बातों की ओर संकेत करेंगे, लेकिन उसको देखने से निराशा हुई। उस संबोधन में शासन की ओर से जो नये-नये खर्चे हो रहे हैं उनमें कमी करने की ओर कोई संकेत नहीं किया गया है। श्रीमन्, देखेंगे कि जो प्रथम सोपान के विकास खंड हैं उनको कुछ नये शासकीय आदेश दिये गये हैं कि जब तक उनमें ५,००० रुपया जनता द्वारा चन्दा नहीं जमा किया जायगा तब तक वहां कोई चिकित्सालय नहीं खोला जायगा चाहे वह मनुष्यों के लिये हो अथवा पशुओं के लिये और साथ ही साथ जो ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर्स हैं उनको यह आदेश है कि जब तक आप इस रुपये का प्रबन्ध नहीं करेंगे तब तक आपके लिये जीप नहीं दी जायगी। श्रीमन्, यह सोचने की बात है। जनता यूं ही कर से तबाह हो रही है और जो विकास खंड खुले हुए हैं वे उनके उत्थान के लिये हैं न कि उनके ऊपर और टैक्स लादने के लिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि जब तक वे रुपया न दें तब तक कोई अस्पताल न हो और न जीप उनको दी जाय। पहले ऐसा कोई दायित्व उन विकास खंड की जनता के लिये नहीं था। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसकी ओर विशेष ध्यान दें और जो अन्यायपूर्ण आदेश डेवलपमेंट कमिश्नर द्वारा दिये गये हैं उनको वापस लें। आज अगर देखा जाय तो ७५ फीसदी खर्च विकास खंड के कर्मचारियों पर ही हो रहा है जब कि उसका लाभ अधिक से अधिक जनता को मिलना चाहिये था और जो ग्रान्ट सरकार द्वारा दी जाती है वह उन्हीं पर खर्च होनी चाहिये थी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस ओर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये और जहां तक हो सके वह उन खर्चों को कम करे और जो खर्च हो उसमें मितव्ययिता करने की कोशिश करे ताकि जनता को अधिक लाभ हो।

प्रदेश के जो पिछड़े हुए जिले हैं, जैसे कि हमारा गोंडा जिला है, विशेष कर उसका पूर्वी भाग, उसमें सड़कों और पुलों की बड़ी दुर्दशा है। कई बार वहां की जनता ने प्रार्थना-पत्र दिये और

[श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह]

मैंने भी समय-समय पर सरकार से निवेदन किया और सरकार ने आवश्वासन भी दिये कि उस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा, लेकिन आज तक उस क्षेत्र की ओर विशेष अनुदान नहीं दिया गया और वहां जो दो पुल हैं और जो मुख्य कच्ची सड़कें हैं उनका निर्माण नहीं किया गया। एक पुल है सिंगार घाट का और दूसरा है अनघटी का। सिंगार घाट के पुल के लिये ४,००० रुपया इकट्ठा करके जमा किया गया है और केन यूनियन मनकापुर ने १०,००० रु० देने का वायदा किया है। यह भी वायदा किया गया है कि श्रमदान भी किया जायगा लेकिन सरकार ने आज तक उसकी कोई योजना नहीं बनायी, हालांकि बगल में छोटे-छोटे पुल हैं और सड़क आदि का निर्माण परिषद् ने करा दिया है, लेकिन आज तक वहां का खास पुल नहीं बना। और इस तरह से जो रुपया वहां खर्च किया गया है वह निरर्थक जा रहा है। इसलिये मैं आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दे कर उसका तुरन्त निर्माण कराया जाय तथा गौरा चौकी से सादुल्ला नगर होते हुये मनकापुर तक की सड़क पक्की की जाय।

श्रीमन्, इस के साथ साथ सड़कों के निर्माण के बारे में भारत सरकार ने सन् १९५९ में जो एक नियोगी समिति बनायी थी उसकी रिपोर्ट का कुछ अंश, जो स्वतंत्र भारत में छपा है, आपकी सेवा में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। "सड़क रेल की सहयोगिनी है और देहातों में कृषि एवं रोजगार धंधे विकसित करने की सब से प्रबल माध्यम होने के नाते सड़क भारत की सनातन सिद्धि है। यदि इस पथ पर भी समन्वय और सहयोग के स्थान पर द्वेष दिखायी देता है तो इसे नियोजन की त्रुटि ही मानना पड़ेगा"।

इसी प्रकार राज्य के इंजीनियरों का जो सम्मेलन बुलाया गया था उसमें भी सिफारिश की गयी थी कि यातायात के लिये काफी प्रबंध किया जाय। तृतीय योजना में ५ अरब ९० करोड़ रुपया सड़क यातायात के लिये रखने का सुझाव उक्त सम्मेलन ने दिया जब कि योजना के प्रारूप में पहले ढाई अरब और बाद में दो अरब ३० करोड़ ही व्यय करने का मंसूबा किया गया जब कि सड़कों से उस बीच राजस्व का तखमीना ९ अरब रुपये है। तो आप यह देखेंगे कि यातायात के मामलों में भी यह सरकार बहुत पिछड़ी हुई है। अन्य प्रदेशों में इसकी मात्रा यहां के मुकाबिले में बहुत कम है।

हरिजन बस्तियों के सुधार के बारे में भी कोई विशेष प्रबंध नहीं किया गया है। शहरों में श्रम किलियरेन्स के लिये जो अनुदान दिया जाता है वह गरीब हरिजनों को देहातों में कुछ नहीं दिया है और न ही उनके विकास के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है।

गृह-निर्माण योजनाओं के लिये जो अनुदान विकास खंड के द्वारा दिया जाता है वह भी केवल पक्के मकानों के लिये दिया जाता है। मेरा इस सम्बन्ध में यह अनुरोध है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे पक्के मकानों के अलावा कच्चे मकानों के लिये भी अनुदान दिया जा सके।

एक बात और यह कहना चाहता हूं कि शहरों में और जिलों में जो हरिजन समितियां होती हैं उन में केवल हरिजन सदस्य विधायक ही होते हैं। इसका फल यह होता है कि जो नान हरिजन क्षेत्र के हरिजन लोग होते हैं उनके क्षेत्र को कोई सहायता नहीं मिल पाती। इसलिये मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से आपकी और समितियों में हरिजन और सवर्ण विधायक सदस्य भी होते हैं, उसी प्रकार इन कमेटियों में भी नानहरिजन सदस्य होने चाहिये। इसके अभाव में यह होता है कि हरिजन विधायक के क्षेत्र में ही विकास हो पाता है और वहां के लोगों को सुविधायें मिल पाती हैं जब कि सवर्ण विधायकों के क्षेत्र को वह सहायता नहीं मिल पाती है। गोंडा क्षेत्र में ही हरिजन क्षेत्र के अलावा अगर आप पता लगायेंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि सवर्ण क्षेत्रों में कितनी ग्रान्ट मिली है। इस बात का पता लगाने पर वहां का राज खुल जायेगा। इसलिये उन समितियों में हरिजनों के अलावा भी, अन्य समितियों की तरह, सवर्ण सदस्य हों।

इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह कि सरकारी कार्यों के लिये किसानों से जो देहातों में भूमि ली जाती है उसका मुआविजा बहुत कम दिया जाता है जब कि शहरों

में जो भमि ली जाती है उसका मुआविजा अधिक दिया जाता है। देहात में वही जमीन सरकार के अलावा जब वह दूसरों के हाथ बेचता है तो उसको काफी अधिक पैसा मिलता है यानी १,००० रु० व १,५०० रु० फी एकड़ जबकि सरकार से उसको उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। सरकार को देहातों में भी मुआविजा देना चाहिये जो कि वह शहरों में देती है। आज इस भिन्नता को दूर करना निहायत जरूरी है। जो कीमत शहरों की जमीनों की दी जाती है वही कीमत आज उनको देहातों में भी मिलनी चाहिये और इस भिन्नता को दूर करना चाहिये इसके लिये तमाम भूमि सम्बन्धी नियमों और अधिनियमों में तुरन्त परिवर्तन सरकार को करना चाहिये।

एक उदाहरण फिजूल खर्ची का और देना चाहता हूं। मेरे यहां गोंडा जिले में मझगवां में अस्पताल है जहां साल भर में ५०० रुपये की दवा इत्यादि दी जाती है जबकि वहां पर कर्मचारियों पर खर्चा करीब ३,९३० रुपये के आता है जो उनको वेतन आदि के रूप में दिया जाता है जो इस तरह से आप देखेंगे कि एक रुपये की दवाई बांटने के लिये ७ रुपये साढ़े ९ आने के करीब सरकार को खर्च करना पड़ते हैं, जबकि होना यह चाहिये कि ७ रु० ९ आने की दवा के बांटने में १ रु० का खर्च हो। तो इस फिजूल खर्ची को रोकने के लिये भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा जो आज भूमि-लेखों के नाम पर तरह तरह के झगड़े होते हैं, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये। आज हर एक किसान का लगान दुगुना और चौगुना हो गया है। इस तरह से भूमि सुधार से आज किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अभी माननीय नेता विरोधी दल ने भी बताया कि लगान जमीन का होना चाहिये न कि आदमी पर। लेकिन यहां पर वह चीज नहीं है, अतः सरकार को इस तरह लगान की अनियमित बढ़ोत्तरी को रोकना चाहिये।

आज आप देखते हैं कि प्रदेश में लाखों छात्र ऐसे हैं जो तृतीय श्रेणी में पास होने के कारण बेकार घूमते हैं और उनके लिये आज कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। न तो उन्हें सरकारी नौकरी ही मिलती है और न ही आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिये उन्हें विद्यालयों में प्रवेश मिल पाता है। सरकार को चाहिये कि या तो तृतीय श्रेणी को ही समाप्त कर दे या उनके लिये कोई समुचित व्यवस्था करे ताकि वे लोग बेकारी की हालत में न घूम सकें।

श्रीमन्, एक और नया आदेश जिला गन्नाधिकारियों को हुआ है और वह यह कि विशेष अवसरों पर गन्ने की स्पेशल पर्चियां जो उसको अपने यहां पर ही मिल जाया करती थीं अब वह गन्ना कमिश्नर के यहां से मिलेंगी। तो जो गांव में रहता है उसे अब इसके लिये १०-१५ रुपये खर्च करके लखनऊ आना पड़ेगा और उसके लिये गन्ना कमिश्नर साहब को दरख्वास्त देना पड़ेगी। इससे उसका कितना धन और समय बरबाद होगा यह आप जान सकते हैं। जरूरत तो उसको स्पेशल पर्ची की २ दिन के अन्दर है, लेकिन २ महीने में उसकी दरख्वास्त मंजूर हो तब उसको कहीं पर्ची मिल सकती है। इसलिये सरकार का कर्तव्य है कि इस तरह के जो गलत आदेश हैं उनकी ओर वह विशेष ध्यान दे। नये मुख्य मंत्री आये हैं, उनसे बड़ी-बड़ी आशायें लोग रखते हैं और देखना है कि वह कैसे-कैसे सुधार करते हैं।

कृषि और कारखानों की बनी हुई चीजों के मूल्यों में समानता लाने के लिये बहुत कुछ यहां कहा गया। आज कपड़े के मूल्य किस कदर बढ़े हुये हैं, परन्तु अनाज का कोई संतुलित भाव नहीं है। कहा जाता है कि खेती का उत्पादन नहीं बढ़ता, लेकिन जब तक कोई सुनिश्चित नीति अनाज के भाव पर नहीं रखी जायगी तब तक कोई किसान इस बात के लिये प्रयत्न नहीं करेगा कि वह अधिक अन्न उपजाये। इस बारे में कई बार कहा जा चुका है कि अगर अन्न की पैदावार बढ़ जाती है तो भाव गिर जाता है और पैदावार कम हो जाती है तो भाव बढ़ा रहता है। तो पैदावार बढ़ाने पर और कम होने पर कोई अन्तर उसमें नहीं आता है। फिर किसान ज्यादा अन्न क्यों पैदा करेगा? तो ऐसी घोषणा होनी चाहिये कि फलां रेट पर अनाज लिया जायगा, नहीं तो किसानों से तो १२–१३ रुपया मन पर अनाज गवर्नमेन्ट तथा दूकानदार ले लेते हैं और २७–२८ रुपया मन बेचते हैं, यह कहां तक उचित है। ऐसी नीति नहीं होनी चाहिये। भाव खरीदार से लेने पर ही निश्चित होना चाहिये। लेकिन वह तो सरकार तथा दूकानदारों

[श्री रघुरनतेज बहादुर सिंह]

के गोदाम में पहुंचने पर भाव बढ़ जाता है। इससे किसानों को क्या लाभ हो सकता है जिनके वोट के बल पर आज सरकार चल रही है? इससे निश्चय ही प्रदेश में कोई उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस के लिये शीघ्र कोई ठोस कदम उठायें और मैंने जो सुझाव रखे हैं उनको कबूल करें जिससे की प्रदेश की जनता का कल्याण हो।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--अध्यक्ष महोदय, मैं महामान्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो नवल किशोर जी ने बधाई का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

कुछ सदस्य--जरा जोर से बोलिये।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य गण चाहते हैं कि जरा जोर से बोलें आप।

श्री हरीसिंह--अध्यक्ष महोदय, अब बहुत जोर से बोलने का ५-६ महीने के बाद मौका आ रहा है जबकि हमारी आवाज को बहुत जोर से सुनने का मौका मिलेगा। शायद वह उस आवाज को सहन भी न कर सकेंगे और मुझे ऐसी उनमें सामर्थ्य भी प्रतीत नहीं होती कि वे मेरी आवाज को बरदाश्त कर सकें। फिर भी जहां तक यह महामान्य राज्यपाल के संबोधन का सम्बन्ध है, मुझको उसमें यह एक विशेष बात कहनी है कि जब मैं माननीय सदस्यों के भाषण सुनता हूं तो सब अपने अपने जिले और डिवीजनों की गरीबी की बात करते हैं, बेकारी की बात करते हैं। परन्तु मुझे अफसोस है कि ३-४ वर्ष के सारे बजट में से पूर्वी दिशा में जितने पूर्वी जिले हैं सारा बजट उन्हीं में खर्च किया गया है और जो जिले मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं उनका शोषण किया जाता है, उनकी कमेर को लाकर पूर्वी जिलों के आगे रख दिया जाता है और वह उसे मजे में लेट कर खाते हैं, जरा मेहनत नहीं करना चाहते और आज वह पश्चिमी जिलों की मेहनत पर जिन्दा रहना चाहते हैं। जिस तरह से राजा, महाराजा करते थे, पूर्वी जिले भी वैसा ही कर रहे हैं।

मैं मेरठ का उदाहरण देता हूं कि जब वहां की सड़कों की फिगर्स एकत्रित की जाती हैं तो सब से कम सड़कें मेरठ जिले में हैं जो कि सबसे ज्यादा टैक्स देता है। आज तक उसकी जन-संख्या के अनुपात से कभी सड़कें नहीं बनायी गयीं जैसे कि दूसरे जिलों में बनायी गयी हैं। जहां तक वहां खेती का सम्बन्ध है, मेरी समझ में नहीं आता कि जबकि हर एक आदरणीय सदन का सदस्य किसान और मजदूर की बात करता है, क्या श्रीमन्, आप मुझे माननीय सदस्यों के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे कि कितने माननीय सदस्य यहां किसान और मजदूर आये हुये हैं? कोई नवाब है, कोई राजा है और कोई व्यापारी है। इसी ढंग के आदरणीय सदस्य विराजमान हैं जो कि किसान और मजदूरों की बात करते हैं जिन्हें यह पता नहीं बिना बारिश के चना क्यों नहीं पैदा होता, मजदूर दिन रात मेहनत करने पर भी क्यों भूखा रहता है। जिन्होंने कभी गरीबी नहीं देखी, वह गरीब और किसान की बात करते हैं। वह कभी ऐसी सलाह नहीं देते कि हर जिले और गांव में जितने खेती कर सकें, वह खेती करें और शेष जो बचें वह छोटे घरेलू उद्योग धंधों में काम करें और सरकार ज्यादा से ज्यादा छोटी इंडस्ट्रीज खोले जिससे बेकारी दूर हो। इसमें पूर्व, पश्चिम या उत्तर दक्खिन का कोई सवाल नहीं है। मुझे दुख है कि पूर्वी जिलों में लोगों ने कभी मेहनत करके नही खाया बल्कि हमेशा दूसरों से ही मेहनत करवाई और गरीबों का शोषण करके ही अपना पालन किया, अपने महल बनवाये। अभी पिछले दिनों प्रदेश में जो बाढ़ आई उसके लिये पूर्वी जिलों में रुपया बांटा गया लेकिन श्रीमन्, मेरठ जिले की सारी तहसीलों में किसानों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के पास मालगुजारी माफी का कोई जवाब नहीं गया कि वह माफ हुई या नहीं बल्कि वह बराबर वसूल की जा रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां-जहां माफी दी गई है वहां तुरन्त आदेश भेज दिया जाय कि वसूली न की जाय।

एक आदरणीय सदस्य को यह भी पता नहीं कि सरकार ने हरिजनों की क्या सहायता की। सरकार हरिजनों की जितनी सहायता कर सकती थी, उतनी सहायता उसने की है। यह अवश्य हो सकता है कि जितनी सहायता की आवश्यकता है उससे वह कम हो परन्तु यह बिलकुल सही है कि सरकार ने सारे प्रदेश के हर जिले में उनकी सहायता की है। उन्होंने जो यह बात कही कि सवर्णों को वहां सहायता नहीं मिलती, यह बिलकुल गलत है, किसी एक अकेले क्षेत्र में हो सकता है ऐसा हुआ हो लेकिन आमतौर से यह बात गलत है। आज जो लोग यहां पर हरिजनों की बात कह रहे हैं वह केवल इसलिये कि एलेक्शन आ रहा है उसमें उनको भी लड़ना है हालांकि वह आज भी हरिजनों के यहां नहीं जाते। लेकिन कांग्रेस पार्टी का बड़े से बड़ा सदस्य हरिजनों के घर खाना खाता है, उसके लिये जेब से पैसा खर्च करता है और चन्दा वसूल करता है जबकि आप लोग महज सरकार से ही सहायता की बात करते हैं। अगर हरिजनों का सही उद्धार करना है तो पहले अपने हृदय का परिवर्तन कीजिये। यहां पर केवल राजनारायण जी ही हरिजनों के लिये सच्ची बात कहते हैं। आपने तो कभी हरिजनों की बात कही ही नहीं। चूंकि जनरल एलेक्शन आ रहा है इसलिये आपको हरिजनों के वोटों की आवश्यकता है। आपको मालूम होना चाहिये। अब हरिजन इतना मूर्ख नहीं रह गया है जोकि आपके इन प्रलोभनों में आ जाय। इस प्रदेश में जो नयी सरकार बनी है, मुझे पूर्ण आशा है कि वह हरिजनों और इस प्रदेश में गिरे हुये अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिये पूर्ण प्रयास करेगी। श्रीमन्, जहां तक यह बात जो उन्होंने कही कि यह सरकार आपकी सरकार है तो यह सरकार उनकी तो कभी रही नहीं। आप तो इस देश के रहने वाले हैं नहीं। यह सरकार हमारी है, आप लोग तो विदेशी हैं। आप तो सदा से शोषण करते रहे। इसलिये आपकी सरकार कहां से आयी। यह सरकार तो जनता की है।

श्री अध्यक्ष—आप आपस में बातचीत न कीजिये।

श्री हरीसिंह—श्रीमन्, मैं आपके द्वारा उनको बता देना चाहता हूं कि यह सरकार किसी एक धर्म, कौम की सरकार नहीं है।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं और वह यह कि क्या कोई माननीय सदस्य किसी दूसरे माननीय सदस्य को इस सदन में विदेशी कह सकता है?

श्री हरीसिंह—मैं आदरणीय मित्र से पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने यह कहा था, यह हमारी सरकार है उनकी नहीं, तो क्या यह समझ कर कहा था कि हम विदेशी हैं।

इसके बाद आपके द्वारा सरकार को मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह ईमानदारी की बात है कि नियोजन विभाग के जो ब्लाक्स बने हैं उनमें जो आपके कार्यकर्ता हैं उनको नाममात्र का भी ज्ञान नहीं है कि किसानों और मजदूरों को क्या बताया जाय और सरकार का करोड़ों रुपया बेकार ही व्यय हो जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि या तो ब्लाक्स को बंद कर दिया जाय या अगर चलाना है तो निपुण कार्यकर्ता वहां रखे जायं जो जनता को सही मार्ग दिखा सकें और जनता के रुपये का सही उपयोग कर सकें। सरकारी रिपोर्टों में चाहे जो भी हो लेकिन यह सत्य है कि उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है। वे नहीं जानते कि नियोजन क्या है। कागजी कार्यवाही की जाती है। मिनिस्टर वहां पहुंचते हैं तो उनको माला पहनाई जाती है और काम खत्म समझा जाता है। इसलिये मेरा कहना है कि रुपये का दुरुपयोग बंद किया जाय।

हरिजनों के उत्पादन के बारे में महामहिम राज्यपाल ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि जनता शिक्षा के द्वारा अब आगे जा चुकी है। किसी भी पार्टी का कोई माननीय सदस्य हो वह यह चाहता है कि अपने प्रान्त का उत्थान हो और पिछड़ा वर्ग हमारे बराबर आये। हर आदमी अपने देश और प्रदेश की रक्षा करना चाहता है और वह

[श्री हरी सिंह]

तभी हो सकती है जब कि सब को बराबर के अधिकार हों। राजे, महाराजाओं से देश का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर चीन से आज कोई लड़ सकता है तो वह छोटा आदमी ही लड़ सकता है। इसलिये जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है सरकार को उसकी ओर पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ऊदल—अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बहुत-सी ऐसी बातों का जिक्र नहीं किया जिनके सम्बन्ध में कहना बहुत जरूरी था। अभी पांडेय जी ने बताया कि हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं उनको और सरकार को यह बताना चाहूंगा कि १३ साल के बाद आज भी हमारे यहां जो हालत है वह बहुत ही खराब है। इसके लिये मुझे आंकड़े देने की जरूरत नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजना पर विचार होते समय सरकार ने यह कबूल किया था और मैं समझता हूं मौजूदा सरकार इस सच्चाई को नहीं छिपायेगी कि हमारे यहां की प्रति व्यक्ति जो आय है वह गिरी है। हमारे यहां की राष्ट्रीय आय से जो सन् १९५१ में ५ फीसदी ज्यादा थी वहां अब हमारी आय राष्ट्रीय आय से १२ फीसदी कम हो गयी है और यह कहा जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूरी होते-होते हमारी यह आय १६फीसदी तक कम हो जायगी। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आखिर यह प्रगति कहां हुई और आज जो यह दावा किया जाता है कि हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति बढ़ी है तो यह कैसे मालूम होता है हमारे माननीय सदस्यों को कि जनता की तरक्की हुई है, वह आय क्या हुई ?

अभी भारत सरकार ने एक कमेटी इस बात की जांच के लिये मुकर्रर की है कि जो आय बढ़ी है वह कहां गयी। तो मैं चेतावनी के रूप में सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार को इस चीज के ऊपर विचार करना चाहिये।

दूसरी तरफ मान्यवर, आप देखेंगे कि हमारे यहां जो शिक्षा की हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। देश भर में जहां ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों की संख्या ६० फीसदी है वहां हमारे इस सूबे में उनकी संख्या ४० फीसदी है जो स्कूल जाते हैं। लड़कियों को शिक्षा जह देश भर में ११ फीसदी को मिलती है वहां हमारे इस सूबे में साढ़े ३ फीसदी को ही शिक्षा मिलती है। तो मैं कैसे समझूं कि तरक्की हुई है पिछले १३ साल में इस सूबे की ? इसलिये मैं समझता हूं कि पांडेय जी को इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिये और इसलिये मैं चाहता हूं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। आज मैं सरकार से इस बात की मांग करता हूं कि हमारा जो विधान है उस विधान की भावना के अनुकूल हमारे यहां की शिक्षा होनी चाहिये। हम जनतंत्र की बातें तो बहुत करते हैं लेकिन जो हमारी शिक्षा है वह उसके मुताबिक नहीं है। हम शिक्षा के क्षेत्र में दिन-पर-दिन गिरते चले जा रहे हैं। अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के ऊपर हम लांछन लगाते हैं कि उनके अन्दर अनुशासन नहीं है लेकिन हमने कभी भी इस पर विचार नहीं किया कि जो पद्धति हमने अपनायी है, जिस नियोजन से हमने काम शुरू कर दिया है तथा जो हमारी पुरानी शिक्षा है उसमें परिवर्तन करना आवश्यक है या नहीं। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात पर विचार करे कि जिस तरह से राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में विश्वविद्यालयों की शिक्षा के बारे में एक समिति गठित करने का एलान किया है इसी तरह से मेरी सरकार से मांग है कि वह प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी इस तरह की कोई कमेटी गठित करने के प्रश्न पर विचार करे। शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने के लिये एक समिति का गठन होना चाहिये और जो हमारे विधान की भावना है उसके अनुकूल हमारी शिक्षा होनी चाहिये। जब हम जनतंत्र को लेकर चल रहे हैं तो हमारी शिक्षा भी उसी के अनुकूल होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह जब होगा तभी चरित्र का निर्माण होगा तथा अनुशासन कायम होगा। अगर हम पुरानी शिक्षा के बल पर चाहें तो यह कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार एक समिति का गठन करे।

इसी तरह से आप देखें कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को हम १ अप्रैल से चलाने जा रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार प्रारम्भिक शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा तीव्र गति से बढ़ाने की

कोशिश करे। साथ ही सरकार को इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि लड़कों को टैक्निकल तथा वैज्ञानिक शिक्षा दी जाय ताकि अपनी शिक्षा समाप्त करने के बाद वे किसी भी काम में लग सकें।

श्रीमन्, आज यूनिवर्सिटी में शिक्षा के लिये लड़कों का दाखिला भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिये मैं सरकार के सामने एक सुझाव रखता हूं कि ८ वां दर्जा पास होने के बाद विद्यार्थियों के लिये ऐसे-ऐसे धातु, बिजली निर्माण, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने चाहिये जहां से ट्रेनिंग प्राप्त करके वे उद्योग धंधों के रूप में अपनी तथा देश की सेवा कर सकें।

इसी तरह से सिंचाई क्षेत्र की जो हालत है वह भी खराब ही है। चार-पांच साल पहले जहां सिंचाई रेट ५० फीसदी था वहां अब बढ़ कर ३०० फीसदी तक हो गया है। सिंचाई का क्षेत्र दिन पर दिन कम होता जा रहा है इस पर सरकार ने कभी गौर नहीं किया है। इस के लिये बिजली की कम्पनियां भी बहुत कुछ जिम्मेदार हैं। आप ने देखा कि बिरला बन्धुओं को रिहन्ड डैम से बिजली १७५ रुपया पर-किलोवाट के हिसाब से दी गई और नलकूपों को ४४७ रुपए के हिसाब से दी जाती है जिसका फल यह होता है कि सिंचाई का रेट ज्यादा होता है और किसान पानी नहीं ले पाता। जिस तरह से सूबे में कई तरह की जमीन और लगान है उसी तरह से बिजली रेट भी चार-पांच प्रकार का है। सरकार इस पर विचार करे और इन बिजली कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करे।

इसी तरह से आप देखें कि गन्ने के बारे में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि सेस के कानून में अड़चन के कारण प्रदेश का ७० करोड़ रुपए का नुकसान है। इस विषय में सरकार सोचे और मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करे तभी इन गन्ना किसानों और मजदूरों के साथ न्याय हो सकता है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि बिहार और यहां की विधान सभा ने जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार किया है उसको मानने के लिये फिर वह केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाले और गन्ने का मूल्य दो रुपया मन मंजूर करावे। जब चीनी का भाव ३५ रुपया मन था, सन् १९४८–४९ में तो गन्ने का भाव दो रुपया मन था लेकिन जब चीनी का भाव ३८ रुपया मन है तो गन्ने का भाव एक रुपया दस आना मन है। इस तरह से १८ करोड़ रुपया सूबे के किसान की जेब से लूटा जा रहा है आज चीनी मिलों को किसान ४२ करोड़ मन गन्ना देता है। आज सरकार सहकारिता की बात करती है, मैं सरकार के ऊपर इल्जाम लगाता हूं कि वह ऐसा करना नहीं चाहती। अगर वह दो रुपया मन का गन्ने का भाव कर दे तो किसान आसानी से उसे एक आना मन सेस दे सकता है और इस तरह से पौने तीन करोड़ रुपए की आय सरकार को हर साल हो सकती है और इस रकम से एक सहकारी मिल हर साल प्रदेश में कायम हो सकती है परन्तु सरकार बात अवश्य सहकारिता की करती है लेकिन कुछ करना नहीं चाहती। सरकार इस पर विचार करे और दो रुपया मन गन्ने की कीमत कर के एक आना मन किसानों से लेकर और हर साल पौने तीन करोड़ रुपया कमाकर एक सहकारी मिल की स्थापना किया करे। कौटिल्य शास्त्र में लिखा है कि सरकार के पास मूल्यों का नियमन करने के लिये एक विभाग अलग से होना चाहिये। हमारे यहां सुई के, घोड़े के, कपड़े के किसी भी चीज के दाम तय नहीं हैं और जो चाहे जिस मूल्य पर चीज बेचता है और उपभोक्ताओं को लूटता है।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
७ फरवरी, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६ पर)

No. 3613-A/IX-A—1 (267)-60

FROM

SRI R. C. PANT,
UP SACHIV TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH.

TO

ALL ZILADHISHES,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, December 28, 1960.

Subject: **Dearness Allowance to the employees of Local Bodies**

SIR,

SWAYATTA SHASAN (KA) VIBHAG.

I am directed to say that in G. O. no. R-57/IX—467-49, dated June 11, 1949, local bodies were ordered to pay dearness allowance to each of their employees either at the rates existing before April 1, 1949 or at the rates admissible under paragraph 16 of the Government Resolution no. 2261/IX—718-48, dated March 29, 1949 or at the rate given below whichever was most favourable to him.

Local Bodies of classes 1, II and III

Pay	*Dearness Allowance*
	Rs.
Up to Rs.50	20
Between Rs.51 and Rs.450	25
Between Rs.451 and Rs.474	Marginal adjustment.

Local Bodies of Class IV

	Rs.
Up to Rs.50	15
Rs.51 or above	20

Local Bodies of classes V and VI

Up to Rs.50	12
Rs.51 or above	15

2. With effect from August 1, 1957, however, a temporary increase of Rs.5 per mensem was allowed in the rate of dearness allowance to such whole-time employees of local bodies (including whole-time sweepers but excluding primary school teachers) as were drawing total monthly emoluments not exceeding Rs.95 per mensem, *vide* G. O. no. 2742-A/IX-A/—(444)-57, dated

December 10, 1957. The persons whose total emoluments exceeded Rs.95 but were below Rs.100 per mensem, were allowed marginal adjustments.

3. Subsequently, in G. O. no. 1590-A/IX-A—1-P(204)-59, dated July 23, 1959, such of the employees of local bodies mentioned in paragraph 2 above, (i) as were drawing total monthly emoluments, including the additional dearness allowance sanctioned in the G. O. no. 2742-A/IX-A— 1(444)-57, dated December 10, 1957, not exceeding Rs.97.50 nP per mensem, were allowed with effect from April 1, 1959, a further temporary increase of Rs.2.50 nP in dearness allowance in addition to the dearness allowance which they were already drawing ; (ii) as were drawing total monthly emoluments (i.e. pay *plus* dearness allowance) exceeding Rs.100 but not exceeding Rs.200 were allowed an additional dearness allowance of Rs. 5 per mensem. The persons in receipt of total monthly emoluments exceeding Rs.97.50 nP but below Rs.100 and exceeding Rs.200 but below Rs.205 were allowed marginal adjustments.

4. Having further reviewed the position, Government have decided that with effect from April 1, 1960 (i.e. in respect of the pay for the month of April, 1960 payable in May, 1960) a further temporary increase of Rs.5.50 nP per month be allowed to the local bodies employees drawing pay up to Rs.50 per mensem. Government have also decided that the dearness allowance of local bodies employees drawing pay between Rs.51 and Rs.100 per mensem should be enhanced to Rs.35 per mensem for the employees of local bodies of classes I, II and III, Rs.30 per mensem for the employees of local bodies of class IV and Rs.25 per mensem for the employees of local bodies of classes V and VI. It has also been decided that those local bodies employees drawing pay between Rs.101 and Rs.450 per mensem who have not received any temporary increase in dearness allowance in the year 1957 and 1959 should also be allowed a temporary increase of Rs.5 per mensem in their dearness allowance. Accordingly, the Governor has sanctioned the following rates of dearness allowance admissible to the employees of local bodies with effect from April 1, 1960.

Local Bodies of classes I, II and III

Pay range	*Dearness allowance*
Up to Rs. 50 per month ..	.. Rs.33 per month,
Rs.51 to Rs.100 ,, ,,	.. Rs.35 ,, ,,
Rs.101 to Rs.104 ,, ,,	.. Amount by which pay falls short of Rs.135.
Rs.105 to Rs.175 per month	.. Rs.30 per month.
Rs.176 to Rs.450 ,, ,,	.. Rs.30 ,, ,,
Rs.451 to Rs.479 ,, ,,	.. Amount by which pay falls short of Rs.480.

Local Bodies of Class IV

Up to Rs.50 per month ..	.. Rs.28 per month.
Rs.51 to Rs.100 ,, ,,	.. Rs.30 ,, ,,
Rs.101 at Rs.104 ,, ,,	.. Amount by which pay falls short of Rs.130.
Rs.105 to Rs.184 per month	.. Rs.25 per month.
Rs.185 to Rs.450 ,, ,, ..	.. Rs.25 ,, ,,
Rs.451 to Rs.474 ,, ,, ..	.. Amount by which pay falls short of Rs.470.

Local Bodies of classes V and VI

Pay range	Dearness allowance
Up to Rs.50 per month	Rs. 25 per month.
Rs.51 per month to Rs.100 per month	Rs.25 ,, ,,
Rs.101 to Rs.104 per month ..	Amount by which pay falls short of Rs.125.
Rs.105 to Rs.189 per month ..	Rs.20 per month.
Rs.190 to Rs.450 ,, ,, ..	Rs.20 ,, ,,
Rs.451 to Rs.469 ,, ,, ..	Amount by which pay falls short of Rs.470.

5. The Governor has further been pleased to order that the entire additional expenditure on account of the temporary increase in dearness allowance will be paid by Government as grant-in-aid to the respective local bodies. In this connection I am to mention that the additional expenditure on account of temporary increase in dearness allowance sanctioned to the employees whose total emoluments after taking into account temporary increase do not exceed Rs.100 will be shared by the Government of India, subject to the maximum increase of Rs.12 per month in individual case. The procedure to be followed for drawal of Government susbsidy on this account will be the same as laid down in paragraph 2 of G. O. no. 2742-A/IX-A—/(444)-57, dated December 10, 1957. The local bodies should indicate in the bills that the charge is debitable to the head "57—Miscellaneous—F—Contribution—(7) to local bodies towards the cost of dearness allowance". The current year's provisions under this head will be augmented to the extent required in due course.

6. The above orders do not apply to teachers of Primary Schools run by Municipal Boards and Antarim Zila Parishads in respect of whom order will be issued separately by Government in the Education Department.

Yours faithfully,
R. C. PANT,
Up Sachiv.

No. 3613-A(i)/IX-A—1(267)-60

COPY forwarded for information and necessary action to :—

(1) All Ayuktas of Divisions in Uttar Pradesh.

(2) All Adhyakshas of Antarim Zila Parishads in Uttar Pradesh.

(3) All Presidents/Administrators of Nagarpalikas in Uttar Pradesh.

(4) All Mukhya Nagar Adhikaris, Nagar Mahapalikas in Uttar Pradesh.

(5) All Presidents of Notified Area Committees in Uttar Pradesh.

(6) All Chairmen of Town Area Committees in Uttar Pradesh.

No. 3613-A(ii)/IX-A—1(267)-60

COPY also forwarded for information to—

(1) The Mukhya Abhiyanta, Swayatta Shasan, Abhiyantran Vibhag, Uttar Pradesh, Lucknow.

(2) The Sanchalak, Swasthya Sewa, Uttar Pradesh, Lucknow.

(3) The Shiksha Sanchalak, Uttar Pradesh, Lucknow.

(4) The Sanchalak, Pashupalan Vibhag, Uttar Pradesh, Lucknow.
(5) Parikshak, Sthaniya Nidhi Lekha, Uttar Pradesh, Allahabad.
(6) All Vibhags of the Sachivalaya, Uttar Pradesh.
(7) All Sachivas to Government, Uttar Pradesh.

By order,
R. C. PANT,
Up Sachiv.

VITTA VIBHAG

No. 3613-A(iii)/IX-A—1(267)-60

COPY also forwarded to the Accountant General, Uttar Pradesh, Allahabad, for information.

By order,
M. N. GHOSH,
Sahayak Sachiv.

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९ पर)

गुंडागीरी के विरुद्ध योजना के बारे में टिप्पणी

इस योजना के अन्तर्गत सारे देश में नगर पुलिस बिगड़े नवयुवकों की करतूतों के बारे में उनके पालकों को सूचित करती है और यदि वे ध्यान नहीं देते तो ऐसे नवयुवकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है। इस बारे में पुलिस जनता द्वारा गुप्त सूचना भी प्राप्त कर लेती है और गुण्डों की हरकतों पर कड़ी निगाह रखती है और समय पड़ने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही भी करती है। इस विषय में वर्दीधारी पुलिस कर्मचारी भी आवश्यक कार्यवाही करते हैं। इसके अलावा पुलिस ने संरक्षकों, छात्रों, छात्राओं, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानों, छात्रसंघों के अध्यक्षों तथा मुहल्ले की संस्थाओं से सहयोग की अपील की है।

योजना के अन्तर्गत अभी तक १३ व्यक्तियों के विरुद्ध धारा २९४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमे चलाये गये जो सभी सजायाब हुए। ८३ मामलों में ऐसे लोगों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया क्योंकि उनके पालकों ने माफी मांगी। ऊपर लिखी कार्यवाही के कारण गुन्डागर्दी लगभग बन्द हो गई है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६—८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७ पर)

लखनऊ शहर में निम्नलिखित सरकारी कार्यालय ध्वस्त हुए हैं	जो कार्यालय हटाये गये हैं वह निम्नलिखित मकानों में है और इसमें जो व्यय करना पड़ रहा है वह भी दिया गया है	व्यय
१—छोटी छत्तर मंजिल इमारत के गिरने से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के कार्यालय के संक्रामक रोग शाखा का कार्यालय	संक्रामक औषधि भंडार के अन्तर्गत आवश्यक कार्य अस्थाई रूप से स्थापित संचालन हेतु, है ।	कोई व्यय नहीं ।
२—छोटी छत्तर मंजिल के गिरने से संचालक कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश के कुछ दफ्तर, कृषि सूचना ब्यूरो ।	राय बिहारी लाल मार्ग पर सर्जन माथुर के बंगले में ।	६०० रु० मासिक पर ।
३—छोटा छत्तर मंजिल गिर जाने से राजस्व विभाग के निम्नलिखित कार्यालय ध्वस्त हुए—		
१—क्षेत्रीय सहायक प्रतिकर अधिकारी, लखनऊ मंडल ।	बलरामपुर अस्पताल के नजदीक मकान में ।	७५ रु० मासिक पर ।
३—लेखा अधिकारी (रा० परि०), लखनऊ मंडल	नौरंग बिल्डिंग १, अशोक मार्ग ।	१०० रु० मासिक पर ।
३—राजस्व, परिषद् का मान चित्रालय :	फिलहाल बोर्ड के दफ्तर में. .	कोई व्यय नहीं ।
४—कार्यालय लखनऊ मंडल :	अस्थाई रूप से कमिश्नर्स कार्यालय अन्तरिम जिला परिषद् के मीटिंग हाल में स्थित है ।	३०० रु० व्यय
४—गवर्नमेंट यू०पी० हैन्डीक्राफ्ट्स, हजरतगंज की दूकान की छत का एक भाग गिर गया ।	हजरतगंज की दूकान का माल उठा कर संयुक्त निर्देशक, उद्योग विभाग, लखनऊ के कार्यालय में रक्खा गया ।	कोई व्यय नहीं ।

लखनऊ शहर में निम्नलिखित सरकारी कार्यालय ध्वस्त होने के भय से छोड़ दिए गए हैं	जो कार्यालय ध्वस्त होने के भय से छोड़े गए हैं उनके संबंध में ऐसी सूचना निम्नलिखित दिनांक को मिली कि वह रहने योग्य नहीं हैं	जो कार्यालय हटाये गये हैं वह निम्न-लिखित मकानों में हैं और इसमें जो व्यय करना पड़ रहा है वह भी दिया गया है	व्यय
१—कृषि निदेशालय जो कि दर्शन विलास छत्तर मंजिल के पास है	२५-७-६०	१०, माल ऐवेन्यू	७०० रु० मासिक
२—रोशनुद्दौला कचहरी भवन व लखनऊ तहसील कार्यालय के कुछ भागों में दरारें पड़ गयीं। रौशनुद्दौला कचहरी का ऐसा भाग जिस में जुडिशियल रिकार्ड रूम, फार्म रूम, इंगलिश रिकार्ड रूम तथा रेवेन्यू रिकार्ड रूम था, ध्वस्त हो जाने के भय से खाली कर दिया गया	२९-७-६०	रौशनुद्दौला कचहरी के विभाग नई कचहरी इमारत में हटा दिये गये हैं, विभागों के हटाये जाने तथा कचहरी भवन की मरम्मत में कुल २५,००० रु० अनुमानित व्यय हुआ।	
३—स्टेट म्यूजियम के विभाग : आर्म्स गैलरी कासी आर्ट गैलरी एथनोग्रेफिक सेक्शन फोटोग्राफी रूम पुस्तकालय	१८-८-६०	स्टेट म्यूजियम बनारसीबाग।	२११५.८४ रु० व्यय
३—(अ) विद्युत निरीक्षक का कार्यालय।	२५-७-६०	काल्टन व बरलिंगटन होटल।	१,०६५ रु० मासिक
४—निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का कार्यालय।	२२-८-६०	इकबाल मंजिल	२,००० रु० मासिक
५—अर्थ एवं संख्या विभाग के २ कमरे जो कि इमारत ९, हेवलक हाउस में स्थित हैं।	२२-८-६०	उसी इमारत के बरामदे में।	कुछ व्यय नहीं
६—गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स के स्टोर की इमारत खतरनाक बतलाई गई।	८-७-६०	स्टोर तथा कार्यालय गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट के होस्टल में रखा गया।	कुछ व्यय नहीं

लखनऊ शहर में निम्नलिखित सरकारी कार्यालय ध्वस्त होने के भय से छोड़ दिए गए हैं	जो कार्यालय ध्वस्त होने के भय से छोड़े गए हैं उनके संबंध में ऐसी सूचना निम्नलिखित दिनांक को मिली कि वह रहने योग्य नहीं हैं	जो कार्यालय हटाये गये हैं वह निम्न-लिखित मकानों में हैं और इसमें जो व्यय करना पड़ रहा है वह भी दिया गया है	व्यय
७—१६—बी, अशोक मार्ग पर स्थित सहायता तथा पुन-र्वासन (ख) विभाग।	१२—८—६०	यह कार्यालय सचि-वालय में आ गया है।	कुछ व्यय नहीं
८—अकबरपुर हाउस में कुछ कमरे जिसमें गृह पुलिस विभाग (ग) व (घ) स्थित थे वह अधिक वर्षा के कारण सुरक्षित न समझे गये और खाली कर दिए गये।	२६—७—६०	इन विभागों के कर्मचारी अकबरपुर हाउस के ही दूसरे कमरों में बैठ गये।	कुछ व्यय नहीं
९—जिला पुलिस के थाना हसन-गंज का मालखाना व हवा-लात।	१६—१०—६०	मालखाना थाना-ध्यक्ष के कमरे में है तथा अपराधी दूसरे थानों में बन्द किए जाते हैं।	कुछ व्यय नहीं
१०—गोखले मार्ग स्थित अप-राध शाखा, अपराध अनु-संधान विभाग।	७—९—६०	यह कार्यालय फोरे-न्सिक लेबोरेटरी बिल्डिग में हटाया गया।	कुछ व्यय नहीं

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८ पर)

बस्ती जिले की बांसी तहसील के ८१ गांवों में सिंचाई की सुविधा के विषय में भूतपूर्व राजस्व, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित आपके पत्र दिनांक २० दिसम्बर, १९५८ के विषय में मुझे यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत गोरखपुर सिंचाई क्षेत्र के लिये निर्धारित ट्यूबवेल के लक्ष्य अब समाप्त हो गए हैं। इस लिए उस क्षेत्र की जनता यदि सिंचाई के लिए पक्के कुएं बनवाना चाहती है तो जिलाधीश से तकावी लेकर बनवा सकती है।

प्रतिलिपि जिलाधीश, बस्ती को सूचनार्थ प्रेषित।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६० पर)

जैकोट नहर द्वारा की गई सिंचाई की सूची

फसली १३६५ खरीफ	रबी
४६३ नाली	३६२ नाली

फसली १३६६ खरीफ	रबी
४२३ नाली	.....

फसली १३६७ खरीफ	रबी
४८० नाली	४२३ नाली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२ पर)

दोहरीघाट नहर के मूल आगणन (original project) तथा माह जून, १९६० तक के व्ययकी तालिका

	मूल आगणन की धनराशि (रु० में०)	जून, १९६० तक व्यय (रु० में)
१—हेड वर्क्स—		
हेड वर्क्स	२५,८१,९७८	३१,७५,३५६
मेन कैनाल तथा ब्रांचेज	२९,३२,३०७	६६,४४,५५०
डिस्ट्रीब्यूटरी तथा माइनर्स	४४,९०,८००	२०,२५,८०८
ड्रेन्स	३,०३,८५०	४०,२०६
वाटर कोर्सेज	५,४५,०७६	३६,४८७
२—इस्टेब्लिशमेंट	१०,७४,०००	९,०६,३६०
३—स्पेशल टी एन्ड पी	१,१४,०००	१,६७,६५२
४—डाइरेक्ट तथा इन्डाइरेक्ट चार्जेज ..	२,७१,३५०	६६,४९९
५—कैपीटेलाइज्ड एबेटमेन्ट	३,४८,०००	इस व्यय का विवरण योजना के पूर्ण होने पर उपलब्ध हो सकेगा ।
६—सस्पेन्स	५,०००	४,८०,२८३

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२ पर)

सन् १९५०–५१ से मार्च, १९६० तक की आय व व्यय का ब्योरा।

सन्	व्यय	आय
	रु०	रु०
१९५०—५१	६६,८१४	३१,४५७
१९५१—५२	१००,१०५	१,२९,५३८
१९५२—५३	८५,२०९	३३,५२६
१९५३—५४	६२,८६३	५५,३५५
१९५४—५५	६२,८८०	२२,९४५
१९५५—५६	७२,१८९	८२,२१५
१९५६—५७	७७,४७२	६०,६०३
१९५७—५८	८८,२१७	१७,५०७
१९५८—५९	८३,०००	४३,००२
१९५९—६०	९४,४४६	८१,३४४
योग ..	७,९३,१९५	५,५७,४८२

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

[देखिये तारांकित प्रश्न ९८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७ पर]

राजकीय कृषि यांत्रिक फार्मों के पुनर्संगठन के सम्बन्ध में नियुक्त की गई समिति की मुख्य सिफारिशें

उपरोक्त समिति ने कमयार फार्म (जिला बाराबंकी) के अतिरिक्त अन्य किसी वर्तमान राजकीय फार्म को बन्द करने की सिफारिश नहीं की है। विभिन्न फार्मों के लिये सिंचाई, भवन आदि की सुविधा दिये जाने की सिफारिश के अतिरिक्त, समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें पूरे संगठन की उन्नति के लिये की है :—

(१) राजकीय कृषि यांत्रिक फार्म संगठन को कृषि विभाग तथा पशु-पालन विभाग से पृथक् अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाये हुये कार्य करने दिया जाय।

(२) एक कार्यकारिणी बोर्ड की स्थापना की जाय जिसकी बैठकें साल में कम से कम दो या तीन बार अवश्य हों, और यह नीति निर्धारण के सामान्य मामलों का फैसला करें। कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश तथा पशु-पालन आयुक्त, उत्तर प्रदेश उक्त बोर्ड के सदस्य हों तथा उप-निदेशक, कृषि यांत्रिक फार्म्स, प्रदेश इसका सचिव हो। मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग को भी इस बोर्ड में रखना लाभकारी होगा।

(३) उप निदेशक, कृषि यांत्रिक फार्म्स को पशु-पालन विभाग के अन्तर्गत अन्य फार्मों जैसे चक गंजरिया, कालसी, ऋषिकेश के सम्बन्ध में सरकारी तौर से परामर्श-दाता नियुक्त किया जाय। यदि अधिक कठिनाई न हो तो डेरी डिमान्स्ट्रेशन फार्म, मथुरा, एग्रीकल्चर कालेज फार्म कानपुर, नगला फार्म तथा तराई और पहाड़ी क्षेत्रों में भेंड़ विकास के फार्मों को भी उपरोक्त अधिकारी के परामर्शदायिनी क्षेत्र के अन्तर्गत कर दिया जाय।

(४) उप निदेशक, कृषि यांत्रिक फार्म के पद को 'निदेशक' के पद में बदल दिया जाय तथा उसका वेतन-क्रम भी उसी के अनुरूप बदल दिया जाय।

(५) कुशल तथा कर्मठ कर्मचारियों को बोनस देने की योजना बनाई जाय। उन लोगों को भी बोनस दिया जाय जो फार्मों पर लाभ करावें अथवा निर्धारित लक्ष्य से अधिक आमदनी करावें।

(६) एक अवमूल्यन कोष अथवा बट्टा खाता कोष खोला जाय। फार्म की विविध मशीनों तथा भवनों आदि पर जो अवमूल्यन प्रति वर्ष चार्ज किया जाता है इस कोष में जमा किया जाय। इस धनराशि पर सूद मिलेगा। इस धनराशि का उपयोग ट्रैक्टरों, मशीनों आदि को खरीदने अथवा भवनों, सड़कों या नालियों के निर्माण में किया जाय।

(७) सिविल इंजीनियरिंग में ट्रेन्ड दो ओवरसियर इस संगठन में भूमि बराबर करने, बंधियां बनाने, नालियां आदि बनाने के कार्यों में मदद देने के लिये नियुक्त किये जायं।

(८) वर्तमान कार्यालय भवन को प्राप्त कर लिया जाय।

(९) फार्मों के कर्मचारियों को किराये रहित मकान रहने के लिये दिये जायं।

(१०) लाभ-हानि के खाते के बनाने की पद्धति में परिवर्तन किया जाय।

(११) निबलट तथा आर जी लाइन्स के फार्मों के अध्यक्षों गजटेड बना दिया जाय तथा उन्हें रुपया निकालने तथा भुगतान करने का अधिकार दिया जाय।

(१२) गजटेड फार्म मैनेजर्स को स्थायी कर दिया जाय।

(१३) सभी फार्मों पर टेलीफोन की सुविधा दी जाय ।

(१४) पूर्वी जिलों में दो नये फार्म खोलने की सम्भावना पर विचार किया जाय ।

(१५) हेमपुर फार्म को जल्द से जल्द राजकीय कृषि यांत्रिक फार्म संगठन के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया जाय ।

(१६) फसलों पर किये गये सभी प्रयोगों का उचित मुआवजा जैसा कि कृषि विभाग में दिया जाता है, दिया जाय ।

(१७) विभागों द्वारा आदेश दिये जाने पर यदि कोई विशेष फसल या नस्ल पैदा की जाती है तो उसके लिये भी मुआवजा दिया जाय ।

(१८) निरीक्षण गृहों, सड़कों, फालतू भवनों आदि को व्यापारिक माना जाय तथा इनकी मरम्मत आदि के खर्चों को फार्मों के खर्च में न दिखाया जाय ।

(१९) जो भवन अथवा सम्पत्तियां किसी दूसरे प्रयोगात्मक अथवा विकासीय कार्यों के लिये थीं तथा उस योजना के बन्द होने के बाद फार्मों को हस्तान्तरित कर दी गई हों उन्हें अव्यावसायिक माना जाय ।

(२०) फार्मों की अधिकांश भूमि पहले नीची थी और इसका विकास करने में काफी पैसा खर्च किया गया है । कुछ जगहों पर आज भी सिंचाई की सुविधायें प्राप्त नहीं है । विकास कार्य के द्वारा भूमि के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है । इच्छित समय पर इसे बेच कर रुपया पाया जा सकता है । अतः केवल उसी धन पर सूद चार्ज करना चाहिये जो भूमि को प्राप्त करने में मुआवजे के रूप में दिया गया हो । विकास कार्य में जो धन व्यय किया गया हो उस पर सूद न लगाया जाय ।

(२१) खैरीगढ़ तथा पोवार नस्ल के पशुओं को पालने पर होने वाले खर्च को अव्यावसायिक माना जाय ।

(२२) बाकी नस्ल के पशुओं पर होने वाले खर्च पर भी २५ प्रतिशत की कमी दी जानी चाहिये जैसा कि कृषि विभाग के अन्तर्गत डेरियों में होता है ।

(२३) माधुरीकुन्ड पर ब्रुसेला बीमारी वाले जो पशु रक्खे जाते हैं उन पर होने वाले खर्च पर भी ५० प्रतिशत की छूट दी जाय ।

(२४) फार्मों के वे भवन जो दूसरे विभागों के कब्जे में हैं फार्म के हिसाबों में उन विभागों के नाम किराये पर दिये गये दिखाये जायं तथा इनकी मरम्मत आदि पर होने वाले खर्च को उन विभागों के हिसाब में दिखाया जाय । इसी प्रकार यदि कुछ भवन बेकार पड़े हों तो उन्हें भी फार्म के हिसाब में न दिखाया जाय ।

(२५) प्रयोगात्मक योजनाओं पर किये गये खर्च को फार्मों के लाभ-हानि लेखे में न दिखाया जाय ।

(२६) खैरीगढ़ नस्ल के २५ पशुओं का एक दल तथा उसकी सन्तति मंझरा फार्म पर रक्खी जाय तथा इसी भांति पोवार नस्ल के पशु हेमपुर फार्म पर रक्खे जायं । कनकटा नस्ल के ५०-८० पशुओं के एक दल को सैदपुर फार्म पर रखा जाय और इन नस्ल के पशुओं में दुग्ध उत्पादन की वृद्धि कराने की चेष्टा की जाय । खैरीगढ़ नसल के कुछ पशुओं को साहीवाल नस्ल के पशुओं से जोड़ा खिलाया जाय तथा फल का निरीक्षण किया जाय ।

(२७) हरियाना और थारपार्कर नस्ल के पशु फार्मों पर जैसा कि अभी तक तक होता आया, है रक्खे जायं ।

(२८) मुर्रा भैंसों को भी जैसा अभी तक होता आया है, रक्खा जाय ।

(२९) तराई भैंसों को फार्मों से हटा दिया जाय ।

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८ पर)

तालिका

सेंट्रल डेयरी फार्म, अलीगढ़ के पिछले चार वित्तीय वर्षों की आय तथा व्यय के आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
	रु०	रु०
१९५६—५७	१६,०५,६७४	१६,१५,९३१
१९५७—५८	१९,५५,६०९	१९,६३,१४३
१९५८—५९	१८,४०,५५१	१८,७९,०६२
१९५९—६०	२१,२८,३५०	२२,६०,१९८

अनुसंधान एवं प्रलेखन केन्द्र

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४ पर)

क्रम संख्या	तादाद आदमी जिन पर मुकदमें चल रहे हैं	धारायें जिनमें मुकदमें चल रहे हैं
१	६६	धारा १४७/३२३/३२५/३०७/४२६/३९५ भा०दं०वि०
२	२	,, १४७/४२७/४३६ ,, ,,
३	१०	,, १४७/३२३/३२५/३०७ ,, ,,
४	६	,, १४७/१४९/४३६ ,, ,,
५	७	,, १४७/३२३/४३५/४२६ ,, ,,
६	१६	,, १४७/३२३/३०७/४३६/३९५ ,, ,,
७	१३	१४७/३२३/३०७/४३६ ,, ,,
८	७	,, १४७/४३५/४५७ भा०दं०वि०व २५ टेलीग्राफ ऐक्ट
९	२४	,, १४७/३२३/३२५/३०७ भा० दं० वि०
१०	५	,, १४७/१४८/३३२/३३६/३५३/३०७
११	२७	,, १४७/१४८/४३६/३०७/३२३/४२७
१२	२२	,, १४७/४३६/४२७ ,, ,,
१३	१८	,, १४७/४४८/४२७ ,, ,,

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२३९ एल० ए० १९६१—८४५।